खण्ड–494, अंक–8
गुरुवार, 05 भाद्रपद, शक संवत् 1937
(27 अगस्त, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2015)

(खण्ड 494 में 8 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
किसानों की समस्याओं से सम्बन्धित प्रकरण को उठाने का प्रयास ...	7–9
प्रश्नोत्तर	9–39
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	39
विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	39–40
गाजियाबाद के वार्ड संख्या–15 के अन्तर्गत सुन्दरपुरी, माधौपुरा में स्व0 मोहन यादव गेट से चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद चन्दौली के जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद लखीमपुर स्थित उल्ल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	40–41
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् गोला में व्यापक रूप से किये जा रहे सरकारी धन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	41
जनपद लखनऊ के चारबाग सब्जी मण्डी, मोहन होटल के सामने स्थित बन्द पड़े गैराज में कूड़ा कचरा हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद की मण्डी समिति के पूर्वी गेट के मुख्य मार्ग के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	41–42
जनपद आगरा के विकास खण्ड सैया में इरादत नगर मिलावली मार्ग से ग्राम छक्की गढ़ी होते हुए शेरपुर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग को मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	42
जनपद लखनऊ अन्तर्गत नौबस्ता पुलिया से शुक्ला पुलिया तक बने नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	42
जनपद लखनऊ के थाना मलिहाबाद अन्तर्गत ग्राम रण्डाखेड़ा में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42–43

जनपद लखीमपुर स्थित माइनर की टूटी हुई पुलिया का निर्माण कराये जाने जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 43

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद मेरठ के वन विभाग में तैनात रेन्जर द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	43–44
जनपद लखनऊ की डूडा कालोनी में सोडियम स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	44
इलाहाबाद मण्डल के सिंचाई विभाग, यांत्रिक में अधीक्षण अभियन्ता के दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद लखनऊ अन्तर्गत एल्डिको उद्यान–2 में रायबरेली रोड से शिव मन्दिर होते हुए लेकव्यू अपार्टमेन्ट तक की लगभग 100 मी0 रोड की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45
बापू भवन सचिवालय के श्रम विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	45
जनपद एवं विकास खण्ड हाथरस में गढ़ी तमना नहर के पुल से किन्दौली गांव तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद कौशाम्बी के ग्राम नांदेमाई में हुये अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	46
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत विकास खण्ड माण्डा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47
प्रदेश के निर्धन, बेसहारा एवं निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47
कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र महराजपुर क्षेत्रान्तर्गत सनिगवां वार्ड में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47–48
वाराणसी कैण्ट स्टेशन से 200 मी0 की दूरी पर स्थित इंगलिशिया लाइन तिराहे पर बैरीकेटिंग लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48
उ0प्र0 जल निगम द्वारा क्रियान्वित गोरखपुर नगर निगम स्थित रामगढ़ ताल परियोजना के संचालन में विभागीय कर्मियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में	48–49

नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 49

विषय	पृष्ठ–संख्या
लखनऊ शहर के स्थित शंकरपुरवा ८ व ५ की अनिर्मित गलियों के निर्माण एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्द्राबाद में दण्ड व व्यवहार न्यायालय का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद उन्नाव में मानकों के विपरीत चल रहे जे0एस0 इंटरनेशनल स्लाटर हाउस के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत अति महत्वपूर्ण नवीन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	51
बरेली महानगर की 100 फुटा रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद जौनपुर के सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना में किये गये घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	51–52
गोरखपुर के चन्द्राघाट पर स्थाई पुल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	52–53
जनपद शामली के कतिपय ग्रामों को नवनिर्मित तहसील ऊन के स्थान पर पुनः शामली तहसील में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद आगरा अन्तर्गत वाटर वर्क्स चौराहा से शक्ति सुशील मन्दिर होते हुए बल्केश्वर नाथ महादेव मन्दिर तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	53–54
नोएडा में पेयजल आपूर्ति हेतु गंगाजल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	54
दिनांक 10–08–2015 को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण श्री सुदामा वर्मा की सर्पदंश से हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	54–55
जनपद फिरोजाबाद के कांच चूड़ी श्रमिकों का बीमा कराये जाने के	55–56

सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
सहारनपुर नगर निगम में निकाय चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	56
विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण में मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	56
विधान सभा क्षेत्र बांसी अन्तर्गत खसरहा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	56–57
उच्चतर सेवा चयन आयोग द्वारा महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	57–58
जनपद मेरठ में स्थित सीवर लाइन के ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को सुचारु रूप से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	58–59
संयुक्त मंत्री, यू0पी0 एजूकेशनल मिनिस्ट्रीयल, उ0प्र0 द्वारा मुस्लिम कार्मिक को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद मिर्जापुर में राजमार्ग पर अत्यन्त लोड होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	60
प्रदेश के पी0आर0डी0 जवानों के देय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	60–61
सई नदी का पानी प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	61
कार्यालय मुख्य अभियन्ता गोरखपुर में कर्मचारियों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद सीतापुर के ब्लाक खैराबाद में ग्राम शाहपुर से बन्नी तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	62
उ0प्र0 पुलिस/पी0ए0सी0 में नियुक्त आरक्षी के पदों पर व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	62–63
मा0 उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या–2072 एम0वी0/2001 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	63–64
जनपद लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के	64

अन्तर्गत सूचना ... ...
जनपद बलिया के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 64–65
जनपद बलरामपुर की कोतवाली उतरौला में दर्ज मु0अ0सं0–0655 में प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 65

विषय	पृष्ठ–संख्या
विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल में अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	65–66
विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	66
विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर स्थित छोटी गण्डक में शवदाह गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद मुरादाबाद में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद अम्बेडकर नगर के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67–68
बरेली में मानक के विपरीत चल रहे अस्पताल पर प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद मथुरा अन्तर्गत ब्लाक बल्देव के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	68–69
जनपद अलीगढ़ के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	69–70
जनपद अलीगढ़ के कतिपय पुलों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद गाजियाबाद के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	70–71
जनपद अलीगढ़ के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत सब–स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	71–72
किसान सेवा सहकारी समिति जमुका में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	72–73
अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान की बाउन्ड्री बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	73–74
विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	74

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सोनभद्र की कतिपय ग्राम सभाओं को सड़क से न जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	74–75
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा में कतिपय सड़कों एवं सेतुओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	75
मा0 सदस्य की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त गनर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	75–76
विधान सभा क्षेत्र महोबा की जर्जर सड़कों के शीघ्र निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	76–77
जनपद मऊ अन्तर्गत कुरंगा नहर की पटरी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	77–78
जनपद देवरिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद सीतापुर के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78–79
नगर निगम झांसी में टी0एफ0सी0 क्षेत्रान्तर्गत नालों के निर्माण की घटिया गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	79–80
जनपद बुलन्दशहर में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद बांदा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद सहारनपुर में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	81
जिलापूर्ति अधिकारी बस्ती के द्वारा शासन को गलत एवं भ्रामक सूचना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	81–82
जनपद सीतापुर में दैवीय आपदा से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	82
जनपद शाहजहांपुर में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	83

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों के शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... 83

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद आगरा की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	83–84
जनपद लखीमपुर के ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद जालौन अन्तर्गत गैर बदनपुरा मौजे को नगर पालिका की सभा में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
जनपद चन्दौली के जिला मुख्यालय स्थित सकलडीहा चन्दौली मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	85
विधान सभा क्षेत्र चरथावाल में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बढेही में पड़ी डकैती की घटना की निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	85–86
जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी अन्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद ललितपुर के विधान सभा महरौनी में नवसृजित तहसील पाली में शामिल ग्रामों का पूर्ववत् महरौनी तहसील में ही रखे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	86–87
जनपद इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र की अधिग्रहीत की गई भूमि का अप्रयुक्त अवशेष भाग किसानों को पुनः लौटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद बिजनौर के प्रमुख सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	87–88
विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद झांसी अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त झांसी में फाइनेसियल बिड खोले जाने में की गई व्यापक अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	88–89
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर स्थित अर्धनिर्मित मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	89–90

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ में व्याप्त व्यापक अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना 90–91

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बागपत की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	91–92
जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत प्रमुख मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज की ग्राम सभा खरगीपुर अन्तर्गत शारदा नहर को सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	92–93
गढ़मुक्तेश्वर विधान सभा में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित खड़न्जों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
कानपुर में विकलांगों के सर्टिफिकेट बनाने में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
विधान सभा क्षेत्र कांठ अन्तर्गत छजलैट में स्वीकृत माडल स्कूल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	93–94
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	94
जनपद फैजाबाद में अर्धनिर्मित मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	94–95
मथुरा एवं वृन्दावन के शहरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद शामली में प्रदेश सरकार द्वारा घोषित आपदा राहत हेतु योजनाओं का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	95–96
जनपद गाजीपुर की प्रमुख सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद बलिया में गंगा नदी में हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	97
विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्याप्त अनियमितताओं को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद लखनऊ अन्तर्गत पारा के प्रमुख मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	97–98

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं 98

बजट सत्र के अन्तिम दिन मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... 98–100

विषय	पृष्ठ–संख्या
विधायकों को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों पर लगने वाले आयकर अधिनियम में सांसदों के सापेक्ष दोहरे आचरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)...	100–101
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–07–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	101–102
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के ग्राम भैंसहा रामपुर ब्लाक सुजानगंज, तहसील मछलीशहर का नाम बदलकर पोस्ट आफिस तथा राजस्व अभिलेखों में पूर्व में प्रचलित प्रेम का पूरा के नाम से दर्ज कराये जाने विषयक श्री ओम प्रकाश दुबे निवासीगण जनपद जौनपुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	102
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में 50 बेड के महिला चिकित्सालय एवं विकास खण्ड मिठवल के पथरा बाजार में एक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री परशुराम यादव निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	102
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के भारतभारी एवं बेंवा चौराहे में 33/11 विद्युत सब–स्टेशन स्थापित किये जाने विषयक श्री घिसियावन यादव निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	102
विधायकों को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों पर लगने वाले आयकर अधिनियम में सांसदों के सापेक्ष दोहरे आयकर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	102–104
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	104–105
डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित	105
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित	105
सुसंगत नियमों को शिथिल करते हुए आज दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पुरःस्थापित दोनों विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव	106
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 (पारित)	106–132

आयकर अधिनियम के तहत सांसदों एवं विधायकों के वेतन–भत्तों में छूट दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव (पारित) 132

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित) 132–134

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 (पारित)	134–144
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	144–175
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	175–184
प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज के अतिरिक्त प्रति किलोवाट मिनिमम यूनिट वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	184–186
जनपद आजमगढ़ के संविदा कर्मी द्वारा तार जोड़ते समय करन्ट लगने से दिनांक 18 अगस्त, 2015 को हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	186–187
प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों (गोरखपुर सहित) में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण की सुविधा से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	187–188
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत गण्डक से हो रहे कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	188–189
लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अभियन्ताओं की उदासीनता के कारण सड़कों के किनारे बढ़ रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	189
प्रदेश के ऊर्जा विभाग में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	190–192
जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत यू0पी0 नेडा चन्दौली/वाराणसी में अवशेष सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत	192–194

दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य ... .

जनपद आगरा के विकास खण्ड खेरागढ़ के कतिपय ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य 194

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद कानपुर नगर की छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड 54 में स्थित बाबू पुरवा श्रमिक कालोनी में व्यापक सफाई कराने हेतु दिनांक 26 फरवरी, 2014 को नियम–301 में दी गयी सूचना पर कार्रवाई करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	194–195
जनपद इलाहाबाद के आई0ई0आर0टी0 स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग डिवीजन में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अगस्त, 2013 के पूर्व प्राप्त वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	195–197
जनपद बांदा में तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम सभा सिंधनकला में केन नदी से सटे तुर्री नाले में डूबकर मृत्यु होने से मृतक छात्र की विधवा मां को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	197–198
जनपद हरदोई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0के0एस0के0 प्रोग्राम में तैनात काउन्सलरों को कार्य करने हेतु सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	198–199
जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी में तैनात लैब टेक्निशियन द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	199–201
ऋषि वशिष्ठ सहकारी आवास समिति लि0 के अध्यक्ष एवं उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की मिलीभगत से समिति के बैंक खाते में गबन किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	201
जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर के नये स्वीकृत ब्लाक अगोत की ग्राम	201

पसौरा में भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य (स्थगित) ... ...

प्रश्नों के सम्बन्ध में सदन को सूचना 201–202

विषय	पृष्ठ–संख्या
सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन	202–210
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	210
राष्ट्रगान	211

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त, 2015

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–323

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री एटा
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमतीप्रतापगढ़
26. अरूण कुमार, डा0 बरेली
27. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
31. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
33. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
34. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
35. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
36. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
37. आलमबदी, श्री आजमगढ़
38. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
39. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
40. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
41. आशीष यादव, श्री बदायूं
42. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
43. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
44. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
45. इकबाल, श्री बिजनौर
46. इकबाल महमूद, श्री संभल
47. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
49. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात

50. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
51. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्रीलखीमपुर खीरी
52. उदयराज, श्री उन्नाव
53. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
54. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
55. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
56. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
57. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
58. ओम कुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
60. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
61. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
62. काली चरन सुमन, श्री आगरा
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
65. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
66. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
67. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
68. कैलाश, श्री गाजीपुर
69. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
70. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
71. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
72. गजराज सिंह, श्री हापुड़
73. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
74. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
75. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
76. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
77. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
78. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
79. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
80. गोरख पासवान, श्री बलिया
81. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
82. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
83. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
84. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
85. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
86. जगपाल, श्री सहारनपुर
87. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
90. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
91. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
95. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
96. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
97. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्रीबस्ती
98. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
99. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
100. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
101. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
102. दलजीत सिंह, श्री बांदा
103. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
104. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
105. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
106. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
107. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
108. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
109. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
110. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
111. धर्मराज, श्री बाराबंकी
112. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
113. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज

114. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
115. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
116. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
117. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
118. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
119. नारद राय, श्री बलिया
120. नाहिद हसन, श्री शामली
121. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
122. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
123. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
124. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
125. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
126. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
127. पीतमराम, श्री पीलीभीत
128. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
129. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
130. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
131. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
132. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
133. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
134. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
135. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
136. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
137. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
138. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
139. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
140. फेरन लाल, श्री ललितपुर
141. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
142. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
143. बदलू खां, श्री उन्नाव
144. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
145. बाबू खां, श्री हरदोई
146. बाबूलाल, श्री गोण्डा
147. बावन सिंह, श्री गोण्डा
148. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
149. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
150. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
151. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
152. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
153. बैजनाथ, श्री मऊ
154. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
155. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
156. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
157. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
158. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
159. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
160. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
161. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
162. मनबोध, श्री देवरिया
163. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
164. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
165. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
166. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
167. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
168. महबूब अली, श्री अमरोहा
169. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
170. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
171. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
172. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
173. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
174. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
175. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
176. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
177. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ

ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
178. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
179. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
180. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
181. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
182. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
183. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
184. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
185. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
186. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
187. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
188. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
189. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
190. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
191. यासर शाह, श्री बहराइच
192. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
193. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
194. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
195. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
196. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
197. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
198. रणजीत सुमन, श्री एटा
199. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
200. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
201. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
202. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
203. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
204. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
205. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
206. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
207. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
208. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
209. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
210. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
211. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
212. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
213. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
214. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
215. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
216. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
217. राधे श्याम, श्री अमेठी
218. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
219. राम करन आर्य, श्री बस्ती
220. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
221. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
222. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
223. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
224. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
225. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
226. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
227. राम मगन, श्री बाराबंकी
228. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
229. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
230. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
231. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
232. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
233. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
234. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
235. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
236. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
237. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
238. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
239. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
240. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
241. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
242. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
243. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
244. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
245. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर

246. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
247. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
248. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
249. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
250. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
251. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
252. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
253. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
254. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
255. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
256. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
257. विजय सिंह, श्री रामपुर
258. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
259. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
260. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
261. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
262. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
263. वीरपाल राठी, श्री बागपत
264. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
265. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
266. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
267. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
268. शकुन्तला देवी, श्रीमती शाहजहांपुर
269. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
270. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
271. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
272. शाकिर अली, श्री देवरिया
273. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
274. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
275. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
276. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
277. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
278. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
279. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
280. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
281. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
282. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
283. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
284. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
285. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
286. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
287. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
288. संजय कपूर, श्री रामपुर
289. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
290. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
291. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
292. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
293. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
294. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
295. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
296. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
297. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
298. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
299. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
300. सियाराम सागर, डा0 बरेली
301. सीमा, श्रीमती जौनपुर
302. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
303. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
304. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
305. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
306. सुधाकर, श्री मऊ
307. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
308. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
309. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
310. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर

311. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
312. सुरेश राणा, श्री शामली
313. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
314. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
315. सुल्तान बेग, श्री बरेली
316. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
317. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
318. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
319. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
320. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
321. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
322. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
323. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बाबूराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन (राज्य मंत्री) (श्री सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

किसानों की समस्याओं से सम्बन्धित प्रकरण उठाने का प्रयास

(कांग्रेस के अनेक सदस्य अपने–अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन मे। घोर व्यवधान पैदा हो गया।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी अगर नेता कांग्रेस की मंशा यही है। मान्यवर, देखिये और बढ़ाईये सदन, और बढ़ाईये सदन।

(इसी मध्य कांग्रेस के सदस्यगण अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करते हुए सदन के वेल
म\ आ गये)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग चलिये बैठिये जाकर अगर नहीं करना चाहते हैं कुछ आप लोग तो बता दीजिये। माथुर साहब बैठिये आज तो शान्ति से चलने दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, ये नहीं जायेंगे, ये बहुत बात के सच्चे हैं, ये वेल में आ गये तो ये नहीं जायेंगें। आज इन्हें खबर बनानी है अपनी, आज आखिरी दिन है।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा कांग्रेस के अन्य सदस्यों को वेल में बुलाने पर)

श्री अध्यक्ष–

सबको बुला–बुला कर यहां ला रहे हैं।।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले दो लोग थे अब पांच हो गये और पूरी पार्टी में ग्यारह लोग हैं। पांच आ गये छः रह गये हैं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (वेल से)–

माननीय अध्यक्ष जी किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के सम्बन्ध में मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

कल असीजा जी ने नियम–56 में उसको उठाया था।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, अब छः हो गये। अब सात हो गये।

श्री अध्यक्ष–

अपनी–अपनी जगह जाईये आप लोग।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई मामला न तो लिखा जायेगा न प्रेस के लिए है और न यह टेलीविजन के लिए है। आप चाहे जितना खड़े रहिये।

(नत्थी ''क'' तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने और माननीय मंत्री डा0 शिव प्रताप यादव द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ करने पर)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कांग्रेस के लोग, चूँकि कल इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री असीजा जी अपनी सूचना के माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर दिये हैं। ये जो बात कहना चाहते हैं कल वह सदन में आ चुकी है। कांग्रेस के लोग जब सदन मे कोई सूचना देना होता है तो उस समय सोते रहते हैं और जब सूचना का जवाब आ जाता है उसके बाद इनको याद आता है कि हम तो इस दौर में पिछड़ गये अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए यह लोग वेल में आकर के अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी यह अच्छी बात नहीं है सदन का आज अंतिम दिन है आज सदन बाधित नहीं होना चाहिए, सदन चलना चाहिए इसलिए आप इस पर व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, अब आपकी बात आ गयी, अब आप लोग जाइये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बाते कहीं हैं वह अर्द्धसत्य हैं। माननीय सदन को गुमराह करने की कोशिश की है कल माननीय असीजा जी ने जो सवाल उठाया था वह केवल फिरोजाबाद की बात थी आपके सैफई में और इटावा में ज्यादा पैसा दिया जा रहा है इस सवाल को नहीं उठाया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग बैठिये, अगर आप लोग नहीं चलने देना चाहते हैं तो बिल पास करा लिया जाय। अब आप लोग बैठिये इतना हल्ला करते हों अभी नेता सदन आ रहे हैं। चलिये अब इतना विरोध हो गया, अब हो गया, बहुत हो गया अब जाइये।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य अपने अपने आसन पर वापस जाने लगे)

(श्री प्रदीप माथुर द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

अब तो बोलना बन्द कर दीजिए, सवाल तो चलने दीजिए, 5 मिनट हो गया। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हो।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, ख्गग,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आप क्या कह रहे हैं। आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा चाहे जो बोल रहे हो।

श्री प्रदीप माथुर–

मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप बहिष्कार कर रहे हैं तो कर दीजिए यह पहले कर देते तो सदन का 5 मिनट समय क्यों बरबाद होता आप शुरू में चले जाते।

(कांग्रेस पार्टी के नेता श्री प्रदीप माथुर अपने दल सहित सदन का बहिष्कार कर चले गये)

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

'01–डा0 धर्मपाल सिंह–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में पालिथीन बैगों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध की मांग

'02–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन हेतु पालिथीन बैगों के निर्माण एवं बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

जन्तु उद्यान (राज्य मंत्री) (डा0 शिव प्रताप यादव)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 40 माइक्रान से कम मोटाई के पालीथीन कैरी बैग्स आदि के निर्माण एवं उपयोग को प्रतिबन्धित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पालीथीन/प्लास्टिक आदि के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन तथा व्ययन आदि के प्रभावी प्रबन्धन हेतु प्रदेश में प्लास्टिक एवं जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग एवं निस्तारण विनियमन) अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया गया है। पालिथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना व्यवहारिक न होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में केवल दो बाते जानना चाहता हूं नम्बर एक किन कारणों से यह व्यावहारिक नहीं होगा नम्बर दो, क्या पालिथीन बहुत सस्ता पड़ता है उसकी वजह से इस प्रकार का उत्तर दिया गया है यह केवल दो सवाल मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 40 माइक्रान से कम मोटाई के पालीथीन, कैरी बैग्स आदि के निर्माण एवं उपयोग को प्रतिबन्धित किया गया है और जिसके अन्तर्गत कतिपय प्राविधान किये गये हैं, यदि कहिये तो मैं इन्हें स्पष्ट कर दूं। जैसा कि मैंने बताया भारत सरकार द्वारा नियम, 2011 के अन्तर्गत जो प्राविधान किये गये हैं उसी के अनुसार 40 माइक्रान से कम मोटाई के जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं या जो सामग्री हैं, उस पर प्रतिबन्ध लगाया है और भारत सरकार अगर उस प्राविधान को बदलती है तो उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार करेगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत सरकार के 40 माइक्रान संबंधी प्राविधान हैं वह प्रदेश सरकार भी लागू कर रही है इससे किसी की असहमति नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर लागू भी किया गया है तो कम से कम मैं महानगरों की बात कर सकता हूं कि प्रदेश के महानगरों की समस्त नालियां और नाले अगर मूलतः चोक हैं, तो प्लास्टिक के कारण हैं। अगर नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है, नालियां अन्दर जाकर फंस जा रही हैं, पूरे नाले को ब्लाक कर दे रही हैं तो यह सारा कुछ प्लास्टिक बैग के कारण हो रहा है। अगर यह प्रख्यापित ही है और व्यवहारिक दृष्टि से लागू ही है, तो फिर आखिर यह प्लास्टिक आ कहां से रहा है ? सच्चाई यह है कि कागज पर माननीय मंत्री जी ने बता दिया और हम लोगों ने सुन लिया। व्यावहारिक धरातल पर इसका कहीं कोई अनुपालन नहीं है। यह सरकार का दायित्व है कि अगर यह कानून बना है तो उसे इम्प्लीमेट किया जाये और इसे लागू किया जाये। सरकार इसे लागू करने में पूरी तरह से असफल रही है। नगर निगमों से लेकर जितनी भी स्वायत्त संस्थायें हैं उनको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह जो करीब–करीब मानव स्वास्थ्य की हत्या का कारण है, गो–वंश की हत्या का कारण है, इस पर पूर्णतः व्यवहारिक प्रतिबन्ध लगे। माननीय मंत्री जी को बताना चाहिये और अभी जो वह बता रहे थे वह तो कागज की बातें हो गई, जमीन पर क्या इन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि क्या यह लागू हो रहा है और यदि नहीं लागू हो पा रहा है तो अधिकारियों के विरूद्ध इन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, बताईये क्या यह लागू हो रहा है ?

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो वर्ष 2011 का प्राविधान हमने बताया है उसी का नियम–4 ख है जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन तथा व्ययन से संबंधित नियमों के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए सम्बद्ध नगर पालिका, प्राधिकरण, विहित प्राधिकरण को नामित किया गया है, नगर निकायों को इसके लिए नामित किया गया है और वही इसके प्रबन्धन या उसके

डिस्पोजल का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था 14 शहरों में स्थापित की गई है। कहिये तो इन शहरों के नाम मैं बता दूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण से और प्लास्टिक से आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जो व्यवस्था है घर–घर से कूड़ा लेना है, कूड़ा लेकर कहीं रखना है, उन्हें तीन हिस्सों में छांटना है, उनमें से जो डिग्रेबिल हैं उन्हें अलग करना है और जो नान डिग्रेबिल हैं, उन्हें अलग करना है। यह एक अलग विषय है, मेरा विषय दूसरा है। प्लास्टिक दुकानों में बिक रहा है और आप भी इस बात को जानते होंगे। कोई भी सामान लेने जाता है तो आज भी 40 माइक्रान से कम के प्लास्टिक के झोले मिलते हैं और लोग उन्हीं में सामान लेकर आते हैं। तो जब तक यह दुकान से मिलता रहेगा, हम तब तक इसका उपयोग कैसे रोक पायेंगे। मेरा प्रश्न यह है और माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हमने नगर निगमों को दायित्व दिया है। तो नगर निगमों को अगर आप दायित्व दिये हैं, तो आपका काम यह सुनिश्चित करना कि नगर निगम अपने दायित्वों का निवर्हन इस कानून के अन्तर्गत कर रहे हैं कि नहीं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उसकी बिक्री रोकने के लिए इन्होंने वास्तविक रूप से क्या कदम उठाये हैं।

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो उत्तर प्रदेश पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके जो 18 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वह भी इसमें निगाह रखते हैं और उन फैक्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन के लिए अनुमति दी जाती है जो 40 माइक्रान से अधिक के प्लास्टिक बैग का निर्माण करती हैं, इसका जो उल्लंघन करते हैं, उसमें कार्यवाही भी की जाती है। जैसे नये प्लास्टिक अपशिष्ट नियम–2011 को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में प्लास्टिक थैलों की कुल 206 इकाइयों को चिन्हित किया गया है। जिसमें से 141 इकाइयों का पंजीकरण किया जा चुका है। 16 इकाइयां बंद हैं और 52 अपंजीकरण इकाइयों में से 21 इकाइयों को बंदी का आदेश जारी किया जा चुका है। तो इस तरह से कार्यवाही होती है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस प्रश्न पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया । अध्यक्ष जी, इसमें जो रसायन इस्तेमाल होता है, वह जाइलीन, इथलीन आक्साइड और बेन्जी होता है। यह जो रसायन है, इसके कारण यह दशकों तक बल्कि 100–200 साल तक यह क्षीण नहीं होता है। इसकी वजह से चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हों, सब पर इसका असर पड़ता है। अध्यक्ष जी, जो इसमें मेरा प्रश्न है वह यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर, 2012

को एक आदेश जारी किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा कि आगरा, मथुरा, बनारस और इलाहाबाद, कम से कम जो नदी के किनारे शहर बसते हैं, यहां पर पूरी तरह से इसकी पाबन्दी लगनी चाहिये। तो क्या राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि एक नया कांसेप्ट डेवलप हुआ है और गन्ने का जो एथनॉल है, उससे पोलीथीन बनना शुरू हुई है, जो कि पूरी तरह से इन्वायरमेंट को सूट करती है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो क्या इन दोनों प्रश्नों पर माननीय मंत्री जी जवाब देंगे ?

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग–5 द्वारा अधिसूचना संख्या–37 दिनांक 2 फरवरी, 2011 को गंगा नदी के मध्य धारा से 2 किमी0 की परिधि के भीतर प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय प्रतिषिद्ध किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर विकास अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 द्वारा सम्पूर्ण इलाहाबाद जिले में 40 माइक्रान से कम मोटाई के पालीथीन के उपयोग या विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैने जब पहले सवाल के उत्तर में पूछा था कि क्या इसलिये सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है कि यह सबसे सस्ता बिकता है। मान्यवर, जो 40 माइक्रान से कम पालीथीन को प्रतिबंधित किया गया है तो आखिरकार पिछले 6 महीने में न तो वह थैले बनना रुके हैं और न ही उनकी बिक्री रुकी है। तो सरकार ने पिछले 6 महीने में क्या–क्या कार्रवाई की है, कौन सी बैठक की, कौन सा निर्देश दिया, कहीं पर छापे मारे, मेरा कहना यह है कि कहीं न कहीं कुछ व्यवहारिक दिखना तो चाहिये। अगर प्रतिबंधित किया है तो उसको जमीन पर आना चाहिये । तो आखिरकार मंत्री जी ने क्या कार्रवाई की है, या सरकार ने क्या कार्रवाई की है। माननीय जावेद जी ने 2012 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बारे में पूछा तो मंत्री जी ने 2011 का शासनादेश पढ़ दिया। मान्यवर, हर सवाल का जवाब एक है, व्यवहारिक बात यह है कि पालीथीन का उपयोग वर्तमान में सफाई के लिये और गोवंश के लिये उपयोगी नहीं है। इसलिये इस पर उसका प्रतिबंध होना चाहिये। हम 40 माइक्रान से कम मोटाई वाली पालीथीन की ही बात कर रहे हैं न तो इसका प्रोडक्शन रुका और न इसका डिस्ट्रीब्यूशन रुका, न इसका उत्पादन रुका और न इसकी बिक्री रुकी। तो आखिरकार माननीय मंत्री जी ने 6 महीने में क्या कार्रवाई की है, मान्यवर, इसका उत्तर दिलवा दें।

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और जहां पर भी 40 माइक्रान से कम वाली पालीथीन मिलती है तो उसको जब्त किया जाता है और कार्रवाई भी की जा रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

व्यवहारिक स्थिति यह है कि हम बैग लेने गये, यहां विधान सभा में बहुत से बैग भी मिलते हैं, तो आखिरकार यह हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह 40 माइक्रान से कम है या अधिक है। यह तो कम से कम बता दें । न तो कहीं उसका विज्ञापन देंगे, किसी प्रकार का कोई प्रबन्ध सरकार की तरफ से या कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गयी है कि जिससे लगता कि सरकार ने वास्तव में इस पर प्रतिबंध किया है ?

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, वह बता रहे हैं कि प्रतिबन्धित हो गया है।

डॉ0 शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार सतत् कार्रवाई करती है और उसके पास मेजर्स हैं उनसे पता लगता है।

प्रदेश के पी0आर0डी0 जवानों को होमगार्ड की भांति सुविधा दिये जाने की मांग

'03–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पी0आर0डी0 जवानों से ग्राम पंचायत चुनाव, विधान सभा चुनाव, लोक सभा चुनावों में अर्ध सैनिक बल का कार्य लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पी0आर0डी0 जवानों को भी होमगार्ड के बराबर ड्यूटी भत्ता देने एवं ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये मुआवजा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण (राज्य मंत्री) (श्री राम करन आर्य)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में लगभग 40 हजार की संख्या में पी0आर0डी0 जवान हैं। ये ग्रामीण युवाओं के द्वारा बना हुआ बल है, पुलिस की कमी पर वैकल्पिक रूप से यह सभी सरकारी सुरक्षा के प्रबन्धों में अपनी सहभागिता करते रहे हैं। पिछली बार भी जब यहां आपकी कृपा से प्रश्न उठा था तो मा0 मंत्री जी ने इनके मानदेय को 107 रुपए से 185 रुपए कर दिया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि जो अकुशल श्रमिक है उसकी न्यूनतम मजदूरी भी 259 रुपए है और लगभग इसी प्रकार का काम करने वाले होमगार्ड के जवान 225 रुपए प्रतिदिन पाते हैं और लगभग साल में 8 महीने उनकी ड्यूटी भी सुनिश्चित होती है। पी0आर0डी0 के 40 हजार जवान जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं 1948 से इस बल का गठन हुआ है इनके लिए 185 रुपए जैसी कम राशि है और इनकी ड्यूटी की भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कोई न्यूनतम ड्यूटी भी नहीं है तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या

आप इनकी न्यूनतम ड्यूटी तय करने का काम करेंगे ? दूसरा, इनका जो मानदेय है उसे बढ़ाकर क्या होमगार्ड के समान करेंगे ? तीसरा मेरा अन्तिम सवाल है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि ड्यूटी करते समय ईश्वर न करे यदि कोई घटना/दुर्घटना हो जाती है तो आपके पास इनको देने के लिए कोई खास प्रबन्ध नहीं है। 2 करोड़ रुपए का आपका कल्याण बोर्ड बना हुआ है उसमें से 20 हजार रुपए अधिकतम की मदद है। अभी हाल में जून माह में होमगार्ड के जवानों को मिलने वाले 3 लाख रुपए आकस्मिक दुर्घटना को 5 लाख रुपए कर दिया गया है और विकलांगता पर भी 3 लाख रुपए कर दिया गया है इसलिए मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि क्या पी0आर0डी0 के जवानों को होमगार्ड के जवानों की भांति दुर्घटना बीमा और विकलांगता बीमा प्रदान करने का काम करेंगे।

श्री राम करन आर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2009 में होमगार्ड और पी0आर0डी0 जवानों का मानदेय 126 रुपए बराबर था, मान्यवर, बाद में डिफरेंश हुआ और पी0आर0डी0 के जवानों का मानदेय 126 रुपए रह गया तथा होमगार्ड का 200 रुपए हो गया। इस प्रकार से मान्यवर, वर्तमान में होमगार्ड का मानदेय 225 रुपए हो गया और पी0आर0डी0 का अभी 185 रुपए है। अभी पिछले साल हम लोगों ने इसमें लिखा–पढ़ी करके जो 126 रुपए मानदेय था उसे बढ़ा करके 185 रुपए करने का काम किया। मैंने वित्त विभाग को अभी लिखा है कि इनका भी मानदेय होमगार्ड के बराबर कर दिया जाए लेकिन वित्त विभाग की ओर से उसमें खिलाफ टिप्पणी आ गई। अब पुनः हम लोग उसको चूँकि सेम नेचर है और हर जगह इनसे काम लिया जाता है, चुनाव में और भी तमाम संस्थाओं में, इसलिए हमने पुनः लिखा है कि इनका मानदेय होमगार्ड के बराबर कर दिया जाए। मा0 सदस्य जी, आपने जो सवाल किया है वह बहुत सही सवाल किया है, हम लोगों ने लिखा है, हम प्रयासरत् हैं क्योंकि उनको मिलना चाहिए। दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि जो दुर्घटना होती है, एक तो जब चुनाव वगैरह होते हैं तो सरकार इसको अलग वहन करती है लेकिन हमारे यहां अभी यह है कि ड्यूटी के दौरान यदि जवान मर जाता है तो 20 हजार रुपए दिये जाते हैं, अभी मैं कल बांट करके आया हूं और अगर सामान्य प्रक्रिया में अपंग हो जाता है तो उसे 10 हजार रुपए दिया जाता है। मैंने जब कल बांटा तो मैं स्वयं हीन भावना से ग्रसित हो गया और धनराशि बहुत कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने वित्त विभाग को लिखा है और उसमें दुर्घटना मौत के दौरान रु0 5 लाख, अपंगता के दौरान अगर पूर्ण अपंग हो जाए, कोई काम करने लायक न हो तो भी उसे रु0 5 लाख, उसके बाद अंग–भंग होने पर ढ़ाई लाख रूपये की हम लोगों ने सिफारिश की है और हमारे विभाग ने उसके लिए लिखा है। वित्त विभाग को गया हुआ है। अभी आपने जो सवाल किया है, सही किया है कि हमारे विभाग के द्वारा कितना मिलता है तो हमने इसीलिए एक युवा कल्याण कोष बनाया है जिसमें सरकार से रु0 10 लाख उस कोष में जमा है और जो हम लोग 20 हजार और 10 हजार रुपया देते हैं उसी कल्याण कोष के ब्याज से देते हैं। कल्याण कोष से धनराशि हम नहीं निकाल सकते लेकिन उसका जो ब्याज अर्जित होता है उससे

देते हैं। उसके लिए भी मैंने लिखा है कि कम से कम रु0 50 लाख कल्याण कोष में दिया जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर हम उनकी सहायता कर सकें। माननीय सदस्य, यह आपके सवाल का उत्तर है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, आपने सारा जवाब सुना, सारे सदन ने सुना, माननीय मंत्री जी की पीड़ा को भी आपने देखा। एक विभाग के मंत्री हैं और वित्त विभाग उनकी सुनता नहीं है। यह मान भी रहे हैं कि मा0 सदस्य का प्रश्न भी सही है, जो पैसा दिया जा रहा है वह बहुत कम है। मरने पर जो दिया जा रहा है वह भी बहुत कम है लेकिन वित्त विभाग निर्णय लेता नहीं। तो प्रश्न यह है कि वित्त विभाग का मंत्री कौन है ? हम देखते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। अब प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी एक अच्छा काम करना चाह रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब आप विद्वान हैं और आप उस प्रश्न को काफी गहराई से समझ गये हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, यह गम्भीर प्रश्न है, एक माननीय मंत्री अपने मुख्य मंत्री के ऊपर, इस सदन में टिप्पणी कर रहे हैं कि वह जनहित की इन योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करने दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार का इसमें पक्ष आना चाहिए।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वित्त की टिप्पणी है, यह तो लिखा–पढ़ी होती रहेगी और फिर होगा। आप इसमें क्यों चिन्तित हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आपको सीधे प्रश्नों का जवाब देना चाहिए 'हां' या 'ना' में, इतना घुमाकर बताने की जरूरत नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 असीजा जी द्वारा प्रस्तुत जो प्रश्न है उसका अपने–आप में माननीय मंत्री जी ने औचित्य स्थापित कर दिया है और मा0 मंत्री जी ने इस बात को भी स्वीकारा कि पहले एक था, बीच में असमानता हुई और अब 185 रु0 पी0आर0डी0 जवानों का और 225 रुपया होमगार्डों का हो गया है। इस अंतर को उन्होंने स्वीकारा है, प्रश्न से पूरी की पूरी सहमति भी जाहिर की, यह उनकी सदाशता है और उन्होंने बार–बार प्रमुख सचिव, वित्त को लिखा, तो मैं ऐसी हालात में माननीय मंत्री जी की मजबूरी भी समझ रहा हूं। मान्यवर, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह लाखों नौजवानों से जुड़ा प्रश्न है और मजदूरी भी उनको पूरी नहीं मिल रही है, सरकार भी इस बात की चिंता जाहिर कर रही है ऐसी हालत में यह प्रश्न अभी विचाराधीन चल रहा है, पत्राचार चल रहा है तो इसका उत्तर

आने तक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको स्थगित कर दें। अगर स्थगित कर देंगे तो सही मायने में इस प्रश्न का उत्तर भी तब तक आ जायेगा और बीच में मा0 मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी से आवश्यकता पड़ेगी तो बात भी कर लेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार करते हुए इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल अभी आगामी सदन चलने में बहुत समय है तो इस प्रश्न को स्थगित करने का कोई मतलब नहीं है। आप फिर प्रश्न लगा लीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है और मा0 मंत्री जी ने प्रश्न से अपने को सम्बद्ध किया, सदाशयता बरती।

श्री अध्यक्ष–

यह उनकी जिम्मेदारी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इसलिए मान्यवर, इतना निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे कि इसके बाद जब हम बैठें तो कम से कम उन पी0आर0डी0 के नौजवानों को इसका लाभ भी मिल सके।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसकी मूल भावना से सहमत हैं लेकिन उनके सामने परेशानी वित्त विभाग की है मान्यवर। मंत्रि–मंडल की संयुक्त जिम्मेदारी है मान्यवर। एक तरफ तो मंत्री जी इस पर सहमति व्यक्त करते हैं और दूसरी तरफ वित्त विभाग इससे सहमत नहीं है विरोध व्यक्त करता है। मान्यवर, इस विरोधाभास का कैसे निस्तारण होगा ? आखिरकार इस पीठ की क्या व्यवस्था है ? मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि हम सहमत हैं लेकिन वित्त विभाग होने नहीं दे रहा है। मान्यवर, यह अपने आप में विरोधाभास है। इस विरोधाभास की स्थिति में हम आपसे मार्गदर्शन भी चाहते हैं और व्यवस्था भी चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय असीजा जी आप प्रश्न पूछेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस पर व्यवस्था तो आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग प्रश्न को इतना विस्तार में ले जाते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को वापस कर लें। मंत्री जी की पीड़ा भी उस समय तक खत्म हो जायेगी, इसका उत्तर भी आ जायेगा और प्रश्न से जुड़े हुए तमाम लाखों–लाख नौजवान हैं उनको भी न्याय मिल जायेगा मैं मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं। आप कृपा करके इसको स्थगित कर दें।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगित करने का कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि जब वित्त विभाग ने लिखा है तो उस पर कार्रवाई होती रहेगी।

श्री अध्यक्ष–

आपको सीधा जवाब देना चाहिए, हां नहीं में। आप टिप्पणी पढ़ रहे हैं सीधा जवाब देने के बजाय।

सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। हमें आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष–

क्या चाहते हैं आप।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप मंत्री जी का उत्तर देख लें। फिर उसके बाद मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम तो चाहते हैं लेकिन वित्त विभाग नहीं होने दे रहा है।

श्री अध्यक्ष–

यह मंत्री जी का दायित्व है। मंत्री जी वित्त विभाग से बात करके इसको निस्तारित करेंगे। आप बैठें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

वित्त विभाग से दिलवाइये मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

असीजा जी आप बोलें। आप लोग प्रश्न के विस्तार का फायदा उठा रहे हैं।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न और अधूरा रह गया है और दूसरा पहले तो मैं प्रश्न पूछ लूं जो मंत्री जी के बताने से छूट गया था कि किन–किन न्यूनतम कार्य दिवस भी तय करने की बात की भी मैंने इनसे अपेक्षा करी थी वह कैसे करायेंगे और दूसरा जैसा कि सदन के वरिष्ठ सदस्यों का मत सामने आया है तो अगर आपका संरक्षण मिले तो इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को रेफर कर दिया जाय तो अति कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष–

हम देखेंगे इस पर। अभी नहीं।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मंत्री जी न्यूनतम कार्य दिवस का उत्तर नहीं दे पाये।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ड्यूटी लगाई जाती है। कोई संस्था जब मांगती है तो उनको दिया जाता है और प्लस मेरे पास जो संसाधन हैं उसके अलावा विभागों में रखा जाता है। इसलिये सीधे जो विभाग पी0आर0डी0 से मांगते हैं, हमारे युवा कल्याण से मांगते हैं उनको वहां दिया जाता है। फिर वह पैसा पेमेंट करता है तो न्यूनतम दिवस की बात पर अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं।

प्रदेश में फसल बीमा योजना का संचालन

'04–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाली क्षति से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि (राज्य मंत्री) (श्री राजीव कुमार सिंह)–

प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसलों को होने वाली क्षति से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भारत रकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश में खरीफ, 2000 से फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है।

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014–2015, वर्ष 2015–2016 व वर्ष 2016–2017 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के 65 जनपदों में ऋणी व गैर ऋणी कृषकों हेतु संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा शेष 10 जनपदों यथा मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, फतेहपुर, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, रायबरेली व फैजाबाद में ऋणी कृषकों हेतु अनिवार्य रूप से मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गयी है। इन 10 जनपदों के गैर ऋणी कृषक मौसम आधारित फसल बीमा योजना अथवा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में से किसी एक योजना में स्वैच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक पूछने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देती हूं मान्यवर इस बार पूरे सदन में किसानों का ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ उसके संदर्भ में पूरे सत्र में यह प्रश्न उठता रहा कि किसानों की मदद किस तरह की जाए। प्राकृतिक आपदायें बार–बार आती रहती हैं पहले सूखे से किसान परेशान हुआ। फिर उसके बाद ओलावृष्टि से उसका नुकसान हुआ और मैं समझती हूं कि किसानों को जो मुआवजे के रूप में दिया गया वह बहुत कम है। किसानों को सरकार पूरा मुआवजा दे भी नहीं सकती है। मेरा इस संबंध में माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा प्रश्न है कि सभी किसान सुरक्षित हो सकें, सभी किसानों को उचित फसल का दाम मिल सके और इंश्योरेंस मिल सके, इसके लिए मेरा यह प्रश्न है क्या सरकार

सब्सिडी देकर किसानों को बहुत कम प्रीमियम की दरों पर किसानों की फसलों का बीमा कराने की सुविधा उपलब्ध करायेगी जिससे प्रदेश का प्रत्येक किसान अपनी फसलों का बीमा करा सके। अभी माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का जवाब दिया है उसमें मा0 मंत्री जी ने कुछ ही जनपदों का नाम लिया है तो मेरा सारे प्रदेश के किसानों के फसलों के बीमा के संबंध में है इस पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं।

श्री राजीव कुमार सिंह–

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 व वर्ष 2016–17 के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश के 65 जनपदों में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों हेतु संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना संचालित की जा रही है तथा शेष 10 जनपदों यथा मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, फतेहपुर, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, रायबरेली व फैजाबाद में ऋणी कृषकों हेतु अनिवार्य रूप से मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गयी है। इन दस जनपदों में गैर ऋणी कृषक मौसम आधारित फसल बीमा योजना अथवा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में से किसी एक योजना में स्वैच्छिक आधार पर अपनी भागीदारी कर सकते हैं। जो आपने पूछा है संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रदेश के 65 जनपदों में संचालित है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना दस जनपदों मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, फतेहपुर ,फैजाबाद, रायबरेली, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र में संचालित है। फसल बीमा योजना के संबंध में कृषकों को भागीदारी की तिथियां संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ, ऋणी तथा गैर ऋणी कृषकों हेतु 31 जुलाई रबी, ऋणी तथा गैर ऋणी कृषकों हेतु 31 दिसम्बर, मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ, ऋणी तथा गैर ऋणी कृषकों हेतु 30 जून रबी, ऋणी तथा गैर ऋणी कृषकों को 15 दिसम्बर फसल बीमा योजना की प्रगति खरीफ, 20.14 बीमित कृषक, 7.36 लाख बीमित क्षेत्र, 10.17 लाख हैक्टेयर बीमित धनराशि, 2465.50 करोड़ कुल प्रीमियम 213.35 करोड़ कृषक और प्रीमियम, 80.41 करोड़ अनुदान केन्द्र/ राज्य 66.47 करोड़ इसमें 25 प्रतिशत राज्यांश और 25 प्रतिशत केन्द्रांश कुल वितरित क्षतिपूर्ति 156.26 करोड़ ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा मंत्री जी उत्तर पढ़ रहे हैं कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं सुन लीजिए।

श्री राजीव कुमार सिंह–

आपने जो पूछा है वही तो बता रहा हूं।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

अध्यक्ष जी, यह जो इंश्योरेंस किसान का करवाया जाता है इफको वगैरह कम्पनियां जो होती हैं वह करवाती हैं। जिनसे ऋण लिया जा रहा है। मेरा सवाल शायद माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाए। मेरा सवाल यह था कि प्रदेश के प्रत्येक किसान की फसल का कम प्रीमियम की दर पर क्या जो सरकार है वह फसलों का बीमा करवाएगी

सब्सिडी देकर कम दरों पर क्या सरकार बीमा करवाएगी। मेरा यह प्रश्न था। यह प्रश्न नहीं है। इफको वगैरह कम्पनी बीमा करवाती हैं उसमें भारी प्रीमियम चुकाना पड़ता है। इतना प्रीमियम चुकाने की किसान की औकात नहीं होती या किसान के बस का नहीं होता। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन है जैसा कि अनुदान के बारे में अभी मंत्री जी बता रहे थे आपके संज्ञान में ला दूं मेरे यहां मेरी तहसील सिकन्दराबाद में तीन करोड़ रुपया गया इसमें भी 57 लाख का गबन हो गया दो चेक वहां से चोरी कर लिए गए मुआवजे के किसानों का जो पैसा था।

श्री अध्यक्ष–

फसल बीमा के बारे में प्रश्न पूछें।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि कम प्रीमियम दरों पर प्रत्येक किसान की फसल का बीमा क्या सरकार करवाएगी।

श्री राजीव कुमार सिंह–

इसके बारे में प्रदेश सरकार चिन्तित है और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी मीटिंग्स कर रहे हैं जैसे ही यह सम्भव होगा वैसे आपको बता दिया जाएगा।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि प्राकृतिक आपदाओं से दो हजार से फसल बीमा योजना लागू है मैं सिर्फ इतना छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दो हजार से अब तक क्या इस फसल बीमा योजना में कितने किसानों को इसका लाभ मिला।

श्री अध्यक्ष–

इसकी सूचना नहीं होगी।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

हो सके तो इसका उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर नहीं होगा। पूरन प्रकाश जी बैठिये अब इसका सारा उत्तर आ गया।

मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं।

प्रदेश में गरीबों की पुत्रियों की शादी में अनुदान दिये जाने की मांग

'05–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी तथा पिछड़े वर्ग के बीमार लोगों के इलाज हेतु दिया जाने वाला अनुदान विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रदान करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

सीमित संसाधनों के कारण वित्तीय वर्ष 2014–2015 में योजना का क्रियान्वयन स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया था। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2015–16 में भी सीमित संसाधनों के कारण योजना का संचालन नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार है और पिछले वर्ष जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली इस बार भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। पिछले वर्ष मध्य में जो पिछड़े वर्ग की बच्चियां हैं उनकी शादी या पिछड़े वर्ग के लोगों की बीमारी के लिए जो अनुदान दिया जाता था वह बन्द कर दिया गया है। मान्यवर, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद–46 को देखें इसमें कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के लिए विशेषतया अनुसूचित जातियों/जनजातियों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। मान्यवर, उनकी अभिवृद्धि क्या करना है यह सदन गवाह है कि उनको और खत्म किया जा रहा है। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोहिया जी ने इसकी स्थापना की थी हम सब लोग उसमें थे ही और कहा जाता था नारा दिया जाता था कि समाजवादियों ने बांधी गांठ पिछड़े पावें सौ में साठ लेकिन 100 में 60 के बजाय इसे जीरो किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी के सिद्धान्त हैं और संविधान का जो लोक कल्याणकारी रूप है उसके अन्तर्गत जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिसमें तमाम ऐसी जातियां हैं। जो आज भी जिनका कि विकास नहीं हो पाया है जैसे आपके पटेल, काछी, कोरी, रावत, जोगी, मल्लाह, केवट, निषाद, प्रजापति, कुम्हार आदि, यह आज भी गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। इनके बच्चियों की शादी के लिये और बीमारी के लिये क्या अगले वर्ष में या इसी वर्ष में अगले अनुपूरक अनुदान में इसकी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मा0 अनुग्रह नारायण जी बहुत वरिष्ठ सदस्य भी हैं और इन्होंने संविधान के प्राविधानों का भी उल्लेख किया है। श्रीमन्, संविधान में यह प्राविधान भी है और संविधान के इन प्राविधानों के अनुसार समाजवादी पार्टी की सरकार सिर्फ इस प्राविधान के अनुसार नहीं, बल्कि अपने सिद्धान्तों और संकल्पों को स्वरूप देने के लिये मजबूती से पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये कृत संकल्प भी है और उनके अधिकारों की संरक्षा के लिये संघर्ष करने का काम भी समाजवादी पार्टी बाहर करती है और जब सरकार होती है तब उसकी रक्षा भी करती है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि वह तो इसी जमात से हैं। अच्छा लगा कि उन्होंने डा0 राम मनोहर लोहिया जी का नाम लिया और डा0 राम मनोहर लोहिया की बात भी कही है कि 'पिछड़े

पावैं सौ में साठ', लेकिन जहां बैठे हुये हैं, कांग्रेस पार्टी जिसके वह सदस्य हैं, वहां बैठ करके तो ऐसा लगता है कि 'सूप हंसे तो हंसे चालन भी हंसे जिसमें बत्तीस छेद'। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी ने अगर इस योजना को कहीं लागू करने का काम किया हो, कांग्रेस पार्टी ने इसके लिये केन्द्र सरकार से कोई प्रयास कभी भी अपने 45 साल 46 साल के शासन में किया हो, तब तो यह बात समझ में आती थी कि यह राग वह अलापते तो अच्छा लगता, लेकिन मान्यवर, प्रश्न से अलग हट करके उन्होंने एक दूसरी बात कही है कि समाजवादियों ने बांधी गांठ। इसलिये मैं इस प्रश्न के मामले में जरूर उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जहॉ बैठे हैं वहां बैठ करके यह बात नहीं हो सकती और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये यह सरकार कृत संकल्प है। कठिनाई इस बात की है कि पिछड़ों को देखकर के बाकी लोगों को परेशानी होती है, लेकिन श्रीमन्, उनके कल्याण के लिये तमाम कार्यक्रम, याजनाएं चलायी जा रही हैं और मैं आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने यह प्रश्न पूछा है, जरा आप कांग्रेस से पलटकर पूछते और सदन को बता देते कि 46 साल के शासन में इस प्रकार की कोई योजना पिछड़ों के लिये चलाने का काम किया ? उत्तर प्रदेश में इतने लम्बे समय तक रहे लेकिन क्या कभी पिछड़ों का नाम लेने का काम किया ? संविधान तो 1950 में लागू हो गया था, लेकिन 1950 में लागू संविधान के आर्टिकल का जिक्र आज करते हुये अगर उल्लेख बता देते तो हमको सुविधा होती।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्होंने समाजवाद और कांग्रेस की भी तुलना की। इससे जो हम लोग बैठे हैं, यह कांग्रेस की ही सरकार थी जिसमें संविधान बना और यह प्राविधान किये गये। जहां तक इधर बैठने का सवाल है तो मा0 अम्बिका जी ने कहा कि पिछड़ों के प्रति उनका विशेष संकल्प है और सरकार भी काम कर रही है। चलिये इन्होंने तो नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने उसको क्यों समाप्त कर दिया ? क्या अब यह सरकार महसूस करने लगी है कि पिछड़े वर्ग में अब कोई भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं रह गया है ? क्या इस सरकार ने अब पिछड़ों की इतनी उन्नति कर दी है कि अब उनको इन सब चीज की जरूरत नहीं है ? कांग्रेस में जहां तक 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया था, उसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं की पेंशन वह सारी पेंशन लागू की गयी थीं जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग उसमें थे और उसमें कोई अगड़ा–पिछड़ा और अनुसूचित जाति का नहीं था। जो भी इस तरह के लोग थे वृद्ध थे, विधवायें थीं वह चाहे जिस वर्ग के रहीं हों, सबको देने का काम किया गया 1974 से जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया था। कांग्रेस ने ऐसे तमाम समाज कल्याणकारी कार्य किये थे। मान्यवर, चूंकि मा0 नेता जी ने सवाल उठा दिये तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इसलिये अब इस समय चूंकि लोहिया जी की ही यह स्थापित सरकार जिनके नारे थे और यह नारे बोले जाते थे, आज वह व्यवहार में नहीं लाए जा रहे हैं। लगता है कि लोहिया जी को ही लुप्त करने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, इसलिये मैं मा0

मंत्री जी से पुनः यह कहूंगा कि आप इधर–उधर मत देखिये कि किसने किया और किसने नहीं किया, यह करने की जिम्मेदारी आज आपकी है। चूंकि आपकी सरकार है, समाजवादियों की सरकार है। समाजवादियों के नारे थे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि क्या आज जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग है, इनके जो गरीब लोग हैं, उनके लिए योजना को लागू करने का यहॉ पर आश्वासन देंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आश्वासन तो मैं दूंगा ही लेकिन वह जो आपने दो–तीन बातें फिर बता दीं, लोहिया जी को लुप्त करने का। कांग्रेस के विरुद्ध एक शब्द के उच्चारण का जब किसी को साहस नहीं था, तब लोहिया जी को आप लुप्त नहीं कर पाए, लोहिया जी को दुनिया की सारी फासिस्ट ताकतें मिलकर लुप्त नहीं कर पायीं। लोहिया जी को कोई लुप्त नहीं कर पायेगा, लोहिया जी सदैव रहेंगे और हजारों साल तक उनके अनुयायी रहेंगे और उनकी बात कहते रहेंगे और मैंने जो आपसे पूछा और अब यह स्पष्ट हो गया है, आपने बता दिया बीस सूत्रीय कार्यक्रम, इमरजेंसी अब इन्होंने बोलना छोड़ दिया है तो यह तमाम चीजें कांग्रेस लाई, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं यह जानना चाह रहा था कि जिस योजना का आपने जिक्र किया क्या इस प्रकार की किसी योजना को कांग्रेस ने अपने इतने लम्बे शासन में काफी लागू किया, अगर आप बता दें तो मैं उत्तर दूंगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, 1977 में इसी सदन में पिछड़े वर्ग के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण नौकरियों में कांग्रेस सरकार ने किया था।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसमें राम नरेश यादव जी ने उसको बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के विरोध के कारण व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहिए, अब आगे बढ़ने दीजिए। अब प्रश्न संख्या–6 ।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब कितना पूछेंगे ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

अध्यक्ष जी, यह सरकार पिछड़े वर्ग के खिलाफ काम कर रही है, अनुदान को बन्द कर रही है। इसलिए मैं और मेरी पार्टी इसके विरोध में सदन से वहिर्गमन कर रहे हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य श्री अनुग्रह नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, जब मूल प्रश्नकर्ता ही बहिर्गमन कर गए तो आप क्या पूछेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह सरकार समय–समय पर यह कहती है कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है और दूसरा यह सरकार पिछड़े वर्ग का होने का दावा करती है कि पिछड़े वर्ग के समर्थक हैं हम, लेकिन सवाल का जो उत्तर आया है, वह समय–समय पर पार्टी द्वारा दिए गए वक्तव्यों के खिलाफ है, पिछड़े वर्ग के खिलाफ यह सरकार जो काम कर रही है, उसके विरोध में हम और हमारा दल सदन से वहिर्गमन करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुरेश कुमर खन्ना अपने दल सहित सदन से वहिर्गमन कर गए)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मण्डल कमीशन की लड़ाई को रोकने वाले, पिछड़ों की लड़ाई को हमेशा कमजोर करने वाले लोग, उन पर हमला करने वाले लोग और जब मण्डल कमीशन को लागू किए जाने की लड़ाई चल रही थी, उसमें हिंसा को भड़काने वाले लोग, श्रीमन्, आजादी से ले करके और मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू होने तक लगातार, काका कालेलकर और मण्डल कमीशन की सिफारिशें लागू होने तक लगातार उनकी लड़ाई को कुचलने वाले लोग ये कांग्रेस और भाजपा दोनों मिल करके आज पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मान्यवर, यह पिछड़ों के विरोधी हैं और एक ऐसा मुख्य मंत्री जिसके नेतृत्व में पिछड़ें वर्गों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही है, उसके विरोध में इनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं बची है, केवल घड़ियाली आंसू सदन में बहा रहे हैं, पूरा प्रदेश इसे देख रहा है।

प्रदेश में नदियों के बढ़ते प्रदूषण को रोकने की योजना

'06–श्री सतीश महाना तथा श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों के बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु कोई ठोस कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना में जनपद कानपुर एवं इलाहाबाद को भी सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 शिव प्रताप यादव–

जी हां।

प्रदेश में नदियों के जलप्रदूषण का मुख्य कारण घरेलू जल–मल एवं औद्योगिक प्रदूषण है। प्रदेश में घरेलू जल–मल से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु जल निगम द्वारा गंगा कार्ययोजना (प्रथम), गंगा कार्ययोजना (द्वितीय) एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित 26 नगर एवं इसकी मुख्य सहायक काली नदी के किनारे 03 एवं रामगंगा नदी के किनारे 02 नगरों को चिन्हित कर उनसे जनित होने वाले धरेलू जल–मल के शुद्धीकरण हेतु 52 परियोजनाएं सम्मिलित की गयी है। जिनकी कुल लागत लगभग रु0 12,000 करोड़ अनुमानित है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत मुख्य रूप से घरेलू जल–मल के एकत्रण हेतु सीवर लाइन की स्थापना करना तथा शोधन हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण करना सम्मिलित है।

औद्योगिक जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त जल प्रदूषणकारी उद्योगों में जल प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के निर्माण व संचालन का अनुश्रवण करना एवं दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सम्मिलित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, गंगा नदी की सफाई के बारे में चिन्ता स्वाभाविक रूप से केन्द्र और प्रदेश की सरकार कर रही है। मैं आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी से केवल दो प्रश्न करूंगा, दो से ज्यादा नहीं करूंगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आपसे फिर निवेदन करूंगा। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अभी बताया कि जल निगम के द्वारा गंगा परियोजना प्रथम और गंगा परियोजना द्वितीय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत नदियों का काम चल रहा है। आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अंतर्गत जो पहला गंगा से संबंधित कार्य योजना चल रही थी वह कितने की थी, क्या थी और अभी तक उसका लाभ कितना मिला है। प्रश्न एक क्या थी, और उसका लाभ सफाई के नाते अभी तक कितना मिला है। मान्यवर, दूसरा प्रश्न पर्यावरण विभाग से संबंधित है। गंगा एक्शन प्लान नगर विकास विभाग के जल निगम के द्वारा उसको किया जाता है और प्रदूषण विभाग उसकी मॉनिटरिंग करता है। पूरा होने के बाद जल संस्थान उसकी देख–रेख करता है। इंडस्ट्रीज़ का भी वेस्ट इसमें आता है। पहला प्रश्न जो आपकी अनुमति से मैंने किया है कि गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत कितने की योजना थी, क्या थी और उसमें क्या लाभ मिला। मान्यवर, दूसरे प्रश्न में, चूँकि इसमें कई विभाग सम्मिलित हैं नगर विकास विभाग का जल निगम उसको संचालन करने के लिए, नगर विकास विभाग का जल संस्थान और इंडस्ट्री से संबंधित जो प्रदूषण आता है, कभी इन साढ़े तीन वर्षों के अंतर्गत मा0 मंत्री जी ने इन तीनों विभागों की संयुक्त बैठक करके इसके ऊपर कोई चिंता की है।

डा0 शिव प्रताप यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से फरवरी, 1985 में गंगा कार्य योजना प्रथम चरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर छः नगर क्रमशः हरिद्वार, ऋषिकेश, उस समय उत्तरांचल नहीं था, फर्रूखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, सम्मिलित किया गया था। कार्य योजना प्रथम चरण में प्रदेश के पांच महानगरों में 349.50 एम0एल0डी0 क्षमता के नौ सीवरेज ट्रीटमेण्ट प्लांट, 27 पम्पिंग सेट, 13 शवदाहगृह, 12 कम लागत के शौचालय तथा 08 नदी घाटों का विकास कार्य किया गया है। वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत गंगा नदी तथा उनकी मुख्य सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों, प्रथम चरण के 05 नगरों को सम्मिलित करते हुए प्रदूषण नियंत्रण के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। मान्यवर, गंगा कार्य योजना प्रथम चरण और गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण इसमें एन0डी0आर0बी0ए0, जे0एन0एन0यू0आर0एम0, यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 स्टेट सेक्टर व अन्य के अंतर्गत कुल उपलब्ध सीवरेज शोधन क्षमता 1603.55 एल0एल0डी0 निर्मित हैं। ये उन 1533.10 एम0एल0डी0 शोधन क्षमता के संयुक्त निर्माणाधीन है। यह दोनों कार्य योजना के मिला करके हैं। इस प्रकार उक्त के निर्मित होने के पश्चात् कुल सीवरेज शोधन क्षमता 3136.65 एम0एल0डी0 उपलब्ध हो जायेगी।

यह गंगा द्वितीय चरण, प्रथम चरण में है। इसके बाद गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का निर्माण किया गया। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20–02–2009 को जारी किया गया। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30–09–2009 द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है। प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे 26 नगर एवं इसकी सहायक नदियों काली नदी के किनारे 03, राम गंगा नदी के किनारे 02 नगरों को चिन्हित किया गया है। जिनमें उत्पादित होने वाले सीवेज की शोधन क्षमता, शोधन हेतु योजनायें वितरित कर वर्ष 2020 तक उनको कराया जाना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण द्वारा आठ वर्षीय प्रोस्पेक्टिव प्लान तैयार कर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। जिसमें 31 नगरों की 52 परियोजनायें सम्मिलित की गयी हैं। जिनकी कुल लागत रुपये 12000 करोड़ अनुमानित है। यह भारत सरकार को भेजा गया है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन क्लीन गंगा के अंतर्गत स्वीकृत इलाहाबाद की 05, वाराणसी नगर की 02 परियोजनायें तथा कन्नौज, मुरादाबाद, गणमुक्तेश्वर की एक–एक परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। इस प्रकार कुल दस परियोजनाओं जिनकी कुल लागत 1736.36 करोड़ है। देखिये इसमें भारत सरकार का जो अंश है वह 4471.29 करोड़ है। और राज्य सरकार का 158.51 करोड़ है। कुल 629.8 करोड़ रूपया के विरूद्ध कुल 599.99 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है। मा0 अध्यक्ष जी, इसके अलावा अभी भारत सरकार ने नमामि गंगे योजना की

घोषणा किया है। और उसकी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य योजना बनाया है। 22 कार्य योजनायें बनाकर भेजा गया है लेकिन दुख की बात है कि सात–आठ महीने हो गये भारत सरकार ने इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है। और अखबारों में आ रहा है कि बैठक हो रही है। अब कब इनकी बैठक होगी कब कार्ययोजना स्वीकृत करेंगे। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण से, महाना जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मा0 प्रधानमंत्री जी को या उमा जी को वह आग्रह करेंगे कि प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे योजनान्तर्गत जो कार्ययोजना भेजी हैं उसको स्वीकृत करेंगे कि नहीं करेंगे, कब करेंगे।

(श्री सतीश महाना के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपका कोई प्रश्न तो बचा नहीं।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, उन्होंने जो पढ़ा है शुरूआत करके अंत कहां किया है यही उनको नहीं मालूम है।

श्री अध्यक्ष–

आप उसमें कुछ समझे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं अगर समझदार होता तो प्रश्न क्यों करता। मंत्री जी समझदार है। उनके पास समझदारी का सर्टिफिकेट है। मेरे पास कहॉ है। मेरे पास तो प्रश्न करने का सर्टिफिकेट है। उत्तर देने का सर्टिफिकेट तो उनके पास है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछ लो।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने गंगा के प्रदूषण के बारे में बड़ी गंभीरता के साथ प्रश्न किया था। और यह राजनीति में उतर आये। उन्होंने मीटिंग की है या नहीं मान्यवर, उसका बाद में पूछेंगे। आपके माध्यम से मैंने पहला प्रश्न किया था कि क्या यह पोल्यूशन डिपार्टमेंट, नगर विकास विभाग का जल निगम, जल संस्थान और इंडस्ट्री से संबंधित जो इंडस्ट्री का वेस्ट उसमें आता है। मैंने आपके माध्यम से यह प्रश्न किया था कि क्या इसकी ज्वाइंट मीटिंग इन्होंने की है। वहां की मीटिंग की तो बाद की बात है। यहां इन्होंने ज्वाइंट मीटिंग की है ? मान्यवर, इन तीनों विभागों के बिना यह प्रदूषण दूर नहीं हो सकता।

इन्होंने कभी उसकी ज्वाइण्ट मीटिंग की है ? यदि हां, तो कब ? यह बता दें।

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मीटिंग होती रहती है, यह सतत् प्रक्रिया है।

श्री सतीश महाना–

आखिरी मीटिंग कब हुई है ?

श्री अध्यक्ष– महाना जी बैठिये, इस पर क्यों इतना समय खराब कर रहे हैं।

डा0 शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, भारत सरकार स्वयं इसमें संवेदनशील नहीं है, मान्यवर, हमने मीटिंग कर के कार्ययोजना भेजा है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। मान्यवर, नमामि गंगे के लिए जो प्रधान मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बारे में अभी तक आठ महीने हो गये, हमने भेजा है नमामि गंगे योजना में, क्यों नहीं उसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। यह बता दें, नमामि गंगे योजना में कितना पैसा दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये, आपके सवाल का जवाब आ गया।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक करने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी का सरकार की ओर से जो जवाब आया, वह सत्य से बहुत परे है और यह सच बात है कि प्रदेश की सरकार पर केन्द्र की सरकार को नदियों के, गंगा के विषय में काफी चिन्ता है और सब लोग चाहते हैं, पूरा प्रदेश देश चाहता है कि नदियां शुद्ध हों। मा0 अध्यक्ष जी, कई बार मैं आपके माध्यम से प्रश्न उठा चुका हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया, मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया और आपने भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कई बार। जैसे सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, बुलन्दशहर, मुरादाबाद और उन्नाव प्रमुख रूप से बिजनौर जिले में और मुरादाबाद में जो यांत्रिक बूचड़खाने लगे हैं जो स्लेटर हाऊस लगे हैं, मा0 अध्यक्ष जी ये नदियों के किनारे हैं, जो मानक हैं, उस मानक के विपरीत जाकर सरकार के द्वारा इन्हें एन0ओ0सी0 दी गई, अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया गया, उसको निरस्त करने के लिए अनेक बार मैंने इस विधान सभा में प्रश्न उठाया है, सहजपुर यह मेरे बिजनौर जिले के अन्दर मै0 उमर इण्टरनेशनल एक स्लेटर हाऊस है, जिसकी रामगंगा से केवल डेढ़ किमी0 की दूरी है और उस स्लेटर हाऊस का ब्लड, वेस्ट सारा का सारा उस रामगंगा नदी के अन्दर जाता है, इसी प्रकार मुरादाबाद के अन्दर भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार के गठन के बाद से छः एन0ओ0सी0 दी गई हैं और छः एन0ओ0सी0 में पॉच एन0ओ0सी0 उनकी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के या तो विधायक हैं या बहुजन समाज पार्टी के पिछले चुनाव में 2012 में चुनाव लड़े हैं और वही अब 2017 में प्रभारी हैं, उनको एन0ओ0सी0 दी। तो दोनों की सपा और बसपा की मिलीभगत है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल तो पूछें।

श्री लोकेन्द्र सिंह –

मा0 अध्यक्ष जी मैं सवाल पर ही आ रहा हूं, मैं सरकार से इतना जानना चाहता हूं कि इन स्लाटर हाऊसों के कारण जो नदियों में, राम गंगा नदी में जो वेस्ट जा रहा है, क्या सरकार इन पर कार्रवाई करेगी, क्या सरकार इन स्लेटर हाऊसों पर प्रतिबन्ध लगायेगी ?

डा0 शिव प्रताप यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो इस प्रकरण में बारे में अपनी चिन्ता जाहिर की है, उसके बारे में दिखवा लिया जायेगा और अगर प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रदेश के जिलों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाने की योजना

'07–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कौन–कौन जिलों में जीवांश कार्बन (ह्यूमस) की मात्रा न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है ? क्या सरकार द्वारा उक्त जिलों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाने हेतु कोई याजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजीव कुमार सिंह–

प्रदेश में जीवांश कार्बन (ह्यूमस) की स्थिति विगत अनेक वर्षों से वर्तमान समय तक लगभग न्यूनतम स्तर पर है। विगत 06 वर्षों का नत्रजन (जीवांश कार्बन) की उर्वरता स्तर का विवरण निम्नवत है :–

क्र0 सं0	वर्ष	जनपद की संख्या	न्यूनतम स्तर जीवांश कार्बन वाले जनपदों के नाम
1	2009–10	71	ललितपुर को छोड़कर प्रदेश के 70 जनपद
2	2010–11	72	प्रदेश के समस्त 72 जनपद
3	2011–12	72	महराजगंज को छोड़कर प्रदेश के 71 जनपद
4	2012–13	75	प्रदेश के समस्त 75 जनपद
5	2013–14	75	महराजगंज को छोड़कर प्रदेश के 74 जनपद
6	2014–15	75	महराजगंज को छोड़कर प्रदेश के 74 जनपद

जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ाने हेतु परम्परागत कृषि विकास योजना बनायी गयी है।

केन्द्र पोषित नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना चयनित जनपदों यथा झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, मिर्जापुर, कन्नौज, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद तथा गोरखपुर में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ पूछेंगे कि खत्म माना जाए।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, पूरा ही पूछेंगे यह तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत चिंता का विषय है कि पूरे प्रदेश की जो जमीन है केमिकल खाद पूर्ण होने से, यूरिया, डी0ए0पी0 एवं अन्य–अन्य खादों से ऊसर, बंजर होती चली जा रही है। इसे सरकार ने माना भी है। माननीय मंत्री जी ने जो रिपोर्ट दी है उसका लास्ट का अंतिम वर्ष 2014–15 का मैं विवरण दे रहा हूं, सरकार ने अंकित किया है कि 75 जनपदों में से 74 जनपदों की जमीन बीमार हैं। यह मान लिया सरकार ने यह 6 वर्षों से लगातार काम चल रहा है। केमिकल खादों के प्रयोग से जमीन ऊसर, बंजर हो रही है यह पूरा सदन जानता है। आगे का जो भविष्य है वह कितना अंधकारमय होने जा रहा है कृषि के क्षेत्र में यह छुपा नहीं है। जब तक सरकार कोई उपयुक्त उपाय नहीं करेगी, तब तक यह बीमार जमीन और अधिक से अधिक बीमार होती जाएगी और एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि बिल्कुल भी खाद्यान्न, फसलें उगाना बंद हो जाएगी। मंत्री जी ने कहा है कि हम परम्परागत कृषि विकास योजना बनाने जा रहे हैं। एक तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर वह परम्परागत योजनाएं क्या हैं ? अपनी तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 6 वर्षों में किसी भी सरकार ने आज तक इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की है और न कोई कार्रवाई करने का विचार है। केवल मात्र प्रस्ताव ही प्रस्ताव है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक इस योजना में कितना धन खर्च हुआ और इस योजना के लिए अगली रणनीति क्या है ? केवल दो सवालों का जवाब माननीय मंत्री जी से दिलवा दें और उसके बाद मेरा एक अनुपूरक प्रश्न होगा और उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा।

श्री राजीव कुमार सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर विशेष चिंता व्यक्त की है और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को अपनी तरफ से कई लेटर भी भेजे गए हैं। परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0) में प्रत्येक जनपद में एक हजार हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है, उसमें जैविक खेती 50–50 एकड़ क्षेत्र के कलस्टर बनाकर की जायेगी।

योजना भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेजी गई है। अभी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। अप्राप्त है।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी इसी वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में पिछले वर्ष से पिछले वर्ष किसानों को हरी घास उपलब्ध कराने के लिए अपनी तरफ से फ्री ढ़ैचा का बीज उपलब्ध कराया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, उससे लोगों को बड़ा लाभ भी हुआ लेकिन पिछले 2 वर्षो से कतई ढ़ैचा जैसी चीज उपलब्ध कराना बन्द कर दिया जिससे किसान इस आशा में बैठे रह गये हरी खाद बोना बन्द हो गया परम्परागत कृषि जो योजना है जैसे गोबर की खाद से कम्पोज खाद बनाना आदि आदि यह तो परम्परागत तरीके से चलने देंगे। सरकार ने अभी तक ढ़ैचा का जो बीज उपलब्ध कराते थे वह भी बन्द कर दिया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय संसदीय मंत्री जी जरा एक सेकेण्ड हमारी तरफ मुखातिफ हो जायें तो बहुत मेहरबानी हो। वेस्टेज से बिजली बनाने का काम किया जा रहा है अभी आई0आर0बी0आई0 में एक कृत्रिम गाय का रूप बनाकर मशीन बनाई गयी है जिसमें जितने भी वेस्टेज हैं सबको डाल कर सात दिनों में कम्पोज खाद बनकर गोबर की तरह निकल जाती है। एक दूसरा जैवोपर नाम का केचुआ तैयार किया गया है आई.आर.बी.आई. में जो गोबर की खाद उल्टी सीधी चीजों को खाकर खाद तैयार करता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस तरह के उपक्रम इस तरह की व्यवस्था किसानों को उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं।

श्री राजीव कुमार सिंह–

ढांचे की विगत वर्षों में योजना थी लेकिन इस समय नहीं है, निशुल्क वितरण कराने की कोई योजना नहीं है। आपने ध्यान आकर्षित किया है हरी खाद के लिए इस पर विचार किया जायेगा। आपने जो गाय की शक्ल बताई है माननीय अध्यक्ष जी उस तरह की अगर आपने कोई खोज किया हो तो आप उसकी विस्तृत जानकारी उसके पेपर्स भेज दिये जायें, कृषि विभाग उस पर जरूर विचार करेगा। वैज्ञानिकों द्वारा अगर मान लिया गया तो सुनिश्चित किया जायेगा।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मशीन के कागज भी उपलब्ध कराऊंगा, जैवोपर केचुआ की नस्ल तैयार की है, उसके बारे में जानकारी दूंगा और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि यह आश्वासन बन गया है कृपया इसे आश्वासन के रूप में स्वीकार करें।

प्रदेश के कृषकों को उन्नत खेती हेतु तकनीक उपलब्ध कराने की मांग

'08–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि पैदावार को बढ़ाने हेतु किसानों को आधुनिक खेती और उन्नत कृषि तकनीक सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजीव कुमार सिंह–

जी हां।

कृषकों के खेतों की मिट्टी के परीक्षण के उपरान्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी कृषकों को दी जा रही है, जिसके कारण कृषक आवश्यकतानुसार उचित अनुपात में खाद/उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं।

प्रमाणित एवं संकर बीजों के प्रोत्साहन हेतु अनुदान की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत सीड रोलिंग प्लान में नई प्रजातियों से पुरानी प्रजातियों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

धान की पंक्तिबद्ध बुवाई हेतु ड्रम सीडर तथा अन्य फसलों की बुवाई हेतु सीड ड्रिल एवं फर्टिसीड ड्रिल के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उक्त हेतु न्याय पंचायत स्तर पर प्रयोग के प्रदर्शन कराये जाते हैं तथा गेहूं की पंक्तिबद्ध बुवाई के कलस्टर प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं।

कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु रोटावेटर, सीडड्रिल, लेवलर, हैरो, स्प्रेयर तथा कम्बाइन आदि के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सोलर फोटोवोलटैईक इरीगेशन पम्प कृषकों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गयी है। कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे हमारे प्रश्न का अनुपूरक करने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है और प्रदेश की सरकार 2015–16 को किसान वर्ष के रूप में मना रही है और मान्यवर, अगर किसानों की फसल के पैदावार बढ़ाने में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गयी तो हमारे यहां वैसे भी किसानों की हालत खराब है, किसान पिछड़ रहा है, आत्महत्या कर रहा है, भूखों मर रहा है, किसान और पीछे चला जायेगा। मान्यवर, मै आपके माध्यम से दो अनुपूरक माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं और यह सरकार के संज्ञान में भी लाना चाहता हूं कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है हमारे यहां लगभग 65 से 70 फीसदी खेती की जमीन है और हमसे कम खेती की जमीन वाले किसानों की पैदावार भी ज्यादा है और उनकी आमदनी भी ज्यादा है। मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों के उत्थान के लिए जनपद स्तर पर कोई कृषि विकास सेन्ट्रल बनाकर उन

किसानों को उनके क्षेत्र की जलवायु के अनुसार वह कौन सी फसल बोयें जिससे कि उनकी आमदनी बढ़े ऐसा कोई सेन्टर बनाकर उनके लिए योजना तैयार करेगी और दूसरा मान्यवर इस समय रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। रासायनिक कीटनाशकों का जो प्रयोग हो रहा है तो क्या सरकार प्रत्येक जनपद में अभियान चलाकर रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर करके पैदावार बढ़ाने पर कोई योजना बनाएगी ?

श्री राजीव कुमार सिंह–

मान्यवर, कृषि विभाग द्वारा निम्न योजनाओं के माध्यम से कृषकों को कृषि संबंधी सुविधाएं अनुमन्य करायी जा रही है। भारत सरकार द्वारा सहायतित योजनायें हैं :–

1–एन0एम0ओ0ओ0पी0 (नेशनल मिशन ऑ ऑयल सीड एण्ड ऑयल पाम)

2–एन0एम0ए0ई0टी (नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एवं टैक्नोलॉजी)

(ए) एस0एम0ए0ई0 (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन)

(बी) एस0एम0एस0पी0(सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मैटेरियल)

जो योजनायें बनाई जा रही है भारत सरकार जो बना रही है और प्रदेश सरकार जो बना रही है उसको मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है बता दीजिए समय भी खत्म हो रहा है।

श्री राजीव कुमार सिंह –

मान्यवर, 4 सब योजनायें हैं :–

(ए) एस0एम0ए0ई0 (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन)

(बी) एस0एम0एस0पी0(सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लाटिंग मैटेरियल)

(सी) एस0एम0ए0एम0(सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन)

(डी) एस0एम0पी0पी0 (सब मिशन ऑन प्लान्ट प्रोटेक्शन एवं प्लान्ट कोरेन्टाईन ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री राजीव कुमार सिंह–

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनायें बनाई हैं ओर उन योजनाओं का जो मेरे पास उत्तर हैं 11 योजनायें प्रदेश सरकार चला रही है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब बैठिये, प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उपाय

'09–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी हां।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत नियम प्रख्यापित किए गये हैं, जो प्रदेश में प्रभावी है एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन नियमों/अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

प्रदेश के महानगरों की पर्यावरणीय गुणता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी क्षेत्रों के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जो क्रियान्वित है। कार्ययोजना के अन्तर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु लघु एवं दीर्घकालीन कार्य सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों की स्थापना, घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना, वाहन प्रदूषण नियन्त्रण हेतु स्वच्छ ईधन सी0एन0जी0 की आपूर्ति किया जाना, वाहनों के प्रदूषण की जांच हेतु पी0यू0सी0 केन्द्रों की स्थापना, सालिड वेस्ट के समुचित प्रबन्धन की व्यवस्था, नियमित विद्युत आपूर्ति किया जाना जिससे डीजल जेनरेटर सेट्स का संचालन कम से कम किया जाए, वृक्षारोपण आदि कार्य सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों के छात्रवृत्ति घोटाले पर कार्रवाई की मांग

'10–श्री रविन्द्र भड़ाना–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ सहित प्रदेश के मेडिकल और पैरामेडिकल कालेजों में छात्रवृत्ति वितरण घोटाले होने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक–1061, दिनांक–03–07–2015 एवं शासन के पत्र दिनांक 24–08–2015 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण को 33 जनपदों से सूचना प्राप्त हुयी शेष जनपदों से आख्या प्राप्त नहीं हो पायी है। जिन 33 जनपदों की सूचना प्राप्त हुयी है उनमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

अवशेष जनपदों से आख्या/सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या–8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

'11–श्री नदीम जावेद–

खदिनांक 20–8–2015 को तारां0 प्र0 सं0–14 द्वारा उत्तरित,

प्रदेश में बन्द पड़े उर्वरक कारखानों को चलाये जाने की मांग

'12–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2007 तक कितने उर्वरक कारखानें थे उनमें से कितने कारखानें वर्ष 2015 तक चालू हैं तथा कितने कारखानें नये खोले गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सरकार द्वारा उक्त कारखानों को प्रति कारखाना कितना अनुदान दिया जाता है ? क्या सरकार किसानों के हित में बन्द पड़े उर्वरक कारखानों को चलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में वर्ष 2007 तक भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान पर संचालित यूरिया उर्वरक के 05 तथा सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के 06 कुल 11 कारखाने कार्यशील थे। इसमें से यूरिया उर्वरक के 05 तथा सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक के 05 कुल 10 कारखाने अगस्त, 2015 तक चालू हैं। वर्ष 2007 के पश्चात सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का एक कारखाना नया खोला गया है। वर्ष 2004 से यूरिया उर्वरक का बन्द एक कारखाना वर्ष 2013 से पुनः चालू किया गया। वर्ष 2000 से बन्द सिंगल सुपर फास्फेट का एक कारखाना वर्ष 2011 से पुनः चालू हो गया।

उक्त कारखानों को प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता है बल्कि उक्त कारखानों को भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।

बन्द पड़े उर्वरक कारखाने राज्य सरकार के स्वामित्व/प्रबंधन में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने की मांग

'13–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 500 करोड़ रुपये से अधिक कितने उद्योगों के लिये एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर हुए, उनमें से कितने पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है और कितने पर कार्य अभी प्रारम्भ ही नहीं हुआ ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उद्योगों को लगाने हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर (करार) होने के बाद कार्य प्रारम्भ न करने वाले उद्यमियों को क्या कठिनाई है ? क्या सरकार उस कठिनाई को दूर करते हुए शेष उद्योगों का कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

रु0 500 करोड़ से अधिक निवेश से प्रदेश में उद्योग स्थापनार्थ 14 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए थे, जिनमें से 7 पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है और शेष 7 उद्यमियों ने

अभी जमीन ही नहीं अन्तिम की है। एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित होने के बाद कार्य प्रारम्भ न करने वाले उद्यमियों द्वारा वर्तमान में कोई कठिनाई नहीं बतायी गयी है, उन्हें स्वयं अपने लिये जमीन की व्यवस्था करनी है।

इन उद्यमियों को जमीन के विभिन्न विकल्प सुझाये गये हैं, किन्तु इनके द्वारा भूमि का अन्तिमीकरण नहीं किया गया है।

अतारांकित प्रश्न

01–श्री नदीम जावेद–

खदिनांक 20–8–2015 को अता0 प्र0 सं0–139 द्वारा उत्तरित,

02–श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)–

खदिनांक 20–8–2015 को अता0 प्र0 सं0–140 द्वारा उत्तरित,

03–श्री रामचन्द्र यादव–

खदिनांक 20–8–2015 को अता0 प्र0 सं0–141, 142 एवं 143 द्वारा उत्तरित,

04–श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

खदिनांक 20–8–2015 को अता0 प्र0 सं0–143 द्वारा उत्तरित,

जनपद आगरा की मण्डी समिति द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

07–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सौ फुटा चमरौली रोड से बादामी नगर (तोरा) तक खराब रास्ते में जगह–जगह गहरे गड्ढे एवं बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब रास्ते का सी0सी0 निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद आगरा की मण्डी समिति आगरा क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा वर्ष 1997–98 में एवं मरम्मत कार्य वर्ष 2004–05 में कराया गया था, जो समयान्तरल के कारण वर्तमान में मरम्मत योग्य है।

जी नहीं। मण्डी समिति आगरा की स्थिति ऋणात्मक होने के कारण निर्माण कार्य कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आगरा के ग्राम बिचपुरी की गड्ढा युक्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

08–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बिचपुरी में जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं जिससे बरसात के समय जलभराव हो जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब रास्ते का सी0सी0 कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग बिचपुरी स्टेशन से बिचपुरी गांव तक (लम्बाई 0.70 कि0मी0) पर आवागमन सुगम है।

जी नहीं, आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद में समाजवादी पेंशन सुविधा की जांच का कथित प्रकरण

09–श्री मनीष असीजा–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में अपात्रों (पक्के भवन, दो पहिया वाहन आदि के स्वामी) को समाजवादी पेंशन की सुविधा मिलने के कारण पात्र व्यक्ति वंचित रह गये है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर फिरोजाबाद में एक विशेष जांच दल गठित कर गहन जांच कर अपात्रों को चिन्हित करने एवं इसके लिये दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

जी नहीं।

इस प्रकार का कोई प्रकरण जनपद स्तर पर संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड मवई की ग्राम पंचायत दुल्लापुर को पं0 जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में सम्मिलित करने की मांग

10–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के वि0ख0 मवई की ग्राम पंचायत दुल्लापुर को पं0 जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–106661652/2015, दिनांक 27–07–2015 द्वारा निदेशक, कृषि मण्डी

परिषद् को आदेश दिये गये है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्राम दुल्लापुर को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में चयन पर विचार हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महाविद्यालय के कर्मचारियों को नियमित करने विषयक–पत्र पर कार्रवाई

11–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों में सेवारत अस्थायी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समायोजित/नियमित करने विषयक प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–106569564/2015, दिनांक 27–07–2015 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव उच्च शिक्षा को आदेश दिये गये है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। संदर्भगत पत्र का0 सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय फैजाबाद में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समायोजित करने के सम्बन्ध में है, जिस पर मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं।

निदेशक, उच्च शिक्षा की आख्यानुसार संदर्भगत महाविद्यालय में प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति किसी स्वीकृत/सृजित पद के प्रति नहीं की गयी है। ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समायोजित/नियमित करने की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के लाभार्थियों को पेंशन दिलाने विषयक–पत्र पर कार्रवाई

12–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं0 11 मवई खुर्द न0पा0 परिषद मुगलसराय के कुल 14 लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा मिल रही पेंशन को बन्द होने की जांच करवाकर पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5 एन–321682, दिनांक 01–08–15 जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जी हां।

पत्र प्राप्त होने पर ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) से प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई गई। जांच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि मा0 विधायक जी के पत्र में अंकित 14 महिलाओं द्वारा पूर्व में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा था। समाजवादी पेंशन योजनान्तर्गत उक्त 14 महिलाओं द्वारा आवेदन फार्म भरकर जमा न किये जाने के कारण व समाजवादी पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की औद्योगिक क्षेत्र की भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई

13–श्री बब्बन सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अनतर्गत ग्राम सभा परनवां, वि0ख0 नियामताबाद के नागरिकों को क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 राजस्व औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड वाराणसी द्वारा पट्टे की आवंटित जमीन से हटाने की धमकी के सम्बन्ध में दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5एन–321614, दिनांक 23–06–15 जिलाधिकारी जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जिलाधिकारी चन्दौली से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रकरण में तहसीलदार चन्दौली से जांच करायी गयी। जांच से स्पष्ट हुआ कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा ग्राम सभा की भूमि से अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र, सड़कों आदि की भूमि पर घुसपैठ कर अवैध कब्जा किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा करने वाले ऐसे अवैध कब्जेदारों को क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा नोटिस दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में सभी पात्रों को वृद्धा पेंशन उपलब्ध कराने की मांग

14–श्री दीपक पटेल–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में मार्च 2014 से मार्च 2015 तक कितने लोगों ने वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन किया ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त कितने पात्र लोगों को वृद्धा पेंशन स्वीकार की गयी तथा कितने

पात्रों को अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है ? क्या सरकार अवशेष सभी पात्रों को वृद्धा पेंशन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जनपद इलाहाबाद में मार्च, 2014 से मार्च, 2015 तक 15257 आवेदकों द्वारा वृद्धा पेंशन हेतु आवेदन किया गया।

पात्र पाये गये सभी 15257 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करते हुये पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

15–श्री दीपक पटेल–

ख्2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद बरेली के प्रस्तावित हवाई अड्डे की भूमि अर्जन की कार्रवाई

16–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में प्रस्तावित सिविलियन हवाई अड्डे हेतु भूमि अर्जन के लिए जिलाधिकारी बरेली के निर्वतन पर रु0 11.41 करोड़ की धनराशि दिनांक 05 मार्च, 2014 तक उपलब्ध करा दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या जनपद बरेली में प्रस्तावित सिविलियन हवाई अड्डे हेतु भूमि अर्जन का कार्य पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद बरेली में सिविलियन हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित नहीं है, अपितु जनपद बरेली स्थित भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर सिविल इन्क्लेव की स्थापना हेतु कार्यवाई प्रशस्त है। सिविल इन्क्लेव की स्थापना हेतु चिन्हित लगभग 10 हेक्टेयर भूमि आपसी समझौते से क्रय किये जाने हेतु दिनांक 05 मार्च, 2014 तक रुपये 11.41 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करके स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, बरेली के निवर्तन पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त धनराशि से जिलाधिकारी, बरेली के स्तर से भूमि क्रय किये जाने की कार्रवाई प्रशस्त है।

चूंकि जनपद बरेली में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे पर सिविल इन्क्लेव की स्थापना हेतु कार्रवाई प्रशस्त है। अतः सिविलियन हवाई अड्डे का निर्माण नहीं कराया जा रहा है।

राज्य कर्मचारियों की भांति पिकप के कर्मियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाये जाने की मांग

17–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की भांति पिकप (औद्योगिक विकास विभाग) में कार्यरत कर्मियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के नियमित पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में नियम/प्रक्रिया का निर्धारण सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–1601/44–1–2011–90/2008, दिनांक 20–12–2011 में किया गया है, जिसके अनुसार निगम के निदेशक मण्डल द्वारा सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया जायेगा, तदोपरान्त संबंधित निगम द्वारा उस प्रस्ताव को अपने प्रशासकीय विभाग को भेजेंगे जो अपने स्तर से उसका परीक्षण करेंगे एवं उसके पश्चात् सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इसके लिये कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता निगम को प्रदान नहीं की जायेगी।

सम्प्रति निदेशक मण्डल का कोई प्रस्ताव/संस्तुति शासन में लम्बित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण संयंत्र लगाने हेतु जारी निर्देश

18–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में स्थापित अठदमा शुगर मिल, वाल्टरगंज शुगर मिल आदि औद्योगिक इकाइयों में जल एवं वायु प्रदूषण के मुक्ति हेतु आवश्यक प्रदूषण संयंत्र न लगाए जाने के कारण पूरे मिल एवं जनपद का वातावरण विषाक्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बस्ती में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण संयंत्र लगाने हेतु निर्देश जारी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद बस्ती में 2 शुगर उद्योग, 01 डिस्टलरी उद्योग व 01 पेपर उद्योग स्थापित है। मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 (शुगर यूनिट) अठदमा, रूधौली तथा मै0 गोविन्द नगर शुगर लि0, वाल्टर गंज, बस्ती में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, तथा उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु भू–तल से लगभग क्रमशः 65 मी0 तथा 45 मी0 ऊंची चिमनी के साथ वैट स्क्रबर स्थापित है।

मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 (डिस्टलरी इकाई) में उत्पादन प्रक्रिया से जनित स्पेन्टवाश के शुद्धिकरण/शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था के अन्तर्गत टूस्टेज

इन्ट्रीगेटेड एवोपोरेशन सिस्टम तथा बायो कम्पोजिंग प्लान्ट स्थापित है। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ब्वायलर पर 45 मी0 ऊंची चिमनी के साथ ई0एस0पी0 स्थापित है।

मेसर्स सुयश पेपर मिल, गनेशपुर, बस्ती में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्रण स्थापित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर तथा बैग फिल्टर के साथ 30 मी0 ऊंची चिमनी स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

ख12.20, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 27–8–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 113 सूचनायें प्राप्त हुई और समस्त सूचनायें स्वीकार की गई।

विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद के अन्तर्गत शालीमार गार्डेन, शहीदनगर, डी0एल0एफ0 कालोनी, राजेन्द्र नगर, वसुन्धरा, वैशाली, लाजपतनगर, श्याम पार्क, इन्द्रापुरम् एवं कौशाम्बी की सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। आये दिन सड़कों के खराब होने से सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं।

अतः सदन के माध्यम से जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त सड़कों के निर्माण कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

गाजियाबाद के वार्ड संख्या–15 के अन्तर्गत सुन्दरपुरी, माधौपुरा में स्व0 मोहन यादव गेट से चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

ख्महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड नं0–15 सुन्दरपुरी माधौपुरा में एक मुख्य सड़क जो स्व0 मोहन यादव गेट से चिल्ड्रेन एकेडमी स्कूल तक जाती है, जो पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। जगह–जगह गड्ढे हो चुके हैं। यहां काफी संख्या में लोगों/वाहनों का आवागमन रहता है, बरसात के दिनों में तो गन्दा पानी भर जाता है, जिसके कारण गम्भीर बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। यहां अधिकांश गरीब लोग रहते हैं व क्षतिग्रस्त सड़क होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित में जर्जर हालत में जिस सड़क पर चलना दूभर है।

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली के जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद चन्दौली की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद चन्दौली में जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतें प्रायः आ रही हैं। जिससे चन्दौली की जनता काफी परेशान है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष को आवंटित धन किन–किन मदों में आवंटित की गयी थी एवं उन मदों में क्या–क्या कार्य किये गये थे तथा किये गये कार्यों की एवं उसकी गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर स्थित उल्ल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामसरन–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र 140–श्रीनगर लखीमपुर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद लखीमपुर खीरी के श्रीनगर विधान सभा क्षेत्र में एक उल्ल नदी है जो ग्राम बिझौली एवं मुस्काबाद के बीच में पड़ती है। यह श्रीनगर विधान सभा को दो भागों में बांटती है। जिसमें आने–जाने के लिये 30 कि0मी0 लम्बा घूमकर जाना पड़ता है। जनहित में उल्ल नदी पर एक पुल बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। इससे क्षेत्रवासियों को काफी मदद मिलेगी।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर उल्ल नदी पर पुल का शीघ्र निर्माण किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् गोला में व्यापक रूप से किये जा रहे सरकारी धन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय तिवारी–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र 139 गोला, गोकर्णनाथ की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् गोला के अध्यक्ष द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतें प्रायः आ रही हैं। जिससे गोला की जनता काफी परेशान है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं नगर पालिका परिषद्, गोला को आवंटित धन किन–किन मदों में आवंटित की गयी थी एवं उन मदों में क्या–क्या

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य किये गये एवं अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता व सरकार द्वारा दिये गये धन के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ के चारबाग सब्जी मण्डी, मोहन होटल के सामने स्थित बन्द पड़े गैराज में कूड़ा कचरा हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधीर कुमार–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ के चारबाग सब्जी मण्डी (मोहन होटल के सामने) स्थित गैराज जो कि बन्द पड़ा है। वहां पर कूड़ा–कचरा पड़ा होने से गन्दगी के कारण मच्छरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। जिसके कारण संक्रामक रोगों के फैलने का गम्भीर खतरा बना हुआ है।

उक्त गैराज एवं कूड़ा–कचरा समय रहते न हटाया गया तो वहां के निवासियों को गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में माननीय पीठ से सरकार को निर्देश देने की कृपा करें।,

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद की मण्डी समिति के पूर्वी गेट के मुख्य मार्ग के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

ख्मान्यवर, जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद अन्तर्गत फर्रुखाबाद–बरेली स्टेट हाई–वे–29 से जलालाबाद मण्डी समिति के पूर्वी गेट तक का मण्डी समिति द्वारा निर्मित मुख्य मार्ग अत्यन्त ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण आये दिन दुर्घटना भी होती रहती है। क्षेत्रीय किसानों को भी अनाज लाने–ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी बैलगाड़ी एवं टैक्टर प्रायः फंसते एवं गिरते रहते हैं, जिससे किसान व पशु चोटिल भी हो जाते हैं।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय लोक महत्व पर उक्त मार्ग की मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।,

जनपद आगरा के विकास खण्ड सैंया में इरादत नगर मिलावली मार्ग से ग्राम छक्की गढ़ी होते हुए शेरपुर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद **आगरा के विकास खण्ड सैंया में इरादत नगर मिलावली मार्ग से ग्राम छक्की गढ़ी होते हुए शेरपुर तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की ओर** आकृष्ट कराते हुए तत्काल इसकी मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।

अवगत कराना है कि उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थानीय निवासियों को अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नोट :–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उक्त मार्ग को जनहित में मरम्मत कराये जाना अति आवश्यक है।,

जनपद लखनऊ अन्तर्गत नौबस्ता पुलिया से शुक्ला पुलिया तक बने नाले को ढके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमीमुल हक–

ख्मान्यवर, कृपया मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि नौबस्ता खुर्द, फातिमा नगर, महिबुल्लापुर, सीतापुर रोड, लखनऊ (मड़ियांव थाने के पीछे) में नौबस्ता पुलिया से शुक्ला पुलिया तक बने नाले की सफाई काफी दिनों से नहीं कराई गई है और नाला पूरी तरह से खुला हुआ है जिसे ढका जाना आवश्यक है। उक्त नाले की सफाई व नाला ढका न होने के कारण इस मोहल्ला में काफी बदबू आती है जिससे मच्छरों का प्रकोप काफी है और इस इलाके में कभी भी महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है। नाला ढका न होने के कारण आये दिन बच्चों तथा जानवरों के गिरने की घटनाएं होती रहती हैं। उक्त कारणों से यहां के मोहल्लावासी काफी परेशान रहते हैं। उक्त नाले को साफ कराने तथा उसे ढके जाने हेतु शासन, प्रशासन स्तर पर सारे प्रयास अब तक व्यर्थ रहे। उक्त नाले की सफाई तथा ढका न होने के कारण क्षेत्र की जनता में काफी रोष उत्पन्न है किसी समय भी उक्त के कारण कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः इस निश्चित विषय पर शीघ्र कार्य कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।,

जनपद लखनऊ के थाना मलिहाबाद अन्तर्गत ग्राम रण्डाखेड़ा में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर'–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद लखनऊ की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद लखनऊ के थाना मलिहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रण्डाखेड़ा के ग्राम समाज की भूमि पर श्री पूत्तू पुत्र स्व0 रघुबर एवं श्री श्रीपाल पुत्र स्व0 रघुबर द्वारा अवैध रूप से दबंगई एवं अपनी ऊंची पहुंच दिखाकर कब्जा कर लिये हैं और उस पर मकान बना लिये हैं। ये अपने घर का गन्दा पानी श्री राम प्रकाश दीक्षित के खेत में गिरा रहे हैं। इसकी सूचना कई बार सम्बन्धित थाने में दी गयी परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घर का गन्दा पानी गिराने की वजह से श्री राम प्रकाश दीक्षित खेती नहीं कर पा रहे हैं।

अतः लोक महत्व के उक्त अविलम्बनीय विषय पर ग्राम रण्डा खेड़ा के ग्राम समाज की भूमि पर हुये अवैध कब्जे में बने मकान को तोड़कर तत्काल अवैध कब्जे को हटाकर ग्राम समाज की भूमि को मुक्त कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर स्थित माइनर की टूटी हुई पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुनील कुमार 'लाला'–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र कस्ता लखीमपुर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। कस्ता के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर ब्लाक मितौली में एक रजबहा माइनर है जिसकी पुलिया टूटी हुयी है। इस पुलिया से कम से कम 20 गांवों के लोगों का आवागमन होता है परन्तु पुलिया का निर्माण न होने से हजारों किसान आक्रोशित हैं। इस पुलिया के शीघ्र निर्माण हेतु मैंने कई बार अधिशासी अभियन्ता सीतापुर/लखीमपुर को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया है परन्तु इनके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुयी। अधिशासी अभियन्ता द्वारा पैसा लेकर के सरकारी ठेके दिये जाते हैं। इनकी कई ठेकेदारों से मिलीभगत है जिसके कारण इनके द्वारा अभी तक जितने भी कार्य किये गये हैं सभी गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं।

अतः उक्त लोक महत्व के उक्त अविलम्बनीय विषय पर मैं अधिशासी अभियन्ता सीतापुर/लखीमपुर को तत्काल निलम्बित कर ये जब से अधिशासी अभियन्ता हैं तब से अभी तक इनके द्वारा किये गये सभी कार्यों की जांच, इनके द्वारा अर्जित किये गये पूरी सम्पत्ति की जांच एवं ग्राम लक्ष्मीपुर, ब्लाक मितौली के रजबहा माइनर की टूटी पुलिया का तत्काल निर्माण कराये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मेरठ के वन विभाग में तैनात रेन्जर द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। हस्तिनापुर वन विभाग में तैनात रेन्जर श्री कल्याण सिंह के द्वारा वन विभाग में किये जा रहे अवैध पेड़ों की कटान एवं बालू खनन का कार्य व्यापक पैमाने पर कराया जा रहा है। जब कोई ग्रामीण मंदिर–मस्जिद अथवा मकान बनाने हेतु बालू रेत लाता है तो उससे 600–600 रुपये अवैध वसूली करता है जिसकी रसीद भी नहीं देता है। उक्त रेन्जर द्वारा क्षेत्रीय जनता को भी अपनी रौब में लेकर फर्जी पेड़ों की कटान दिखाकर अवैध वसूली की जाती है। कई ग्राम प्रधानों द्वारा इसकी लिखित शिकायत भी की गयी जिसकी प्रति मैं संलग्न कर रहा हूं। हस्तिनापुर के सभी जनप्रतिनिधि एवं यहां की जनता काफी आक्रोशित एवं भयभीत है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं श्री कल्याण सिंह, रेन्जर वन विभाग जब से सेवा में आये हैं उस समय इनकी सम्पत्ति कितनी थी और वर्तमान में कितनी है इनके सभी बैंक खाते सीजकर इन्हें तत्काल हटाकर इनके विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ की डूडा कालोनी में सोडियम स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रूबी प्रसाद–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्कृपया सदन में नियम–301 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 26–3–2015 के सन्दर्भ में प्रशासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जनपद लखनऊ में हंसखेड़ा से कृष्णा नगर तक सभी पोलों पर लगे प्रकाश बिन्दु वर्तमान में प्रकाशित हैं। जबकि इस कथन का सदन में दी गई सूचना से कोई सम्बन्ध नहीं है। सदन में दी गई सूचना डूडा कालोनी के प्रवेश मार्ग पर सोडियम स्ट्रीट लाइट लगवाने के सम्बन्ध में थी। जहां तक मुन्नूखेड़ा चौराहे के पास बनी हुई डूडा की कालोनी के प्रवेश मार्ग पर हाईटेंशन के पोल की बात है। डूडा कालोनी से हाईटेंशन का तार काफी दूरी पर मुख्य सड़क पर स्थित है। प्रश्नगत प्रकरण हंसखेड़ा के पास मुन्नूखेड़ा चौराहे पर बनी डूडा कालोनी में सोडियम स्ट्रीट लाइट लगवाने के सम्बन्ध में है। ऐसा नहीं है कि पूरा डूडा कालोनी हाईटेंशन लाइन से अच्छादित है। इस प्रकार शासन द्वारा दी गई दिनांक 12–8–2015 की सूचना भ्रामक एवं सदन की गरिमा के विरुद्ध है।

अतः सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुये डूडा कालोनी में शीघ्र सोडियम स्ट्रीट लाइट लगवाने का कष्ट करें।,

इलाहाबाद मण्डल के सिंचाई विभाग, यांत्रिक में अधीक्षण अभियन्ता के दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्महोदय, इलाहाबाद मण्डल के सिंचाई विभाग (यांत्रिक) के 45 से 43 अधिकारी, कर्मचारी तथा तकनीशियन, अधीक्षण अभियन्ता के गम्भीर दुर्व्यवहार, जबर्दस्ती दबाव देकर गलत–नियम विरुद्ध कार्य करने के लिये बाध्य करने तथा अराजक तत्वों से सांठ–गांठ करके भ्रष्टाचार करने एवं मीटिंगों में गाली–गलौज करने के कारण लगभग 15 दिनों से कार्य से विरत हैं। इस समय प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है। किसान नलकूपों से अपने फसल की सिंचाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल ऐंड मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ द्वारा कार्य से विरत रहने तथा वर्षों से जमे अधीक्षण अभियन्ता को हटाने अथवा वहां के सभी अन्य इंजीनियरों–कर्मचारियों का एक साथ हटा देने की मांग से स्थिति भयावह हो गयी है। नलकूपों के न चलने से किसान भी परेशान हैं। विभाग का काम–काज ठप है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब जांच करके वर्षों से इलाहाबाद में जमे अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई, इलाहाबाद मण्डल (यांत्रिक) के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ अन्तर्गत एल्डिको उद्यान–2 में रायबरेली रोड से शिव मन्दिर होते हुए लेकव्यू अपार्टमेन्ट तक की लगभग 100 मी0 रोड की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिनोद कुमार शाक्य–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ के नगर निगम की परिसीमा में आवास विकास द्वारा निर्मित एल्डिको, उद्यान–2 अन्तर्गत रायबरेली रोड से शिवमन्दिर होते हुये लेकव्यू अपार्टमेन्ट तक रोड लगभग (100 मी0) अत्यन्त ही क्षतिग्रस्त एवं जर्जर है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त रोड की मरम्मत कराकर उसका डामरीकरण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।,

बापू भवन सचिवालय के श्रम विभाग में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार यादव–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय सदन का ध्यान, बापू भवन स्थित सचिवालय के श्रम विभाग में व्याप्त घोर लापरवाही तथा निष्क्रियता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसचिव के पत्रांक–पी0–1/ई0/2409140136 दिनांक 24–9–2014 पर लगभग एक साल बाद भी अब तक कोई प्रभावी, परिणाम परक कार्यवाही नहीं हो सकी है। जिसके कारण **भारतीय कम्पनी अधिनियम** के अधीन पंजीकृत, सार्वजनिक कम्पनी **''राजकीय निर्माण निगम''** में अधिकांश श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे वहां के कम्पनी कर्मचारी तथा पेंशनर्स, उत्पीड़ित तथा आक्रोशित हैं। क्योंकि निगम का निदेशक मण्डल, विगत सात वर्षों से निरन्तर अपने वार्षिक बजट प्रस्तावों में सर्वसम्मति से पंचम एवं छठे वेतनमान के बकाया वेतन के शीघ्र भुगतान को लगातार अनुमोदित कर रहा है तथा इस हेतु निदेशक मण्डल ने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था भी निगम के स्रोतों से कर दी है, क्योंकि वेतन सन्दाय अधिनियम (पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट) तथा अन्य श्रम कानूनों के अनुसार बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान करना, कम्पनी के अधिकारियों की पहली विधिक बाध्यता है। क्योंकि कम्पनी का ऐतिहासिक संचित लाभ रुपये 919 करोड़ से अधिक हो चुका है, जिसके कारण कम्पनी को रुपये 575 करोड़ से अधिक का भुगतान आयकर विभाग को टी0डी0एस0 तथा अग्रिम आयकर के रूप में करना पड़ा है। वहीं कम्पनी के बुजुर्ग पेंशनरों तथा कर्मचारियों को अब तक बकाया वेतन का भुगतान न होने के कारण रु0 2000/– मासिक पेंशन पाने वाले अपना उचित इलाज नहीं करा पा रहे हैं तथा अब तक 13 पेंशनरों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। फिर भी श्रम विभाग की लापरवाही के कारण पेंशनर्स एसोसियेशन की दर्जनों शिकायतों के बावजूद अभी तक किसी भी उत्तरदायी को दण्डित नहीं किया गया है।

अस्तु व्यापक लोक महत्व के उपरोक्त सुनिश्चित विषय पर, मैं तत्काल प्रभावी कार्रवाई एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद एवं विकास खण्ड हाथरस में गढ़ी तमना नहर के पुल से किन्दौली गांव तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री गेंदालाल चौधरी–

ख्महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद हाथरस में **गढ़ी तमना नहर के पुल से किन्दौली गांव तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।** उल्लेखनीय है कि उक्त मार्ग के अत्यन्त जर्जर होने के कारण आवागमन में स्थानीय निवासियों को अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये **गढ़ी तमना नहर के पुल से किन्दौली गांव तक के जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने हेतु शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं** ताकि हजारों लोग इससे लाभान्वित हो सके।,

जनपद कौशाम्बी के ग्राम नांदेमाई में हुये अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जाकिर अली–

ख्मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुयक अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद कौशाम्बी के ग्राम नांदेमई पोस्ट टांडा की निवासिनी कु0 अल्फा बानों पुत्री रईश आलम का अपहरण लगभग 2 माह पहले गांव के कुछ लोगों द्वारा अपहरण करके गायब कर दिया गया है। जिसकी एफ0आई0आर0 थाना कोतवाली सैनी जनपद कौशाम्बी में मु0अ0सं0 483/15 धारा 363, 366 ता0 हि0 में दर्ज है। नामजद अभियोग दर्ज होने के बावजूद भी थाना सैनी की पुलिस/विवेचक द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जब भी उक्त अभियोग के विवेचक दरोगाजी गांव आते हैं तो अभियुक्तों के दरवाजे बैठकर चाय–नाश्ता करके चले जाते हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचक अभियुक्तगणों की मदद कर रहे हैं। पीड़ित परिवार विवेचक से कुछ अनुरोध करते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है कि शांत हो जाओं वर्ना किसी बड़ी धारा में चालान कर दूंगा जिसमें एक साल जमानत भी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचक से न्याय मिलने की आशा नहीं है।

मान्यवर से अनुरोध है कि संबंधित प्रकरण पर गम्भीरता से विचार करते हुये त्वरित कार्यवाही कराने हेतु उक्त विवेचक को हटाकर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराने तथा किसी अन्य थाना के अधिकारी से विवेचना कराये जाने के आदेश देने की कृपा करें तथा नामजद अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कराये जाने के निर्देश देने की कृपा करें जिससे कु0 अल्फा बानों को बरामद किया जा सके।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर तत्काल कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत विकास खण्ड माण्डा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल–

ख्महोदय, कृपया सादर अवगत कराना है कि मेरे जनपद–इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र–कोरांव अन्तर्गत विकास खण्ड–माण्डा के मझिगवां गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण द्वितीय योजना अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है। विद्युतीकरण मझिगवां के झिल्ली नहर पर तथा श्यामलाल पाल की बस्ती तक का विद्युतीकरण कर दिया गया। जबकि उसी के बगल से सुगौहा पाल बस्ती एवं अनुसूचित जाति की बस्ती को छोड़ दिया गया है। उक्त गांव के विद्युतीकरण कराने में लगभग 50 पोल की आवश्यकता थी, परन्तु विभाग द्वारा विद्युतीकरण न कराये जाने से ग्रामीणवासियों में सरकार के प्रति काफी आक्रोष एवं जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त गांव में अवशेष विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।,

प्रदेश के निर्धन, बेसहारा एवं निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा–

ख्महोदय, समाज की सबसे कमजोर असहाय, बेसहारा, निराश्रित, विधवाओं एवं वृद्ध लोगों को समाज कल्याण विभाग द्वारा भरण–पोषण के लिये तीन सौ मासिक पेंशन मिलती है। इतनी भीषण महंगाई में निराश्रित विधवाओं एवं बेसहारा वृद्ध तीन सौ रुपया महीनें में अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। निराश्रित असहाय वृद्ध पति एवं पत्नी में सिर्फ एक को पेंशन मिलती है। वृद्ध पति एवं पत्नी को तीन सौ रुपया में एक माह में अपना जीवन यापन करना दूभर हो गया है। इसी तरह पति की मृत्यु के बाद एक निराश्रित विधवा तीन सौ रुपये में एक माह तक अपना एवं अपने बच्चों की पालन पोषण नहीं कर पा रहीं है। इसके बावजूद समाज कल्याण विभाग द्वारा 14–15 महीने से लखनऊ में निराश्रित विधवाओं एवं असहाय वृद्धाओं को पेंशन नहीं दी जा रही है, जिस कारण वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गयी है।

कृपया नियम–301 के अन्तर्गत अत्याधिक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर वक्तव्य देने के साथ मांग करता हूं कि निराश्रित, असहाय विधवा महिलाओं एवं बेसहारा लाचार निराश्रित वृद्ध लोगों को मिलने वाली पेंशन तीन सौ रुपया प्रतिमाह से बढ़ाकर एक हजार रुपया करने तथा इनकी बकाया पूरी पेंशन को साथ निराश्रित विधवाओं एवं बेसहारा वृद्धाओं के खातों में भिजवाने का कष्ट करें।,

कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र महराजपुर क्षेत्रान्तर्गत सनिगवां वार्ड में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सतीश महाना–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 217–महाराजपुर (कानपुर नगर) के अन्तर्गत नगर निगम, कानपुर के वार्ड संख्या–19 सनिगवां, जो कि विगत कई वर्षों से राजस्व ग्राम एवं नगर निगम के पुराने क्षेत्रों में आता है। इस क्षेत्र में अधिकांश सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं जिसके कारण वहां पर रहने वाले लोगों को गम्भीर जल निकासी एवं यातायात सम्बन्धी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन मार्गों का बनना जनहित में नितान्त आवश्यक है। इनमें से कुछ सड़कों का विवरण निम्नवत् है :–

1–सनिगवां रोड–भाभानगर से दुर्गा मन्दिर तक दूरी 700 मीटर,

2–सनिगवां रोड तिवारी ट्रेडर्स के सामने से स्व0 बाबूराम वर्मा मार्ग तक दूरी 500 मीटर,

3–सनिगवां रोड–हनुमान मन्दिर के सामने से 60 फीट रोड तक दूरी 800 मीटर,

4–जी0टी0 रोड से मकान नं0 273 बाबू सविता के मकान से दुर्गा मन्दिर होते हुये सिद्धनाथ कुशवाहा के मकान तक लगभग 700 मीटर,

5–प्रज्ञा विहार में चकेरी हवाई अड्डा डा0 के0पी0 सिंह के घर से मीरा अवस्थी के घर होते हुये अनिल दूबे के मोड़ से महेश मिश्रा के मकान तक लगभग 500 मीटर,

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के उक्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।,

वाराणसी कैण्ट स्टेशन से 200 मी0 की दूरी पर स्थित इंगलिशिया लाइन तिराहे पर बैरीकेटिंग लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा''–

ख्महोदय, वाराणसी में इगनीशिया लाइन तिराहा कैन्ट स्टेशन के बिल्कुल ही समीप है लेकिन कुछ दिनों से तिराहा पर बैरीकेटिंग लगवाकर सीधे स्टेशन जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिससे वाहन धारकों तथा किराये पर स्टेशन आने–जाने वालों को **दो किमी0 का अधिक रास्ता तय करके स्टेशन आना–जाना पड़ रहा है। जो श्रम साध्य एवं व्यय साध्य भी है।** वाहन धारकों को अनायास ही पेट्रोल का खर्च एवं अतिरिक्त समय व्यय करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय तथा बाहर से आने वाले यात्रियों, पर्यटकों को अधिक भाड़ा और समय खर्च करना पड़ रहा है। उक्त कष्ट के विरोध अनेकों संस्थायें एवं नागरिकों ने अपनी नाराजगी जताते आ रहे हैं। बैरीकेटिंग हटाकर दो–चार की संख्या में अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगा कर आवागमन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और यातायात में सरलता के कारण जनता की असुविधा को दूर किया जा सकता है। मेरी राय है कि जनता को हो रहे घोर असुविधा को देखते हुये बैरीकेटिंग को हटाकर तिराहे पर दो–चार अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसजनों को बढ़ाकर पूर्ववत यातायात की व्यवस्था को लागू किया जाय।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यान सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अविलम्ब प्रभावी कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

उ0प्र0 जल निगम द्वारा क्रियान्वित गोरखपुर नगर निगम स्थित रामगढ़ ताल परियोजना के संचालन में विभागीय कर्मियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जन्मेजय सिंह–

ख्महोदय, उ0 प्र0 जल निगम द्वारा क्रियान्वित गोरखपुर नगर निगम स्थित रामगढ़ ताल परियोजना के बारे में अनेक पत्रों के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से शिकायत पिछले एक वर्ष से की जाती रही है परन्तु न तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा न ही दोषी परियोजना प्रबन्धक, सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इन्जीरियर हटाया ही गया। शिकायतों के बाद परियोजना प्रबन्धक द्वारा करोड़ों का भुगतान मै0 बालाजी एसोसिएट्स, गोरखपुर को किया गया। इतना ही ताल की सफाई कार्य में भी करोड़ों का फर्जी भुगतान किया गया डीर्वस कार्य (जलकुम्भी आदि निकालने) में 25 लाख से अधिक का फर्जी भुगतान हुआ है। उक्त योजना के कार्यों में हुए समस्त भुगतानों का मदवार विवरण उपलब्ध कराते हुए भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलबनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रम सिंह–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 240 फतेहपुर में निकाय क्षेत्र होने के बाद भी यहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सीवर लाइन तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है जिससे नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में जल निकासी की काफी कठिनाई है। प्रदेश के निकाय क्षेत्र में सीवर लाइन की अधिकतर क्षेत्रों में व्यवस्था है। परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में सीवर लाइन नाम की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इससे जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र की जनता में आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सीवर लाइन की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूं।,

लखनऊ शहर के स्थित शंकरपुरवा ९ व ५ की अनिर्मित गलियों के निर्माण एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'–

ख्महोदय, लखनऊ के शंकरपुरवा ६ व ७ में अनेक गलियां अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं और वहां के निवासी मूलभूत सुविधाओं से वचित हैं। उक्त मोहल्लों में न तो जल निकासी की व्यवस्था है न पेयजल की, अनेक गलियां अभी तक कच्ची हैं, उक्त पूरा इलाका आबादी का अत्यधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। स्थानीय निवासियों की समस्या को देखते हुए गलियों में जल निकासी हेतु नाली एवं गलियों का निर्माण तुरन्त कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शंकरपुरवा ६ व ७ में अनिर्मित गलियों एवं जल निकासी व्यवस्था का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्द्राबाद में दण्ड व व्यवहार न्यायालय का निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी–

ख्महोदय, जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्द्राबाद तथा बुलन्दशहर के लगभग 100 ग्रामों का पुनः संयोजन करते हुए ककोड़, गुलावठी, अंगौता एवं कोतवाली देहात थानों का क्षेत्र क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत आता हैं इसके अतिरिक्त गुलावठी एवं सिकन्द्राबाद नगरपालिका परिषद् तथा ककोड़ नगर पंचायत भी इनके अन्तर्गत आती है। तहसील सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर की सबसे बड़ी तथा पुरानी तहसील है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 40ग50 कि0मी0 है। यहां पर इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, अस्पताल आदि सारी सुविधाएं मौजूद हैं लेकिन जनपद की अन्य तहसीलों अनूपशहर तथा खुर्जा आदि की तरह यहां पर दण्ड व व्यवहार न्यायालय नहीं है। जनता की परेशानियों को देखते हुए यहां पर दण्ड व व्यवहार न्यायालय होना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करती हूं।,

जनपद उन्नाव में मानकों के विपरीत चल रहे जे0 एस0 इंटरनेशनल स्लाटर हाउस के विरुद्ध समुचित कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता–

ख्महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद उन्नाव के बंथरा में जे0एस0 इण्टरनेशनल (स्लाटर हाउस) का नियम विरुद्ध संचालन किया जा रहा है। मानकों के विपरीत संचालन किये जाने से आस–पास के ग्रामीणों को

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका जीवन नरकीय हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जांचोपरान्त इसके नियम विरुद्ध संचालन की पुष्टि की थी तथा उक्त उद्योग को बन्द भी करा दिया गया था किन्तु कुछ दिनों के पश्चात् 11 बिन्दुओं की जो कमियां बतायी गयी थीं, उनको बिना ठीक कराये ही संचालन की अनुमति दे दी गयी जोकि नियम विरुद्ध है। परन्तु लगभग 11 माह का समय व्यतीत होने के बाद भी अभी तक उनमें से किसी भी बिन्दु पर कार्यवाही नहीं की गयी है। स्थानीय अधिकारियों की मिली–भगत से यह पूरा खेल चल रहा है। ग्रामीणों के बार–बार अनुरोध के बाद भी अभी तक स्लाटर हाउस के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गयी। समूचे आस–पास के क्षेत्र में भयंकर गन्दगी और प्रदूषण से ग्रामीणों का जीवन दूभर हो गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत अति महत्वपूर्ण नवीन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान–

ख्महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र खागा जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का नवर्निर्माण जनहित में कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मार्गों के अभाव में ग्रामीणों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कई दिनों से मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग कर रहे हैं। कटोधन रेलवे नाका से सुकरूपुर होकर टिकुरी गांव तक लम्बाई लगभग 3.5 किमी0, कल्लनपुर से दवन्नापुर होकर बदलुआपुर तक लम्बाई लगभग 3.5 किमी0, चंदापुर गढ़ा से बलवंतपुर तक रोड निर्माण व नाले में पुलिया निर्माण लम्बाई 3.5 किमी0, सैदपुर बेलावां मार्ग से शिवदासपुर तक लम्बाई लगभग 3.5 किमी0 तथा कुसभा से दामपुर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण के साथ नाले पर पुलिया का निर्माण लम्बाई 3.00 किमी0 उपरोक्त समस्त कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

बरेली महानगर की 100 फुटा रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार–

ख्महोदय, बरेली महानगर के शहर विधान सभा क्षेत्र में 100 फुटा रोड की बीर सावरकर नगर एवं बड़ीबिहार के खड़न्जा होते हुये पीलीभीत बाईपास को जोड़ने वाली

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सड़क को बनाना जनहित में अति आवश्यक है। बरसात के दिनों में यह सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा स्कूल आने–जाने वाले छात्र–छात्राओं को आने–जाने में काफी परेशानी होती है तथा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद जौनपुर के सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना में किये गये घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा–

ख्महोदय, जनपद जौनपुर के सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना में किये गये गमन में एक आर्थिक अपराधी गिरोह सक्रिय था। जिसके द्वारा छात्रों/छात्राओं को दिये जाने वाले प्रोत्साहन राशि को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के मिली भगत से उक्त धनराशि को फर्जी ढंग से चैक तैयार कर अपात्र एवं निरक्षरों के खाते से धन निकालकर आपस में बांट लेते थे। उक्त की जांच जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा अपने पत्रांक संख्या 14006/13 में जांच कर दोषियों को चिन्हित कर कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक जौनपुर एवं जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया। नगर मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट प0सं0 786 दिनांक 21–02–2013 ने गिरोह के सदस्यों को नामजद मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दिया परन्तु विभाग द्वारा नामजद मुलजिम को बचाने के लिये अज्ञात नाम से मुकदमा दर्ज कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हुये वांछनीय कार्रवाई करने की मांग करती हूं।,

गोरखपुर के चन्द्राघाट पर स्थाई पुल न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव–

ख्महोदय, जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण अन्तर्गत चन्द घाट पर पान्टून ब्रिज प्रति वर्ष गर्मी के दिनों लगाया जाता है। इस समय कोई सुविधा न होने की वजह से लाखों की जनता जो ग्राम सभा कुई, प्यार्स गौरीमंगलवुर, सेमरा मानिक चक, रामपुर, बेलवार, करजहां, गौर बरसाइत सोनवे इत्यादि गांवों की जनता चन्द्रा घाट को पार करके मलाव, कसिहात मझगवां, कनईल को होते हुये गोरखपुर–वाराणसी मेल हाई–वे से होकर आती जाती है। जिस पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में आवागमन होता है। बरसात के समय में पान्टून ब्रिज की न होने की वजह से इस क्षेत्र की जनता 20 किमी0 से अधिक की दूरी तय करके गोरखपुर से होकर जाती है जिससे जाम होने एवं

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिक दूरी तय करने के साथ समय और धन की बरबादी है जनहित में चन्द्रा घाट पर स्थायी पुल बनाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये चन्द्रा घाट पुल पर स्थायी पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना एवं ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

ख्महोदय, ज्ञातव्य हो कि उ0प्र0 में प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना एवं गन्ना विकास विभाग द्वारा मार्गों का निर्माण कराया जाता है परन्तु उनकी मरम्मत की व्यवस्था संबंधित द्वारा नहीं करायी जाती है। जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र 130–बीसलपुर के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना तथा गन्ना विकास विभाग द्वारा अनेकों मार्गों का निर्माण कराया गया है। परन्तु यह मार्ग इस जर्जर एवं जीर्ण क्षीर्ण हो चुके हैं कि मार्गों पर नागरिक एवं वाहन न चलाकर मार्गों के कच्चे किनारों पर चल रहे हैं। लोक निर्माण विभाग भी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग पीलीभीत द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना के निर्मित मार्गों की गुणवत्ता अत्यन्त निकृष्ठ होने तथा निर्माण में घोटाला करने के कारण हैण्ड ओवर नहीं कर रहा हैं ताकि मरम्मत सम्भव हो सके। यद्यपि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत मार्गों की 5 वर्ष की गारन्टी होती है परन्तु गुणवत्ता खराब एवं घोटाला होने के कारण 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही मार्ग जर्जर पड़ कर जीर्ण–क्षीर्ण हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग को विधान सभा 130–बीसलपुर के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना एवं गन्ना विकास विभाग के निर्मित समस्त मार्गों का प्रारम्भ से अब तक का परीक्षण कराकर हैंड ओवर करके उनके मरम्मत सुनिश्चित करनी चाहिये अन्यथा उन मार्गों का पृथक–पृथक उल्लेख है हैण्ड ओवर न कर सकने के कारण भी स्पष्ट करना चाहिये साथ ही साथ प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना के मार्गों की 5 वर्ष की अवधि पूर्ण न होने के उपरान्त जीर्ण–क्षीर्ण हैं ऐसे मार्गों का प्रांकलन समिति एवं टी0ए0सी0 से परीक्षण कराकर वांछनीय कार्रवाई सुनिश्चित करायी जानी चाहिये।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हुये वांछनीय कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद शामली के कतिपय ग्रामों को नवनिर्मित तहसील ऊन के स्थान पर पुनः शामली तहसील में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा–

ख्महोदय, जनपद शामली के अन्तर्गत एक नई तहसील ऊन के निर्माण का निर्णय वर्तमान सरकार के द्वारा लिया गया है। तहसील में लगभग सौ से ज्यादा गांव हैं लेकिन भौगोलिक रूप से कुछ गांव ऐसे शामिल कर लिये गये हैं जिनका उस तहसील में शामिल करना न्यायोचित एवं सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है। जैसे गांव भनेड़ा उद्दा–मानकपुर–ताना, राझड़ आदि गांव के लोग तहसील निर्माण के बाद से ही अपने गांव को पहले की तरह शामली तहसील में जुड़ा रहने की लगातार मांग कर रहे हैं इसके लिये ग्रामीणों ने कई बार धरना–प्रदर्शन भी किये हैं। यदि सड़क मार्ग संबंधित थाना एवं संबंधित ब्लाक का विस्तार से अध्ययन किया जाये तो उपरोक्त गांव का सम्बन्ध सीधा शामली तहसील से पड़ता है। ऐसे में उन लोगों को मिलने वाले सस्ते न्याय को कठिन कर देना न्यायोचित नहीं है। जनहित में उपरोक्त गांवों को तहसील ऊन के स्थान पर तहसील शामली में ही सम्मिलित किया जाना न्यायोचित होगा जिससे हजारों ग्रामीणों को सस्ता न्याय उपलब्ध हो सकेगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा अन्तर्गत वाटर वर्क्स चौराहा से शक्ति सुशील मन्दिर होते हुए बल्केश्वर नाथ महादेव मन्दिर तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा के वाटर वर्क्स चौराहा से शक्ति सुशील मन्दिर होते हुये बल्केश्वर नाथ महादेव मन्दिर तक की सड़क के निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

वाटर बक्स चौराहा से शक्ति सुशील मन्दिर होते हुये बल्केश्वर नाथ महादेव मन्दिर तक की सड़क काफी गड्ढायुक्त व जर्जर हो गयी हैं इसका निर्माण विगत 04 वर्षों से नहीं हुआ है। यहां से हजारों की संख्या में वाहन निकलते है तथा सभी वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। इस कारण क्षेत्र की जनता में भारी रोष है। जनहित में इस गड्ढायुक्त व जर्जर सड़क का निर्माण कराने की अति आवश्यकता है।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कराने की मांग करता हूं।,

नोएडा में पेयजल आपूर्ति हेतु गंगाजल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला बाथम–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, नोएडा का पेयजल प्राकृतिक रूप से खारा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय नागरिक जब भी प्रातःकाल में पानी की आपूर्ति हेतु नल खोलते हैं तो अत्याधिक गंदे पानी की आपूर्ति नलों से होती है जिसमें मिट्टी, बालू के अतिरिक्त कहीं–कहीं तो सीवर का गंदा पानी मिलकर आता है। इस सम्बन्ध में स्थानीय नागरिकों द्वारा काफी विरोध–प्रदर्शन करने के उपरान्त नोएडा अथारिटी की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि नोएडा वासियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से गंगाजल की आपूर्ति की जायेगी। 20 एम0एल0डी0 सप्लाई हेतु पाइप लाइन भी डाली गयी, जो अब पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं जिस कारण गंदा पानी आ रहा है। पूर्व में 20 एम0एल0डी0 आपूर्ति थी जो अब 48 एम0एल0डी0 की जा रही है। जबकि पूर्णरूप से शुद्ध गंगाजल के आपूर्ति का आश्वासन नोएडा अथारिटी द्वारा दिया गया था।

गंगाजल आपूर्ति न होने से तथा गंदे पानी की आपूर्ति के कारण स्थानीय नागरिकों में भयंकर असंतोष व्याप्त है। नागरिकों को शुद्ध पेयजल पीने के उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस भयंकर गर्मी के मौसम में तो स्थिति और भी गम्भीर हो गयी है। नागरिकों द्वारा आये दिन प्रदर्शन किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये नोएडा में गंगाजल की निरन्तर आपूर्ति कराये जाने की मांग करती हूं।,

दिनांक 10–08–2015 को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण श्री सुदामा वर्मा की सर्पदंश से हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र तिवारी–

ख्महोदय,

सुदामा वर्मा की मृत्यु दिनांक 10–08–2015 को सांप काटने के बाद जनपद में ए0एस0वी0 (सांप काटने की सुई) की अनुपलब्धता के कारण हो गयी। विदित हो कि इनके इलाज हेतु इनके अनुरोध पर मैं स्वयं जिला अस्पताल बलिया पहुंचा था जहां प्रभारी सी0एम0एस0 एवं वरिष्ठ फिजिसियनों को रात में तुरन्त आवास से जगाकर इलाज के लिए लाया लेकिन उक्त एन्टी स्नेक वेनम अस्पताल में उपलब्ध न होने के कारण प्रभारी सी0एम0एस0 ने पता करके एक निजी मेडिकल स्टोर के मालिक को उसके घर से रात को सूई मंगवाई लेकिन तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले माह जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 पी0के0 सिंह ने मा0 सांसद बलिया श्री भरत सिंह जी के जनपद में ए0एस0वी0 की अनुपलब्धता पर सवाल उठाने पर आश्वस्त किया था कि जनपद के प्रत्येक सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर पर्याप्त मात्रा पर उक्त वेनम उपलब्ध हैं लेकिन रात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रतसड़ बंद रहना तथा जिला अस्पताल में भी वेनम की अनुपलब्धता गम्भीर चिन्ता का विषय है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरी जानकारी के अनुसार दिनांक 06–08–2015 को ही जिला अस्पताल बलिया के स्टोर में ए0एस0वी0 समाप्त हो गयी थी। उसके बाद कहीं से भी इसकी आपूर्ति का कोई प्रमाण नहीं है उक्त तथ्य की पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल बलिया के पत्राचारों क्रमशः दिनांक 15–04–2015, 29–04–2015, 15–05–2015, 01–06–2015 तथा 04–07–2015 के अवलोकन से की जा सकती हैं जो सम्बन्धित आपूर्ति करने वाली फर्मों एवं निदेशक भण्डार से की गयी है जिससे ए0एस0वी0 आपूर्ति की मांग की गयी है। जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी, बलिया, आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आजमगढ़ मण्डल को भी दी गयी लेकिन किसी भी स्तर से आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कराई गयीं जो गम्भीर लापरवाही का नतीजा है। मामले में मृतक के पिता द्वारा बलिया कोतवाली में सी0एम0ओ0 बलिया समेत 4 लोगों के खिलाफ तहरीर भी दी गयी जिसके क्रम में उक्त के खिलाफ अ0स0 0661, दि0 10–08–15 को दर्ज हुआ लेकिन उक्त मामले में विभागीय जांच में प्रभारी सी0एम0एस0 जो दो दिन पहले प्रभारी लिये थे तथा चीफ फार्मासिस्ट पर कार्यवाही की गयी है जिनका इस मामले में कोई दोष या लापरवाही प्रतीत नहीं होती। बलिया जनपद का स्वास्थ्य विभाग दलालों एवं माफियाओं के चंगुल में जकड़ा हुआ है तथा आये दिन अनेक मामले, घोटाले तथा समस्यायें उजाकर होती हैं लेकिन ये माफिया अपने रसूख के बल पर असली गुनाहगारों को बचाने के लिए निर्दोषों की बलि चढ़ाकर खानापूर्ति कर लेते हैं। इसलिए इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। स्व0 सुदामा वर्मा की मृत्यु स्वास्थ्य विभाग बलिया के गम्भीर लापरवाही के कारण हुई है इसलिए इनका परिवार विभाग द्वारा मुआवजे का हकदार है तथा परिवार की परवरीश तथा बच्चियों की शादी व्याह हेतु रु0 20 लाख का मुआवजा तथा एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाना आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद फिरोजाबाद के कांच चूड़ी श्रमिकों का बीमा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा–

ख्महोदय,

फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच चूड़ी एवं अन्य कांच उत्पादों के कारखानों में एवं इससे सम्बन्धित छोटे–छोटे केन्द्रों में लाखों की संख्या में मजदूर भाई एवं बहने काम करते हैं।

असंगठित क्षेत्र के ये श्रमिक लम्बे समय तक गर्म भट्टियों, जुड़ा अड्डों, पकाई भट्ठियों आदि के सामने काम करने के चलते गम्भीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।

नोट :–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों को जो अधिकांश भूमिहीन एवं गरीब हैं की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक है।

फिरोजाबाद के इन कांच चूड़ी/अन्य उत्पादों के कार्य में लगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर0एस0बी0वाई) के अन्तर्गत पंजीकृत कर ''स्वास्थ सुरक्षा कवर'' मुहैया कराने की महती आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फिरोजाबाद के कांच चूड़ी श्रमिकों को आर0एस0बी0वाई के अन्तर्गत पंजीकृत कराये जाने की मांग करता हूं।,

सहारनपुर नगर निगम में निकाय चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर–

ख्महोदय,

वर्ष 2009 में सहारनपुर नगर पालिका भंग कर नगर निगम के गठन की घोषणा की गयी थी। नियमानुसार 6 माह में चुनाव होने चाहिये थे परन्तु वर्ष 2011 के निकाय चुनाव में भी सहानपुर नगर निगम के चुनाव नहीं कराये गये और अभी तक सहारनपुर की जनता को नगर निगम के जनप्रतिनिधियों से उपेक्षित रखकर चुनाव नहीं कराये गये है। महोदय पूर्व में सहारनपुर नगर निगम के परिसीमन का कार्य पूर्ण हो चुका था परन्तु सरकार द्वारा पुराने परिसीमन को निरस्त कराकर नये परिसीमन कराने के आदेश दिये हैं परन्तु नये परिसीमन का कार्य अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है। जिससे सहारनपुर नगर निगम में विकास कार्य बाधित है। इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं तात्कालिक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुराने परिसीमन पर ही सहारनपुर नगर निगम के चुनाव कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण में मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र भड़ाना–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण अन्तर्गत माधवपुरम बिजली घर के पास आवास विकास द्वारा ट्रामा सेन्टर बनाने हेतु अपनी योजना में जगह सुनिश्चित कर छोड़ी हुई है। मा0 मुख्य मंत्री जी के मेरठ में लैपटॉप वितरण हेतु आगमन पर उनके द्वारा इस स्थान पर ट्रामा सेन्टर बनाये जाने हेतु घोषणा भी की गयी थी। लेकिन स्थानीय

नोट :–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारियों ने इस घोषणा को अब तक दबा करके रखा है जबकि स्थानीय समाचार–पत्रों में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी ट्रामा सेन्टर की घोषणा का उल्लेख किया गया था। परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के कारण जनता में हताशा एवं निराशा व्याप्त है। उक्त खाली पड़ी जमीन पर जलभराव होने के कारण गन्दगी से अनेकों बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। जनहित में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त जमीन पर ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र बांसी अन्तर्गत खसरहा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रताप सिंह–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खसरहा के अन्तर्गत मार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन प्रभावित होने के साथ ही दुर्घटनायें भी हो रही हैं। सम्बन्धित विभाग को कई बार पत्र लिखने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रमुख रूप से 1–ग्राम छितौनी मोड़ से एकडेंगवा होते हुए ग्राम माधव पुर तक, 2–बांसी से मेहदावल मार्ग पर ग्राम बनकटा तक, 3–बांसी से मेहदावल मार्ग से ग्राम सुपौली होते हुए ग्राम सिंहौरवा तक, 4–ग्राम सुपौली से ग्राम ऐकडेंगवा तक, 5–टीकुर कुड़जा मार्ग से ग्राम डुमरिया बुजुर्ग तक के मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण हालत में हैं। वर्षों से विभाग द्वारा इस मार्ग का निर्माण एवं मरम्मत न होने के कारण जगह–जगह बहुत बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। जनहित में उक्त मार्गों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का निर्माण अविलम्ब कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सलिल विश्नोई–

ख्महोदय,

उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति काफी समय से नहीं हो रही है। पी0एच0डी0, एम0फिल0, नेट बेरोजगार नवयुवक

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतिभाशाली होने के बाद भी मारे–मारे फिर रहे हैं और कतिपय डिग्री कालेजों में दिहाड़ी मजदूरों की तरह कार्यरत हैं। नये शिक्षकों की नियुक्ति न कर पाने के कारण उच्च शिक्षा विभाग और सरकार सेवानिवृत्त अध्यापकों को पुनर्नियुक्ति देते हैं। इससे जहां एक ओर शिक्षित युवा बेरोजगारों में निराशा व बेचैनी है वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा प्राप्त इन बेरोजगार नवयुवकों की स्थिति का लाभ उठाकर निजी महाविद्यालय उनका शोषण कर रहे हैं।

सम्पूर्ण प्रदेश में हजारों की संख्या में महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। परन्तु सरकार की उदासीनता के कारण उच्च शिक्षा विभाग नये और योग्य शिक्षकों की भर्ती करने में पूर्णतः उदासीनता बरत रहा है। जिससे व्यापक जनरोष उत्पन्न हो रहा है।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है। प्रदेश के उच्च शिक्षा प्राप्त हजारों बेरोजगार नवयुवकों के भविष्य से तथा प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री के सपनों से जुड़ा हुआ विषय है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मेरठ में स्थित सीवर लाइन के ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को सुचारु रूप से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

ख्महोदय,

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी आवासीय कालोनी श्रद्धापुरी फेस–प्रथम के निवासियों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 30–04–1997 के पश्चात् मेरठ विकास प्राधिकरण ने प्रतिकर की गणना ठीक से न की जिसके कारण आवंटियों से अधिक पैसे वसूल कर लिये। बार–बार मांगने पर भी अधिक जमा पैसे आवंटियों को नहीं लौटाये गये हैं। प्राधिकरण ने क्रम से आवंटियों को धनराशि 498, 427 एवं 321 रुपये की दर से प्रतिवर्ष मीटर गणना कर आवंटियों से मांग की। अंत में चार्टर्ड एकाउण्टेंट से गणना कर आवंटियों को 28–02–2003 को 304 रुपये का नोटिस दिया गया जबकि कुछ आवंटी 498, 427 एवं 321 की दर से धनराशि जमा करा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 30–04–1997 को फैसला दिया गया जबकि आवंटियों को नोटिस 2003 को दिये गये फिर भी 70 माह का ब्याज जो कि 90 रुपये बनता है आवंटियों से क्यों वसूला जा रहा है। श्रद्धापुरी योजना में सीलिंग व सरकारी भूमि जोकि मेरठ विकास प्राधिकरण ने 83635. 81 वर्ग मी0 दर्शायी है। इस भूमि का अधिग्रहण नहीं होना था बल्कि पुनः ग्रहण होना था लेकिन आवंटियों से अवैध रूप से 800 वर्ग मी0 की दर से 6 करोड़ 69 लाख 8 हजार 648 रुपये वसूले। इस योजना में प्रथम अवार्ड की भूमि 129162 वर्ग मी0 को 800 रुपये में बेचकर प्राधिकरण ने 10 करोड़ 33 लाख 29 हजार 834 रुपये अर्जित किये। द्वितीय अवार्ड 93181 वर्ग मी0 पर 1521 रुपये की दर से 141728301 रुपये अर्जित किये। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध गणना शीट पर आश्रयहीन मकान बनाने के लिए 16.95

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रुपये की दर से प्रति वर्ग मी0 लिये गये जिसका भुगतान भी आवंटियों को करना था। इसी प्रकार दुर्बल वर्ग के मकान बनाने के लिए 28.48 रुपये प्रति वर्ग मी0 आवंटियों से लिये गये। इस प्रकार श्रद्धापुरी आवासीय योजना में 35098873 रुपये आश्रयहीन मकान के नाम पर तथा 58808732.00 रुपये दुर्बल वर्ग के आवंटियों से ले लिये गये। जबकि मेरठ विकास प्राधिकरण ने किसानों को प्रतिकर के रूप में केवल 4259893.00 रुपये धनराशि का भुगतान किया। मेरठ विकास प्राधिकरण ने प्रतिकर के नाम पर भयंकर गोलमाल किया है। इसकी गणना दुबारा करायी जाये।

शासन का उद्देश्य विकास प्राधिकरण की स्थापना करते समय यह था कि विकास प्राधिकरण ''नो लास–नो प्राफिट'' पर काम करेगा, मुनाफा नहीं कमायेगा। आवंटियों द्वारा इतना भुगतान करने के उपरान्त भी अभी प्रतिकर का मामला समाप्त नहीं हुआ है। श्रद्धापुरी निवासियों को जिन्होंने प्रथम नोटिसों का प्रतिकर जमा कर दिया उनकी धनराशि वापस की जाये तथा 70 माह का जो ब्याज गणना के समय का लगाया गया है उसे तत्काल समाप्त किया जाये जिससे आवंटी/अध्यासी अपना प्रतिकर जमा कर सकें जिससे आवंटियों को कर्जे का बोझ खत्म हो और विकास प्राधिकरण को राजस्व प्राप्त हो।

अतः लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।,

संयुक्त मंत्री, यू0पी0 एजूकेशनल मिनिस्ट्रीयल, उ0प्र0 द्वारा मुस्लिम कार्मिक को अपमानित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा–

ख्मान्यवर,

मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि श्री श्याम सुन्दर तिवारी, प्रान्तीय महामंत्री, यू0पी0 एजूकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफिसर्स एसोसिएशन, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 22–6–2015 में उल्लिखित है कि श्री पी0 के0 त्रिवेदी, जो वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई में तैनात हैं, जो आर0एस0एस0 मानसिकता से ग्रसित होकर श्री सैय्यद अली मोहम्मद जाफरी, निर्वाचित कोषाध्यक्ष, जो जनपद सीतापुर में कार्यरत हैं तथा मुस्लिम समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं, को संगठन की बैठक दिनांक 17–6–2015 को जाति सूचक शब्दों, अभद्र टिप्पणी, अपमानित करते हुए अमर्यादित व्यवहार किया गया, जिससे प्रदेश सरकार की छबि ही धूमिल हुई अपितु मुस्लिम समुदाय में आक्रोश व्याप्त हो गया। श्री त्रिवेदी का कृत्य साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हुए साम्प्रदायिकता फैलाये जाने तथा मुस्लिम सरकारी कर्मियों के उत्पीड़न की चेष्टा की गयी। श्री सैय्यद

नोट :–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अली मोहम्मद जाफरी के विरुद्ध श्री त्रिवेदी द्वारा अनैतिक आचरण, अमर्यादित व्यवहार, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत किया गया कृत्य तथा साम्प्रदायिकता को प्रेरित करने एवं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की चेष्टा की जा रही है।

मान्यवर से अनुरोध है कि कानून व्यवस्था एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए श्री त्रिवेदी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ को आदेशित करने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित रहे।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद मिर्जापुर में राजमार्ग में अत्यन्त लोड होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेश पति त्रिपाठी–

ख्मान्यवर,

मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से होकर लुम्बिनी–दुद्धी राजमार्ग एवं वाराणसी–शक्तिनगर राजमार्ग तथा वाराणसी से कन्या कुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं। चोपन, डाला एवं सुक्रुत (जनपद सोनभद्र) से बालू एवं गिट्टी बहुतायत मात्रा में प्रदेश के अंदर एवं बाहर भेजा जाता है, उक्त सामग्री ट्रकों एवं डम्फर सहित अन्य भार वाहनों द्वारा इन मार्गों से होकर ले जाया जाता है। मानक से अधिक क्षमता में उक्त सामग्री वाहनों में लादा जाता है जिससे वाहनों के निरन्तर आवागमन से ये महत्वपूर्ण मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जहां साधनों का आवागमन प्रभावित होता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं राजकीय कार्य भी पूरी तरह प्रभावित होते हैं, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये हैं किन्तु प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करने के कारण दिन–प्रतिदिन मानक से अधिक भारी मात्रा में बालू एवं गिट्टी आदि से लदे हुये ट्रकों एवं डम्फरों का आवागमन जारी है। अतः मार्गों के क्षतिग्रस्त होने एवं आवागमन बाधित होने के कारण लोगों को असुविधा होने से उनमें रोष, कुण्ठा व्याप्त है तथा ठोस कार्रवाई करते हुये इस पर सकारात्मक प्रतिबन्ध न लगाये जाने के कारण जनता में प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना व्याप्त हो रही और लोग आक्रोशित हैं। जनहित एवं राजकीय हित में माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ट्रकों एवं डम्फर आदि की ओवर लोडिंग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तथा इस संदर्भ में ठोस कार्रवाई की जाय जिससे वहां जनता को असुविधा न हो वहीं राजकीय कार्य भी प्रभावित न हों।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हये कार्रवाई की मांग करता हूं।,

प्रदेश के पी0आर0डी0 जवानों के देय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ख्महोदय,

अवगत कराना है कि आजादी के समय का बनाया गया पी0आर0डी0 विभाग (प्रान्तीय रक्षक दल) के एक लाख जवान शस्त्र प्रशिक्षण प्राप्त हैं। पी0आर0डी0 के जवानों को प्रत्येक ब्लाकों पर एक–एक ब्लाक कमाण्डर, प्रत्येक न्याय पंचायतों पर एक–एक हल्का सरदार एवं ग्राम सभाओं पर दलपति की तैनाती की जाती है। जिनको प्रतिमाह मानदेय एवं ड्यूटी दी जाती थी लेकिन पी0आर0डी0 के जवानों को मिल रहा मानदेय एवं ड्यूटियां ही समाप्त कर दी गई है। पी0आर0डी0 के जवानों को केवल लोकसभा एवं पंचायतों के चुनाव में ही ड्यूटी ली जाती है। पी0आर0डी0 एक्ट, 1948 को लागू न किये जाने, जवानों का 1997 से रुके मानदेय का भुगतान, मंहगाई भत्ता एवं फिक्स मानदेय, प्रत्येक जवानों को बराबर ड्यूटी, 60 वर्ष की सेवा, कम से कम 400–/ दैनिक भत्ता एवं राज्य कर्मचारियों की भांति दर्जा न दिये जाने की मांग लम्बे अरसे से कर रहे है। मांग पूरी न होने से उक्त पी0आर0डी0 के जवानों में घोर आक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हुए पी0आर0डी0 के जवानों का 1997 से रुके मानदेय का भुगतान, मंहगाई भत्ता एवं फिक्स मानदेय, प्रत्येक जवानों को बराबर ड्यूटी, 60 वर्ष की सेवा, कम से कम 400/– दैनिक भत्ता एवं राज्य कर्मचारियों की भांति दर्जा दिये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करायें।,

सई नदी का पानी प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री अराधना मिश्रा 'मोना'–

ख्मान्यवर,

सई नदी, उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर आदि जनपदों से होकर प्रवाहित होती है। इस सई नदी का पानी जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर में लाखों लोगों द्वारा पेयजल के लिये उपयोग किया जाता है। कई उद्योगों/मिलों आदि का गंदा कचड़ा सई नदी में गिराया जाता है जिसके कारण सई नदी का पानी जहरीला एवं लाल हो गया है जो मनुष्यों तो क्या पशु–पक्षियों के लिये भी उपयोग के लायक नहीं रह गया है।

जनपद प्रतापगढ़ में सई नदी के तट पर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं धार्मिक केन्द्र घुइसरनाथ धाम तथा बेल्हा

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देवी एवं बेलखरनाथ धाम सहित कई पवित्र मंदिर एवं धार्मिक स्थल स्थित है, जहां पर प्रति वर्ष लाखों की संख्या में लोग दर्शन हेतु आते रहते है। सई नदी के दोनों तरफ जल स्तर (अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेबल) काफी नीचे चले जाने के कारण उसके किनारे बसे हुये लोग मजबूर होकर सई नदी का दूषित पानी पीने के लिये विवश है। चूंकि कई उद्योगों एवं मिलों का गंदा कचड़ा सई नदी में गिराने से प्रदूषित हो गये सई नदी के पानी को पीने के कारण लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित हो रहे है तथा कभी–कभी सई नदी का जहरीला पानी पीने के कारण लोगों की असामयिक मौत भी हो जाया करती है। विवशता के कारण सई नदी का जहरीला पानी पीने वाले लोग या तो भयंकर बीमारी का शिकार हो रहे है या फिर शुद्ध पेयजल के अभाव में प्यास से तड़प रहे हैं। सई नदी का प्रदूषित पानी पीने के कारण बहुत से जानवर रोगों के शिकार हो जाते है तथा बहुत से जानवरों एवं पशु पक्षियों तथा बंदरों आदि की मौत मात्र सई नदी का प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है तथा नदी का प्रदूषित जल होने के कारण नदी में रहने वाली मछलियां प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर मर जाती है। इसके साथ ही साथ सई नदी के तट पर स्थित केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त पवित्र मंदिर घुइसरनाथ धाम एवं बेल्हा देवी तथा बेलखरनाथ धाम के मंदिरों में आने वाले लोगों की आस्था को भी चोट पहुंच रही है। इससे लोगों में रोष तथा कुण्ठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अवलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूं।,

कार्यालय मुख्य अभियन्ता गोरखपुर में कर्मचारियों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज–

ख्मान्यवर,

मैं आपका ध्यान कार्यालय मुख्य अभियन्ता गोरखपुर क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के उत्पीड़न की तरफ ले जाना चाहता हूं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद (हिन्दी विश्वविद्यालय) द्वारा प्रदान प्रथमा डिग्री धारक दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति लिपिक वर्ग में प्रदान की गयी थी किन्तु उसमें से एक की पदोन्नति निरस्त कर उसे पुनः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वापस कर दिया गया है वो भी उक्त डिग्री के विरुद्ध शिकायती–पत्र के आधार पर जबकि एक कर्मचारी उक्त डिग्री धारक अभी भी लिपिक वर्ग में कार्यरत है जबकि उक्त डिग्री धारक को इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना गया है यदि ऐसा नहीं है तो एक कर्मचारी के साथ न्याय व दूसरे के साथ अन्याय क्यों व किन कारणों से किया जा रहा है। इसकी एक उच्चस्तरीय जांच की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि इस अन्याय को रोका जा सके।

नोट :–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रश्नगत प्रकरण को नियम–301 में उठाने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।,

जनपद सीतापुर के ब्लाक खैराबाद में ग्राम शाहपुर से बन्नी तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर के ब्लाक खैराबाद में ग्राम शाहपुर से बन्नी तक मण्डी परिषद् से करीब 18 साल पहले सड़क का निर्माण हुआ था जो बुरी तरह टूट चुकी है, जिसका निर्माण/मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है। इस रोड पर काफी आवागमन रहता है। मैंने कई बार लिखित रूप से प्रार्थना–पत्र दिया परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह सड़क काफी पिछड़े क्षेत्र में है और बुरी तरह से टूट चुकी है इसकी मरम्मत जनहित में कराये जाने की आवश्यकता है। यह जनहित का विषय है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकष्ट कराते हुए उक्त सड़क की मरम्मत मण्डी परिषद् से कराये जाने की मांग करता हूं।,

उ0प्र0 पुलिस/पी0ए0सी0 में नियुक्त आरक्षी के पदों पर व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वाचस्पति–

ख्मान्यवर,

मैं आपका ध्यान उ0प्र0 पुलिस/पी0ए0सी0 में नियुक्त आरक्षी के पद के बाद प्रोन्नति के पद एवं ग्रेड पे की तरफ ले जाना चाहता हूं।

वर्ष 1984 तक के सिपाही/हेड कांस्टेबिल को 26 वर्ष पश्चात् रु0 4600.00 तथा वर्ष 1985 के बाद के उक्त लोगों को 26 वर्ष पश्चात् रु0 4200.00 पे बैण्ड दिया जा रहा है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

वर्तमान में उक्त व्यवस्था रु0 2400.00, रु0 2800.00 व रु0 4200.00 पे बैण्ड दिया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक स्थापना के पत्र सं0–डी0जी0–चार–103(64)2008, दिनांक 08–04–2013 में प्रदेश पुलिस बल में अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारियों के छठे वेतन में सम्मिलित ग्रेड पे में विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र भी भेजा गया था किन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के पत्रांक दस–ज0सू0(कां0स0पु0)/2012, दिनांक 28–03–2013 एवं पत्रांक–बीस–280–2011, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 में उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार उ0प्र0 पुलिस/पी0ए0सी0 में ग्रेड पे की व्यवस्था निम्न प्रकार है, आरक्षी रु0 2000.00, मुख्य आरक्षी रु0 2400.00, उपनिरीक्षक रु0 4200.00, निरीक्षक रु0 4600.00 इसमें रु0 2800.00 पे बैण्ड का उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु वर्तमान में रु0

2800.00 पे बैण्ड दिया जा रहा है जिससे पुलिस विभाग में भारी असन्तोष व्याप्त है। इस अनियमितता को दूर किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसे नियम–301 में उठाने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।,

मा0 उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या–2072 एम0वी0/2001 में पारित आदेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

ख्मान्यवर,

मैं आपका ध्यान मा0 उच्च न्यायालय के रिट याचिका सं0–2072 एम0वी0/2001 के निस्तारण आदेश दिनांक 24–11–2010 के अनुपालन में जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा दिनांक 21–05–2011 को अभिनिर्णय घोषित करते हुए प्रतिकर की धनराशि रु0 51,615.00 मात्र दो बीघा उन्नीस बिसवा चार विश्वांसी भूमि की अंकित की गयी है जबकि जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अपने पत्र सं0–151/आठ–वि0भू0अ0अ0–उन्नाव, दिनांक 22–02–1992 में (प्रश्नगत प्रकरण पर) अनाधिकृत कब्जा कर बनाये गये पावर स्टेशन हेतु भूमि के प्रतिकर की धनराशि रु0 19,76,225.00 अंकित कर अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव को प्रेषित की गयी थी साथ ही एक सप्ताह में धनराशि उपलब्ध न कराने पर विज्ञप्तियां स्वतः लैप्स हो जायेंगी, का उल्लेख किया गया था।

उक्त भूमि पर वर्ष 1966 में अनाधिकृत कब्जा कर पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है इस सम्बन्ध में विधान सभा में 5 सितम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न सं0–14, तृतीय सत्र 1998 दूसरे गुरुवार अतारांकित प्रश्न सं0–126 तथा 10 जुलाई, 1998 के तारांकित प्रश्न सं0–3 में विधान सभा में बहस भी हो चुकी है।

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा वर्तमान सर्किल रेट जो रु0 3,900.00 प्रति वर्ग मी0 घोषित की गयी है, के अनुसार सर्किल रेट के आधार पर प्रतिकर की धनराशि अंकित की जानी चाहिए थी, जिसमें जिलाधिकारी की भूमिका संदिग्ध लगती है। सम्बन्धित कास्तकार जो कर्मचारी भी है, को अनावश्यक परेशान कर चिकित्सकीय अवकाश/आकस्मिक अवकाश स्वीकार न करते हुए 4 माह से वेतन आदि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है इसका स्थानान्तरण लखनऊ करते हुए इसकी एक उच्चस्तरीय जांच वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर भुगतान कराने हेतु अत्यन्त आवश्यक है।

इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न के प्रकरण को नियम–301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला–

ख्मान्यवर,

मैं आपका ध्यान जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के थाना पी0जी0आई0 के तेलीबाग के सुभाषनगर (कुबेर बगिया) में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकान बना लेने व दुकान के सामने बिजली का पोल गाड़कर मार्ग के सकरा कर देने की तरफ ले जाना चाहता हूं।

जगदीश कुरील पुत्र स्व0 कुबेर द्वारा उक्त कार्य किया गया है जबकि इनके द्वारा मार्ग को सकरा करना, जल निकासी हेतु दुकान के सामने सड़क पर ईंटों की दीवार बनाकर नाली को रोकने का कार्य, दुकान के पास पत्थर लगाकर लोहे की सरिया सड़क की तरफ निकाल देने, गाड़ी खड़ी कर मार्ग को अवरुद्ध करना, जाली लगाकर आधी सड़क मार्ग को ढकवा देना, अपने बगल के प्लाट पर दूसरों की भूमि जिसका खसरा सं0–20 मिल जुमला रकबा–0.0270 हेक्टेयर भूमि पर जबरन नींव भरवा कर उसे भी कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निवासियों का संयुक्त हस्ताक्षरित दिनांक 20–06–2015 को भेजा गया था किन्तु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु नियम–301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद बलिया के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया में ब्लाक पन्दह में दो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं जो इस समय बहुत ही खराब हो गई हैं। रतसड़, टंडवा मुख्य मार्ग से पकड़ी चौराहे से ग्राम पकड़ी होते हुए उक्क्षी–रतसी ग्राम होते हुए इन्द्रपुर तक जिसकी लम्बाई लगभग 7 किमी0 है, बहुत ही खराब हो गयी है। इस सड़क पर बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं, इस सड़क के किनारे कई ग्राम भी पड़ते हैं। आम आदमी पैदल नहीं चल पा रहा है। वाहनों को आने–जाने में बहुत कठिनाई होती है। समय भी बहुत अधिक लगता है एवं सिकन्दरपुर बलिया मुख्य मार्ग के खजुरी से जगदरापुर ग्राम होते हुए गढ़मलपुर तक की सड़क भी बहुत खराब हो गयी है। लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। आवागमन रुक गया है, जनता में सड़क न बनने से बहुत आक्रोश है। इन दोनों सड़कों का प्राक्कलन भी लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में भेजा जा चुका है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि तत्काल उपरोक्त दोनों महत्वपूर्ण सड़कों का प्राक्कलन स्वीकृत करके निर्माण कार्य करावें।,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलरामपुर की कोतवाली उतरौला में दर्ज मु0अ0सं0–0655 में प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जनपद बलरामपुर अन्तर्गत थाना कोतवाली उतरौला में दिनांक 13–08–2015 को एक मुकदमा अपराध संख्या–0655/2015, धारा–323, 308, 354ए, 354बी व 392 पंजीकृत हुआ है। परन्तु उपरोक्त मुकदमें में आज तक न तो मुल्जिमानों की गिरफ्तारी की गयी है और न ही कोई कार्रवाई हुई है। अभियुक्तगण वादी मुकदमा एवं उसके परिवार को धमका रहे हैं जिससे वह असहाय महसूस कर रहे हैं तथा पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। इससे स्थानीय जनता में भारी रोष की भावना व्याप्त है।

अतः इस प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त मुकदमें में वांछित मुल्जिमानों की तत्काल गिरफ्तारी कराकर कार्रवाई किये जाने एवं वादी मुकदमा एवं उसके परिवार की जान–माल की सुरक्षा किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल में अर्धनिर्मित पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद–

ख्महोदय,

आपका ध्यान अति लोक महत्व एवं जनहित की सूचना की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर में राप्ती नदी पर सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण हो रहा था, जो बंद पड़ा हुआ है। उक्त पुल के निर्माण हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा पुल का निर्माण किये जाने हेतु घोषणा भी की गयी थी, परन्तु आज तक पुल निर्माण कार्य बंद पड़ा है जिसके कारण क्षेत्रीय जनता के आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है पुल का निर्माण न किये जाने के कारण सरकार के प्रति क्षेत्रीय जनता में काफी रोष भी है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस लोक महत्व एवं जनहित की सूचना को संज्ञान में लेते हुए उपरोक्त पुल का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालमुन्नी सिंह–

ख्महोदय,

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत निम्न मार्गों का निर्माण कार्य जनहित में कराया जाना अतिआवश्यक है। जो निम्न है :–

1–झुगहवां से गडरखा तक लम्बाई लगभग 3.50 किमी0

2–जिगिनिहवा बाबा से इमिलिया वार्डर तक लम्बाई लगभग 4.00 किमी0

3–मुसरहवा चौराहे से शिवानगर तक लम्बाई लगभग 4.00 किमी0

4–बजहा ताल से नरखोरिया तक लम्बाई लगभग 3.00 किमी0

उपरोक्त सड़कों के बन जाने से इस क्षेत्र की जनता को आने–जाने में बड़ी सुविधा हो जायेगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त सड़कों के निर्माण कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर स्थित छोटी गण्डक में शवदाह गृह बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनवोध–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर जनपद देवरिया के अन्तर्गत नगर पंचायत मझौली राज व नगर पंचायत सलेमपुर दोनों के बीच छोटी गण्डक है जहां भरी मात्रा में लोग शवदाह स्थल के रूप में अन्त्येष्टि करते है। जहां नगर पंचायत मझौली राज की दो एकड़ भूमि नदी के किनारे पर है जिसे काफी दिनों से जनता मुक्तिपथ (शवदाह गृह) एवं अन्य शक्तियों की मूर्ति की स्थापना कर मुक्तिपथ बनाना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए नगर पंचायत मझौली राज की दो एकड़ भूमि पर मुक्तिपथ (शवदाह गृह) व अन्य शक्ति की मूर्ति की स्थापना कर एवं सुन्दरीकरण किये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद मुरादाबाद में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद इरफान–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा के ग्राम हसनपुर पट्टी, तहसील बिलारी, जनपद मुरादाबाद का गाटा सं0–144 मि0–0.408 हे0 जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं0–785, दिनांक 14 नवम्बर, 2013 के तहत बंजर से खारिज होकर फायर स्टेशन की

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थापना हेतु पुलिस विभाग के नाम दर्ज हो चुका है तथा गृह (पुलिस) अनु0–8 प्रस्तावित अग्निशमन की सूची क्रमांक–8 पर मेरे पत्रांक दिनांक 3–7–2012 की मांग के आधार पर अग्निशमन केन्द्र बनना है और लगातार बजट जारी होने का आश्वासन मिलने के बावजूद भी धरातल पर फायर स्टेशन कायम नहीं हो पाया है। अनुपूरक बजट 2015–16 में भी उक्त के लिए आवश्यकता अनुदान नहीं दर्शायी गयी है। जबकि विभाग में धनराशि उपलब्ध होना पाया जाता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से अग्निशमन केन्द्र बनवाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अम्बेडकर नगर के कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

ख्महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक हैं जो निम्नवत् हैं–

1–रामनगर बाजार से जहांगीरगंज राजेसुल्तानपुर होते हुए तिरमोहानी पुल तक सड़क का चौड़ीकरण।

2–जहांगीरगंज बसखारी मुख्य मार्ग कटघर से फत्तेपुर इण्टर कालेज तथा डिग्री कालेज होते हुए बीबीरामपुर तक नवीनीकरण।

3–ग्राम पंचायत देवलर गढ़वल के मध्य छोटी सरयू नदी पर पुल का निर्माण कार्य।

4–कम्हरिया घाट पर शव जलाने हेतु शवदाह गृह एवं पक्का घाट बनाने का कार्य।

5–किन्नूपुर पिच रोड से घाघरा नदी के किनारे रामजानकी मंदिर तक पिच रोड।

6–ग्राम पंचायत बलरामपुर निजाम भवन से चन्द्रबली यादव की दुकान मुख्य मार्ग तक सी0सी0 रोड।

7–पदुमपुर गढ़वल पिच रोड से सिकरौरा गांव तक पिच का निर्माण।

8–कमालपुर पिकार पिच रोड से शिवकुमार यादव के घर के सामने ग्राम भण्डाभार तक सी0सी0 रोड।

9–राजेसुल्तानपुर पदुमपुर मार्ग के भगत सोनी के घर के बगल से होते हुए प्रेम सोनकर के घर तक सी0सी0 रोड।

अतः आपके माध्यम से इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बरेली में मानक के विपरीत चल रहे अस्पताल पर प्रभावी कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी–

ख्महोदय

आपको सादर अवगत कराना है कि डा0 अतुल अग्रवाल का रामपुर गार्डन बरेली में अतुल लतिका नाम से एक अस्पताल चल रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। यह अस्पताल मानक के अनुसार नहीं बना है, इस अस्पताल को नेशनल बिल्डिंग कोड प्राप्त नहीं है, इस अस्पताल को फायरब्रिगेड एवं विद्युत सुरक्षा से एन0ओ0सी0 प्राप्त नहीं है। इस अस्पताल को बी0डी0ए0 बरेली से नक्शा पास नहीं हुआ है क्योंकि यह कालोनी रिहायशी है। इस अस्पताल में आई0बी0एफ0/टेस्ट ट्यूब का अवैध सेन्टर चल रहा है। जिसकी विभाग से एन0ओ0सी0 नहीं मिली है। इस अस्पताल में एक फर्जी स्पर्म बैंक है। जिसका इनके पास लाइसेन्स नहीं है इस अस्पताल में जो मेडिकल है उसका लाइसेन्स नहीं है, व डाक्टरों का कोई भी नहीं है। जिससे क्षेत्र की जनता को काफी असुविधा हो रही है।

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल कार्रवाई किये जाने हेतु आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा अन्तर्गत ब्लाक बल्देव के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश–

ख्मान्यवर,

जनपद–मथुरा में हमारे बल्देव विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक–राया एवं ब्लाक बलदेव के निम्न गांवों जो कि लोक निर्माण विभाग–सी0डी0–1 मथुरा तथा लोक निर्माण प्रान्तीय खण्ड मथुरा के अन्तर्गत आती है। मरम्मत/नवनिर्माण के अभाव में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। कोई भी अन्य निम्न ग्रामों का सम्पर्क मार्ग नहीं है। इन सड़कों के मरम्मत नव निर्माण के अभाव में क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को आने–जाने में काफी परेशानी हो रही है। बरसात के समय से निम्न मार्ग बन्द हो जाते है। जनता को आने जाने में काफी परेशानी होने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

1–मथुरा से सादाबाद मार्ग का शेष भाग।

2–परखम–ओल मार्ग से अछनेरा मार्ग।

3–परखम से ओल मार्ग।

4–ओल से भदेरूआ–बिरोना–चौकीपुरा–लुहारा मार्ग।

5–राया बल्देव मार्ग से गढ़ी रूपा तक, ल0–700 मी0

6–ग्राम मदैम से भोजुआ तक, ल0–2.0 किमी0

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

7–ग्राम मदैम से जगतिया तक, ल0–1.0 किमी0

8–राया से नगला सहसू व भवानी तक, ल0–3.0 किमी0

9–राया मथुरा मार्ग से सिरिया की नगरिया तक, ल0–800 मी0

10–राया मथुरा मार्ग से दीवाना खुर्द तक, ल0–1.0 किमी0

11–सादाबाद मार्ग से सौंखखेड़ा तक, ल0–5.0 किमी0

12–सौंखखेड़ा से नगला हरी तक, ल0–1.5 किमी0

13–राया–सादाबाद मार्ग से रामपुर चौराहे से पवेसरा तक, ल0–2.0 किमी0

14–राया–सादाबाद मार्ग से जासा तक, ल0–2.0 किमी0

15–ग्राम नुनेरा से गढ़ी नन्दा तक, ल0–1.5 किमी0

16–राया–सादाबाद रोड से (अनोड़ा से) विजहरी तक, ल0–4.0 किमी0

17–राया–सादाबाद रोड से बल्टीगढ़ी तक, ल0–4.0 किमी0

18–राया–सादाबाद मार्ग से जुगसना तक, ल0–4.0 किमी0

19–राया–बल्देव मार्ग से नगला पीता (कटैला मारनर की पटरी) तक, ल0–2.0 किमी0

20–राया–सादाबाद मार्ग सारस से पड़राटी तक, ल0–500 मी0

21–राया–मथुरा मार्ग से गोंगा होते हुए नहर तक, ल0–3.0 किमी0

22–राया–माठ रोड से नीमगांव तिराहे से नगला होते हुए नगला सहसू तक, ल0–4.0 किमी0

23–राया–मथुरा मार्ग से सिहोरा होते हुए कारब तक, ल0–4.0 किमी0

24–बल्देव–कजौली घाट ब्रिज रोड से नगला राधे–नगला बेर तक लगभग 3 किमी0 नव निर्माण।

25–राया बल्देव मार्ग से गुरसैनिया तक, ल0–4.0 किमी0

26–बरारी से ओल, लुहारा मार्ग।

27–फरहे अछनेरा मार्ग।

28–राया बल्देव मार्ग नगला दखनी होते हुये ककरेरिया तक, ल0–1.5 किमी0।

अतः इस लोक महत्वके अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सड़कों का नव निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद–

ख्मान्यवर,

जनपद–अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र खैर में निम्न सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। उक्त सड़क की पुनः मरम्मत जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1–पी0टी0ए0 मार्ग सुजानपुर से नगला करन सिंह, ल0–800 मी0 (लगभग)

2–पी0टी0ए0 से बिहारीपुर मार्ग, ल0–3 किमी0 (लगभग)

3–टप्पल से मानव ग्रामीण मार्ग, ल0–5 किमी0 (लगभग)

4–सालपुर से राघवगढ़ी मार्ग, ल0–1.25 किमी0 (लगभग)

5–पिसावा से डेटा मजीपुर मार्ग, ल0–3 किमी0 (लगभग)

6–जट्टारी पिसावा मार्ग से मीरपुर रायपुर मार्ग, ल0–1.40 किमी0 (लगभग)

7–पी0टी0ए0 से तेहरा मार्ग, ल0–1.25 किमी0 (लगभग)

8–पी0टी0ए0 से नयोदय विद्यालय सुजनपुर, ल0–600 मी0

9–पी0टी0ए0 मार्ग ग्राम तकीपुरसे गांव कीलपुर तक, ल0–1.50 किमी0

10–ग्राम करनपुर से ग्राम कल्यापुर तक, ल0–1.00 किमी0

11–पी0टी0ए0 कोरना से ताहरपुर तक, ल0–1.50 किमी0

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त सड़कों की मरम्मत/पुनःनिर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के कतिपय पुलों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम–

ख्मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत करवन नदी पर पुलों के निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी परेशानी होती है। करवन नदी के दूसरी ओर काफी किसानों के खेत है। जिसमें किसान खेती करने के लिए 8–10 कि0मी0 तक चक्कर लगाकर काफी दूर दूसरे पुल से जाना पड़ता है। क्षेत्रीय किसानों के समस्या के समाधान हेतु करवन नदी के ग्राम सेमनपुर, रफायतपुर व ऊडम्बरा में पुलों का निर्माण हो जाने से किसानों को काफी सुविधा होगी। यह कि पुलों के निर्माण होने से मथुरा जनपद में जाने में भी काफी सुविधा होगी। यह जनहित का प्रकरण है। नदी पर पुलों के निर्माण न होने के कारण किसानों में काफी आक्रोश है।

अतः मैं उक्त पुलों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुदेश शर्मा–

ख्मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र–मोदीनगर, जनपद–गाजियाबाद में विकास खण्ड–भोजपुर के अन्तर्गत निम्न सड़कें जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में हो चुकी है। उक्त सड़कों में बड़े–बड़े

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गड्ढ़े हो गये है। जिससे क्षेत्र वासियों को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। इस मार्ग पर हाईवे की तरह अत्यधिक वाहनों का आवागमन होता है। क्षेत्रीय जनता की मांग है कि इस मार्ग को अविलम्ब मरम्मत कराया जाय। यह प्रकरण जनहित से सम्बन्धित है।

1–त्यौड़ी–7 से सरावे गांव तक सड़क तक,

2–अबुवकर मस्जिद से भदौला मार्ग तक,

3–भटजन से फजलगढ़ की रजवाहे की पटरी तक,

4–मोदीनगर से शाहजहांपुर तलहैटा, धनतला मार्ग तक,

5–ग्राम ईशाक नगर से नाहली तक,

6–ग्राम अमीपुर नगौला से नाहली तक,

7–ग्राम हृदयपुर भण्डौला से सैदपुर तक,

8–ग्राम भोजपुर पिलखुआ फरीदनगर से किन्हापुर चौक तक,

9–ग्राम कादराबाद से रोंरी सम्पर्क मार्ग,

10–ग्राम तलहैटा बाई पास आबादी भाग में सी0सी0 कार्य,

11–अतरौली से दतैड़ी मार्ग।

अतः मैं चाहूंगा कि जनहित में उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण/विशेष मरम्मत/चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद अलीगढ़ के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

ख्मान्यवर,

मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सोंगरा ग्वालरा सम्पर्क मार्ग पर ग्राम सोंगरा के आबादी भाग में सम्पर्क मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए क्षेत्रीय जनता कई बार मांग कर चुकी है। इस सम्पर्क मार्ग से दर्जनों गांवों का आवागमन है। इस मार्ग पर हर समय पानी भरा रहता है। इस मार्ग से स्कूल जाने वाले बच्चों व मरीजों को निकलना असंभव जैसा है।

अतः मैं उक्त सम्पर्क मार्ग के शेष भाग का सी0सी0 मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत सब–स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

ख्मान्यवर,

डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बेवां चौराहे पड़ता है। इस विद्युत सब–स्टेशन हल्लौर फीडर से होकर दक्षिणी तरफ विद्युत आपूर्ति की जाती है लेकिन

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इतनी लम्बी लाइन होने के कारण आधे से अधिक इलाके की विद्युत अक्सर काट दी जाती है, क्योंकि हल्लौर एक बड़ा कस्बा पड़ता है तथा घनी आबादी का गांव है यहां पर विद्युत तार गिरने की समस्या आये दिन होती रहती है क्योंकि इस गांव में प्रथम पंच वर्षीय योजना में ही विद्युतीकरण होने के कारण तार जर्जर हो गये है। इस समस्या का निदान विभाग द्वारा बताया जाता है कि इस सब–स्टेशन पर अधिभार भी है और जब तक बेवां चौराहे के आस–पास 33/11 का एक नया सब–स्टेशन नहीं बन जाता है तब तक यह समस्या बनी रहेगी। क्योंकि भविष्य में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत प्रत्येक वर्ष दर्जनों गांव ऊर्जीकृत हो रहे है और विद्युत भार बढ़ता चला जा रहा है। यह भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इधर भविष्य में छोटे–छोटे मजरों का जो विद्युतीकरण होने जा रहा है इसके मद्देनजर रखते हुए नये–नये विद्युत सब–स्टेशन का निर्माण कराया जाना व्यापक जनहित में अति आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि बेवां चौराहे के आस–पास 33/11 का एक नवीन विद्युत सब–स्टेशन स्थापित किये जाने का निर्देश दिये जाने की कृपा करें।,

किसान सेवा सहकारी समिति जमुका में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्महोदय,

किसान सेवा सहकारी समिति जमुका ब्लाक भावलखेड़ा जनपद शाहजहांपुर द्वारा वर्ष 2015 में जो गेहूं की खरीद की गयी उसमें सभी काश्तकारों से बड़े पैमाने पर नाजायज कटौती की गयी। समिति के सदस्यों के द्वारा इस बात की शिकायत भी की गयी परन्तु समिति के अधिकारियों ने कटौती किया हुआ धन वापस नहीं किया।

समिति के सदस्यों से ऋण सीमा वृद्धि के लिए भी अनियमित शर्तें थोपी जा रही है। इन दोनों बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होना अत्यन्त आवश्यक है। समिति के अधिकारीगण लगातार अनियमितता कर रहे हैं और उन पर शिकायतों का कोई प्रभाव नहीं है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग करते हैं।,

गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्महोदय,

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय झील सभरण योजना के तहत गोरखपुर महानगर स्थित रामगढ़ताल झील के सौन्दर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इस कार्य में मूल लागत 125 करोड़ का 70 प्रतिशत भारत सरकार और 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। यदि किसी कारण वश योजना समय से पूरी नहीं होती है और लागत बढ़ती है तो समस्त अतिरिक्त खर्चों का वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है।

इस योजना के साथ ठीक यही हो रहा है। समय से पूर्ण न होने के कारण 125 की लागत अभी ही बढ़कर 189 करोड़ हो चुका है और अभी काफी सारे कार्य अधूरे पड़े हैं तथा लागत और भी अधिक बढ़ने की सम्भावना है।

सिर्फ इतना ही नहीं, अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि झील के उत्तरी तरफ अन्य तरफ की तरह सड़क बनाई जायेगी या नहीं और योजना के अन्तर्गत योजना के पूर्व तरफ के आवासीय क्षेत्रों के जल निकासी की क्या व्यवस्था की गयी है ?

सौन्दर्यीकरण के दौरान पूरे झील की क्मे.पसजपदह की गयी है। क्मे.पसज में लाखों घन मीटर (मिट्टी/गाद) निकली है। यह मिट्टी किसे बेची गयी यह भी रहस्य के घेरे में है। जबकि योजना से 200 मीटर की दूरी पर शहीद अशयाफुल्लाह जन्तु उद्यान का काम मिट्टी की कमी के कारण ही रुका पड़ा है।

यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि उच्चस्तरीय कमेटी के नियन्त्रण में रामगढ़ ताल झील के सौन्दर्यीकरण का कार्य समयवद्ध तरीके से कराया जाये और आगामी सत्र में इस कार्य को पूर्ण किया जाये।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय को नियम–301 के तहत उठाने और सरकार को जवाब देने के लिये अनुमति प्रदान करें।,

अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान की बाउन्ड्री बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी–

ख्महोदय,

मैं आप द्वारा मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी का ध्यान उपरोक्त के सम्बन्ध में जनहित की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय पर उस पत्र का विषय है जो श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, शासन ने निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण लखनऊ व समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 को 30–3–2015 को पत्र लिखा था।

श्री ओम प्रकाश सिंह सचिव का पूरा पत्र पढ़ डालें। इस पत्र में यह इशारा नहीं मिलता कि सचिव जी को कब्रिस्तानों की बाउण्ड्री के कार्य के विलम्ब की कोई चिन्ता है

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बल्कि चिन्ता इस बात की लग रही है कि जो धन बाउण्ड्री निर्माण के लिए अवमुक्त किया गया है वह सरकारी खजाने में ही पड़ा रहे।

दूसरे योजना के 2015–16 के कार्य शुरू हो चुके हैं लेकिन सचिव जी के उपरोक्त पत्र के कारण 2014–15 के स्वीकृत कब्रिस्तान बाउण्ड्री कार्य अभी तक धन उपलब्धि के बाद भी शुरू नहीं हुए हैं।

उन्होंने प्रशासन को बाध्य कर रखा है कि 2013–14 के सम्बन्धित स्वीकृति धनराशि खर्च

होने के बाद 2014–15 के कार्य को प्रारम्भ कर सकेंगे।

अल्पसंख्यक कब्रिस्तान बाउण्ड्री का कार्य मौजूदा सरकार की अल्पसंख्यकों के लिये एक महत्वपूर्ण योजना थी। इसके निर्माण के प्रशासनिक गतिरोध को दूर करके कार्य को इस प्रकार प्रगति में लाया जाये कि जिस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धन उसी वित्तीय वर्ष में कार्य को पूर्ण कराया जाय। इसको लेकर जनता में बहुत असंतोष है। कार्य को प्रगति देकर जनता का असंतोष दूर करने का कष्ट करें।,

विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार पासवान–

ख्महोदय,

मान्यवर, जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र–कपिलवस्तु, जनपद–सिद्धार्थनगर में निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों पर पिच मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है :–

1–विकास खण्ड–नौगढ़, ग्राम–कोडरा ग्रान्ट चौराहे से बचड़ा–बचड़ी तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य, लम्बाई–1.5 कि0मी0।

2–विकास खण्ड–नौगढ़, ग्राम–पं0 हरदासपुर, दयानगर पिच मार्ग से ग्राम–मेहरनिया तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य, लम्बाई–1.25 कि0मी0।

3–विकास खण्ड–नौगढ़, ग्राम–पं0 रामपुर पिच रोड से पूरब सुकरौली होते हुए उमरा नगर तक पिच मार्ग का निर्माण कार्य, लम्बाई–03 कि0मी0।

अतः मैं आपके माध्यम से जनहित के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए उपर्युक्त पिच मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद सोनभद्र की कतिपय ग्राम सभाओं को सड़क से न जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र दुबे–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, घोरावल, जनपद–सोनभद्र में निम्नलिखित ग्राम सभाओं में आजादी के 68 वर्ष बाद भी अभी तक कोई सड़क नहीं है। यह गांव नक्सल प्रभावित गांव है। सरकार द्वारा अभी तक इन ग्राम सभाओं को सड़कों से न जोड़े जाने के कारण ग्राम वासियों में रोष है। इन ग्राम सभाओं की आबादी भी काफी अधिक है। यहां के निवासी लगातार अपने ग्राम सभा में सड़क निर्माण की मांग करते रहे हैं। इन ग्राम सभाओं का विवरण निम्नलिखित है :–

1–ऊंचडीह ओइनी मिश्र के कि0मी0 2.50 से देवरी खुर्द होते हुए रजपुरवा चन्द्रकान्त मिश्र तक सड़क निर्माण,

2–आर0जी0 रोड डोहरी के पास से सोहदौल मार्ग तक सड़क का निर्माण,

3–बैडाड से महुअरिया तक सड़क का निर्माण,

4–धुरकरी से नौगढ़वा सम्पर्क मार्ग का निर्माण,

5–धनावन से पाती सम्पर्क मार्ग का निर्माण, तथा

6–आर0जी0 रोड मुंगेहरी माइनर से महुअरिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

उक्त सभी सम्पर्क मार्ग/मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है। जनहित में इन सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण अति–आवश्यक है। प्रकरण अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सम्पर्क मार्गों का शीघ्र निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा में कतिपय सड़कों एवं सेतुओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री माधुरी वर्मा–

ख्महोदय,

मैं लोक महत्व के विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 283–नानपारा, बहराइच में निम्नलिखित सेतुओं एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है, जिनका विवरण है :– 1–सरयू नदी बौड़ी घाट पर पुल का निर्माण, 2–छोटी सरयू नदी बरदहा घाट पर पुल का निर्माण, 3–जूड़ा के पास धरसोती नाले पर पुल का निर्माण, 4–बलहा के पूरब धरसोती नाले पर पुल का निर्माण, 5–नानपारा बाई पास से राजा बाजार पुलिस चौकी तक दो लेन का सम्पर्क मार्ग (विकास खण्ड–बलहा), 6–बाबूपुरवा से वाया बोरिंग पर होते हुए श्री आशाराम निषाद, प्रधान के घर तक दो लेन सम्पर्क मार्ग (विकास खण्ड–बलहा) तथा 7–बसन्तापुर पेण्टेड रोड से वाया छीटनपुरवा–रायगंज घाट तक दो

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेन सम्पर्क मार्ग (विकास खण्ड–शिवपुर)। उक्त सेतुओं/सम्पर्क मार्गों का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग करती हूं।,

मा0 सदस्य की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त गनर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

ख्मान्यवर,

सादर अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27–02–2014 एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के पत्र सं0 डी0जी0 180/2014, दि0 28–04–2014 के सभी जनपदीय एवं प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समिति के संस्तुति एवं मा0 मुख्य मंत्री जी उ0प्र0 के निर्देश पर उ0प्र0 शासन व जिला प्रशासन द्वारा मुझे अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया था परन्तु उक्त अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड को मेरी सुरक्षा से वापस बुला लिया गया है।

यहां बताना आवश्यक है कि पिछले विधान परिषद् उप चुनाव में राजनैतिक विच्छेदता के कारण मेरे ऊपर प्राण घातक हमला भी हो चुका है, जनप्रतिनिधि होनेके कारण दिन रात्रि में निरन्तर सघन भ्रमण करना पड़ता है। कई बार अज्ञात लोगों द्वारा मेरे ऊपर अप्रिय घटना घटित करने का प्रयास भी किया गया है। मेरे जान माल को हमेशा खतरा बना हुआ है, कभी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है।

अतः मैं उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये शासन के निर्देशानुसार मुझे उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त सुरक्षा को पुनः उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र महोबा की जर्जर सड़कों के शीघ्र निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजनरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

ख्मान्यवर,

कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र महोबा में अनेक सड़कों की हालत अत्यन्त खराब, आवागमन पूर्णतः बाधित है। क्षेत्रीय जनता काफी समय से निम्न सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने की मांग कर रही है।

1–एन0एच0–86 पर स्थित ग्राम गुगौरा प्रधानमंत्री सड़क से ग्राम काली पहाड़ी गंज रोड लगभग 2 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

2–खरेला पुपवारा मार्ग से अबिनेन्द्र सिंह (राजू सिंह) के खोड़ा तक लगभग 1.5 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3–ग्राम अतरार से कछियन पुरवा तक लगभग 2 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

4–ग्राम जुहेड़ी बस स्टेण्ड से ग्राम पठारी तक लगभग 3 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

5–ग्राम उरवारा से ग्राम कैमाहा तक लगभग 3 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

6–ग्राम पिपरा से ग्राम कर पहाड़िया तक लगभग 4.5 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

7–ग्राम रिवई से ग्राम सिरसी मार्ग तक लगभग 4 कि0मी0 जीरो से लेपर स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

8–ग्राम सुनैचा से ग्राम न्यूरिया तक लगभग 3 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

9–ग्राम मवई खुर्द भैंसता माफ तक लगभग 3 कि0मी0 मिट्टी से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

10–कबरई कुन्हेटा मार्ग से ग्राम वन्नी सम्पर्क मार्ग लगभग 4 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

11–ग्राम ग्योड़ी से कुन्हेटा तक लगभग 4 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

12–ग्राम बीला दक्षिण से ग्राम मकरवई खुड़े तक लगभग 4 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

13–ग्राम चन्द्रपुरा प्राथमिक विद्यालय से ग्राम बनियां तलां तक लगभग 4 कि0मी0 मिट्टी से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

14–ग्राम सिजहरी से ग्राम पवां तक लगभग 6 कि0मी0 मिट्टी से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

15–ग्राम ऐचांना से ग्राम सुरहा तक लगभग 7 कि0मी0 विशेष मरम्मत के साथ लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

16–कबरई से सुरहा सम्पर्क मार्ग तक लगभग 17 कि0मी0 विशेष मरम्मत के साथ लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

17–ग्राम खन्ना से इलाही पुरवा (ग्योडी) तक लगभग 4 कि0मी0 जीरो से लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से जनहित में उपरोक्त सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मऊ अन्तर्गत कुरंगा नहर की पटरी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश पाण्डेय–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद–मऊ के मेरे विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड–दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा महाबलपुर से कुरंगा नहर की पटरी होते हुए ग्राम कोरौली तक की सड़क (लम्बाई लगभग 3.0 कि0मी0) अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, उक्त सड़क पर कई जगह पर बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। वर्षा के दिनों में क्षतिग्रस्त सड़क पर पैदल चलना भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। उस क्षतिग्रस्त सड़क पर हजारों ग्रामवासियों एवं वाहनों का आवागमन होता है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं राहगीरों के साथ आये दिन मार्ग दुर्घटनाएं हो रही हैं और राहगीर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, क्षेत्रीय जनता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की निर्माण कराये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु सरकार द्वारा अभी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में मधुबन के विकास खण्ड–दोहरीघाट के अन्तर्गत ग्राम सभा महाबलपुर से कुरंगा नहर की पटरी होते हुए ग्राम कोरौली तक की सड़क (लम्बाई लगभग 3.0 कि0मी0) की अत्यन्त जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण सड़क की निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद देवरिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्महोदय,

कृ0 आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला देवरिया में वर्तमान में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमिततायें की जा रही है, श्री मनोज कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में तैनात अध्यापकों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके द्वारा कार्यालय में खुला रिवाल्वर लेकर बैठना और वह अपने साथ हमेशा अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कार्यालय में बैठाये रखते हैं। उक्त अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से अध्यापकों को निलम्बित करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। दिनांक 14–10–2014 को अध्यापकों से अवैध वसूली करते हुए 103 निलम्बित अध्यापकों को बहाल किया गया है। जिले के अध्यापकों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किये जाने उनमें अत्यधिक रोष व्याप्त है। उक्त

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा डायट प्राचार्य पर जिलाधिकारी से जबरन दबाव बनाकर बीत गई तिथि में पदोन्नति सूची पर हस्ताक्षर करवाया गया। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विद्यालय बन्द करने के आदेश के बावजूद जिले के सभी विद्यालयों को जबरन खुलवाया गया। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा भी बीस बार जांच किये जाने हेतु आदेश दिये गये परन्तु उक्त अधिकारी अपनी ऊंची पहुंच के कारण उक्त सभी आदेशों को दबा रखा है। जिले में तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितताओं पर भी उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं होने से जिले के सभी अध्यापकों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती–

ख्मान्यवर,

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र 147–हरगांव के विकास खण्ड–परसेडी के अन्तर्गत बेलरायां पनवारी मार्ग सीतापुर से लखीमपुर रोड से धरनाग नेवादा गौरिया कला नउवा महमूदपुर होते हुए फर्रकपुर तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त व पिछड़े वर्ष वर्षात् के मौसम में उखड़ जाने, रोड पर बड़े–बड़े गड्ढ़े हो गये हैं, फर्रकपुर पुल के पूरब रोड कट जाने के कारण आवागमन काफी प्रभावित हुआ है तथा आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिस कारण काफी लोग चोटहिल भी हुए हैं किसानों को अपना ट्रैक्टर ट्राली तथा बैलगाड़ी लाने ले जाने में काफी परेशानी होती है। इसके अलावा यह मार्ग फर्रकपुर के पुल होते हुए सीतापुर से गोला गोकर्णनाथ रोड में मिल जाता है। इस रोड के अत्यन्त क्षतिग्रस्त व खराब होने के कारण क्षेत्रीय किसानों व जनता के साथ बाहर से आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

अतएव इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं आपके माध्यम से सरकार से धरनाग नेवादा फर्रकपुर मार्ग की मरम्मत/रिनीवल कराये जाने की मांग करता हूं।,

नगर निगम झांसी में टी0एफ0सी0 क्षेत्रान्तर्गत नालों के निर्माण की घटिया गुणवत्ता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

ख्मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम झांसी के सभासद अनिल कुमार उर्फ पच्चू भैया ने मुझे अपने पत्र सं0–289/2015 के माध्यम से अवगत कराया है कि वार्ड नं0–17 कछियाना में नगर निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों की मिली भगत से घटिया निर्माण कर कूटरचित बिल बनाकर सरकारी धन की बंदरबांद

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की जा रही है। इसका ताजा उदाहरण बार्ड नं0–17, पुलिया नं0–9 में महाराज सिंह नगर में यादव जी के मकान से हंसारी टपरियन पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला जिसकी लागत 35,70,000/– एवं इसी वार्ड 17 में कछियाना में राजेश अग्रवाल के मकान से टपरियन पुलिया तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण जिसकी लागत 23,07,000/– है। इनके निर्माण में ठेकेदार ने बालू के स्थान पर डस्ट मिलाकर मानक के विपरीत घटिया किस्म का निर्माण किया गया है। उपरोक्त नाले को निर्मित हुए अभी 6 माह भी नहीं हुए थे कि इसी बरसात में यह नाला जर्जर स्थिति में आ गया है और जगह–जगह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जिसकी शिकायत संबंधित वार्ड के सभासद द्वारा सक्षम अधिकारियों को की गयी लेकिन इस प्रकरण की कोई भी जांच नहीं की गयी। इस प्रकरण की जांच न होने के कारण जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

ख्मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में चिकित्सा सुविधा न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। टाउन एरिया केमरी की आबादी लगभग 50 हजार के करीब है तथा इसके आस–पास काफी गांव का मुख्य केन्द्र केमरी है इसकी दूरी जनपद मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर है तथा इसके आस–पास कोई चिकित्सा की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण यहां पर चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण दुर्घटना व अन्य बीमारी में उपचार तुरन्त न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। यहां पर पी0एच0सी0 को अपग्रेट करने की मांग काफी समय से चली आ रही है तथा इसका प्रस्ताव भी काफी लम्बे समय से शासन में लम्बित है, मगर सरकार द्वारा पिछड़ी गरीब व अल्पसंख्यक पी0एच0सी0 को अपग्रेट करने की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है। तथा इसका प्रस्ताव भी काफी लम्बे समय से शासन में लम्बित है मगर सरकार द्वारा पिछड़ी गरीब व अल्पसंख्यक बाहुल्य टाउन एरिया में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं की गयी है। मेरे द्वारा 30 बेड का अस्पताल एक्सरे मशीन व अल्ट्रासाउंड तथा स्टाफ आदि की पोस्टिंग के लिए भी विधान सभा में भी यह मामला कई बार उठाया गया है व माननीय मुख्य मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री को भी अवगत कराया गया। मगर इस सम्बन्ध में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया जिससे जनता में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। यदि इसमें अविलम्ब समुचित कार्यवाही नहीं की गयी तो कोई भी घटना घटित हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय व लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलनवाज खान–

ख्मान्यवर,

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बुलन्दशहर जनपद के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र स्याना एक फलपट्टी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इस साल हुई ओलावृष्टि से आम की फसल को भारी क्षति हुई थी आम की फसल का जायजा लिया जाय तो लगभग 60 से 75 प्रतिशत तक आम खराब हो गया था लेकिन सरकार के द्वारा आम के कृषकों को आपदा राहत नहीं दी गयी थी। यहां पर यह भी अवगत कराना है कि सरकार के द्वारा गेंहू की खराब फसल का मुआवजा निर्गत किया गया था लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र स्याना में अभी तक लगभग 60 प्रतिशत किसान इस मुआवजे से वंचित रह गये है। जबकि सर्वे के आधार पर इनको मुआवजा दिया जाना प्रस्तावित है। ओलावृष्टि से आम व गेहूं कि इतनी फसल खराब हो गयी कि मेरे क्षेत्र स्याना में जनता के जीवन यापन पर काफी असर पड़ेगा बच्चों की शिक्षा आदि का खर्च भी फसल खराब हो जाने के कारण पूरा नहीं किया जा रहा है। आम आदमी इस दैवीय आपदा से त्रस्त हो गया है। सरकार के द्वारा इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर ओलावृष्टि से खराब आम व गेहूं की फसल का आकलन कराकर मुआवजा दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व व जनहित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से इस ओलावृष्टि से खराब हुई आम व गेहूं की फसल के नुकासान की उच्च स्तरीय जांच कराकर मुआवजा दिलाये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद बांदा में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह–

[महोदय, अवगत कराना है कि वर्तमान समय में जनपद बांदा में व्यापक बिजली कटौती व लो–वोल्टेज की गम्भीर समस्या से आम जनमानस बेहाल व परेशान है। अधिकारियों की अकर्मण्यता, संवेदनशून्यता के चलते सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। क्षेत्र के किसानों ने धान इत्यादि की फसलें लगाई हैं, मगर उन्हें बिजली सप्लाई सुचारु रूप से नहीं मिल पा रही है। लो–वोल्टेज की समस्या निरन्तर जारी है। जनपद बांदा में ही विद्युत उपकरणों का स्टोर है, जहां ट्रान्सफार्मर आदि के मरम्मत का कार्य किया जाता है। जबसे बांदा से मरम्मत किये गये ट्रान्सफार्मर किसानों को दिये

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाने लगे, तब से उनकी गुणवत्ता सही न होने के कारण आये दिन ट्रान्सफार्मर जल रहे हैं। मरम्मत वाले ट्रान्सफार्मर की गुणवत्ता बहुत ही निम्न कोटि की है। बार–बार जल रहे ट्रान्सफार्मर से परेशान होकर बिजलीघरों में जाकर आक्रोश व्यक्त करने, धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा जनपद बांदा में विद्युत आपूर्ति की निरन्तरता तथा विद्युत उपकरणों ट्रान्सफार्मर आदि के मरम्मत की गुणवत्ता ठीक रखे जाने हेतु आदेश पारित किया जाना अति–आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं अविलम्बीय है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद सहारनपुर में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र गंगोह जनपद–सहारनपुर के अन्तर्गत बिजली की समस्या बनी रहती है, जो बिजलीघर बने हैं काफी ओवरलोड पर चल रहे हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाती। आये दिन कोई न कोई व्यवधान आता रहता है जिसको दूर करने के लिए क्षेत्र के ग्राम ढायकी व कुल्हेडी तथा बुढ्ढाखेड़ा में बिजलीघरों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जो नकुड डिवीजन के अन्तर्गत आते हैं बिजलीघरों का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जिलापूर्ति अधिकारी बस्ती के द्वारा शासन को गलत एवं भ्रामक सूचना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

ख्मान्यवर, मे0 जिवधन राम प्रताप नारायण थोक मिट्टी के तेल के विक्रेता पाण्डेय बाजार, जनपद–बस्ती के पक्ष में मेरे द्वारा फर्म के बभनान प्वांइट पर भूमिगत टैंक स्थापित किये जाने हेतु दिनांक 03–07–2015 को शासन से पत्र के माध्यम से आग्रह किया था जिसको संज्ञान में लेते हुए शासन द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी, बस्ती आख्या मांगी गयी। उक्त क्रम में जिलापूर्ति अधिकारी बस्ती के द्वारा शासन को भ्रामक एवं गलत सूचना प्रेषित करते हुए बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या–55485/2006 (रिट सी0) मे0 जिवधन राम प्रताप नारायण व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21–01–2015 द्वारा फर्म के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्रवाई को न्याय संगत पाते हुए फर्म की रिट याचिका को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए निरस्त कर दिया है जबकि सत्यता यह है कि रिट याचिका संख्या–55485/2006 अदम पैरवी के अभाव में न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। दिनांक 21–01–2015 के आदेश पर निर्विचार हेतु फर्म द्वारा पुनर्विचार याचिका

संख्या–3674/2015 दाखिल किया गया है जो वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि पुनर्विचार याचिका के सम्बन्ध में जिलापूर्ति अधिकारी बस्ती के द्वारा कार्यालय पत्रांक 5846/जि0पू0अ0–शिकायत/2015 दिनांक 29 जुलाई, 2015 द्वारा शासन को पत्र के माध्यम से यह रिपोर्ट प्रेषित किया जाना कि उक्त पुनर्विचार याचिका दिनांक 09–03–2015 के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज हो गयी है। गलत है। जबकि फर्म के बभनान प्वाइंट पर भूमिगत टैंक स्थापित कर मिट्टी के तेल का वितरण कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जाना जनहित में होगा।

उपरोक्त प्रकरण जनहित से जुड़ा प्रकरण है तथा शासन की योजनाओं का जनता को समुचित लाभ मिले उसको दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। किन्तु उक्त प्रकरण में जिलापूर्ति अधिकारी बस्ती के द्वारा फर्म के विरुद्ध द्वेषभावना से ग्रसित होकर शासन को बार–बार गुमराह किया जा रहा है जो उचित नहीं है तथा शासन के मंशा के अनुसार सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।

अतः जनहित एंव लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद सीतापुर में दैवीय आपदा से पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

मो0 जासमीर अंसारी–

[महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र लहरपुर जनपद सीतापुर में बाढ़ से तबाही तथा किसानों की फसल बर्बाद होने से क्षेत्रीय जनता भुखमरी की कगार पर आ गयी है। सरकार ने क्षेत्र में मुआवजे की घोषणा की थी।

महोदय कस्बा लहरपुर के हलकाई पटवारी ने पात्र लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया तथा अपात्र लोगों को ले–देकर फर्जी मुआवजे के चैक दे दिये हैं। जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि पात्र लोगों को मुआवजे की राशि शीघ्र बांटी जाय तथा संबंधित लेखपाल द्वारा फर्जी लोगों को मुआवजे की राशि बांटें जाने की जांच कर, आवश्यक कार्रवाई की जायं।,

जनपद शाहजहांपुर में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

[मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद–शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भटियुरा प्रथ्वीपुर, चकबरैचा,

---

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कलक्टरगंज व अन्य दर्जनों ग्रामों में विद्युतीकरण तथा विकास खण्ड निगोही, तिलहर, सिधौली में 11 हजार के0वी0ए0 की हाईटेन्शन लाइन के तार जर्जर व नीचे लटकने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है। जर्जर व नीचे लटक रहे तारों को न बदलने के कारण क्षेत्रीय किसानों/निवासियों को बहुत ही परेशानियों का समाना करना पड़ रहा है। इस विषय पर उच्चाधिकारियों एवं शासन से कई बार पत्राचार एवं वार्तालाप किया गया लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त विकास खण्ड में जर्जर विद्युत तार बदलवाये जाने/विद्युतीकरण अतिशीघ्र कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों के शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र सिंह–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि चिकित्सा विभाग के अधीन परिधिगत चिकित्सालयों/कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक के 4068 पद स्वीकृत हैं जिसके 20 प्रतिशत पदों पर शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की पदोन्नति से भरे जाने का प्राविधान है, वर्ष–2011 में 92 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की पदोन्नति कर 20 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा पूर्ण किये जाने की कार्रवाई प्रारम्भ की थी। जिसे मुख्य चिकित्साधिकारियों व अन्य विभागों से सूचना एकत्रित करने का बहाना कर पदोन्नति की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जबकि समस्त सूचनायें मुख्यालय/शासन पर उपलब्ध है। शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की प्रोन्नति को जानबूझ कर टाला जा रहा है। वर्ष–2012 से अभी तक में राजकीय चिकित्सालयों के एक भी शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रोन्नति नहीं की है, जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है तथा मनोबल भी गिर रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय में सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राजकीय चिकित्सालयों के शिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रोन्नति यथाशीघ्र किये जाने की कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा की कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुटियारी लाल दुवेश–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है। कि जनपद आगरा के ताजमहल के पास सेवला से एस0एस0 पब्लिक होते हुए कोटली बगीची तक व देवरी रोड से कोटली बगीची तक की सड़क व नाला लम्बे समय से क्षतिग्रस्त है। ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश के भारी मात्रा में पर्यटक आता है। जिससे आगरा व प्रदेश सरकार की छवि धूमिल होती है व जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उपरोक्त मार्ग को तत्काल बनवाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद लखीमपुर के ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में वि0 खण्ड–धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम शिसैया खुर्द, मजरा सिसैया कलां की आबादी लगभग हजार है, लेकिन अभी तक उक्त ग्राम पक्के मार्ग से नहीं जुड़ा है ग्रामवासी छात्र–छात्राओं को आने–जाने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा बरसात के समय सड़क के गढ्ढों में पानी भर जाता है आवागमन बाधित होता रहता है जिससे अनेक दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिसके कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अनेक बार पत्राचार के माध्यम से एवं वार्तालाप से प्रशासन/शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रतिभारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित सड़क निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद जालौन अन्तर्गत गैर बदनपुरा मौजे को नगर पालिका की सीमा में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्तराम कुशवाहा–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद–जालौन के माधौगढ़ विधान सभा में कोंच नगर पालिका में गैर आबाद बदनपुरा मौजा दर्ज है लेकिन कोंच तहसील भी है तथा कौच तहसील की मुंसर्फी, बनरेंज कार्यालय, डिग्री कालेज, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय व आवास तथा लगभग बीस हजार की आबादी गैर आबाद बदनपुरा में निवास करती है। वहां के निवासियों को नगर पालिका से न तो वोट डालने का अधिकार है और न ही निवासी प्रमाण–पत्र व मृत्यु प्रमाण–पत्र बनवाने का अधिकार प्राप्त है क्योंकि सरकारी अभिलेखों में बदनपुरा गैर आबाद दर्ज है। सरकार से तथा सम्बन्धित अधिकारियों से नगर पालिका की कोंच सीमा विस्तार कर गैर आबाद बदनपुरा को नगर पालिका का मोहल्ला घोषित कर जन सुविधाएं प्राप्त करायी जाये। इन सुविधाओं का लाभ न मिलने से क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त गैर बदनपुरा मौजे को नगर पालिका के सीमा में सम्मिलित कराने हेतु कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

---

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली के जिला मुख्यालय स्थित सकलडीहा चन्दौली मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्मान्यवर, कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद–चन्दौली के जिला मुख्यालय पर सकलडीहा चन्दौली मार्ग पर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज न होने से रेलवे फाटक कई घंटों तक बंद रहता है जिससे जिला मुख्यालय एवम् नेशनल हाइवे सैयदराज बिहार, मुगलसराय, वाराणसी इत्यादि स्थानों पर आने–जाने वाले वाहनों की लम्बी कतारें लग जाती हैं और जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि जिला मुख्यालय के बीचों–बीच यह रेलवे क्रासिंग है जिससे इस पार से उस पार आने जाने वाले नागरिकों एवम् जनमानस को काफी असुविधा होती है एवम् आये दिन इस स्थल पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं जबकि रेलवे क्रासिंग दक्षिण तरफ आधे सरकारी भवन, कलेक्ट्रेट, अस्पताल, तहसील, पुलिस लाइन इत्यादि सरकारी दफ्तर स्थापित हैं एवं आधे सरकारी भवन रेलवे क्रासिंग के उत्तर तरफ स्थित जिससे सरकारी कार्यों में भी बाधायें आती है। यहां पर रेलवे ब्रिज न होने आवागमन में क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों को सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उस स्थान पर एक ओवर ब्रिज बनाये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र चरथावाल में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नूर सलीम राणा–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत ब्लाक चरथावल में ग्राम कुल्हेड़ी व निर्धना एवं ब्लाक बघरा के ग्राम छतेला में पानी की टंकी जनहित में लगवाना अति आवश्यक है। पानी दूषित होने के कारण से लोगों को अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। पानी दूषित होने के कारण से लोगों को अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल रही है। जिससे लोगों को आये दिन पीने के पानी की काफी परेशानी होती रहती है। मेरे द्वारा कई बार शासन व प्रशासन को लिखित एवं पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया है। किन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्रीय जनता को सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ब्लाक चरथावल में ग्राम कुल्हेड़ी व निर्धना एवं बघरा के ग्राम छतेला में पीने हेतु पानी की टंकी जनहित में लगवाये की मांग करता हूं।,

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बढेही में पड़ी डकैती की घटना की निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार–

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र–13 पुरकाजी जिला–मुजफ्फरनगर के गांव–बढेडी थाना–छपार में दिनांक 18–08–2015 की मध्यरात्रि में लगभग एक दर्जन सशस्त्र बदमाशों ने क्रम वार श्री महावीर पुत्र बीरू सिंह, नरेन्द्र पुत्र ईश्वर सिंह, टेक चन्द्र राणा पुत्र मनफूल सिंह, सेवाराम पुत्र श्री मनफूल सिंह, श्री राजीव कुमार पुत्र श्री कृपाल सिंह व सहेन्द्र पाल पुत्र श्री हुकुम सिंह आदि के घरों में जबरदस्त लूटपाट की, जिसमें महावीर की पुत्रवधू को धारदार हथियार से घायल कर दिया तथा सभी घरों से नकद, जेवरात और भी कीमती सामान लूट ले गए। इस डकैती की सूचना श्री महावीर सिंह के द्वारा पुलिस थाने में दी गई। दिनांक 19 अगस्त, 2015 को पुलिस द्वारा अपराध संख्या–0317/15 तथा धारा–395 व 397 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज किया गया परन्तु रिपोर्ट दर्ज कराये जाने से आज तक पुलिस द्वारा उक्त डकैती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस की निष्क्रियता उन्हें बचाने की है। उक्त डकैती के विरोध में ग्रामवासियों में काफी आक्रोश है और उनकी मांग है कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर उनका सामान बरामद कराये और मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से ग्राम–बढेडी, थाना–छपार में हुई डकैती में पुलिस द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी अन्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद–बदायूं के विधान सभा क्षेत्र बिल्सी विकास खण्ड–उझानी में बिल्सी से अहमद नगर असौली तक लगभ–3.0 किमी0, अब्बू नगर से जरीफपुर गढिया तक लगभग 2.00 किमी0 महमूदपुरसोगना से मिर्जापुर सोहरा तक लगभग 3.00 कि0मी0, खिरकवारी मानपुरपुख्ता से कुर्बानपुर तक लगभग 3.00 कि0मी0, स्माइलपुर से नसीरपुर बन पर होकर सहसवान तक लगभग–3.00 कि0मी0 एवं विकास खण्ड–उझानी ग्राम–बराय से मयखेड़ा तक लगभग–1.50 कि0मी0, सड़कें अत्यन्त जर्जर, जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं एवं सड़कों में बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं, बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है जिससे क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय लोगों को आवागमन हेतु भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी समय से भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त विकास खण्डों की सड़कों का अविलम्ब निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद ललितपुर के विधान सभा महरौनी में नवसृजित तहसील पाली में शामिल ग्रामों का पूर्ववत् महरौनी तहसील में ही रखे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री फेरनलाल–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जिला–ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र के पाली एवं मड़ावर तहसील नई बनाई गयी है। जिसमें ग्राम–बारचौन, सत्तू, सिलवाहा, बुदनी, बमराना, दैना मुड़िया, गुणा, पड़रिया, ककरुआ, बनियाना, अर्जुन खेरिया, धौलपुरा, गदौरा, तिन्दवाहा उक्त पाली तहसील से जोड़ दिये गये हैं जबकि उक्त ग्रामों से पाली तहसील लगभग–40 से कि0मी0 की दूरी पर है एवं यातायात का कोई सीधा साधन नहीं है एवं तहसील महरौनी की उक्त ग्राम की दूरी 10–15 कि0मी0 है, जिसकी वजह से किसानों को पाली जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा दि0–25–07–2015 को महामहिम राज्यपाल उ0प्र0 से इस सम्बन्ध में वार्ता हुई जिसमें उन्होंने मा0 राजस्व मंत्री अपने पत्र पत्रांक–4737/पी0एस0 जी0वो0वी0 राज्य भवन लखनऊ, से उक्त समस्या से अवगत कराया है। उक्त समस्या का हल न होने से क्षेत्रीय जनता/किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, स्थति कभी भी आन्दोलन का रूप ले सकती है। ऐसी स्थिति क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में जनपद–ललितपुर में विधान सभा क्षेत्र महरौनी में नवसृजित तहसील पाली में शामिल ग्रामों को पूर्ववत् महरौनी तहसील में रखे जाने कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र की अधिग्रहीत की गई भूमि का अप्रयुक्त अवशेष भाग किसानों को पुनः लौटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल–

ख्महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि वर्ष 1965–66 में जनपद–इलाहाबाद में वृहद उद्योग की स्थापना हेतु नैनी क्षेत्र के 16 गांव की लगभग 5353 बीघे का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया गया। किसानों ने इस शर्त के साथ कि सबको उचित मुआवजा व नौकरी दी जाये, अधिग्रहण के पश्चात् सरकार ने उद्योग की स्थापना की थी तथा स्थापना के बाद लगभग 409 हेक्टेयर जमीन शेष रह गई, जिसको सरकार ने यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को सौंप दिया। लगभग 16 गांव के किसान जिनसे जमीनें ली गई थीं तत्कालीन सरकार ने यह वादा किया था कि इसमें भी उद्योगों की स्थापना की जायेगी तथा जो मजदूर व किसान शेष रह गये हैं उनको नौकरी दी जायेगी। नये भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार धारा–24 की उपधारा–2(1) के कानून के तहत 5 वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात् जिस उद्देश्य से जमीनें ली गई हैं अगर वह कार्य पूरा नहीं हो पाया तो किसानों को वापस कर दी जायेगी। शेष पड़ी जमीन पर अभी भी किसान खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं यदि यह जमीन सरकार ने वापस ले लिया तो किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेगें। जिससे इस कृत्य से स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति व्यापक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उपरोक्त शेष पड़ी जमीन को वापस कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बिजनौर के प्रमुख सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद–बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के विकास खण्ड–नहटौर के अन्तर्गत ग्राम नरगदी से ग्राम लल्लावाला तक लम्बाई लगभग 2 कि0 मी0 व ग्राम लट्ठमार मिलक से धपसरा तक तथा ग्राम दबखेड़ी से गूलर वाले बाबा होते हुए ग्राम पाडली तक मार्ग बहुत ही जर्जर होने के कारण वहां की स्थानीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो वर्तमान में रखरखाव एवं मरम्मत के अभाव में इस कदर गड्ढायुक्त हो गयी है। सड़क के अत्यधिक गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रीय जनता एवं छात्र–छात्राओं के साथ आये दिन सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं। क्षेत्रीय जनता एवं मेरे द्वारा पत्राचार के माध्यम से उच्चाधिकारियों एवं शासन से उक्त सड़क मार्गों के सी0सी0 सड़क के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया। लेकिन सड़कों के निर्माण कार्यों में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उपरोक्त मार्गों का पक्का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरन सुमन–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद–आगरा, 90 आगरा ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत देवरी रोड प्राथमिक विद्यालय से ग्वालियर रोड चयनित वर्ष–2015–16 लोहिया गांव पट्टी पचगाई को जोड़ता है, जैसाकि लोहिया गांव पट्टी पचगाई के ग्रामवासियों एवं जनमानस का उपरोक्त रोड से आवागमन होता है जबकि देवरी रोड प्राथमिक विद्यालय से लेकर श्री स्वरूप कुशवाहा के घर तक पानी भराव एवं बड़े–बड़े गड्ढे हैं तथा आगे भी सम्पर्क मार्ग बहुत ही क्षतिग्रस्त है। सड़क में गड्ढे व पानी भराव की जगह पर इन्टरलॉक/सी0सी0 एवं सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण/मरम्मत कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता/निवासियों, राहगीरों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे कई सड़क दुर्घटनायें होती रहती हैं। प्रशासन/शासन को अवगत कराया

नोटः–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः–ख, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत को देवरी रोड प्राथमिक विद्यालय से चयनित वर्ष–2015–16 लोहिया गांव पट्टी पचगाई को जोड़ते हुए ग्वालियर रोड तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग (सड़क) के निर्माण कार्य/मरम्मत कार्य/इण्टरलॉक/सी0सी0 निर्माण एवं सड़क के दोनों नाली निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद झांसी अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त झांसी में फाइनेंसियल बिड खोले जाने में की गई व्यापक अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद–चित्रकूट के कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, चित्रकूट के पत्रांक–231/ल0सि0/लेखा–निविदा/2015–16 दिनांक–22 जुलाई 2015 अल्पकालीन निविदा सूचना सं0–04/2015–16 अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड चित्रकूट द्वारा चेकडैम निर्माण कार्य हेतु आनलाइन के माध्यम से अनुभवी ठेकेदारों से दिनांक–26–07–2015 प्रातः 9 बजे से दिनांक 04–08–2015 को अपराह्न 2 बजे तक निविदायें मांगी गयी थीं डाली गयी निविदायें दिनांक 06–08–2015 को अपराह्न 1.00 बजे अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, झांसी में अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में बैठक समिति द्वारा आनलाइन खोली जायेगी। अल्पकालीन निविदा सूचना सं0–04/2014–15 मेसर्स प्रदुम्म नरायण त्रिपाठी कान्ट्रेक्टर बिड नं0–60481 समय 9:32 पी0एम0 व पाण्डेय टेड्रर्स बिड नं0–60485 समय 9:50 पी0एम0 पर निविदा सम्मिट की गयी। दिनांक–04–08–2015 को मेसर्स राजकुमार सिंह बिड नं0 60525 समय 1:15 पी0एम0 पर निविदा सबमिट की गयी। उक्त के अलावा अन्य कोई निविदायें नहीं डाली गयी। अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त झांसी एवं उनके द्वारा टेण्डर की टेक्नीकल एवं फाइनेंसियल विड खोलने हेतु बनाई गयी समिति के सदस्य विजय कुमार व अवनीश कुमार मेसर्स राजकुमार सिंह आदि की टेक्नीकल बिड को खारिज कर मेसर्स प्रदुम्म नरायण त्रिपाठी की बिड को सांठ–गांठ करके पास किया गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनपद–चित्रकूट के लघु सिंचाई प्रखण्ड, चित्रकूट की अल्पकालीन निविदा सूचना सं0–04/2015–16 के कार्य विवरण क्रमांक सं0–3 में डाली गयी निविदा दिनांक–06–08–2015–16 के कार्य विवरण को अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, झांसी की अध्यक्षता में खोली गयी टेक्नीकल बिड को पुनः खोलकर जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर स्थित अर्धनिर्मित मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है जनपद–बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत बस्ती सदर में बस्ती मेहदावल कप्तानगंज तमकोही मार्ग कि0मी0 7 से कि0मी0 14 तक जनपद बस्ती में आता कि0मी0 14 से 60 कि0मी0 जनपद–सन्तकबीर नगर में आता जो वर्ष 2014 में स्वीकृत हो चुका है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा लेकिन बस्ती जनपद की कि0मी0 अवशेष मार्ग बहुत ही जर्जर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है सड़क में बहुत बड़े–बड़े गड्ढे हैं जिससे आवागमन पूर्णता बाधित रहता है। बरसात के समय सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है आवागमन बाधित होता रहता है। जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिसके कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0 10595916, पत्र संख्या–सी0एम0 / वि0को0 / एम– / पी0जी010595916 / 201 के निस्तारित सन्दर्भ, निस्तारण विवरण:3770, निस्तारण दिनांक 23–03–2015 तक अपेक्षा की गयी है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रतिभारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त छूटा बस्ती, मेहदावल, कप्तानगंज, तमकोही मार्ग कि0मी0 7 से कि0मी0 14 तक अवशेष सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या–पी0जी0 10595916, पत्र संख्याःसी0एम0 / वि0को0 / एम– / पी0जी0 10595916 / 20 के निस्तारित सन्दर्भ, निस्तारण विवरण:3770 / 15, का अनुपालन यथाशीघ्र कराये जाने कार्रवाई की मांग करता हूं।,

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ में व्याप्त व्यापक अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

ख्मान्यवर, सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ में मरीजों के हित से जुड़े भारी अनियमितताओं के जांच के संदर्भ में कुछ निम्नलिखित बिन्दुवार तथ्यों को रखा जा रहा है, जो जांच का विषय है। बिन्दु निम्नवत् है :–

1–डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ में मरीजों एवं तीमारदारों के हित में रैन बसेरा नहीं है। प्रत्येक ओ0पी0डी0 में मरीज के उपचार हेतु न्यूनतम मूल उपकरण जैसे ब्लड प्रेशर मशीन, थर्मामीटर,

---

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एक्स–रेभियू बाक्स नहीं है। मरीजों को लाने–ले जाने हेतु स्ट्रैचर एवं व्हील चेयर आवश्यकता से बहुत कम है। प्रत्येक वार्ड में महत्वपूर्ण दवा जैसे इन्जेक्शन–इंसुलिन को सुरक्षित रखने हेतु फ्रीज नहीं है। उनके शुगर पर निगरानी रखने हेतु वार्डों में ग्लूकोमीटर नहीं है। सांस वाले मरीजों के लिए प्रत्येक वार्ड में नीबूलाइजर नहीं है। इमरजेन्सी में कटे–फटे मरीजों को एक ही सुई में साधारण धागा डालकर वर्षों पुरानी पद्धति से टांका लगाया जाता है। जिससे मरीजों में एच0आई0वी0, हेपाटाइटिस–सी एवं हेपाटाइटिस–बी जैसी गम्भीर संक्रमण बीमारी मरीजों में फैल सकती है, परन्तु एक बार प्रयोग में आने वाली आन निडिल धागा का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह अस्पताल प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। परन्तु इस चिकित्सालय के निदेशक डा0 राजेश ओझा एवं चिकित्सा अधीक्षक डा0 आशुतोष दुबे की प्राथमिकता बड़े पैमाने पर कुछ ही दिनों पहले लगे टाइल्स को तोड़ कर दुबारा लगाया गया। यहां तक कि भवनों के बाहरी दिवालों पर टाइल्स लगाये गये।,

कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि विगत एक वर्ष में टाइल्स पर कितना व्यय हुआ। क्या इसके लिए बजट आवंटित हो गया था, अगर नहीं तो यह निर्माण क्यों कराया गया ? मरीजों के हित में टाइल्स की क्या भूमिका है, जबकि मरीजों को मूल सुविधा से वंचित किया जा रहा है, जांच का विषय है।

2–एल0पी0 लोकल परचेज की दवाएं दो वर्षों में पूर्व के अनुपात में काफी अधिक मात्रा में खरीदी गई। कृपया बताने का कष्ट करें, कि उक्त दवाएं कितने जरूरतमंद गरीब एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को दी गई तथा उनके अनुपात में कितने प्रभावशाली व्यक्तियों को दी गई। वार्ड में भर्ती मरीजों को लोकल पर्चेज की दवाएं ओ0पी0डी0 मरीजों के अनुपात में कितना कम दिया गया। जो जांच का विषय है।

3–नियमानुसार कार्यालय का नवीनीकरण तीन वर्ष से पूर्व में नहीं हो सकता तो, डेढ़ वर्ष में कार्यालय का नवीनीकरण किया गया, जो जांच का विषय है।

4–एक जनपद में एक चिकित्सक की तैनाती कितने वर्षों तक हो सकती है। किन परिस्थितियों में डा0 राजेश ओझा एक ही जनपद लखनऊ में विगत 29 वर्षों से तैनात है (बलरामपुर चिकित्सालय–15 वर्ष, लोहिया अस्पताल 6 वर्ष, बी0आर0डी0 अस्पताल 3 वर्ष एवं सिविल अस्पताल 5 वर्ष, मात्र 2 वर्षों के लिए अन्य जनपद में कार्य किया)। उनके आवास पर लगे बोर्ड से प्रतीत होता है कि वे वर्षों से लखनऊ में प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं, जो जांच का विषय है।

5–डा0 आशुतोष दुबे के पास रविन्द्रपल्ली में दो भवन आमने–सामने हैं। एक भवन में वे निवास करते हैं एवं दूसरे भवन में जैसा कि उनके पड़ोसियों ने अवगत कराया कि वे मरीजों का उपचार करते हैं एवं अस्पताल चलाते हैं।

उक्त भवन आवासीय क्षेत्र में हैं एवं अस्पताल हेतु पंजीकृत नहीं है। इसी भवन में श्रीमती मोनिका दुबे जो महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, महिला रोग चिकित्सक का बोर्ड लगा कर डा0 दुबे के साथ मरीजों का उपचार करती है। ऐसे में यह राजधानी के एक महत्वपूर्ण चिकित्सालय के अधीक्षक के सत्य निष्ठा एवं ईमानदारी पर प्रश्न है, जो जांच का विषय है।

6–डा0 ओझा लेबल–6 के अधिकारी है। नियमानुसार वे लेबल–4 (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) पद का वित्तीय कार्य नहीं कर सकतें। ऐसे में उन्होंने सी0एम0एस0 पद का आहरण–वितरण कार्य लेबल–4 के वरिष्ठतम अधिकारी को हस्तगत नहीं किया। अगर इसके लिए आदेश नहीं था तो उच्च अधिकारियों को इस हेतु संस्तुति क्यों नहीं किया ? एवं सी0एम0एस0 पद पर लेबल–4 के अधिकारी की तैनाती कब होगी, यह जांच का विषय है।

7–डा0 आशुतोष दुबे लेबल–4 के अधिकारी हैं। नियमानुसार लेबल–4 का अधिकारी लेबल–3 का चिकित्सा अधीक्षक के पद का कार्य नहीं कर सकता है। कब तक चिकित्सा अधीक्षक के पद पर लेबल–3 के अधिकारी की तैनाती की जाएगी, यह जांच का विषय है।

उक्त के संदर्भ में आपसे आग्रह है कि बिन्दुवार जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें।

जनपद बागपत की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेश दीक्षित–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बढ़ौत के अन्तर्गत ग्राम ब्राह्मण की कुटी से ग्यासी उर्फ गाधी तक व ब्राह्मण की कुटी से शुगरमिल तक मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण बरसात के समय में जल भराव हो जाता है। मार्ग अत्यन्त खराब होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। क्षेत्रीय लोगों को आने–जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा पत्राचार के माध्यम से कई बार प्रशासन व शासन को अवगत कराया गया परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न किये जाने से क्षेत्रीय किसानों में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम ब्राह्मण की कुटी से ग्यासी उर्फ गाधी तक व ब्राहमण की कुटी से शुगरमिल तक मार्ग का निर्माण/डामरीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत प्रमुख मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द–

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला–मिर्जापुर के अन्तर्गत बीरशाहपुर भुइली सम्पर्क मार्ग से लालता कान्ता बिन्द के घर से होते हुए माधवपुर नदी पार करते हुए प्रधान मंत्री सड़क सम्पर्क मार्ग तक कच्ची सड़क अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सड़क का काफी समय से निर्माण नहीं हो रहा है। वर्षा के समय पर सड़क जगक–जगह पर तालाब का रूप ले लेती है। वर्षा के कारण सड़क कई जगह पर बह गयी है सड़क में बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं। उक्त सड़क पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, राहगीरों के साथ आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता का आवागमन लगभग पूर्णतः बन्द हो गया है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का यथाशीघ्र निर्माण करने हेतु कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त कच्ची सड़क के निर्माण हेतु शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से जनहित में जिला–मिर्जापुर के अन्तर्गत बीरशाहपुर भुइली सम्पर्क मार्ग से लालता कान्ता बिन्द के घर से होते हुए माधवपुर नदी पार करते हुए प्रधान मंत्री सड़क सम्पर्क मार्ग तक कच्ची क्षतिग्रस्त सड़क के नये सिरे से निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज की ग्राम सभा खरगीपुर अन्तर्गत शारदा नहर को सुचारु रूप से चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज–

ख्मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज ग्राम सभा खरगीपुर व कुड़िहर की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। दोनों ग्राम सभाओं में शारदा सहायक खण्ड–23 से छोटी शाखा सिंचाई हेतु बनायी गयी थी, कुछ वर्ष पहले उस छोटी शाखा द्वारा खरगीपुर व कुड़िहर के किसानों द्वारा सिंचाई की जाती थी, परन्तु कुछ वर्ष पूर्व कुछ अराजक तत्वों द्वारा शाखा को मिट्टी से पाट कर कब्जा करने की कोशिश में लगे हैं उक्त शाखा बन्द हो जाने के कारण ग्राम खरगीपुर व कुड़िहर के किसानों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है। हर वर्ष सूखा पड़ जाने के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं जिससे भुखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि कृपया सदन के माध्यम से शारदा सहायक खण्ड–23 से निकली शाखा को खुदवाकर यथाशीघ्र चालू कराये जाने हेतु शासन/प्रशासन से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूं।,

गढ़मुक्तेश्वर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित खड़न्जों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मदन चौहान–

ख्मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर विभिन्न राजबाहें नहर व छोटी गूलों पर न्ह ळंती राजबाहें बिरसगेपुर ग्राम से पटरी पर निर्माण किठौर राजबाहें पर बहादुरगढ़, भदस्याना पटरी पर खड़न्जा गढ़ राजभाये पर हैदरपुर से पटरी व निर्माण किया गया सभी जिसकी घटिया मानकों के द्वारा निर्माण कर जिससे सरकारी राजस्व का गबन हुआ।

अतः इसकी उच्चस्तरीय टी0 ए0 सी0 जांच कराकर कार्रवाई हेतु सर का ध्यान आकर्षित करता हूं।,

कानपुर में विकलांगों के सर्टिफिकेट बनाने में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

ख्महोदय, कानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गांधी ग्राम में सप्ताह में एक दिन बुधवार को खुलता है। उसी दिन डाक्टर कानपुर के विकलांगों का सार्टिफिकेट बनाते हैं। एक दिन खुलने के कारण पूरे जनपद से विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने बुधवार को दूर–दूर से पहुंचते हैं जिस कारण केन्द्र पर अत्याधिक भीड़ हो जाती है। मेरी जानकारी में आया है कि जो विकलांग आते हैं उनसे डाक्टर और उनके साथ लगे दलाल लोग विकलांगों से अवैध धन की वसूली करते हैं जो प्रति विकलांग 1000 रुपये से 1500 रुपये तक है। बहुत से गरीब विकलांग उनको धक्का मार भगा देते हैं और जब तक पैसा नहीं देते हैं तब तक उनका विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं बनाते। इसके बाद रेलवे तथा बस का पास बनाने का कोई काउण्टर नहीं है। फिर इन्हीं डाक्टरों से रेल तथा बस पास बनवाने के लिए जाते हैं। पुनः उनसे हजार दो हजार की वूसली होती है। विकलांगों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी तुरन्त जांच कराया जाना, अवैध धन की वसूली रोका जाना तथा विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के साथ–साथ रेल एवं बस आदि का पास बना दिया जाये जिससे इस भ्रष्टाचार से विकलांग बच सकते हैं।

यह लोकमहत्व का अविलम्बनीय विषय है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र कांठ अन्तर्गत छजलैट में स्वीकृत माडल स्कूल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनीसुर्रहमान–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र कांठ मुरादाबाद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक–छजलैट में एक माडल स्कूल स्वीकृत है। परन्तु उसका निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। ग्राम रसूलपुर चौहरा ब्लाक–छजलैट में काफी भूमि ग्राम समाज की उपलब्ध है। माडल स्कूल न बन पाने के कारण काफी तादात में छात्र–छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। ग्राम रसूलपुर–चौहरा अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव हैं तथा कांठ–अगवानपुर–कावड़ पथ पर स्थित

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। क्षेत्र में माडल स्कूल का निर्माण प्रारम्भ न होने के कारण क्षेत्रीय नवयुवकों एवं जनता में रोष है।

अतः मैं लोकमहत्व के उपरोक्त अवलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुंवर कौशल सिंह–

ख्महोदय, जनहित के विषय की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि महराजगंज जनपद के नौतनवां विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के जमीन को स्थानीय दबंग व्यक्तियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस सन्दर्भ में जिला प्रशासन एवं प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को अवगत कराया गया परन्तु आजतक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। जिसके कारण उन स्थानीय दबंग व्यक्तियों का मनोबल बढ़ रहा है। शासन के द्वारा कार्रवाई न किये जाने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ब्भ्) पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रकरण जनहित का है तथा अविलम्बनीय है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ब्भ्) के जमीन को स्थानीय दबंग व्यक्तियों के द्वारा किये गये कब्जा को हटाये जाने एवं शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद फैजाबाद में अर्धनिर्मित मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव–

ख्महोदय, विधानसभा क्षेत्र रूदौली जनपद फैजाबाद अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत फेस–2 में स्वीकृत भेलसर रूदौली बाबा बाजार उमापुर मार्ग लम्बाई 19 कि0मी0, मवई पटरंगा अलियाबाद मार्ग ल0 12 कि0मी0, 13 जनवरी 2014 में भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद भी मार्गों का निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा है। उक्त दोनों मार्ग लो0नि0बि0 से निर्मित किये गये थे इन दोनों मार्गों पर 10 वर्षों से मरम्मत का कार्य भी नहीं किया गया है। जिसके कारण बड़े–बड़े गढ्ढे हो गये हैं आये दिन दुर्घटनाओं में मौतें हो रहीं हैं। लो0नि0वि0 के अधिकारी मरम्मत के नाम पर साफ मना करते हैं और यह मरम्मत की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री सड़क योजना की कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के ऊपर डालते हैं। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

नोटः–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की लापरवाही व उदासीनता के चलते दोनों मार्गों का आवागमन बाधित है। इस मार्ग की मुख्य बाजार बाबा बाजार में वर्तमान समय में जलभराव की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है दूसरी तरफ इस योजना में स्वीकृत दुल्लापुर उमापुर रेछ सम्पर्क मार्ग व कछौली मोड़ से बाबा बाजार होते हुये सैदपुर तक मार्ग आधा अधूरा बना कर छोड़ दिया गया है जिसके कारण इन मार्गों पर आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग फैजाबाद के इस घोर लापरवाही से क्षेत्रीय जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

मथुरा एवं वृन्दावन के शहरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्महोदय, जनहित के विषय की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मथुरा जनपद के मथुरा एवं वृन्दावन शहरी क्षेत्र में वर्तमान में पेयजल की गम्भीर समस्या है मथुरा एवं वृन्दावन के सभी वार्डों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए उसमें पानी की टंकी (ओवर हेड वाटर टैंक) स्थापित करके पानी की सप्लाई किया जाना अति–आवश्यक है। वर्तमान में मथुरा में 45 वार्ड एवं वृन्दावन में 25 वार्ड हैं, जिसमें मात्र 10 पानी की टंकी स्थापित हैं, जो कि पेयजल की आवश्कताओं के दृष्टिगत अपर्याप्त हैं। ऐसी स्थिति में नगर विकास विभाग द्वारा इन सभी वार्डों का सर्वेक्षण कराकर मीठे पानी के जलस्रोत के पास बोरिंग कराते हुए पानी की टंकी स्थापित किया जाय।

मथुरा एवं वृन्दावन की धार्मिकता सर्वविदित है। स्थानीय नागरिकों के साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को भी पीने के पानी हेतु परेशान होना पड़ता हे। मथुरा एवं वृन्दावन के अधिकांश वार्डों में स्थानीय नागरिकों को मीठे जल के स्रोत वाले हैण्डपम्प से लाइन लगाकर पानी लाना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफी कठिनाई होती है। अत्यधिक जन–दवाब के कारण हैण्डपम्प भी प्रायः खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में नगर विकास विभाग द्वारा शीघ्र मथुरा–वृन्दावन के ऐसे सभी वार्डों का सर्वे कराकर मीठे जल स्रोत के पास ट्यूबवेल एवं पानी की टंकी स्थापित किये जाने हेतु कार्रवाई किया जाना जनहित में आवश्यक है। प्रकरण जनहित का है तथा अविलम्बनीय है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मथुरा एवं वृन्दावन के सभी वार्डों में पानी की टंकी स्थापित करने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद शामली में प्रदेश सरकार द्वारा घोषित आपदा राहत हेतु योजनाओं का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक–

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र–शामली जनपद शामली के किसान वर्ष 2014 में असमय ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण काफी प्रभावित हुआ। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की गयी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो पाने से उन्हें समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा समय रहते उन्हें पूरा लाभ दिया जाय। पिछले वर्ष किसानों की खड़ी फसल बरबाद हो गयी तथा बोने हेतु भी ठीक प्रकार के बीज उनके पास नहीं बचे। उक्त को देखते हुए सरकार द्वारा डी0बी0टी0 योजना लागू करते हुए कृषकों को संकर बीज–संकर मक्का, संकर बाजरा, संकर गेहूं इत्यादि के बीज सरकार द्वारा वितरित किया गया। भारत सरकार जहां प्रमाणित गेहूं बीज पर 1000 रुपये का अनुदान देती है, वही प्रदेश सरकार 400 रुपये प्रति का अनुदान देती है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा खरीफ बीजों के लक्ष्य के 10 प्रतिशत भी वितरण न होने से बहुत सारा पैसा इस मद का बचा हुआ है। इसलिए यदि राज्य सरकार भी 1000 रुपये प्रति कुन्तल उक्त संकर बीजों पर अनुदान दे दे तो किसानों द्वारा उक्त बीजों की शत–प्रतिशत खरीद की जायेगी तथा उन्हें लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार से 2014 में सरकार द्वारा कृषि रक्षा रसायन रुपये 40 करोड़ के वितरित किये थे, जो कि वर्ष 2015 में नहीं किया गया है, जिसे शीघ्र वितरित किया जाय तथा कृषि विभाग द्वारा 31 मार्च, 2015 तक 5 हजार सोलर पम्पों का वितरण होना था जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया। उक्त योजना में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है किन्तु सही मूल्य निर्धारण न होने से उन्हें समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार द्वारा ऐसे सभी योजनाओं को जो कि किसान हित में पूर्व में लागू की गयी है पर कार्रवाई अति–आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

जनपद गाजीपुर की प्रमुख सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

ख्महोदय, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र 374 सैदपुर जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सड़क की विकट समस्या बनी हुई है। आए दिन कोई न कोई अप्रिय घटना हुआ करती है। तथा मेन मार्ग पर पानी लग जाने से यातायात बहुत बाधित होता है। जिससे व्यापार करने वाले व्यक्ति व किसान तथा आम जनता को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, मेरे विधान सभा सैदपुर के सभी बड़े मार्गों को त्वरित विकास योजना अन्तर्गत या किसी और योजना के अन्तर्गत सभी मार्गों का मरम्मत कराये जाने हेतु आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं क्योंकि कुछ गांव ऐसे हैं। थोड़ा सा भी बरसात हुई और नदी बढ़ी तो गांव से बाहर आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। इन सब गांव के मार्गों को ऊंचा कर दिया जाये तो गांव भी बचेगा और आने–जाने का रास्ता मिलेगा।

मान्यवर, इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्य कराये जाने हेतु एवं वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से पुर जोर मांग करता हूं।,

जनपद बलिया में गंगा नदी में हो रही कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया के बैरिया में गंगा नदी के भीषण कटान से कडरिया, सेमरिया, जगदीश, शिवपुर कपूरडीहा आदि गांव में भीषण कटान हो रहा है। जिससे वहां के लोग भयक्रान्त लोगों को जीने के लिए मजबूर हो गये हैं। उक्त कटान के रोकथाम के लिए रिंग बांध का निर्माण जनहित में कराया जाना आवश्यक है नहीं तो हर वर्ष उक्त कटान से स्थानीय लोग प्रभावित होते हैं और इनके जन–धन की हानि होती है। प्रशासन/शासन कोई कार्रवाई नहीं करता है मैंने इस सम्बन्ध में कई पत्राचार पूर्व में भी किया था, परन्तु उस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे स्थानीय लोगों को जनक्रोश व्याप्त रहता है।

अतः इस जनहित के प्रश्न पर पूरे प्रकरण सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में व्याप्त अनियमितताओं को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सकलडीहा की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं कि एक माह के अंदर प्रसव के दौरान दो महिलाओं की मृत्यु हुई। 1. ग्राम सभा महेसुआ नई बाजार श्रीमती रीना देवी, 2. ग्राम सभा बरठी श्रीमती गीता राजभर। उपरोक्त घटनाओं के लिए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है–

1–आकस्मिक सेवा चिकित्सा में एक भी चिकित्सक का उपस्थित न होना,

2–प्रसव हेतु स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सकों का स्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थित न होना,

---

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3–प्रशिक्षित ए0एन0एम0 एवं स्टाफ नर्स का न होना।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि हो रही स्वास्थ्य केन्द्र पर दुर्घटना पर ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।,

अतः नियम के अन्तर्गत लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर ध्यान आकर्षण सूचना पर वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ अन्तर्गत पारा के प्रमुख मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम पासवान–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद लखनऊ के पारा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पारा में पंडित जी के गेस्ट हाउस के पीछे वाली गली में राम सिंह के घर से शिव कुमार मौर्या के घर तक कच्चा रास्ता है। यहां पर न ही पक्की सड़क है और न ही नालियां हैं जिस कारण अक्सर जलभराव हो रहा है। पक्की सड़क व नाली न होने से यहां के निवासी काफी आक्रोशित है।

अतः उक्त अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से पारा में पंडित जी के गेस्ट हाउस के पीछे वाली गली में राम सिंह के घर से शिव कुमार मौर्या के घर तक पक्की सड़क व नाली बनाये जाने हेतु सदन के माध्यम से वक्तव्य की मांग करता हूं।,

रू 12.21, औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की 6 सूचनाएं प्राप्त हुई, जो अग्राह्य की गयीं। पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की दिनांक 26–3–2015 को बजट सत्र के अंतिम दिन माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

बजट सत्र के अन्तिम दिन मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

'श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम 300 की सूचना पर अपनी बात रखने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पिछले बजट सत्र के अंतिम दिन यानि के 26–3–2015 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में तीन बातों के ऊपर फोकस किया था जब वह अंतिम वक्तव्य अपना दे रहे थे। जब वह धन्यवाद दे रहे थे सभी को जो विधान सभा की कार्रवाई के पेज नम्बर 64 और 65 पर अंकित है। मान्यवर, अगर अनुमति दें तो मैं 4–5 लाइनें पढ़ देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस बार वाटर सप्लाई और जहां जरूरत होगी वहां हैण्ड पम्प देने का काम सरकार करेगी और लोहिया ग्राम भी दिये जायेंगे। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि लोहिया ग्राम नहीं दिये गये हैं इस बार सरकार ने यह फैसला लिया है कि लोहिया ग्राम

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कहीं भी अनदेखी नहीं होगी और उनको भी, सभी सदस्यों को दिया जायेगा। पेज नं0 65 पर एक स्थान पर यह कहा कि जो शहर में माननीय सदस्य हैं उनको कुछ और देना पड़ेगा इसलिए मैंने कहा कि वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो हैण्डपम्प और शहरों के लिये पानी की टंकी दी जायेगी। शहरी विधायकों को तो पानी की टंकी ही चाहिए होगी अगर हैण्डपम्प लग जाय तो ठीक है नहीं तो समर्सिबिल दिया जायेगा। मान्यवर, मैंने इसके जवाब में कहा था कितनी संख्या और कितने ग्राम लेंगे लोहिया ग्राम में जरा यह बता दें इसके जवाब में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि लोहिया ग्राम में कहीं आपके साथ अन्याय नहीं होगा जैसे हम अपने सदस्यों को दे रहे हैं उसी तरह से देंगे आपको भी इसके साथ–साथ जो समय–समय पर जो हो सकता है सरकार के कार्यक्रमों में और सरकार के फैसलों में सहयोग देते रहेंगे। माननीय सदस्यों को कहीं शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। मान्यवर, तीसरी बात और कह दूं। माननीय मौर्या जी ने कहा था कि जैसे वर्तमान विधायकों को डीजल की व्यवस्था की जाती है, उसी तरह पूर्व विधायकों के लिए भी डीजल की व्यवस्था की जाये। उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि ''समझ गये माननीय नेता प्रतिपक्ष का सुझाव ठीक है, इसको शामिल कर देंगे।'' यह तीन बातें खासतौर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट सत्र कि अंतिम दिन कहीं, जो कार्रवाई के पेज संख्या–64/65 पर है और जो मैं यहां आपके संज्ञान में लाया हूं। मान्यवर, हम आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहते हैं कि इस सदन की जो परम्परा रही है कि यहां से कुर्सी से बैठकर जो घोषणा की गई है, आजादी से लेकर अब तक जितने भी मुख्य मंत्री हुये हैं उन सभी ने उसका अनुपालन अक्षरशः किया है। सदन में नलों की घोषणा हुई, लोहिया ग्राम की घोषणा हुई, पूर्व विधायकों को डीजल दिए जाने की घोषणा हुई, लेकिन दुख और अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि अभी तक न तो इण्डिया मार्का ट्यूबवेल मिले हैं और न ही हमारी संस्तुति पर लोहिया ग्राम मिले और न ही पूर्व विधायकों को डीजल की व्यवस्था की गई। हम औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से इस सदन में जो घोषणा की गई है उसका पालन सरकार के द्वारा होना चाहिये। हम समझते हैं कि यह परम्परा भी अच्छी होगी और इससे संदेश भी अच्छा जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात यह भी कही थी कि जहां पर आवश्यक होगा वहां पर हम समर्सिबल पम्प भी देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिये औचित्य प्रश्न के माध्यम से हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में नेता, भारतीय जनता पार्टी की मेरी मौजूदगी में नेता, सदन से भी बात हुई है और जहां तक सदन की बात है बहुत सफाई के साथ यह बात नहीं आई थी, बल्कि ऐसा हुआ था कि अब हम इस तरफ बढ़े कि पानी की टंकियां बनवाना शुरू करें, लेकिन आपका भी कहना सही था कि बिजली की समस्या आयेगी

और उसको नहीं चला पायेंगे माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम इस पर विचार करेंगे और जो बेहतर निर्णय होगा वह करेंगे। तो मैं उनसे बात कर लूंगा और आपकी बात भी उन तक रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय खन्ना जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की है, जो जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन में सदन में दिए गए उत्तर के विपरीत एवं शासनादेश का अनुपालन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह नहीं सुनी जायेगी। तीसरी सूचना श्री पंकज गुप्ता की है, जो उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में राजस्व कर्मियों द्वारा किसानों का अहित एवं उत्पीड़न करने तथा अनुचित लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में है, नहीं सुनी जायेगी। चौथी सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की है जो पारीछा तापीय विद्युत गृह में भूमि अध्यापित कृषकों के आश्रितों को प्राविधान के अन्तर्गत सेवायोजन प्रदान नहीं किए जाने से संबंधित है, यह भी नहीं सुनी जायेगी। पांचवीं सूचना श्री अगयश राम शरन वर्मा की है जो जनपद पीलीभीत के नगर पालिका परिषद् बीसलपुर में व्याप्त घोटालों एवं भ्रष्टाचार के संबंध में गठित जांच समिति द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में जांच कराए जाने से संबंधित है, यह नहीं सुनी जायेगी।

विधायकों को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों पर लगने वाले आयकर अधिनियम में सांसदों के सापेक्ष दोहरे आचरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

छठी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की है, जो माननीय विधायकों को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों पर लगने वाले आयकर के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में सांसदों के सापेक्ष दोहरे आचरण से संबंधित है, यह सुनी जायेगी। डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी आप अपनी बात रखिये।

'डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न ला रहा हूं जो सारे माननीय विधायकों से सम्बन्धित है। इसका सम्बन्ध विधायकों के वेतन और भत्ते से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि उनके वेतन और भत्ते पर लगने वाले आयकर से है। चाहे हम इस विधान सभा के माननीय विधायक हो, चाहें लोक सभा अथवा राज्य सभा के माननीय सांसद हों। हमारे काम की प्रकृति एक जैसी होती है, हम दोनों जन प्रतिनिधि होते हैं, हम विधान सभा में और वह लोक सभा में। हम दोनों जनता के बीच में जाते हैं और एक समान काम करते हैं। उनका क्षेत्र कुछ बड़ा होता है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि एक विधायक के रूप में सम्भवतः जनता से जुड़कर जितना काम एक माननीय विधायक को करना होता

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, उतना एक माननीय लोक सभा सदस्य को नहीं करना होता है, उनके प्रति मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। वेतन और भत्ते क्या होंगे, इसमें तो अंतर हो सकता है, लेकिन वेतन और भत्तों पर आयकर लगाते समय सांसदों के आयकर की प्रक्रिया अलग होगी और माननीय विधायकों की अलग होगी और वह सिर्फ इसी विधान सभा की नहीं, बल्कि सारे देश की विधान सभाओं की, यह समझ के परे है। जब मैं इस वर्ष अपना एकाउण्ट बनवाने गया तो हमारे माननीय अधिवक्ता ने यह सवाल हमें एक्ट देकर प्रस्तुत किया। उस एक्ट में स्पष्ट प्राविधान है कि माननीय सांसद को अपने कार्य निष्तारण में जो कुछ भी वेतन और जितने भी प्रकार के भत्ते मिलते हैं, वह सब आयकर से उनको छूट मिलती है। उनके किसी वेतन के हिस्से और किसी प्रकार के भत्ते पर किसी प्रकार का आयकर नहीं लिया जाता है, बल्कि उनकी इन्कम में उसको जोड़ा ही नहीं जाता है आयकर देना तो दूर की बात है, उनकी इन्कम में जोड़ा ही नहीं जाता और उसी क्लाज के उसी सब क्लाज में यह भी लिखा हुआ है कि जब विधान सभा के माननीय सदस्यों का विषय आयेगा, तो सिर्फ उनका दैनिक भत्ता और उनका निर्वाचन क्षेत्र भत्ता यह दोनों इन्कम में नहीं जोड़े जायेंगे और शेष सारे भत्ते इन्कम में जोड़े जायेंगे और उनको उनका हिसाब देना होगा। यह एक विसंगति है, उनके वेतन अधिक हो सकते हैं, उनकी सुविधायें अधिक हो सकती हैं, यह यहां विषय नहीं है, विषय यहां सिर्फ इतना है कि हमारा और उनका काम एक जैसा है हमारे और उनको मिलने वाले भत्ते की प्रवृत्ति और प्रकृति एक जैसी है, इसलिये आयकर का प्राविधान और उसमें मिलनी वाली छूट भी एक जैसी होनी चाहिये, उसमे दोहरा आचरण उचित नहीं है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूं कि जो माननीय सदस्य पीछे बैठकर गैर जिम्मेदार टिप्पणी कर रहे हैं, वह अपने बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। मैं भी जानता हूं किसने किया है इसे और बावजूद इसके मैं इस विषय को लेकर आ रहा हूं तो मैं सदन के सारे माननीय सदस्यों के हित में लेकर आ रहा हूं। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इसे हल्की टिप्पणी करके विषय को हल्का न बनायें। यह सारे सदस्यों के हित का विषय है। किसी की सरकार हो और किसी ने इसे बनाया हो, विषय यह नहीं है। विषय यह है कि उनके और हमारे प्रति दोहरा आचरण है और यह दोहरा आचरण दूर होना चाहिये। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदस्य के रूप में तो हम उनसे एप्रोच कर लेंगे लेकिन इस माननीय सदन से यह प्रस्ताव जाना चाहिये कि माननीय विधान सभा के सदस्यों के साथ यह इन्कम टैक्स छूट की दृष्टि से दोहरा आचरण उचित नहीं है, इन दोनों को समान किया जाय। मैं इसी विषय को लेकर यहां आया हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आग्रह करूंगा कि यह सर्वदलीय विषय है इसका किसी से मतलब नहीं है, किसी दल से कोई मतलब नहीं है। आप इस पर कोई एक सर्वदलीय प्रस्ताव लाइये, जिसे कि हम भारत सरकार को भेज सकें। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो चले गये। अधिष्ठाता जी, अब आप ही कोई आदेश दीजिये तो बहुत अच्छा रहेगा। अधिष्ठाता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री को कोई निर्देश दीजिये ताकि कुछ कार्रवाई हो।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजबली जैसल पीठासीन हुए।)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी जुर्रत से बड़ी हिम्मत से आपने यह इश्यू रखा है। यह सही है कि यह किसी दल का नहीं है और इस पर इस तरह से विचार भी पहली बार सदन में हो रहा है। यह भी सही है कि दोनों के अपने–अपने दायरे हैं, काम करने के तरीके हैं और सांसदों की अपेक्षा विधायकों से कहीं ज्यादा जवाबदेही जनता चाहती है। उनका बड़ा सर्किल होता है सीधे उनका सम्पर्क नहीं होता है और बहुत से मामलात को वह विधायक पर टाल देते हैं कि यह उनसे संबंधित है, राज्य सरकार का है। हमें तो बड़ी बातें बताओ। इसमें सहमति बने, इसके लिये मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर में हम चलें, अध्यक्ष जी से बात किये लेते हैं, क्योंकि बिना उनके मार्गदर्शन के इसे नहीं किया जा सकता। लेकिन बात बहुत मुनासिब है और हमारी तरफ से इस पर कोई एतराज हो ही नहीं सकता। बल्कि हमें तो इस बात की खुशी होगी कि हमारे ही लिये सही, कम से कम अच्छे दिनों की शुरुआत तो हो।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना अग्राह्य की जाती है।

ख्12.31, उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–07–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–07–2014 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–3 कुछ नहीं है।

ख्12.32, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के ग्राम भैंसहा रामपुर ब्लाक सुजानगंज तहसील मछलीशहर का नाम बदलकर पोस्ट आफिस तथा राजस्व अभिलेखों में पूर्व में प्रचलित प्रेम का पूरा के नाम से दर्ज कराये जाने विषयक श्री ओम प्रकाश दुबे निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से, जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के ग्राम भैंसहा रामपुर ब्लाक सुजानगंज तहसील मछलीशहर का नाम बदलकर पोस्ट आफिस तथा राजस्व अभिलेखों में पूर्व में प्रचलित प्रेम का पूरा के नाम से दर्ज कराये जाने विषयक श्री ओम प्रकाश दुबे व श्री योगेन्द्र दुबे निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

[४] छापा नहीं गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में 50 बेड के महिला चिकित्सालय एवं विकास खण्ड मिठवल के पथरा बाजार में एक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री परशुराम यादव निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में 50 बेड के महिला चिकित्सालय एवं विकास खण्ड मिठवल के पथरा बाजार में एक नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक श्री परशुराम यादव व डा0 कुतबुल्लाह निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के भारतमारी एवं बेंचा चौराहे में 33/11 विद्युत सब–स्टेशन स्थापित किये जाने विषयक श्री घिसियावन यादव निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के भारतमारी एवं बेंचा चौराहे में 33/11 विद्युत सब–स्टेशन स्थापित किये जाने विषयक श्री घिसियावन यादव व श्री अनीस हैदर रिजवी निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–6 में कुछ नहीं है।

विधायकों को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों पर लगने वाले आयकर अधिनियम में सांसदों के सापेक्ष दोहरे आयकर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

(इस समय 12 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कर्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 अगस्त, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 27 अगस्त, 2015 के उपवेशन।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

एक मिनट मा0 अध्यक्ष जी, काफी अहम इश्यू था इत्तेफाक से आप जल्दी में चले गये थे। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने एक मामला रखा है और वह सुनने में भी बहुत वाजिब लगता है और कार्रवाई होने में भी वाजिब लगता है कि हम लोगों को यानी कि पूरे भारत वर्ष के सभी विधायकगण को जो वेतन मिलता है उसमें और सांसद को वेतन मिलने वाली आयकर की प्रक्रिया में विसंगति है, इस तरह से कि उनकी टोटल सैलरी पर इन्कम टैक्स नहीं लगता चाहे वह किसी भी प्रकार का भत्ता क्यों ना हो लेकिन हमारे यहां वेतन के अलावा हर चीज पर इन्कम टैक्स लगता है और इस पर नहीं लगता है। यह एक नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है कि कुछ लोगों के साथ इस तरह का और कुछ लोगों के खिलाफ उस तरह का बर्ताव हो। इस बात पर अभी तक कोई विचार नहीं आया था और संज्ञान नहीं लिया गया था, गालिबन नोटिस ही नहीं लिया

गया विधायक की ओर से और हमारी जानकारी में सच बात यह है कि यह बात थी ही नहीं कि एम0पीज0 के साथ इस तरह से और विधायकों के साथ इस तरह से हो रहा है जबकि चुने हुए दोनों लोग हैं। आपकी तरफ से ऐसा सुझाव है कि इस तरह की एक आम सहमति बनाकर विधान सभा की तरफ से भारत सरकार से आग्रह किया जाए कि जिस तरह से एम0पीज0 को उनकी टोटल सैलरी पर इन्कम टैक्स एक्जेम्प्शन है उसी तरह का विधायकों के साथ भी हो। मा0 नेता सदन भी आ गये हैं, दलीय नेता भी रहें और इस पर कोई राय बना लें।

श्री अध्यक्ष–

बेहतर यह हो कि इसी हाउस में एक प्रस्ताव कर दीजिए कि क्या सभी नेता सहमत हैं। क्या आप लोग सहमत हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्योंकि यह बहुत वाजिब सी बात है अगर सभी सहमत हैं तो अभी एक प्रस्ताव ले आया जाए।

श्री अध्यक्ष–

यदि अभी नहीं सहमत हैं तो बाद में बैठक करके कर लिया जाए।

(सभी ने सहमति प्रदान की)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह कोई बहुत बहस का इश्यू नहीं है, बहुत तकनीकी नहीं है, एक विसंगति है। हो सकता है कि वहां भी इस पर कोई संज्ञान ही ना लिया गया हो, उनके सामने इस तरह की कोई बात आई ही ना हो। पहली बार इस तरह की बात आ रही है तो उसमें हमारी तरफ से चला जाए। नेता, भाजपा से पूछ लें यदि खन्ना साहब को एतराज ना हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जो मामला मा0 अग्रवाल साहब ने उठाया है उसमें यह है कि एकरूपता होनी चाहिए। प्रस्ताव की भाषा यह होनी चाहिए कि जो सुविधा मा0 सांसदों के लिए दी गई है, वही सुविधा और वही छूट मा0 विधायकों को भी मिले इस प्रकार का प्रस्ताव आना चाहिए। आपकी तरफ से प्रस्ताव आ जाए, हम समर्थन कर देंगे, एक सी व्यवस्था होनी चाहिए।

'नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, चूंकि यह कोई नई मांग नहीं है केवल नेचुरल लॉ जो प्राकृतिक नियम है उसके अनुपालन के लिए ही मा0 डाक्टर से नियम–300 की सूचना के माध्यम से कार्रवाई करने की मांग की है। मा0 अध्यक्ष जी, स्वाभाविक रूप से समान कानून सबके लिए एक होना चाहिए, यह विषमता क्यों है। यह सही है कि हो सकता है कि इसका संज्ञान अभी तक ना लिया गया हो इसलिए विसंगति पैदा हुई हो इसलिए मान्यवर, इस

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जब पूरा का पूरा सदन सहमत है और आपने सहमति भी ले ली है तो इस पर अलग से बैठक करने का कोई औचित्य भी नहीं उठता है। आपकी तरफ से निर्देश हो जाए, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी अनुरोध कर ही लिया है तो जब किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है तो आपकी भी कृपा इस पर होनी चाहिए।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं, स्थिति यह है कि पार्लियामेंट और विधान सभा में विसंगति क्यों है। विधान सभा के मामले में, सैलरी के मामले में, इन्कम टैक्स के मामले सभी एक सा ही होना चाहिए इसलिए इस प्रस्ताव में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

'श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी को धन्यवाद दूंगा कि इतना बढ़िया विषय सदन के सामने रखा है जो सभी के लिए हितकर है और बड़ा अध्ययन करने के बाद शायद यह ढूंढकर, निकाल कर लाये होंगे कहीं से। हम सब की निगाह भी इधर नहीं थी। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि भारत सरकार को सर्व–सम्मति से यह प्रस्ताव जाये जिससे कि भारत सरकार जो सांसदों के साथ व्यवहार कर रही है, वही व्यवहार हमारे साथ करना चाहिए, यह आवश्यक है और बिल्कुल नियम और कानून के तहत है। मेरा यह सुझाव है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव मौखिक रूप से रख दिया जाये या लिखित रखा जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, लिखित प्रस्ताव आ रहा है, तब तक कार्य–मंत्रणा की सिफारिश की मद ले लें।

ख12.38, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 अगस्त, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 27 अगस्त, 2015 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

1–दिनांक 27 अगस्त, 2015 को डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 के विचार एवं पारण की मदें कार्य–स्थगन के प्रस्ताव से पहले ली जायं।

2–तद्नुसार दिनांक 27 अगस्त, 2015 का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जायः–

अगस्त, 2015 27 गुरुवार निम्नलिखित विधेयक पर विचार एवं उसका पारण–

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख12.40, डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस पर विचार कार्य–स्थगन के बाद करें।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, इसको रख लेने दीजिए, फिर बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

(मा0 नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले इसको हो जाने दीजिए।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्द आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

सुसंगत नियमों को शिथिल करते हुए आज दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पुरःस्थापित दोनों विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

[४] दिनांक 7 सितम्बर, 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

सदन यदि सहमत हो, तो आज दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें सुसंगत नियमों को शिथिल करते हुये आज ही ले ली जायं :–

1–डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015

2–उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015

सदन सहमत है, आज ये मदें ले ली जायं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कार्य–स्थगन के बाद ले लिया जाए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, नियम–56 के बाद इसको लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015

बेसिक शिक्षा (राज्य मंत्री) (श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, डा0 राम मनोहर लोहिया इस देश के मौलिक विचारक थे, और जो उनके निकट रहे हैं या उनके विचारों के निकट रह हैं उन्हें इस बात का एहसास होगा कि जब डा0 लोहिया अंतिम सांस ले रहे थे उस समय भी उनके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी कि इस देश का सामान्य और गरीब नागरिक क्या अपने इलाज की व्यवस्था कर पायेगा या नहीं मौत के बेड पर बैठे हुए डा0 लोहिया, उनकी अंतिम बात जो नोट की गई वह जनता के स्वास्थ्य के बारे में थी और इस बात की चिन्ता थी कि देश के एक आम गरीब नागरिक के स्वास्थ्य की चिन्ता क्या हम, सरकार कर पायेगी या

नहीं और इसलिये अगर डा0 लोहिया के नाम पर, विशेष रूप से अगर हम स्वास्थ्य के सन्दर्भ में कोई विशेष योजना बनाकर ले आते हैं तो वस्तुतः वह उनके विचारों का सम्मान है और एक इन्स्टीट्यूट स्थापित होने के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक आमूल–चूल परिवर्तन आने वाला है। एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलने वाली है और बहुत अच्छे चिकित्सक तैयार होने वाले हैं और इसको लेकर हम सब सामूहिक रूप से सन्तोष और प्रशंसा व्यक्त कर सकते है। सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, इस बात के रहते हुए जब हम इस प्रकार की कोई संस्था बनाते हैं तो हमें कुछ सावधानियां लेनी चाहिए। जैसे अगर आप इस एक्ट को पढ़ें। आप कहें तो मैं इसे पढ़ सकता हूं। नियमतः पढ़ा जाता है हम लोग मान लेते हैं कि पढ़ा गया। यह पूरा का पूरा राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान नौकरशाही के हवाले हो रहा है। आखिर यह सिस्टम हम राजनैतिक क्षेत्र में बैठे हुए लोग क्यों बना रहे हैं। इसके अगर आप पूरे तंत्र को पढ़ें अध्यक्ष जी। संस्थान का अध्यक्ष होगा जो उत्तर प्रदेश शासन का प्रमुख सचिव होगा। संस्थान का एक उपाध्यक्ष होगा जो उत्तर प्रदेश शासन का प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग होगा। अभी हमारे पास आज एक और विधेयक आया है। राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय का। उस विधेयक के प्राविधान को मैं देख रहा था। एक विधेयक हमारे सामने दूसरा प्रस्तुत हुआ है, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री महापरिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करने में यदि असमर्थ रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के किसी कैबिनेट मंत्री को निर्दिष्ट करेंगे। हमने यह महसूस किया कि इस विश्वविद्यालय में अध्यक्षता करने के लिये हमने प्रदेश के मुख्य मंत्री का नाम लिया। यह मुख्य मंत्री कोई भी हो सकता है। यह लगातार बदलने वाला दायित्व है और हम एक विधेयक लेकर आ रहे हैं जिसमें इस संस्थान की अध्यक्षता करने का दायित्व हमने मुख्य सचिव को दे दिया। हम राजनैतिक लोग, हमारे दिमाग में यह क्यों बैठा हुआ है कि उनकी सामाजिक निष्ठा उनका लोक भाव के प्रति समर्पण और उनकी प्रमाणिकता हमसे अधिक होती है यह हमारी समझ के परे है। उदाहरण के लिए कह सकता हूं अभी उच्च न्यायालय का निर्णय आया बेसिक प्राथमिक शिक्षा के बारे में कि सारे अधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि सबके बच्चे उसमें पढ़ें, राजनैतिक क्षेत्र से मैंने किसी भी जनप्रतिनिधि को चाहे वह इस पक्ष का हो, चाहे उस पक्ष का हो, बात यह है कि व्यवहारिक रूप से उसको कैसे लागू किया जाए। सैद्धान्तिक रूप से कोई मतभेद नहीं दिखा कि कोई जनप्रतिनिधि कह रहा हो कि हमारा बच्चा सामान्य सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के बयान हमने खुले आम अखबारों में पढ़े जहां उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने की सारी समस्याओं को गिनाया। प्रमाणिकता हममें पहले होती है, प्रमाणिकता उनमें बाद में, उसके बावजूद हम इतना महत्वपूर्ण संस्थान बनाते हैं और उसे पूरी की पूरी तरह हमें अपने माननीय मुख्य मंत्री जी पर कोई भी अविश्वास का कारण नहीं है हम मानकर चलते हैं कि इनके बाद भी जो मुख्य मंत्री आएंगे वह जनता के द्वारा आएंगे हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके प्रति भी अविश्वास नहीं रखते हैं लेकिन यह सारा संस्थान

नौकरशाही के द्वारा नौकरशाही के लिए, नौकरशाही के माध्यम से चलाया जाए हमारी आपत्ति सैद्धान्तिक यहां पर है। अध्यक्ष जी दूसरी चीज, यह संस्थान निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया तय कर रहा है। नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति की संस्तुति पर की जाएगी। यानि मुख्य सचिव के द्वारा समिति की संस्तुति पर की जाएगी। समिति में कौन–कौन होगा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, अध्यक्ष के द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति, अध्यक्ष, यानि मुख्य सचिव, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो अन्य विशेषज्ञ, यानि कि यह पूरी की पूरी समिति, अध्यक्ष, अर्थात् मुख्य सचिव के हवाले है, वही नाम–निर्दिष्ट करेंगे तीन लोग उनके होंगे, बाकी तो दो उनके होंगे ही जो उनके अधिकारी होंगे और वही उस पर अन्तिम निर्णय भी लेंगे। सबसे खतरनाक बात यह है अध्यक्ष जी, निदेशक के बारे में हमें क्राइटेरिया बनाना है निदेशक हो कौन सकता है, निदेशक के बारे में एक शब्द भी नहीं है कि निदेशक के पास कम से कम एक एम0बी0बी0एस0 की डिग्री तो हो, इस अधिनियम के पास होने के बाद इस राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक पास होने के बाद, निदेशक के पद पर भी इस नौकरशाही के द्वारा एक गैर चिकित्सक को बैठाने का खेल खेला जा रहा है। मेरी आपत्ति यह है माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, सैद्धान्तिक रूप से हम लोगों का इस विश्वविद्यालय को ले करके बहुत समर्थन है, खुला समर्थन है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम इस लोकतंत्र के माध्यम से एक विद्यालय चलायें, यूनिवर्सिटी चलाएं जो नौकरशाही के ग्रिप में हो, यह न तो शिक्षा संस्थानों में होना चाहिए और न ही इस लोकतंत्र में हम सबको होने देना चाहिए। विश्वविद्यालय आप भी सिद्धार्थनगर में लेकर आए, कल कोई और सरकार होगी विश्वविद्यालय की स्वायत्ता विश्वविद्यालय की आत्मा है और हम उसे नौकरशाही के हवाले करके चलाना चाहते हैं तो यह सर्वथा अनुचित है। दूसरी चीज जितनी भी इस स्तर की संस्थायें होती हैं यह साधारण विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है इसके उद्देश्य में लिखा हुआ है कि हम एम्स दिल्ली जैसी संस्था खड़ी करने जा रहे हैं। तो हमको देखना चाहिए था कि एम्स दिल्ली की संस्था इतनी महान बनी हुई है तो उसमें नौकरशाही का हस्तक्षेप कितना है। अगर एम्स जैसी संस्था चलाना है तो उसे पूरी स्वायत्ता देनी पड़ेगी।

नौकरशाही के हस्तक्षेप से इसको रोकना पड़ेगा। तीसरी बात डीन अब देखिए कि खेल क्या हुआ है एक सर्वमान्य प्रक्रिया होती है कि किसी विभाग या फैकल्टी का जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होता है विश्वविद्यालय में यही प्रक्रिया है आप भी जानते हैं वह डीन बनता है। अगर नहीं बनता है तो उस विभाग में बहुत सी राजनीति चलती है। संघर्ष चलते हैं बच्चे प्रभावित होते हैं लाबियां बनती हैं सब जानते हैं इसके बावजूद इस विधेयक में यह प्राविधान किया गया है संस्थान का एक डीन होगा जो बोर्ड द्वारा संस्थान के वरिष्ठ आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगा यानी वरिष्ठ आचार्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलना सचिवालय में आकर उनके घुटने टेकने और उनमें से मैं डीन बन सकूं इसके लिए लाबिंग करना एक अच्छे संस्थान को जिसे हम इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं इस प्रकार की घटिया और गन्दी राजनीति का अवसर हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं यह

मेरी समझ के परे अन्त में सबसे बड़ी चीज अध्यक्ष जी माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करूंगा आप ढेर सारे संस्थानों के बारे में इस विधन सभा से प्रतिनिधि भेजते हैं संजय गांधी में भी भेजते हैं और सारे विश्वविद्यालय में भेजते हैं यही सदन पारित करता है आपको अधिकार देता है आप मनोनीति करके उनको संस्थानों में भेजते हैं यह पूरा अधिनियम अध्यक्ष महोदय माननीय विधान सभा सदस्यों के इस विधन सभा के प्रतिनिधि के रूप में आपके द्वारा चयनित करके भेजे जाने से रोक पैदा करता है। इसमें कोई प्राविधान नहीं है यानी इस सरकार को इस संस्था की महानता पर और संस्था की अक्षुण्ता पर भी विश्वास नहीं है। यह अत्यन्त आपत्तिजनक प्रयास है। आप एक अच्छी चीज ला रहे हैं यह मैं फिर कह रहा हूं लेकिन अच्छी चीज को आना भी अच्छे तरीके से चाहिए गलत रास्ते से कोई अच्छी चीज नहीं आती। इसलिए मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा कि जो बिन्दु मैंने उठाए हैं इसकी प्रशंसा के साथ एक बहुत अच्छा काम होने जा रहा है गतल तरीके से न होने पाए मैं आग्रह करूंगा सरकार कह सकती है कि प्रवर समिति को नहीं जाएगा संख्या है लेकिन सरकार स्वयं हम लोगों द्वारा कही गई बातों पर विचार कर सकती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, नेता सदन के कार्यों और उनकी मशरुफियतों के बारे में अच्छी तरह से पूरा सदन अंदाजा लगा सकता है और यह कहना मेरे ख्याल से बहुत सही नहीं होगा यह सही है कि इस तरह के मामलों में जहां तक दखल राजनीतिक लोगों का रहे बेहतर है लेकिन यह कहना कि मुख्य सचिव मुख्य मंत्री की मंशा के खिलाफ काम करेंगे या मुख्य मंत्री के जो निर्देश होंगे उसके विपरीत वह जाएंगे अगर ऐसा होगा तो यह मुख्य मंत्री की अक्षमता होगी और मैं समझता हूं आज के मुख्य मंत्री के ऊपर यह एक बड़ा इल्जाम भी होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है और जो भी मुख्य मंत्री रहेंगे उनके मुख्य सचिव उनके अधीन रहेंगे उनकी मंशा के मुताबिक काम करेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा वह चाहेंगे। हम इसे एक बुरा सपना न समझें एक अच्छी पहल समझें और एक अच्छे नतीजों के लिए मैं समझता हूं डाक्टर साहब ने जो बात रखी है उनकी भी मंशा अपनी जगह अच्छी है लेकिन हम प्रशासनिक अधिकारियों पर भी अगर भरोसा नहीं करेंगे तो हम व्यवस्था को ठीक से चला नहीं सकेंगे। उन लोगों की काम करने की आदत पड़नी चाहिए उन लोगों को काम करने का सलीका होना चाहिए मुख्य मंत्री के निर्देशों को मानने की भी उनके अन्दर सूझबूझ होनी चाहिए और ऐसा ही होगा हम इसी तरह की उम्मीद रखते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–52 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015

उत्तर प्रदे ा के लखनऊ में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुशंगिक विशयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्श में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान आधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

परिभाशायें

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) 'बोर्ड' का तात्पर्य संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स से है;

(ख) 'निदे ाक' का तात्पर्य धारा–14 के अन्तर्गत नियुक्त संस्थान के निदे ाक से है;

(ग) 'कर्मचारी' का तात्पर्य संस्थान द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उसमें अध्यापक, चिकित्सक अथवा संस्थान के कर्मचारिवर्ग का कोई अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(घ) 'निधि' का तात्पर्य धारा–28 के अन्तर्गत अनुरक्षित संस्थान की निधि से है;

(ङ) 'संस्थान' का तात्पर्य धारा–3 के अन्तर्गत स्थापित डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से है;

(च) 'विहित' का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है;

(छ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य धारा–11 में सन्दर्भित संस्थान के अध्यक्ष से है;

(ज) 'विनियमावली' का तात्पर्य धारा–34 के अन्तर्गत बनाये गये संस्थान के विनियमों से है;

(झ) 'सचिव/प्रमुख सचिव' का तात्पर्य उ0प्र0 सरकार के सम्बन्धित विभाग में संस्थान के मामलों को व्यवहृत करने वाले सचिव/प्रमुख सचिव, जैसी स्थिति हो, से है;

(ञ) 'सोसाइटी' का तात्पर्य सोसाइटीज़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज सोसाइटी, लखनऊ से है;

(ट) 'अध्यापक या संकाय–सदस्य' का तात्पर्य आचार्य, अपर आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य या संस्थान में ि ाक्षण, प्रि ाक्षण अथवा भाोध कार्य के निर्दे ान या संचालन हेतु संस्थान द्वारा सेवायोजित या सहबद्ध किसी व्यक्ति से है जिनमें डीन तथा निदे ाक सम्मलित हैं।

अध्याय–दो

संस्थान

संस्थान की स्थापना तथा निगमन

3. (1) लखनऊ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदृ ा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से एक संस्थान स्थापित किया जायेगा।

(2) संस्थान एक निगमित निकाय होगा और राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित एक वि वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि पर और से–

(क) लखनऊ स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान सोसाइटी विघटित हो जायेगी तथा सोसाइटी की समस्त सम्पत्ति–चल व अचल–अधिकार, भाक्तियाँ एवं वि ोशाधिकार तथा दायित्व एवं भार संस्थान को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगे;

(ख) सोसाइटी के किसी सांविधिक लिखत के सभी सन्दर्भ संस्थान के सन्दर्भ समझे जायेंगे;

(ग) इस अधिनियम के लागू होने के पहले अथवा बाद में बनाये गये या निश्पादित किये गये किसी विलेख या अन्य अभिलेख, जिसमें सोसाइटी के पक्ष में की गयी विरासत, उपहार अथवा धरोहर सम्मिलित है, को संस्थान के पक्ष में की गयी विरासत, उपहार अथवा धरोहर समझा जायेगा;

(घ) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के पूर्व सोसाइटी में विधिवत् सेवायोजित और इस रूप में अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के ठीक पहले कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति उसी पदावधि और उन्हीं सेवा–भार्तों पर संस्थान का कर्मचारी हो जायेगा।

संस्थान सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

4– संस्थान लिंग, वं ा, पंथ अथवा वर्ग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिये सुलभ रहेगा और संस्थान के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह संस्थान का अध्यापक की नियुक्ति हेतु अर्ह बनाने अथवा

उसमें कोई अन्य पद धारित करने अथवा छात्र के रूप में संस्थान में प्रवे ि ात होने अथवा उसके वि ोशाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने की पात्रता हेतु किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का परीक्षण धार्मिक वि वास या व्यवसाय या राजनैतिक धारणा के अनुसार अंगीकृत अथवा अधिरोपित करेरू

परन्तु यह कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए संस्थान में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवे ा पर आरक्षण तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की विधियों एवं आदे ाों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

संस्थान की संरचना

5–संस्थान में निम्नलिखित होंगे–

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदे ा भाासन –अध्यक्ष (पदेन)

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदे ा भाासन, चिकित्सा ि ाक्षा विभाग, –उपाध्यक्ष (पदेन)

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदे ा भाासन, वित्त विभाग अथवा उनका नाम–निर्दे ाती –सदस्य (पदेन)

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदे ा भाासन, नियोजन विभाग अथवा उनका नाम–निर्दे ाती –सदस्य (पदेन)

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदे ा भाासन, न्याय विभाग अथवा उनका नाम–निर्दे ाती –सदस्य (पदेन)

(च) महानिदे ाक, चिकित्सा ि ाक्षा एवं प्रि ाक्षण, उत्तर प्रदे ा –सदस्य (पदेन)

(छ) निदे ाक, –सदस्य–सचिव (पदेन)

(ज) संस्थान का डीन, –सदस्य (पदेन)

(झ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिश्ट चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख/आयुर्विज्ञान क्षेत्र में वि ोश ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो व्यक्ति, –सदस्य

(ञ) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिश्ट भारतीय वि वविद्यालयों के चिकित्सा

संकायों अथवा संस्थानों के तीन प्रतिनिधि, –सदस्य

(ट) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि –सदस्य

(ठ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिशद् का एक प्रतिनिधि –सदस्य

(ड) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिशद् का एक प्रतिनिधि –सदस्य

(ढ) भारतीय नर्सिंग परिशद् का एक प्रतिनिधि –सदस्य

(ण) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिश्ट दो प्रख्यात ि ाक्षाविद् –सदस्य

(त) दो वरिश्ठतम विभागाध्यक्ष, प्रत्येक दो वर्शों के चक्रानुक्रम द्वारा –सदस्य

सदस्यों की पदावधि और रिक्तियाँ

6–(1) अनुवर्ती उप–धाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि, नाम–निर्दे ान के दिनांक से पाँच वर्श होगी।

(2) धारा 5 के अधीन नाम–निर्दिश्ट सदस्य, जैसे ही अपने धारित पद जिसके फलस्वरूप वह वैसा सदस्य है, से हट जाता है, की पदावधि समाप्त हो जायेगी।

(3) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह पद जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारित किये रहता है।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये नाम–निर्दिश्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य के जिसके स्थान पर वह नाम–निर्दिश्ट हुआ है, की पदावधि की भोश अवधि तक होगी।

(5) बहिर्गामी सदस्य पुनः नाम–निर्दे ान के लिये पात्र हो सकेगा।

(6) सदस्य–सचिव के माध्यम से अध्यक्ष को सम्बोधित स्व–हस्ताक्षरित पत्र द्वारा कोई सदस्य अपना पद त्याग सकता है परन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग–पत्र स्वीकार न कर लिया जाये।

(7) सदस्यों की रिक्तियों के भरे जाने की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाये।

संस्थान की बैठक

7–(1) संस्थान की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा अध्यक्ष समय–समय पर अवधारित करें।

(2) ऐसी बैठक में कार्य–सम्पादन की रीति वही होगी जैसी विहित की जाये:

परन्तु यह कि संस्थान की बैठक वर्श में कम से कम एक बार अव य होगी।

संस्थान के उद्दे य

8–संस्थान के निम्न उद्दे य होंगे–

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदृ ा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में तथा वि ाि श्टियों,

अति–वि ाष्टयों और ऐसे अन्य विशयों के लिये जिनका भविश्य में आविर्भाव हो, चिकित्सा परिचर्या, ि ाक्षा और उच्च स्तरीय भाोध सुविधाओं की, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा ि ाक्षा को जारी रखना भी है, व्यवस्था करने के लिए एक उत्कृश्ट केन्द्र का सृजन करना;

(ख) वर्तमान संस्थाओं को उन्नत करके बहुद्दे ाीय वि ाष्ट एवं अतिवि ाष्ट चिकित्सालयों एवं अभिघात केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा उन्हें उत्कृश्ट केन्द्र के रूप मे स्थापित करना और उनमें मरीजों के उपचार की व्यवस्था करना;

(ग) ि ाक्षण एवं प्रि ाक्षण के अन्तर्गत अवर–स्नातक, परा–स्नातक, डाक्टोरल तथा पोस्ट–डाक्टोरल चिकित्सा ि ाक्षा के अन्तर्गत ि ाक्षण एवं प्रि ाक्षण एवं अति वि ाष्ट विशयों में भाोध में उत्कृश्टता विकसित करना ताकि चिकित्सा ि ाक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय मानक स्थापित हो सकें;

(घ) परा–चिकित्सा मानव संसाधन हेतु प्रि ाक्षण केन्द्र एवं सुविधायें विकसित करना;

(ङ) अभिनव चिकित्सा, एवं सहवर्ती वि ाष्टताओं तथा उप–वि ाष्टताओं को व्यवहृत करने हेतु वि ोशीकृत एवं वि ाष्ट विभागों की स्थापना करना।

संस्थान की भाक्तियाँ एवं कृत्य

9–(1) संस्थान की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे :–

(क) अवर–स्नातक, परास्नातक तथा औशधि एवं सहवर्ती विज्ञान की अति–वि ाष्ट भााखाओं में ि ाक्षण एवं प्रि ाक्षण की व्यवस्था करना तथा इन क्षेत्रों में अनुसंधान एवं ज्ञान की ऐसी भााखाओं के उन्नयन एवं अभिवृद्धि हेतु व्यवस्था करना;

(ख) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र एवं अन्य भौक्षिक वि ाश्टियां संस्थित एवं प्रदान करना;

(ग) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवे ा देना, परीक्षाओं या परीक्षण का संचालन तथा उस हेतु भार्तों का निर्धारण करना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमा, और अन्य भौक्षिक वि ाश्टियां प्रदान करने हेतु परीक्षा आयोजित करना जिन्होंने–

(एक) किसी अध्ययन–पाठ्यक्रम का अनुगमन किया हो,

(दो) संस्थान में भाोध किया हो,

(ङ) मानद उपाधि तथा अन्य भौक्षणिक वि ाश्टियां प्रदान करना;

(च) विनियमों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अध्येयतावृत्तियां (यात्रा–वृत्तियों को सम्मलित करते हुये) विद्यावृत्तियां,

वृत्तियां, पदक और पारितोशिक संस्थित करना एवं उन्हें प्रदान करना;

(छ) संस्थान के उद्दे यों को पूरा करने हेतु ि ाक्षण एवं भाोध केन्द्रों, चिकित्सालयों, ग्रामीण एवं भाहरी केन्द्रों, प्रयोग ाालाओं, पुस्तकालय, तथा अन्य मदों की स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन करना;

(ज) फीस तथा अन्य प्रभारों का निर्धारण एवं उन्हें वसूल करना;

(झ) भौक्षणिक, प्र ाासनिक, लिपिकवर्गीय, प्राविधिक तथा अन्य आव यक पदों को अपेक्षानुसार सृजित करना तथा उन पर नियुक्ति करना;

(ञ) भाोध एवं अन्य गुणवत्तापरक कार्यों के प्रका ान की व्यवस्था करना;

(ट) अपने चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों के चिकित्सा एवं उपचार की व्यवस्था करना;

(ठ) द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सालय के रूप मे कार्य करनाय

(ड जो सम्पत्ति संस्थान की है या उसमें निहित है, उसकी व्यवस्था किसी ऐसी रीति से करना जो इसके उद्दे यों की पूर्ति हेतु आव यक हो;

(ढ) अन्य संस्थानों के साथ सहकार्य या सहयोग करना जो मरीजों की देखभाल, उच्च ि ाक्षा, चिकित्सा एवं परा.चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु आव यक हो;

(ण) संस्थान के उद्दे यों को अग्रसर करने हेतु अपेक्षित अन्य कार्य करनाः

परन्तु यह कि संस्थान–

(एक)–राज्य सरकार की पूर्वस्वीकृति के सिवाय, संस्थान की किसी अचल सम्पत्ति को बन्धक, विक्रय, विनिमय, उपहार अथवा अन्य प्रकार से अन्तरित नहीं करेगा;

(दो)–राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के सामान्य या वि ोश आदे ा के बिना संस्थान में किसी पद का सृजन नहीं करेगा।

(2)–संस्थान के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वही होंगे जो कि राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर अवधारित किये जायें।

अध्याय–तीन

संस्थान के अधिकारी

संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) संस्थान का अध्यक्ष;

(ख) संस्थान का उपाध्यक्ष;

(ग) निदे ाक;

(घ) संस्थान का डीन;

(ड) वित्त अधिकारी;

(च) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा घोशित किया जाये।

अध्यक्ष

11–उत्तर प्रदे ा भाासन के मुख्य सचिव संस्थान के अध्यक्ष होंगे।

अध्यक्ष की भाक्तियाँ

12–(1) संस्थान की बैठकें अध्यक्ष के निदेश के अनुसार बुलायी जायेंगी।

(2) अध्यक्ष संस्थान की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) अध्यक्ष अपनी पदीय हैसियत से संस्थान का प्रधान होगा और जब उपस्थित हो, संस्थान के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) मानद उपाधि अथवा वि ाश्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा पुष्ट किये जाने के अधीन होगा।

(5) अध्यक्ष की भाक्तियां एवं कृत्य निम्नवत् होंगे :–

(क)–यह सुनि चत करना कि संस्थान के कार्यों का प्र ाासन इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार संचालित हो रहा है और ऐसे कदम उठाना, जैसा वह उचित समझे;

(ख)–संस्थान के कार्यों के प्र ाासन से सम्बन्धित सूचनाओं एवं अभिलेखों को मंगाना;

(ग)–बैठक के पहले अथवा उसके दौरान किसी भी समय कार्यसूची में कार्य की नयी मदों या पूर्व से सम्मिलित विचारणीय कार्यसूची में अनुपूरक मदों को सम्मिलित करना;

(घ)–अन्य ऐसी भाक्तियों का प्रयोग करना अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना, जैसे विहित किये जायें।

(6) अध्यक्ष अपनी किसी भाक्ति को उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकता है।

उपाध्यक्ष

13–(1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा ि ाक्षा विभाग, उत्तर प्रदे ा भाासन संस्थान के पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

(2) संस्थान की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) वह ऐसी भाक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा, जैसे विहित किये जायें।

निदे ाक

14–(1) निदेशक की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति की संस्तुति पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क)–प्रमुख सचिव, चिकित्सा ि ाक्षा विभाग, उत्तर प्रदे ा भाासन;

(ख)–अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिश्ट एक व्यक्ति;

(ग)–महानिदे ाक, चिकित्सा ि ाक्षा एवं प्रि ाक्षण; और

(घ)–अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिश्ट किसी चिकित्सा संस्थान अथवा चिकित्सा वि वविद्यालय के प्रधान से अन्यून पंक्ति के चिकित्सा क्षेत्र के दो वि ोशज्ञ।

(2) (क) निदे ाक पद पर नियुक्ति हेतु केवल ऐसा व्यक्ति अर्ह होगा

जिसने बासठ वर्श की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) निदे ाक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्शों की अवधि के लिये अथवा पैंसठ वर्श की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, पदधारण करेगा।

(ग) निदे ाक द्वितीय पदावधि अथवा पैंसठ वर्श की वय प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया जा सकता हैः

परन्तु यह कि निदे ाक, अध्यक्ष को सम्बोधित स्व–लिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है एवं अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लेने के प चात् वह अपने पद से विरत हो जायेगा।

(3) पदावधि की समाप्ति अथवा उप–धारा (2) के खण्ड (ग) के परन्तुक के अधीन पद–त्याग के कारण, निदे ाक के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से, यथा ाक्य, कम से कम साठ दिन पूर्व, और जब कभी भी ऐसी अपेक्षा की जाये और उस दिनांक के पूर्व जैसा अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिश्ट किया जाये, समिति अध्यक्ष को निदे ाक पद हेतु कम से कम तीन ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी। समिति अध्यक्ष को नाम प्रस्तुत करते समय संस्तुत व्यक्तियों में से प्रत्येक की अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान–क्रम उपदर्ि ात नहीं करेगी।

(4) जहाँ अध्यक्ष समिति द्वारा संस्तुत व्यक्तियों में से किसी एक या एकाधिक व्यक्ति को निदे ाक नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है, अथवा संस्तुत व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और निदे ाक का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जायें, तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(5) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के कार्यवाही में भाग लेने के कारण जिसे बाद में अपात्र पाया गया हो, अविधिमान्य नहीं मानी जायेगी।

(6) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एक मात्र निर्णायक स्वयं अध्यक्ष होगा) वह किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः माह से अनधिक पदावधि के लिये, जैसा वह विनिर्दिश्ट करे, निदे ाक के पद पर नियुक्ति कर सकेगा–

(क) जहाँ निदे ाक का पद रिक्त हो जाये और उसे उप–धारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधापूर्वक तथा भीघ्रता से भरा जाना सम्भव न हो।

(ख) किसी अन्य आपात् स्थिति में।

(7) निदे ाक की अनुपस्थिति में संस्थान का ज्येश्ठतम आचार्य निदे ाक के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(8) इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन रहते हुए, निदे ाक की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य भार्ते ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार साधारण या वि ोश आदे ा द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) यदि अध्यक्ष की राय में निदे ाक जान.बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है अथवा कार्यान्वित करने से इंकार

करता है अथवा अपने में निहित भाक्तियों का दुरुपयोग करता है अथवा यदि अध्यक्ष को अन्यथा यह प्रतीत हो कि निदे ाक का पद पर बना रहना संस्थान के लिए अहितकर है, तो अध्यक्ष ऐसी जाँच कराने के प चात्, जैसा वह उचित समझे, आदे ा द्वारा निदे ाक को हटा सकता है।

निदे ाक की भाक्तियाँ एवं कृत्य

15–(1) निदे ाक संस्थान का प्रधान कार्यपालक तथा भौक्षणिक अधिकारी होगा।

(2) उप.धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदे ाक–

(क) संस्थान के कार्य.कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा;

(ख) संस्थान के प्राधिकारियों के निर्णयों का कार्यान्वयन सुनि ित करेगा;

(ग) संस्थान में ि ाक्षण कार्यों के सम्पादन तथा अनु ाासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) ऐसे उद्दे यों, जो संस्थान के हित में आव यक हों, के लिए बोर्ड के अनुमोदन से एक वर्श से अनधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध कर सकेगा।

(3) जहाँ कोई मामला आत्ययिक प्रकृति का है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स ाक्त संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो निदे ाक ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह अध्यक्ष तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा, जो सामान्य क्रम में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करतेः

परन्तु यह कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला अध्यक्ष को निर्दिश्ट कर सकेगा, जो या तो निदे ाक द्वारा की गयी कार्यवाही की पुश्टि कर सकेगा अथवा उसे निश्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा, जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगीः

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त परन्तुक में सन्दर्भित ऐसे किसी निश्प्रभावीकरण या उपान्तर से निदे ाक के आदे ा द्वारा या उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) निदे ाक ऐसी भाक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे संस्थान अथवा अध्यक्ष अथवा बोर्ड या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा सौपें जायें।

(5) निदे ाक संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों के संचालन तथा प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी होगा।

डीन

16–(1) संस्थान का एक डीन होगा जो बोर्ड द्वारा संस्थान के वरिश्ठ आचार्यों में से नियुक्त किया जायेगा और तीन वर्श तक कार्यरत

रहेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(2) डीन संस्थान के शैक्षिक मामलों में संस्थान के निदे ाक की सहायता करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसे विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी

17–(1) संस्थान में एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति उत्तर प्रदे ा सरकार के वित्त विभाग द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी आय.व्ययक प्रस्तुत करने तथा लेखे का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा संस्थान की ओर से निधियों के आहरण एवं वितरण के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगा।

(3) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे,:–

(क) यह सुनि ित करना कि संस्थान द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत न किया जाये जो आय–व्ययक में प्राधिकृत न किया गया हो;

(ख) इस अधिनियम तथा विनियमों के प्राविधानों का उल्लंघन करने वाले प्रस्तावित व्ययों को नामंजूर करना;

(ग) यह सुनि ित करना कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा–परीक्षा के दौरान उपदर्ि ात अथवा अन्यथा दृश्टिगत किसी अनियमितता को ठीक करने के लिए कार्यवाही की जाय;

(घ) यह सुनि ित करना कि संस्थान की परिसंपत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्धन हो;

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जैसे विहित किये जायं।

(4) वित्त अधिकारी की पहुँच संस्थान के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और उसके कार्य.कलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आव यक हों।

(5) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अध्याय–चार

संस्थान के प्राधिकारी

संस्थान के प्राधिकारी

18–संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(क) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स;

(ख) विद्या परिशद्;

(ग) वित्त समिति;

(घ) नैतिक समिति;

(ड़) प्रवे ा समिति;

(च) परीक्षा समिति;

(छ) चयन समिति;

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें विनियमों द्वारा संस्थान का प्राधिकारी घोशित किया जाय।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स

19–(1) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संस्थान का मुख्य भाासी निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदे ा भाासन –सभापति (पदेन)

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदे ा भाासन, चिकित्सा ि ाक्षा विभाग –उप सभापति (पदेन)

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदे ा भाासन, वित्त विभाग –सदस्य (पदेन)

(घ) महानिदे ाक, चिकित्सा ि ाक्षा एवं प्रि ाक्षण, उत्तर प्रदे ा –सदस्य (पदेन)

(ङ) महानिदे ाक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदे ा –सदस्य (पदेन)

(च) निदे ाक –सदस्य–सचिव (पदेन)

(छ) संस्थान का डीन –सदस्य (पदेन)

(ज) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक –सदस्य (पदेन)

(झ) अध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिश्ट राज्य या राज्य के बाहर के चिकित्सा क्षेत्र के संस्थान के प्रधान से अन्यून दो प्रख्यात व्यक्ति– सदस्य (पदेन)

(ञ) निदे ाक द्वारा नाम.निर्दिश्ट संस्थान में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत दो व्यक्ति, चक्रानुक्रम द्वारा वरिश्ठता के आधार पर –सदस्य (पदेन)

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह अपना पद, जिसके फलस्वरूप वह सदस्य है, धारित किये रहता है।

(3) खण्ड (झ) एवं (ञ) के अन्तर्गत नाम.निर्दिश्ट सदस्यों की पदावधि नाम.निर्दे ान की तिथि से दो वर्श के लिये होगी।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति हेतु नाम.निर्दिश्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसका नाम.निर्दे ान हुआ है, की अव ोश अवधि तक जारी रहेगी।

(5) बोर्ड की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित स्थान एवं समय पर होगी।

(6) किसी बैठक या अन्य उद्दे यों या अपनी भाक्तियों के प्रयोग अथवा कृत्यों के निश्पादन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपने कार्यकलापों के संव्यवहार हेतु ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाये जैसी विहित की जाय।

(7) ऐसे नियन्त्रण और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जैसे विहित किये जांय, बोर्ड इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भाक्ति का प्रयोग अथवा किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए ऐसी समितियों का, जिन्हें वह उचित

समझे, गठन कर सकता है।

बोर्ड के कृत्य

20–(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड संस्थान के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निदे ान और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड–

(क) संस्थान के कार्य.प्र ाासन और कार्य.प्रणाली से सम्बन्धित नीतिगत मामलों में संस्थान के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही करेगा;

(ख) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करेगा और विद्या परिशद् की सलाह पर सभी भौक्षणिक विशयों पर, जिसके अन्तर्गत संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विशय भी हैं, निर्णय लेगा;

(ग) संस्थान की सम्पत्ति और निधि का धारण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(घ) संस्थान की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन कर सकता है;

(ङ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संस्थान के निवर्तन पर रखी गयी किसी निधि का प्रबंध करना;

(च) संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का पद सृजित या समाप्त तथा उन पर नियुक्तियाँ एवं प्रोन्नतियाँ कर सकेगा;

(छ) संस्थान के वित्त, लेखा, विनिधान, सम्पत्ति, व्यवसाय और अन्य सभी प्र ाासनिक कार्यों का प्रबन्धन और विनियमन कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जिसे वह उचित समझे;

(ज) संस्थान के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधि, ोयर या प्रतिभूतियों में, जिसे वह समय.समय पर उचित समझे, विनिधानित कर सकता है;

(झ) संस्थान की ओर से संविदा कर सकता है, उसे परिवर्तित, कार्यान्वित और निरस्त कर सकता है;

(ञ) संस्थान के हित में अन्य ऐसे मामलों में निर्णय ले सकता है जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों से असंगत न हों।

विद्या परिषद्

21–(1) विद्या परिशद् में निम्नलिखित होंगेरू–

(एक) निदे ाक – सभापति

(दो) संस्थान का डीन – सदस्य सचिव

(तीन) सभी भौक्षिक विभागों के अध्यक्ष – सदस्य

(2) विद्या परिशद् निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगीः–

(क) विभिन्न विभागों के लिये अध्ययन.पाठ्यक्रम तथा पाठ्य.

विवरण तैयार करना तथा उन्हें परिवर्तित करना;

(ख) परीक्षा संचालित करने के लिये व्यवस्था करना;

(ग) विभाग के कार्यों से सम्बन्धित शैक्षिक मामलों पर संस्तुतियाँ देने के लिए विभाग के लिए परामर्शी समिति या विशेषज्ञ समिति या दोनों नियुक्त करना और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ऐसी समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा;

(घ) ऐसे विशिष्ट मामलों पर जैसे विद्या परिषद् द्वारा ऐसी उप समिति को निर्दिष्ट किये जांय, विद्या परिषद् के सदस्यों, संस्थान के अन्य अध्यापकों तथा वाह्य विशेषज्ञों में से उपसमिति नियुक्त करना;

(ड.) पराम र्दात्री समिति, वि ोशज्ञ समिति तथा अन्य उप समितियों द्वारा दी गई संस्तुतियों पर विचार करना तथा आव यकतानुसार प्रत्येक मामलों की परिस्थितियों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बोर्ड को अपनी उपयुक्त संस्तुतियां प्रेशित करना;

(च) विभागों के कार्य.कलापों की आवधिक संवीक्षा करना तथा यदि आव यक हो तो, अपनी संस्तुतियां बोर्ड को प्रस्तुत करना;

(छ) पुस्तकालय, प्रयोग ाालाओं तथा चिकित्सालयों आदि के कार्यों पर पराम र्ा देना;

(ज) संस्थान के अन्दर भाोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा ऐसे भाोध कार्यों से सम्बद्ध व्यक्तियों से रिपोर्ट प्राप्त करना;

(झ) भौक्षिक स्टाफ द्वारा किये जाने वाले पराम र्ाी कार्यों के सम्बन्ध में अनुसरण की जा रही सामान्य नीतियों पर पराम र्ा देना;

(ञ) कक्षाओं, प्रयोग ाालाओं, पुस्तकालय तथा उनके विशयों के निरीक्षण का प्राविधान करना तथा बोर्ड को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ट) अवार्ड से जुड़ी भार्तों के अनुसार वृत्तियाँ, विद्या.वृत्तियाँ, छात्रवृत्ति, भाुल्क.मुक्ति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करना;

(3) विद्या परिशद् आव यकतानुसार अपनी बैठकें करेगी परन्तु एक कैलेन्डर वर्श में कम से कम दो बार बैठक अव य करेगी।

(4) विद्या परिशद् की बैठक सदस्य सचिव द्वारा या तो स्वयं की पहल पर अथवा निदे ाक के निर्दे ा पर अथवा विद्या परिशद् के कम से कम पाँच सदस्यों के हस्ताक्षरों से की गई माँग पर आहूत की जायेगी।

(5) विद्या परिशद् के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी।

(6) सदस्य.सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की कार्यसूची के साथ लिखित सूचना विद्या परिशद् के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व परिचालित की जायेगी। विद्या परिशद् का सभापति ऐसी कार्यसूची में ऐसा कोई प्रकरण सम्मिलित किये जाने की अनुमति दे सकता है जिसकी सम्यक् सूचना नहीं दी जा सकती थी।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुये भी अत्याव यक तथा वि ाि श्ट मदों पर विचार हेतु सभापति अल्पकालिक सूचना देकर विद्या परिशद्

की बैठक को आहूत कर सकता है।

(8) सभी प्रकरणों में सभापति का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) विद्या परिशद् की बैठकों का कार्यवृत्त सदस्य सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा तथा उसे उपस्थित सभी सदस्यों के मध्य परिचालित किया जायेगा।

वित्त समिति

22–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगेरू–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदे ा भाासन, चिकित्सा ि ाक्षा विभाग –सभापति

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदे ा भाासन, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो वि ोश सचिव पद से न्यून न हों –सदस्य

(ग) निदे ाक –सदस्य

(घ) संस्थान का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक –सदस्य

(ङ) वित्त अधिकारी –सदस्य सचिव

(2) वित्त समिति बोर्ड को, संस्थान की परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन तथा विभिन्न निधियों से होने वाले आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों से सम्बन्धित विशयों पर आगामी वित्तीय वर्श में संस्थान की आय तथा संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सैद्धान्तिक सीमाओं के अनुरूप परामर्ा देगा।

(3) वित्त समिति में ऐसी अन्य भाक्तियाँ एवं कृत्य निहित होंगे जैसी विहित की जायं।

नैतिक समिति

23–(1) संस्थान में एक नैतिक समिति होगी जो संस्थान, सम्बद्ध चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों का सुचारू संचालन तथा मरीजों की समुचित देखभाल सुनि ित करेगी।

(2) नैतिक समिति के गठन का स्वरूप, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी भाक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जायं।

अन्य प्राधिकारी

24–प्रवे ा समिति, परीक्षा समिति तथा संस्थान के अन्य प्राधिकारियों का गठन, भाक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जायं।

अध्याय–पाँच

संस्थान के कर्मचारिवर्ग

संस्थान के कर्मचारिवर्ग

25–(1) संस्थान राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर यथास्वीकृत कर्मचारियों के पदों की संख्या के अनुसार नियुक्तियां करेगा। संस्थान के कर्मचारियों के निबन्धन एवं सेवा.भार्तें वही होंगी जैसी विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जायं।

(2) संस्थान के हित में अर्ह सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति अथवा सेवा स्थानांतरण के आधार पर भाासकीय भार्तों एवं मानकों के अनुसार नियुक्त किये जा सकते हैं।

(3) बोर्ड, जैसा वह उचित समझे, भाासन के अनुमोदन से समय.

समय पर पदों को सृजित अथवा समाप्त कर सकता है। फिलहाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से अनुरूपता बनाये रखी जायेगी।

अध्यापक तथा अन्य कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति एवं प्रोन्नति

26–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, अध्यक्ष द्वारा ऐसी संख्या में आचार्यों, सह.आचार्यों, सहायक आचार्यों, तथा समूह 'क' के अधिकारियों की नियुक्ति, जितनी आव यक हों तथा निदेशक द्वारा ऐसी संख्या में समूह 'ख' के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जायेंगी, जितनी आव यक हों।

(2) उपधारा (1) में यथा.उपबन्धित के सिवाय, संस्थान में अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, ऐसी रीति से और ऐसे पदनामों एवं वेतनमानों में की जायेंगी जो विहित की जायं।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान में नियुक्त कर्मचारियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते अनुमन्य होंगे और वे ऐसी सेवा. भार्तों से भाासित होंगे जो विहित किये जायं।

(4) कोई व्यक्ति संस्थान में अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह भारतीय आयुर्विज्ञान परिशद्, भारतीय नर्सिंग परिशद् अथवा किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य विनियामक निकाय और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इस हेतु विहित अर्हतायें धारित न करता हो और इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत न हो।

(5) (क) संस्थान में आचार्य तथा सह.आचार्य की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु चयन समिति निम्न प्रकार से गठित होगीरू–

(एक) निदे ाक, जो चयन समिति का सभापति होगा;

(दो) महानिदे ाक, चिकित्सा ि ाक्षा एवं प्रि ाक्षण, उत्तर प्रदे ा;

(तीन) संस्थान का डीन;

(चार) अध्यक्ष द्वारा नाम.निर्दिश्ट तीन वि ोशज्ञ;

(पाँच) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जाएं।

(ख) संस्थान के सहायक आचार्य तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु चयन समिति निम्न प्रकार से गठित होगीरू–

(एक) संस्थान का निदे ाक, जो चयन समिति का सभापति होगा;

(दो) महानिदे ाक, चिकित्सा ि ाक्षा एवं प्रि ाक्षण, उत्तर प्रदे ा;

(तीन) संस्थान का डीन;

(चार) अध्यक्ष द्वारा नाम.निर्दिश्ट दो वि ोशज्ञ;

(पाँच) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जाएं।

(6) इस धारा के अन्तर्गत गठित चयन समिति उन सभी प्रक्रियाओं

का अनुसरण करेगी जैसी विहित की जायें।

(7) चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियाँ विधिमान्य नहीं समझी जायेंगी जब तक कि वे उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित न हों:

परन्तु यह कि उपधारा (5) के खण्ड (क) के अन्तर्गत गठित चयन समिति में कम से कम दो वि ोशज्ञों की उपस्थिति तथा उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत गठित चयन समिति में कम से कम एक वि ोशज्ञ की उपस्थिति आव यक होगी।

(8) जब चयन समिति उपधारा (7) के प्राविधानों के अनुसार संस्तुतियाँ देने में असमर्थ रहती है तो चयन समिति का कार्यवृत अध्यक्ष को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा और अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) जब चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियाँ नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य न हों तो वह संस्तुतियों पर आपत्ति के आधारों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त विवरण के साथ सम्पूर्ण मामले को अध्यक्ष को सन्दर्भित करेगा और उस पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगाः

परन्तु यह कि अध्यक्ष के लिए चयन समिति को पुनर्विचार हेतु मामला सन्दर्भित कर देना अथवा उस पर विचार करने हेतु दूसरी चयन समिति गठित करने की अपेक्षा करना विधिसम्मत होगा।

स्पश्टीकरणः–इस धारा के प्रयोजनार्थ समूह.'क' तथा समूह 'ख' के अन्तर्गत ऐसी श्रेणी के अधिकारी होंगे जिन्हें विनियमों में इस रूप में निर्दिश्ट अथवा पदनामित पदाभिहित किया गया हो।

अध्याय–छः

वित्त एवं संपरीक्षा

राज्य द्वारा सहायता अनुदान

27–अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान के कृत्यों के प्रभावी सम्पादन हेतु राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्श में इस निमित्त विधितः राज्य विधान मण्डल का सम्यक् विनियोग प्राप्त करने के प चात् ऐसी धनरा ि ा और ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे, संस्थान को प्रदान कर सकेगी।

संस्थान की निधि

28–(1) संस्थान एक निधि अनुरक्षित करेगा जिसमें निम्नलिखित जमा की जायेगीरू–

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धनरा ि ा;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस व अन्य प्रभार;

(ग) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धनरा ि ा।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनरा ि ा राश्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जायेगी तथा उसका निवे ा ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा संस्थान राज्य सरकार के अनुमोदन से विनि ि चत करे।

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्ययों को पूरा करने के लिये किया जायेगा जिसके अन्तर्गत धारा 9 के अधीन अपनी भाक्तियों के प्रयोग

एवं कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं।

संस्थान का आय–व्ययक

29–(1) प्रतिवर्श, आगामी वित्तीय वर्श के सम्बन्ध में, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, एक आय–व्ययक तैयार किया जायेगा जिसमें संस्थान की अनुमानित आय और व्यय उपदर्ि ात किया जायेगा और उसे ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) बोर्ड ऐसे निर्दे ाों का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिये जायें और आय–व्ययक अन्तिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) संस्थान के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि कोई ऐसा व्यय करे जो आय–व्ययक में स्वीकृत न हो या आय–व्ययक की स्वीकृति के प चात संस्थान को जो निधि राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी अन्तर्राश्ट्रीय संगठन या प्रतिश्ठान या किसी अन्य अभिकरण के अनुदान से प्राप्त हो, उसके सम्बन्ध में उस अनुदान की भार्तों के अनुसार न होः

परन्तु यह कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि संस्थान द्वारा तभी प्राप्त की जायेगी जब विधि के अन्तर्गत अपेक्षित आव यक निर्बाधन प्राप्त हो जायेंः

परन्तु यह और कि आकस्मिक या अप्रत्यार्ि ात परिस्थितियों में पच्चीस हजार रुपये से अनधिक ऐसा अनावर्तक व्यय जो बजट में स्वीकृत न हो, निदे ाक द्वारा किया जा सकता है और वह ऐसे सभी व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को तुरन्त सूचना देगा।

वार्शिक लेखे और तुलन–पत्र

30–(1) संस्थान समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रपत्र में जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या वि ोश आदे ा द्वारा विनिर्दिश्ट किया जाय, वार्शिक लेखा–विवरण पत्र जिसके अन्तर्गत तुलन–पत्र भी है, तैयार करायेगा।

(2) वार्शिक लेखा विवरण पत्र और तुलन–पत्र की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी लेखा–संपरीक्षा करायेगी।

वार्शिक प्रतिवेदन

31–संस्थान प्रत्येक वित्तीय वर्श की समाप्ति के प चात् यथा ीघ्र वार्शिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसे ऐसी तिथि के पूर्व, जैसा विहित किया जाये, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे प्रतिवेदन की प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

भविश्य निधि एवं सेवा–निवृत्तिक लाभ

32–संस्थान अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये राज्य सरकार के आदे ाों के अनुसार ऐसी रीति से और ऐसी भार्तों के अधीन रहते हुये भविश्य निधि एवं सेवा–निवृत्तिक लाभ स्थापित करेगा।

अधिभार

33–(1) संस्थान, बोर्ड, किसी प्राधिकारी या संस्थान के अन्य निकाय का कोई सदस्य या यथास्थिति, संस्थान का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी संस्थान के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिये

अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग उसकी उपेक्षा या कदाचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार आरोपित करने की प्रक्रिया और ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग में अन्तर्निहित धनराि ा की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

अध्याय–सात

विनियम

विनियम बनाने की भाक्ति

34–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, संस्थान राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी विशय की व्यवस्था करने के लिये, जिसे विनियमों द्वारा किया जाना है या किया जा सकता है, विनियम बना सकती है और ऐसी भाक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्रू–

(क) संस्थान की प्रथम बैठक से भिन्न, बैठकों का आयोजन और उसे सम्पन्न करना और ऐसी बैठकों में कार्य–संचालन और गणपूर्ति के लिये आव यक सदस्यों की संख्या;

(ख) इस अधिनियम के अधीन गठित किये जाने वाला बोर्ड, या किसी समिति या अन्य निकाय के गठन से सम्बन्धित कोई विशय;

(ग) संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाक्तियाँ और निर्वहन किये जाने वाले कृत्य;

(घ) बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय के सभापति और सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला भत्ता, यदि कोई हो;

(ङ) बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा अपने कार्य–संचालन, अपनी भाक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) संस्थान अधिकारियों, अध्यापकों और कार्मचारियों की पदावधि, परिलब्धियाँ और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(छ) संस्थान के निदे ाक तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भाक्तियां एवं कर्तव्य;

(ज) संस्थान की सम्पत्तियों का प्रबन्धन;

(झ) उपाधि, डिप्लोमा और अन्य भौक्षिक वि ाश्टतायें और उपाधियाँ जो संस्थान द्वारा प्रदान की जा सकती हैं;

(ञ) संस्थान के अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों का सृजन एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति जिसके अन्तर्गत इन पदों हेतु अपेक्षित न्यूनतम् अर्हतायें भी सम्मिलित हैं;

(ट) फीस और अन्य प्रभार जिसकी संस्थान द्वारा माँग की जाये और उसे प्राप्त किया जाये,

(ठ) रीति जिसके अनुसार और भार्तें जिनके अधीन, संस्थान के कर्मचारियों के लाभ के लिये भविश्य निधि और अन्य सेवानिवृत्तिक

लाभों का गठन किया जा सकता है,

(ड) कोई अन्य विशय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन अथवा विनियमों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियमावली राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से बनाई जायेगीः

परन्तु यह कि जब तक उक्तवत् विनियमावली नहीं बना ली जाती, तब तक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रभावी सोसाइटी की उपविधियाँ, साथ ही ऐसे मामलों में जहां उक्त उपविधियाँ मूक हैं वहां, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की विनियमावली आव यक परिवर्तनों के साथ संस्थान पर उस सीमा तक प्रभावी रहेंगे, जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों।

(3) संस्थान की पूर्वानुमति से बोर्ड उपधारा (2) में सन्दर्भित विनियमावली के अन्तर्गत नया या अतिरिक्त विनियम बना सकता है अथवा उसमें सं ाोधन अथवा उनका विखण्डन कर सकता है।

अध्याय–आठ

विविध

आदे ाों और लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

35–संस्थान के समस्त आदे ाों और विनि चयों का अधिप्रमाणीकरण निदे ाक या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायगा और सम्बन्धित प्राधिकारी अथवा समिति अथवा संस्थान के अन्य निकायों की बैठक की कार्यवाही का अधिप्रमाणीकरण उसके सभापति तथा सदस्य सचिव के हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी

36–संस्थान या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति द्वारा कृत किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि संस्थान, प्राधिकारी या ऐसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी।

उपाधि एवं डिप्लोमा आदि प्रदान करना

37–संस्थान को इस अधिनियम के अधीन डिग्री, डिप्लोमा और अन्य भौक्षिक वि ाि ष्टतायें एवं पद्वी प्रदान करने की भाक्ति होंगी।

उपाधि एवं डिप्लोमा का वापस लिया जाना

38–यदि कोई व्यक्ति किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो अथवा वह गम्भीर कदाचार का दोशी पाया गया हो तो, बोर्ड, विद्या परिशद् की संस्तुति पर, बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित विनि चय द्वारा उस व्यक्ति को प्रदत्त वि ाि ष्टियाँ, डिग्री, डिप्लोमा अथवा वि ोशाधिकार को वापस ले सकता है।

संस्थान द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता

39–भारतीय आयुर्विज्ञान परिशद् अधिनियम, 1956 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्थान द्वारा प्रदत्त डिग्री, डिप्लोमा एवं अन्य वि ाि ष्टितायें उक्त अधिनियम एवं अन्य विधियों के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त अर्हता मानी जायेंगी।

राज्य सरकार की निर्दे ा देने की भाक्ति

40–राज्य सरकार समय–समय पर संस्थान को ऐसे नीति विशयक निर्दे ा जारी कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों व जैसा वह इस अधिनियम के उद्दे यों की पूर्ति हेतु आव यक एवं उपयुक्त समझे। संस्थान द्वारा ऐसे निर्दे ाों का अनुपालन किया जायेगा।

राज्य सरकार की निरीक्षण कराने की भाक्ति

41–(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदे ा दे, संस्थान के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, पुस्तकालय, प्रयोग ाला, कर्म ाला और उपस्कर भी हैं और संस्थान द्वारा संचालित या आयोजित परीक्षा, अध्यापन कार्य और अन्य कार्य का निरीक्षण कराने या संस्थान के प्र ाासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विशय के सम्बन्ध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनि ाचय करे, वहां वह उसकी सूचना निदे ाक के माध्यम से संस्थान को देगी और और भाासी बोर्ड द्वारा नाम निर्दिश्ट कोई व्यक्ति संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रह सकता है और इस रूप में उसका अधिकार होगा कि उसकी सुनवाई की जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय भापथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने और दस्तावेज और महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रस्तुत करने के लिये विव ा करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी भाक्तियां होगी, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार निदे ाक को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के सन्दर्भ में पत्र भेजेगी और निदेशक बोर्ड को राज्य सरकार के दृश्टिकोणों को ऐसे परामर्श के साथ जिसे राज्य सरकार इस पर की जाने वाली कार्यवाही के लिये प्रस्तावित करे, संसूचित करेगा।

(5) निदे ाक ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार नियत करे, बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि संस्थान के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोशानुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी स्पश्टीकरण पर जो ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के प चात् ऐसे निदे ा दे सकती है जिसे वह उचित समझे, और संस्थान के प्राधिकारी ऐसे निदे ाों का अनुपालन करेंगे।

(7) राज्य सरकार अध्यक्ष को उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन निदे ाक से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदे ा की और ऐसे निदे ाों के पालन या अपालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट की भी एक प्रति सूचना के लिये भेजेगी।

अध्यक्ष को संदर्भ

42–यदि इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा अपनी भाक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में या उनके सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रकरण अध्यक्ष को सन्दर्भित किया जायेगा और उस विवाद पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

विवरणी और सूचना

43–संस्थान राज्य सरकार, राज्य/केन्द्रीय विनियामक निकायों को ऐसी रिपोर्ट, विवरणी, विवरण–पत्र और अन्य सूचनायें प्रस्तुत करेगा जिसकी अपेक्षा वह समय–समय पर करे।

संविदाओं का निश्पादन

44–संस्थान एवं संस्थान के प्र ाासन से सम्बन्धित समस्त संविदायें बोर्ड द्वारा की गयीं समझी जायेंगी और उनका निश्पादन निदे ाक द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति अन्तरण

45–राज्य सरकार संस्थान के प्रयोग एवं प्रबन्धन हेतु भवन, भूमि अथवा अन्य किसी सम्पत्ति, चाहे स्थावर हो या जंगम, का अन्तरण ऐसी भार्तों पर और ऐसी परिसीमाओं के अन्तर्गत कर सकती है, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित समझें।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

46–संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी आकस्मिक रिक्तियों को इतनी भाीघ्रता से जैसा सुविधाजनक हो, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरा जायेगा जो उन सदस्यों जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, को नियुक्त या नाम.निर्दिश्ट करता हो और किसी आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या नाम. निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

रिक्तियों के कारण प्राधिकारियों/निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

47–संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थी।

इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत व्यक्तियों को संरक्षण

48–इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अन्तर्गत सदा ायता से किये गये अथवा किये जाने हेतु आ ायित किसी कृत्य के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं होंगी।

संस्थान के सदस्य एवं कर्मचारी जन सेवक होंगे

49–संस्थान का प्रत्येक सदस्य एवं कर्मचारी जो इस अधिनियम या विनियमों या उसके अधीन दिये गये अथवा जारी आदे ाों अथवा निर्दे ाों के अन्तर्गत कार्य कर रहा हो अथवा कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत जन सेवक समझा जायेगा।

अभिलेख सिद्ध करने की रीति

50–(1) संस्थान के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदे ा, कार्यवाही अथवा संकल्प या संस्थान के कब्जे के अन्य दस्तावेज अथवा संस्थान द्वारा यथा.विधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविश्टि की प्रति, यदि इस प्रकार पदाभिहित निदे ाक द्वारा प्रमाणित हो तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी वह प्रथम दृश्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी और उसमें अभिलिखित विशय तथा संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह

साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) संस्थान के किसी कर्मचारी से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें संस्थान एक पक्ष न हो, संस्थान का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विशय तथा संव्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय वि ोश कारण से आदे ा न दे।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

51–इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कार्यरत सोसाइटी का बोर्ड एक वर्श की अवधि तक अथवा जब तक संस्थान के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत नया बोर्ड गठित न हो जाये, जो भी पहले हो, कार्य करता रहेगा।

कठिनाइयाँ दूर करने की भाक्ति

52–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आदे ा प्रकाि ात करके ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये आव यक या समीचीन प्रतीत होरू

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्श के प चात् ऐसा कोई आदे ा नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है खण्ड–2 से खण्ड–52 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, यह जो दो विधेयक आये हैं, इनको विधान परिषद् में जाना है। कल यह बात आयी थी कि नियम–56 में दो–दो मिनट सबको सुना जायेगा। बहुत लम्बी लिस्ट है तो हमारी राय से विधेयक पारित करा दीजिये, जिससे सबको बोलने का

मौका मिल जायेगा। इसलिये पहले विधेयक ले लें, दो विधेयक हैं इस पर आप लोग बोल लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अभी–अभी विधेयक आया है। इसको हम लोग आधा घंटा हम लोग इसको देख लें।

श्री अध्यक्ष–

हम देख रहे हैं कि आप लोग कब से इसे पढ़ रहे हैं। कार्य–स्थगन प्रस्ताव पर कल आप ही ने कहा था कि जितने आयें, उन सब पर कल दो–दो मिनट सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो कल कार्य–सूची में था उसके लिये कहां आपत्ति की।

श्री अध्यक्ष–

आज यह विधेयक आ गया और प्रस्तुत हो गया। ढाई–तीन घंटे से ज्यादा नियम–56 में लगेगा। हमें खुद विधान परिषद् नेता सदन ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि जल्दी पारित करा दीजिये। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको कार्य–स्थगन के पहले ले लिया जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसे कार्य–स्थगन के बाद ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

तब फिर कुछ चुने हुये सदस्य ही बोलेंगे और नहीं बोलेंगे। आपने कल कहा था कि जितना आए उस पर विचार करिये तो आज जो इम्पार्टेन्ट है उसी पर बुलवाईयेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो विषय कार्य–सूची में थे उस पर कहां आपत्ति की।

श्री अध्यक्ष–

विधान परिषद् में इस विधेयक को जाना है। विधान परिषद् आज तक ही है। हम समझते हैं कि कार्य–स्थगन ज्यादा चल जायेगा और विलम्ब हो जायेगा। इसलिये मैं चाहता था कि इसे पहले ले लें। अगर आपकी सहमति हो तो ले लें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, यद्यपि कि मा0 खन्ना साहब का प्रस्ताव अपनी जगह महत्वपूर्ण भी है और जो अब तक इस सदन की परम्परा रही है उसके भी अनुरूप है, लेकिन जैसाकि मा0 अध्यक्ष जी, आपने अवगत कराया है कि विधान परिषद् भी आज ही उठेगा, ऐसी हालत में मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि, चूंकि मा0 अध्यक्ष जी आप खुद इस बात के लिये इच्छा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अनुरोध यह है कि नियम–56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं हैं उस पर आप गंभीरता से ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को

सुनेंगे। उसके बाद जल्दबाजी नहीं करेंगे। चूंकि आप खुद इच्छा प्रकट कर चुके हैं तो हमारी लोगों की तरफ से कोई असहमति नहीं है। हां इतना जरूर है कि संशोधन पर हमारे जो साथी बोलना चाहेंगे वह बोलेंगे। चूंकि इस पर संशोधन प्रस्ताव पूर्व में नहीं लग चुका है तो अभी भी जो मा0 सदस्य चाहेंगे वह बोलेंगे और इसके बाद नियम–56 की सूचनाओं को विधिवत आप ले लेंगे।

आयकर अधिनियम के तहत सांसदों एवं विधायकों के वेतन–भत्तों में छूट दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि आयकर अधिनियम के तहत, माननीय सांसद एवं माननीय विधायकों के वेतन में और भत्तों में विसंगति प्रतीत होती है। आयकर से मिलने वाली मा0 सांसदों की छूट की तरह मा0 विधायकों को भी छूट प्राप्त रहे तथा मा0 विधायकों की आय में न जोड़ा जाये।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने किया है, विधायकों की पेन्शन और उनके आयकर के मामले में, क्या सदन इससे सहमत है ?

(सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ)

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई मा0 सदस्य इस पर बोलेंगे।

(किसी मा0 सदस्य के न बोलने पर)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–28, सन् 2005 की धारा 7 का संशोधन

2–डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे:–

परन्तु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो वे भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश को विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये नाम निर्दिष्ट करेंगे।''

धारा 9 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''(2) उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री महापरिषद् का अध्यक्ष (चेयर परसन) होगा और विश्वविद्यालय का कुलपति महापरिषद् का सचिव होगा:

परन्तु यदि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री महापरिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहता है, तो वह उत्तर प्रदेश के किसी कैबिनेट मंत्री को महापरिषद् के अधीवेशन की अध्यक्षता करने के लिये नाम निर्दिष्ट करेगा।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष– प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी, आपको संशोधन रखना है, रखिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक बहुत ही जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बिना सोचे–समझे लाया जा रहा है और हमको लगता है कहीं न कहीं माननीय मुख्य मंत्री जी आपसी पत्राचार के आदान–प्रदान के चलते भयभीत हो गए हैं और इसीलिए मान्यवर, यह लाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें कहीं न कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़ा होगा। चूंकि अभी तक जो उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 थी, उसकी व्यवस्था के अनुसार 3(1)क के क्रम में लोक आयुक्त की नियुक्ति माननीय मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल और मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय तीनों सदस्यों की आम सहमति से किया जाता रहा है। मा0 मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल, मा0 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से इस नियुक्ति को करते रहे और अभी तक की यह परम्परा भी रही है। यहां तक कि विगत दिनों में लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया जब सुनिश्चित की गयी थी तो जहां पर आज नेता सदन बैठे हुए हैं उस समय यहां नेता सदन के रूप में नेता जी श्री मुलायम सिंह यादव जी बैठा करते थे। उन्होंने भी इस परम्परा का निर्वहन किया, अनुकरण किया। मा0 अध्यक्ष जी बहुत सोच–समझ करके कहीं न कहीं यह व्यवस्था दी गयी थी, जिससे कि लोकायुक्त के चयन में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, किसी प्रकार का पक्षपात न हो, निष्पक्ष चयन हो, पारदर्शिता बनी रहे और साथ ही साथ लोकायुक्त पर किसी की उंगली न उठे। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, इस संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से उसमें आंशिक संशोधन किया जा रहा है। मा0 मुख्य मंत्री जी रहेंगे और मा0 अध्यक्ष विधान सभा उत्तर प्रदेश रहेंगे, नेता विरोधी दल रहेंगे और भारत के उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिन्हें इस समिति के अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श से नामित किया जायेगा। मा0 अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार का संशोधन होना ही था तो हमें खुशी होती कि आपकी अध्यक्षता में यह समिति बनती। चूंकि आप इस सदन की सर्वोच्च पीठ पर बैठे हैं, यदि किसी समिति में आप सदस्य बनेंगे तो हम समझते हैं कि यह भी आपके सम्मान के प्रतिकूल है। दूसरी चीज, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पर अविश्वास जता करके कहीं न कहीं या तो सरकार अपने को कठघरे में

खड़ा कर रही है या सरकार मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय को कठघरे में खड़ा कर रही है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों की अपनी–अपनी भूमिकाएं हैं और इन तीनों में से किसी एक को नजरअंदाज करने पर कहीं न कहीं लोकतंत्र के कत्लेआम की स्थिति बन जाती है। मान्यवर, इसीलिए बहुत सोच–समझ करके कानूनवेत्ताओं ने, विधिवेत्ताओं ने इस बात की आवश्यकता समझी होगी कि नियुक्ति में पारदर्शिता बनी रहे। इसीलिए मा0 मुख्य मंत्री जी जो सत्तापक्ष के शीर्ष नेतृत्व के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, ऊंगली न उठे इसलिए नेता विरोधी दल को उसमें शामिल किया गया होगा। मा0 मुख्यमंत्री जी, नेता विरोधी दल आपस में कोई तालमेल न कर लें इसलिए मुख्य न्यायाधीश को रखा गया होगा। यानि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं यह व्यवस्था दी गयी है। हम समझते हैं कि यदि कहीं किसी प्रकार की कोई विसंगति होती है तो बातचीत के माध्यम से समाधान किया जा सकता था। इस मामले में तो नेता जी बहुत माहिर थे। उनकी बात को कभी कोई न करता ही नहीं था तो कम से कम नेताजी की परम्परा का निर्वहन मा0 मुख्य मंत्री जी को करना चाहिए था। हम यह जानते हैं कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। हम यह भी जानते हैं कि आप यह विधेयक भी अनचाहे पास करा लेंगे। लेकिन आपकी जो साफ छवि है वह दागदार छवि जरूर हो जाएगी। कहीं न कहीं अपने आप अपने व्यक्तित्व पर आंच आने का रास्ता आप प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए इस संशोधन में हमने मान्यवर, संस्तुति की है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाये। और यही नहीं देश के और भी तमाम प्रदेशों में मुख्य न्यायधीश लोकायुक्त की चयन समिति है। केवल उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश नहीं है। और इसीलिए मान्यवर, जो बीच में लोकायुक्त चयन के संबंध में कुछ व्यतिक्रम आये, अवरोध आये उसके निदान के लिए कोई मध्यम मार्ग निकाला जा सकता था। शायद उस ओर प्रयास नहीं किया गया। इसका एक मध्यम मार्ग और निकाला जा सकता था। मुख्य न्यायधीश भी रहता, आपका काम भी नहीं रुकता और आप ऐसा बिल ला सकते थे कि लोकायुक्त चयन हेतु गठित तीनों सदस्यों की तीन बार की लगातार बैठक में यदि कोई भी अनुपस्थित रहेगा तो उसकी गैरहाजिरी में दो सदस्यों का ही निर्णय अंतिम होगा। इससे भी सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। बीच का एक रास्ता निकल सकता था। उस समय उंगली भी नहीं उठती। और जो लोकायुक्त चयन के संबंध में पूर्व से व्यवस्था स्थापित है वह स्थापित भी रहती। तो हम समझते हैं कि इस विधेयक से अच्छा होता यदि वह विधेयक आप लाये होते। कि लोकायुक्त चयन प्रक्रिया में वह 1975 की व्यवस्था है उसमें जो मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 नेता विरोधी दल और मुख्य न्यायधीश, मा0 उच्च न्यायालय तीनों लोगों की बैठक करके तय किया जाना है उसमें एक शर्त लगाकर भी ला सकते थे कि इन तीनों सदस्यों को लगातार बैठक में उपस्थित रहना है यदि लगातार तीन बैठक में कोई सदस्य नहीं आता है तो उसकी अनुपस्थिति में दो सदस्यों की ही राय अंतिम होगी। तो मान्यवर, हम समझते हैं कि वह बेहतर रास्ता निकल सकता था। मा0 अध्यक्ष जी, आप यहां पीठ पर सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं। नेता सदन भी आते हैं तो उस पीठ को सिर नवाते हैं। हम लोग भी आते हैं तो

उस पीठ को सिर नवाते हैं सदन के सारे सदस्य आते हैं तो उस पीठ को सिर नवाते हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, अब उस समिति में आप रहेंगे। आपकी अध्यक्षता में काम करना है तो हम उसका स्वागत करते। अब सदस्य बनाकर के आपको वहां बैठा दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि यह भी आपकी गरिमा के विपरीत है। और इसीलिए मा0 मुख्य मंत्री जी को इस विधेयक पर विचार करना चाहिए। इसलिए हमारा अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। और उसकी जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद जैसा चाहेंगे वैसा करा लेंगे। इसलिए मैंने आपके पास यह प्रस्ताव रखा है। इस पर विचार कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस विधेयक पर विचार हो रहा है यह विधेयक है उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम 2015। इस पर मा0 नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मेरा भी प्रस्ताव है कि इस अधिनियम को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे। समिति के सदस्यों के नाम मान्यवर, बाद में दे दिये जायेंगे। मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल के दो विचारों से पूरी तरह से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं एक मान्यवर, जो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अविश्वास किया गया है इसमें नए वाले प्रकोष्ठ बिल में जो मुख्य न्यायाधीश को इसमें न रखने का प्राविधान किया गया और दूसरा मान्यवर आप जो सर्वोच्च पीठ पर बैठे हैं मान्यवर, उस पर इस समिति के सदस्य के रूप में आपको लिया जाना, इन दोनों पर जो नेता विरोधी दल के विचार हैं, उससे मैं आपने आपको सम्बद्ध करता हूं, उस पर बल देता हूं। मान्यवर, 1975 में जो अधिनियम बना था, उसमें नियम–3 के अन्तर्गत उसकी नियुक्ति करने की व्यवस्था थी, मा0 मुख्य मंत्री जी यानी सरकार और नेता विरोधी दल और मुख्य न्यायाधीश इन तीनों के परामर्श के आधार पर ही लोकायुक्त की नियुक्ति होती आई है, होती रही है। पीछे जिन कारणों से इसमें व्यवधान आया मान्यवर, उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

करना भी नहीं चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तब पड़ती है जब परिस्थिति बदल जाय या उसका कोई परिणाम अच्छा न निकला हो, या उसका कोई दुष्परिणाम निकला हो, तब नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। बहुमत के बल पर अपनी मन–मानी करना और एक अच्छे नियम को, एक अच्छे कानून को परिवर्तित कर के खराब दिशा में ले जाना मान्यवर, यह मैं समझ नहीं पाया। मान्यवर सभी लोग विधायक के रूप में बैठे हैं, पूरे प्रदेश की 21 करोड़ जनता यह चाहती है कि लोकायुक्त के पद

पर एक ऐसा इण्डिपेंडेण्ट व्यक्ति बैठे, जिसके ऊपर कोई ऊंगली न उठा सके और उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी ऐसी हो, जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी कोई ऊंगली न उठा सके। अभी तक जो अधिनियम बना था मान्यवर, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी और मैं समझता हूं कि आपत्ति करने का कोई कारण भी नहीं था, लेकिन मान्यवर जो बिल लाया गया उसके पीछे मंशा साफ झलक रही है, मंशा मान्यवर यह झलक रही है कि हम अपनी मर्जी का लोकायुक्त बैठालें, अपनी मर्जी के व्यक्ति को उस पद पर बैठालें। मान्यवर, लोकायुक्त की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठता इसी बात पर है कि वह इण्डिपेंडेण्ट व्यक्ति बिना किसी दबाव के फंक्शन करे और जब उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही इस प्रकार की होगी, जब उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जायेंगे तब मान्यवर उसकी निष्पक्षता, उसकी इण्डिपेंडेण्टनेस कहां रहेगी, मान्यवर न्याय हो और न्याय दिखाई भी पड़ना चाहिए, यही न्याय का स्टैबिलिस सिद्धान्त है, इसलिए मान्यवर हम आपसे विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करते हैं कि जो यह बिल लाया गया, इसमें मा0 मुख्य मंत्री जी और आप स्वयं मान्यवर और भारत के उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश जिन्हें इस समिति के अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश के विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श से नामित किया जायेगा, मान्यवर जो इस बिल के कण्टेन्स हैं वह अपर्याप्त हैं, कई प्रश्नवाचक चिन्ह प्रस्तुत करते हैं। मान्यवर, जो भी प्रक्रिया इसमें दी गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी रूप में हम अपने मन माफिक व्यक्ति को लोकायुक्त के पद पर बैठाना चाहते हैं। मान्यवर, नीयत भी ठीक नहीं मालूम होती है इस बिल के ऊपर क्योंकि ऐसी शर्त पर यह बिल लाया जा रहा है, जब कि सुप्रीमकोर्ट ने यह कह दिया कि 22 अगस्त, 2015 तक लोकायुक्त की नियुक्ति होना है और जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे थे, ऐसी परिस्थितियों में ये बिल लाया जा रहा है, न तो इसके पीछे मंशा ठीक है, न इसके कण्टेन्स से हम सहमत हैं और मान्यवर, इसके बाद जो लोकायुक्त का पद है उसको लोग संदेह की दृष्टि से देखेंगे अगर मान्यवर इस प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया गया, इसलिए मान्यवर हम आपसे पुनः विनम्र अनुरोध करते हुए इस बिल का विरोध करते हुए कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो थ्रेसआउट कर ले और हर प्रकार से इसमें यह देख ले कि इसमें किसी भी प्रकार की निष्पक्षता प्रभावित न हो। हमारे कानून की जो मंशा है मान्यवर, वह प्रभावित न हो, जो पहले कानून बनाया गया था, तभी मैं समझता हूं कि इसके साथ न्याय हो सकेगा। माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्तावित किया है उस पर बल देते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो विसंगति पैदा करती हैं, उनको दूर किया जा सके।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, लोकायुक्त जैसे महत्वपूर्ण विधेयक में संशोधन जो राज्य सरकार ने किया है, उसमें ऐसी क्या बाध्यता है सरकार की कि वह इतना बड़ा संशोधन

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाकर अपनी मुठ्ठी में लोकायुक्त को करना चाहती है। ऐसी क्या बात आ गई जो अभी तक सब पारदर्शी चल रहा था मामला, मुझे लगता है कि राजभवन की दहशत में इस तरह का काम कराया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकायुक्त के लिए जो पहले अच्छा–खासा विधेयक लाया जा रहा था, जिसमें सम्मानित मुख्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश.....

श्री सतीश महाना–

पहले से लागू था।

श्री प्रदीप माथुर–

पहले से जो व्यवस्था थी, उसमें जो संशोधन लाया जा रहा है, उस संशोधन का हम विरोध करते हैं और आज स्थिति यह है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लाया गया यह विधेयक है, उसमें अच्छा होता की पूर्ववर्ती मामला रखा जाता और उस पर फिर से विचार किया जाता। आज यदि इस तरह से लोकायुक्त बनने लगेंगे तो हम समझते हैं कि प्रदेश में जनता को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति बनेगी, कि आम जनता भी सोचेगी और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा.....

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर सदस्य की बातों का विरोध किये जाने के कारण व्यवधान की स्थिति)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप लोग शांत रहें। बैठ जाएं।

श्री प्रदीप माथुर–

इसमें माननीय अध्यक्ष जी अच्छा होता आप जो इस सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, आप इसके अध्यक्ष होते। माननीय मुख्य मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष इसमें होते।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने के प्रयास से शोर की स्थिति)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप लोग शांत रहें। आप लोग बैठ जायें, बैठें।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, लोकायुक्त का होना आवश्यक था परन्तु इस संशोधन का जल्दबाजी में लाना ठीक नहीं था।। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिए, माननीय मुख्य मंत्री जी को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, इस लाये हुए संशोधन को प्रवर समिति के सुपुर्द करने पर का हमारा दल बल देता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता विरोधी दल, नेता भाजपा, नेता कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है। हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये सदन चुने हुए लोगों का

सदन है और पूरे प्रदेश की जनता के जज्बात की नुमाइन्दगी करता है और इसी तरह हमारी संसद पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे पास यह अधिकार रहना चाहिए कि हम जनता के भलाई के कामों के साथ–साथ उनको न्याय देने में भी पूरी तरह से सक्षम रहें और उसके फैसले भी बेहतर तरीके से यहां से हो। अगर हम अपनी ताकत और अपने काम करने के तरीकों को दूसरों के हवाले कर देंगे तो शुरूआत हो चुकी है इसका अहसास नेता विरोधी दल को भी है, नेता भारतीय जनता पार्टी को भी है नेता कांग्रेस को भी है। मै इस वाकये का जिक्र यहां इसलिए नहीं करूंगा कि जिन प्रधानमंत्री के जमाने मे सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ सुपरसीड किये गये थे वह इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन सिर्फ इतना हुआ था कि उनके सुपरसेशन से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने अपने लॉ मिनिस्टर से पूछा कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है ? उन्होंने कहा कि जिन्हें आप सुपरसीड करेंगी दे मे रिजाइन, वो त्याग पत्र दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने क्षण भर के लिए आंखें बन्द की और जवाब दिया लेट देम रिजाइन। राजनीतिक निर्णय कमजोरी से नहीं हुआ करते। सुपरसेशन हुआ, इस्तीफे हुए, अखबार मे खबर भी आई लेकिन चुने हुए लोगों की और न्यायपालिका की अपनी–अपनी अहमियत रही दोनों में कोई टकराव नहीं हो सका। जब भी कभी दो ताकतों में टकराव होगा तो नुकसान किसी एक का नहीं होगा नुकसान दोनों का होगा। ताली की आवाज लोग सुनेंगे, दोनो हाथों का दबाव होगा यह हो सकता है एक हाथ कमजोर पड़ जाये लेकिन उसके बगैर ताली नहीं बजेगी। बहुत से मामलात में यह देखने को मिल रहा है और खुद नेता भारतीय जनता पार्टी इस बात से वाकिफ हैं कि भारत सरकार उनकी पार्टी की सरकार एक नया सिस्टम लागू करना चाहती है जजेज के अपॉइन्टमेन्ट में जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। यह भी एक टकराव है, वहां आप प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की ताकत को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रखना चाहते हैं और यहां दूसरा उसूल है। मैं बहस में नहीं ले जाना चाहता इस बात को।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इसका जवाब देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप जवाब न दे मैं वापस लिये लेता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता सुप्रीम कोर्ट यहां डिसकस हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

डिसकस तो आप कर रहे हैं वह आरग्यूमेन्ट जिसका इस सदन से कोई मतलब नहीं है। इस आरग्यूमेन्ट का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए।

(कई सदस्यों द्वारा टोका–टाकी से व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप नेता है एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं जिसकी केन्द्र में सरकार है और अपनी बात को मै पेश कर रहा हूं एक उदाहरण से और उदाहरण के लिए आप नहीं रोक सकते। आप इसे शायद समझ ही नहीं पा रहे मै आपकी बात को कमजोर नहीं कर रहा हूं। भारत सरकार के इस निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हो सकता हो आप सही हों और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट सही हो। मैं यही समझाना चाहता हूं कि विधान सभाओं में पार्लियामेन्ट में और न्यायपालिका में टकराव नहीं होना चाहिए और जनता के अन्दर भी यह सन्देश नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर हम एक दूसरे के शरीर से कपड़े उतारना शुरू कर दें तो बहुत से लोग नंगे हो जायेंगे। जो गुजरे दिनों हुआ है क्या उसे देश और प्रदेश नहीं जानता। लोकायुक्त के मामले को लेकर किस तरह की बहस चली है क्या देश और प्रदेश नहीं जानता ? क्या ऐसा होना चाहिए था ? क्या इस मामले को लेकर सरकार से इस तरह का विवाद खड़ा करना चाहिए था ? राज्य की सरकारों से यह मांग की जाती है जनता की तरफ से कि लोकायुक्त नियुक्ति किया जाये सरकार से किसी और से नहीं। यह दायित्व सरकार का है और यह मुतालबा सरकार से होता है इसलिए इस पर वर्चस्व भी सरकार का रहना चाहिए था (मेजों की थपथपाहट) और लोकतंत्र कहां–कहां कमजोर होता है लोकतंत्र कमजोर होता है जब 635 नगर निकायों को उनका अधिकार न दिया जाय और मात्र 12 नगर निगमों की वजह से महामहिम राज्यपाल के यहां बिल रोक दिया जाय तब होता है अन्याय, तब होता है लोकतंत्र कमजोर, इसीलिए मान्यवर, लोकायुक्त की नियुक्ति के सिलसिले में नेता सदन और नेता विरोधी दल इनकी सहमति होगी और माननीय चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट या कोई भी हाईकोर्ट उनसे परामर्श होगा अगर यह सही है तो सही है अगर ऐसा नहीं है तो मैं गलत कह रहा हूं आप दोनों की सहमति लिखित रूप से हैं नेता विरोधी दल इससे इंकार यह नहीं करेंगे कि सहमति पत्र पर आपके दस्तखत हैं। माननीय नेता सदन यहां मौजूद हैं आपका परामर्श हो चुका है एक बार नहीं एक से ज्यादा बार परामर्श में राय बनती भी है और राय नहीं भी बनती है, इत्तिफाक होता भी है और इत्तिफाक नहीं भी होता है किसी को भी किसी सही बात से इख्तिलाक करने का अधिकार है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कमजोर से कमजोर आदमी को मजबूत से मजबूत पक्ष रखने का अधिकार है यही लोकतंत्र है लेकिन जैसा माहौल बना और जैसा माहौल आज के दिन बना हुआ है और जिस तरह के नुक्सानात हो रहें हैं उससे जिस तरह की बातें आ रही हैं सही बात को गलत चश्मा लगाकर देखा जाय तो जाहिर है न्याय नहीं होगा और न्याय नहीं होगा तो लोगों की ऊंगली उठेगी तो फिर न्याय करने वाले को भी यह सोचना चाहिए कि उनकी तरफ से यह पहल अच्छी नहीं होगी। कोई नहीं चाहेगा देश में कि न्यायपालिका पर या इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों पर कोई ऊंगली उठे। मान्यवर, इसमें एक रिटायर्ड जज के ऊपर ऊंगली उठी है मैं उन शब्दों का यहां इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वह तौहीन होगी न्याय की। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है राय भी मौजूद, वह हाईकोर्ट की उस कुर्सी पर बैठे हुए पूरी नौकरी की यह अन्याय क्यों होता रहा प्रदेशवासियों के साथ अगर यह सारी कमियां थीं

तो उस सख्स ने अपनी पूरी जुडीशियल लाइफ इस तरह से कैसे गुजारी। यह कितना बड़ा इल्जाम है यह कितना बड़ा लांक्षन है व्यवस्था पर कि न्याय करने वाले लोग, हाईकोर्ट की जज की कुर्सी पर वह बैठे हुए थे जिन्हें बैठने का हक नहीं था। जिन्हें लोकायुक्त नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर इल्जामात हैं लेकिन उन्होंने पूरी नौकरी की और रिटायर हुए तो क्या यह अन्याय नहीं हुआ अगर यह सच था। उस वक्त कहां थे रास्ता दिखाने वाले लोग, रास्ता दिखाने वालों की शमा उस वक्त कहॉ थी ? लिहाजा कोशिश हमारी तरफ से यही होना चाहिए। पूरे सदन की तरफ से यही कोशिश होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आज अखिलेश यादव जी हैं हो सकता है कल दूसरे हों, हो सकता है यह फिर हों तो बात किसी नाम की नहीं है बल्कि हम सबके सम्मान की है कि इस सदन के नेता द्वारा लिये गये निर्णय के खिलाफ पूरे प्रदेश में माहौल बनाया गया और सिर्फ जुडीशियरी में अपने ही जुडीशियल आफिसर के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की जिसने पूरी नौकरी उस कुर्सी पर बैठकर की और रिटायर हुए उस कुर्सी से। मान्यवर, इस संशोधन का स्वागत होना चाहिए। हम जानते हैं कि संशोधन के बाद भी बहुत राह दुश्वार है यह बिल पास होकर चला जायेगा लेकिन जायेगा राजभवन में जहां एक बिल जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को चांसलर बनाया गया है, वह रूका हुआ है, शिक्षा बिल रूका हुआ है, जहां मात्र 14 मेयर्स जिनमें 12 भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके हित के लिए कि उन्हें बेईमानी का अधिकार होगा। मान्यवर, मात्र संशोधन इतना है कि माली मामलात में बेईमानी के लिए जिस तरह 635 चुने हुये लोग जवाबदेह होंगे, उस तरह यह 12 लोग भी बेईमानी के लिए जवाबदेह होंगे। यह बिल पिछले बजट सेशन में पास हुआ था। वो जमाना गुजरा, अंतराल गुजरा, यह सेशन आ गया, लेकिन अभी तक उस बिल को राजभवन ने दस्तखत करके वापस नहीं किया है। इससे बड़ा लोकतंत्र का नुकसान और क्या होगा कि 635 नागर निकायों का अहित हो रहा है, इसलिये कि भारतीय जनता पार्टी के 12 मेयर जो अगर कहीं बेईमानी करें तो उनसे पूछताछ न की जाये। यह कहां का न्याय है और जब यह बात उस भवन के लिए की जायेगी, जो संरक्षक है कानून का, तो क्या होगा ? अगर इसी तरह से बिल रोके जायेंगे, तो लोकतंत्र रहा कहां ? इस पर विचार होना चाहिये कि क्या सीमायें होंगी राजभवन और राज्यपाल महोदय की। राज्यपाल, मैं किसी नाम से बावस्ता होकर यह बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन आखिर एक न एक दिन फैसला तो होगा। इसीलिये मैंने कहा था कि यह जौहर यूनिवर्सिटी का बिल नहीं है। ठीक है, इसे आपने पैरों से मसल दिया, लेकिन यह दूसरी चीज है। यह तमाम चीजें वह हैं, जो आम लोगों से जुड़ी हुई हैं। लिहाजा इस बिल का स्वागत होना चाहिये, इसे पास होना चाहिये और इस बात का भी यहां निवेदन किया जाना चाहिये कि वे तमाम चीजें जो सरकार की तरफ से एक रवायत के तौर पर अख्तियार की गई हैं, वह राजभवन में न रोकी जाये। आप सभी लोग सत्ता में रहे हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि एम0एल0सी0 की लिस्ट कभी राजभवन में रोकी गई है। कभी ऐसा हुआ है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा कहा गया 'कभी नहीं–कभी नहीं')

श्री मोहम्मद आजम खां–

पूरे देश में यह एक मिशाल है। अगर एम0एल0सी0 की यह लिस्ट सही थी, तो सही थी और अगर गलत थी तो गलत थी। कुछ लोगों को कह दिया गया कि इन्हें एम0एल0सी0 बना दिया जाये और कुछ को रोक दिया गया। यह क्या कर रहा है राजभवन, क्या संदेश दे रहा है ? क्या वकार बुलन्द होगा राजभवन का, क्या आस्था बनेगी राजभवन के बारे में ? इसीलिये मान्यवर कुछ ऐसी बातें जो परम्परा के खिलाफ हैं, रवायतों के खिलाफ हैं, जो आने वाले कल के लोकतंत्र के लिए खिलाफ हैं, उसे 1947 से पहले का राजभवन नहीं, 1947 के बाद का राजभवन बनना चाहिये और कोई ऐसी परम्परा नहीं बननी चाहिये जिससे लोगों की उंगली उठे। मैं अपने तमाम नेता साथियों से, नेता प्रतिपक्ष से, नेता, भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस से, और नेता कांग्रेस से तो इसलिये भी कि यह बीज बोया हुआ तो उन्हीं का है, अब फल आना शुरू हुये हैं, गुजारिस करूंगा कि आप अपने संशोधन को वापस ले लेंगे, प्रवर समिति को दिये जाने की मांग को वापस ले लेंगे और इसके लिए पूरा सदन आपका धन्यवाद करेगा, क्योंकि इस बिल में पूरे सदन की आबरू का सवाल है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि चूंकि हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज को लोकायुक्त बनाये जाने की बात थी। अपने ही एक जज पर यह लांछन लगाना कि जितने वर्ष वह जज की कुर्सी पर रहे वह गैर मुन्सिफ इन्सान रहे, इसलिये उनके तमाम फैसलों पर भी उंगली उठती है और यह पूरी व्यवस्था पर भी उंगली उठती है और इससे पूरा ज्यूडिशयल सिस्टम बदनाम होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने तीन बातें कहीं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप क्यों जवाब दे रहे हैं। कृपया आप बैठिये।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, उदाहरण के लिए आपने कोलेजियम सिस्टम की बात कही। कोलेजियम सिस्टम के जो दुष्परिणाम सामने आये थे। हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। उसकी आवश्यकता पूरे देश ने महसूस की थी, इसलिये वह स्थिति बनी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, वह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रेसटिज इश्यू था और आज भी है और मान्यवर, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिये बड़ी बदनसीब बात है कि उस स्तर से एक सवाल खड़ा किया जाय और इस स्तर से उसे कंडम किया जाय।

(इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये मैनें आपसे निवेदन किया था और इसलिये किया था, जिससे कि सरकार को सोचने समझने का मौका मिल जायेगा और यह एक महीने के अंदर प्रतिवेदन आ जायेगा और फिर उसको लाये या न लाये, यह सरकार पर निर्भर करता है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में यह आ रहा है, यह कहीं न कहीं अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है, इसलिये बहुजन समाज पार्टी इस पर विरोध करती है और सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल सहित सदन से बाहर चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसे असंवैधानिक इसलिये नहीं कहा जा सकता कि विधि विभाग से इसका पूरा परीक्षण कराया गया है जैसे कराया जाता है और विधि विभाग की संस्तुति के बाद ही यह बिल आया है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, मैं और मेरा दल भी इसका विरोध करते हैं और सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस के नेता श्री प्रदीप माथुर अपने दल सहित सदन से बाहर चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह अलोकतांत्रिक इसलिये नहीं है कि यह विधान सभा में पेश हुआ है और बहुमत से पास होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–42, सन् 1975 की धारा–3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,–

(क) उप धारा–(1) में, परन्तुक में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

''(क) लोक आयुक्त को निम्नानुसार गठित चयन समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगाः–

(एक) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री	–	अध्यक्ष
(दो) उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष	–	सदस्य
(तीन) उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरोधी दल के नेता	–	सदस्य
(चार) भारत के उच्चतम न्यायालय के या किसी उच्च न्यायालय के सेवा–निवृत्त न्यायाधीश, जिन्हें इस समिति के अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश के विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश के विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श से नामित किया जायेगा।	–	सदस्य

(क–1) चयन समिति में मात्र कोई रिक्ति होने के कारण लोक आयुक्त की नियुक्ति को अवैध नहीं माना जायेगा।''

धारा–13 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा–13 में, उपधारा (5–क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''(5–क) इस अधिनियम के अधीन यदि अन्वेषण के किसी प्रक्रम पर, जहां लोक आयुक्त या किसी उप लोक आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि परिवाद मिथ्या या तंग करने वाला है अथवा सद्भाव पूर्वक नहीं किया गया है या किसी लोक–सेवक को अपमानित करने की दृष्टि से किया गया है, तो यथास्थिति, लोक आयुक्त अथवा उप लोक आयुक्त परिवादी को कारण बताने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे

परिवाद के अन्वेषण को अपने विवेकानुसार बन्द कर सकता है और एक लाख रुपये से अनधिक की धनराशि तक हर्जाना लगा सकता है, जो राज्य के संचित निधि के सम्बन्धित शीर्षक के अधीन जमा की जायेगी। यदि परिवादी द्वारा आदेश के दिनांक से दो माह के भीतर हर्जाने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह परिवादी की सम्पत्ति से भू–राजस्व के रूप में कलेक्टर के माध्यम से वसूल की जायेगी।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष गये और आ गये। अब इससे तो नकार नहीं सकते कि सहमति पत्र पर दस्तखत हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का यह वाकआउट मेरे ख्याल से माना नहीं जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय मंत्री जी तो जाते थे तो कभी आते नहीं थे और आते थे तो 24 घन्टा इसी में बैठे रहते थे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख01.47, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 27–08–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम आठ सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। जैसा कल हुआ था जो लोग बोलना चाहेंगे, दो–दो मिनट उनको बोलने का अवसर है। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा अन्य की कमजोर वर्ग के सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का बजट स्वीकृत होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा की गई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस पर अभी प्रश्न भी आया था, लेकिन आप अपनी बात रखें।

श्री अध्यक्ष–

जिसको बोलना है, वह बैठें और जिसको नहीं बोलना है वह जा सकते हैं।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मान्यवर, मेरी ट्रेन है।

श्री अध्यक्ष–

पहले मा0 नेता प्रतिपक्ष बोल लें, उसके बाद आप लोग बोलेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाओं को एक–एक करके बन्द करती जा रही है और आज पूरे उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ठप पड़ी हुई है। यहां तक कि विगत सत्र में इसके लिए धन भी प्रावधानित हुआ था लेकिन पूरे साल तक इस मद में जो बजट द्वारा आवंटित धन था उस पर सरकार कुण्डली मार करके बैठी रही। पूरे साल भर पूरे प्रदेश में छात्र और छात्राएं बुरी तरीके से शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में लगातार चक्कर लगाते रहे लेकिन किसी भी छात्र को ना तो छात्रवृत्ति मिली और ना ही शुल्क प्रतिपूर्ति की भरपाई हुई। मा0 अध्यक्ष जी, सरकार को साल भर इस धन को खर्च करने की याद नही आई लेकिन जब मार्च का अन्तिम दिन आया तो पूरे साल के लिए इस मद में आवंटित बजट धन को रातोंरात स्थानान्तरित करने का काम किया। स्वाभाविक रूप से साल भर का धन जब 31 मार्च की रात को स्थानान्तरित किया जायेगा तो स्वाभाविक रूप से वह धन छात्र और छात्राओं को नहीं मिलेगा, कहीं न कहीं वह धन बिचौलियों, दलालों और साथ ही साथ विभागीय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो–राय नहीं है। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, यही नहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति ना मिले इसलिए उनकी मेरिट तय करते वक्त कट–ऑफ 60 प्रतिशत कर दिया गया जो कि सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्गों के लिए निश्चित था। बाद में इसे सरकार के संज्ञान में लाया गया और सरकार ने इस गलती को महसूस भी किया और इस गलती को दूर करने का भी काम किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह सारे के सारे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति से वंचित रह गये। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, छात्रवृत्ति के लिए सरकार यहां पर बार–बार वाहवाही लूटने की कोशिश करती है और बड़े–बड़े वायदे भी करती है कभी बेरोजगारी भत्ता, कभी लैपटॉप और कभी टैबलेट लेकिन उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है जिससे उनकी पढ़ाई पूरी होनी है उसकी याद इस सरकार को नहीं है। यहीं नहीं मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश के छात्रों की पढ़ाई बीच में ठप पड़ी, (इस समय 01 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजबली जैसल पीठासीन हुए) तमाम छात्रों को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और कहीं–कहीं पर सरकार ने सॉफ्टवेयर का बहाना

लिया। सॉफ्टवेयर का बहाना ले करके कि अगर नाम की स्पेलिंग में कहीं कोई त्रुटि आ गई तो उसमें दिक्कत आई। पहले जब मैनुअल वर्क होता था तो ऑफिस के लोग उसको सुधार करके छात्रवृत्ति देते थे, शुल्क प्रतिपूर्ति देते थे लेकिन इस सरकार का ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसमें किसी का नाम भी सही तरीके से नहीं लिखा है यदि कहीं ए की जगह ई हो गया है या ई की जगह ए हो गया है तो ऐसे छात्रों को सॉफ्टवेयर की गलती के चलते अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को पूरे साल इस गलती का दुष्परिणाम भोगना पड़ा। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, इसके साथ ही साथ प्रायः देखा जाता था कि छात्र–छात्राओं की आवश्यकता के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती थी, छात्रवृत्ति दी जाती थी लेकिन यहां पर साठ–गांठ करके सरकार ने एक जिला विशेष पर या कुछ जिलों पर मेहरबान हो करके। प्रथम वर्ष के छात्र–छात्रओं को सारा का सारा लाभ दे दिया गया जबकि इसके पूर्व में आवश्यकतानुसार उसकी पढ़ाई न रुके, सेकेण्ड ईयर में दिया जाता था, कभी थर्ड–ईयर में दिया जाता था, कभी फोर्थ–ईयर में दिया जाता था, यानि उसकी पढ़ाई को ध्यान में रख करके आवश्यकतानुसार वजीफा दिया जाता था। यहां पहले ही साल में एकमुश्त कुछ जिला विशेष के छात्रों को रेवड़ी की तरह धन को आवंटित करके शेष प्रदेश के छात्र और छात्राओं के साथ धोखा किया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रत्येक जिले में पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय है उसका काम यही है, समाज कल्याण कार्यालय है, उसका काम यही है कि वहां पर सामान्य वर्ग के छात्र और छात्राओं, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र और छात्राओं के लिए समय–समय पर इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचायें। लेकिन हुआ क्या, सारा का सारा कार्यों का निपटारा लखनऊ मुख्यालय से हुआ। यानी जो जिला कल्याण अधिकारी मुख्यालय पर बैठता है वह रद्दी की टोकरी में, केवल तारे गिन रहा था और इस पर किसी भी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि जो जिला कार्यालय हैं उनकी उपेक्षा हुई। इसलिए मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय और लोकमहत्व का प्रश्न है। अभी सरकार ने इसके पहले गरीब लड़कियों और लड़कों के शादी अनुदान का प्रबन्ध किया ही था, गरीब और पिछड़े लोगों के इलाज के लिए चिकित्सीय व्यवस्था का प्रबन्ध किया था लेकिन अब इस पर भी काले बादल मड़राने लगे हैं, यहां पर भी संकट की छाया मड़रा रही है। आज पूरे प्रदेश के सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र और छात्रायें अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मैं सदन की सारी कार्रवाई रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

श्री दलवीर सिंह को जाना है इसलिए मैं चाहूंगा कि वह पहले अपनी बात रख लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, क्या इसी विषय पर सूचना है ?

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, इनकी सूचना दूसरे विषय पर है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जब दूसरे विषय पर है तो पहले इस पर बिना उत्तर आये कैसे अनुमति दे देंगे। अधिष्ठाता जी, पहले इस पर कोई निर्णय दीजिए, सरकार का वक्तव्य लीजिए। उस पीठ पर बैठने से क्या नशा अलग हो जाता है ? मैं निवेदन करूंगा कि पहले इस पर व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता– माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जो छात्रवृत्ति का मामला रखा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवादी सरकार और समाजवादी सोच उनके भाषण से बिल्कुल विपरीत है। कमजोरों का हित हो, कमजोरों का ख्याल रखें और समाज का हर कमजोर बच्चा और बच्ची पढ़े इसके लिए हर तरह की कोशिश की गयी है और की जा रही है और जहां कहीं कमी महसूस होगी और आपकी तरफ से जो कमियां दर्शायी जायेगी उन पर खासतौर से विचार होगा। आपने जिन–जिन बातों का उल्लेख किया है उसका संज्ञान लिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पूरे साल भर बच्चों को वजीफा का वितरण नहीं हुआ और पूरे साल का बजट 31 मार्च की रात में स्थानान्तरित किया गया। सारे छात्र अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और आज भी कुछ लोग कहीं न कहीं उपकृत हो करके एक–दो जिला विशेष के पहले वर्ष के छात्रों को सारा वजीफा का पैसा दे दिया।

पूरे प्रदेश के लोगों के साथ धोखा हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, ऐसा पूरी तौर पर नहीं होगा ना ही है। कहीं कहीं की शिकायत आई है और उस पर जांच हो भी रही है। हमारे यहां अल्पसंख्यक कल्याण में भी यह शिकायत आई थी और मेरे पास रिपोर्ट भी यही है उसकी जांच की आख्या आ जायेगी। अगर आपकी जानकारी में कहीं का है, सारे में ऐसा नहीं हुआ है। अगर कहीं की आपकी कोई जानकारी है तो आप दे दें कहीं किसी का किसी तरह का कोई पक्ष नहीं लिया जायेगा। और आप जानेंगें कि अगर मेरे स्तर से कार्रवाई होना होगा तो वह होगी ही किसी के साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं होगी और ऐसे बच्चों के साथ तो कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अवगत कराया कि उनके जिले में भी नहीं बंटा। इससे स्पष्ट है कि हमारी सूचना यथार्थ सत्य है और सरकार इस मामले पर लीपा पोती कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र–छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है इसलिये बहुजन समाज पार्टी सरकार के इस उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ सदन से बर्हिगमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल सहित से बर्हिगमन कर गये)

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, मैंने अपने जिला का तो नाम ही नहीं लिया लेकिन नेता विरोधी दल कुछ इस तरह से झटके से जाते हैं मुझे डर यह है कि कहीं ये उड़ने न लगें। बजाय चल के जाने के परों से न जाने लगें। तो मान्यवर, यह सही नहीं है। इस तरह के मामलात अगर कहीं हों तो मैंने निवेदन किया ही है कि नेता प्रतिपक्ष, जहां कहीं इस तरह की शिकायत हो, अगर लिख देंगे तो हमें आसानी हो जायेगी उसकी जांच कराने की।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नेता प्रतिपक्ष जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना अग्राह्य की जाती है। अब दलवीर सिंह जी बोलें।

श्री दलवीर सिंह–

अधिष्ठाता महोदय आपने अति लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी के साथ–साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, प्रश्न अलीगढ़ शहर का है। अलीगढ़ नगर निगम और नगर पालिका का है। अलीगढ़ शहर के आस–पास कुछ गांव ऐसे हैं जो अलीगढ़ शहर के अंदर आ गये हैं और वही सब कार्य–कलाप हो रहे हैं वहां जो एक शहर में होते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन गांवों से वह अच्छी तरह परिचित भी हैं और भिज्ञ भी हैं। जो बिल्कुल अलीगढ़ शहर में अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के पास बिल्कुल शहर में हैं। मैं नाम गिनाना चाहता हूं क्वारसी, नगला पटवारी, कोडरा, नगला किला, अलबरकात के पीछे इस्लामनगर, सारसौल, महेशपुर, देवसैनी, किढारा, सुखरावली, असदपुर क्याम, महुआ खेड़ा, धनीपुर, महेशपुर नादा, ऊदला, सिंधौली, ज्वालागढ़ कमालपुर तालसपुर कला सिकन्दरपुर, बरौला धौर्रा। हमारे यहां के माननीय विधायक भी बैठे हैं समाजवादी पार्टी के कुछ गांव इनके क्षेत्र के भी हैं और आपकी जानकारी भी है। सौभाग्य से आप हमारी यूनीवर्सिटी के जनरल सेक्रेट्री भी रहे। आप जानते हैं कि हमारे यहां बिल्कुल लॉ फैकल्टी के बगल में धौर्रा है, पूरे शहर के बीच में यह गांव हैं। आपने प्रस्ताव भी मांगे लेकिन अभी तक इन गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से

चाहूंगा कि माननीय नगर विकास मंत्री जी के साथ–साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी इस पर मुझे आश्वासन दें कि कब तक यह गांव नगर निगम में शामिल हो जायेंगे। जिससे कि यहां का विकास हो सके। 2001 की जनगणना के हिसाब से किसी पंचायत में मिलते हैं 10 हजार रुपये, किसी में 20 हजार रूपये जिससे कि इनका विकास नहीं हो पाता। जब तक यह नगर निगम की सीमा में यह गांव नहीं आयेंगे तब तक शहर का कोई विकास नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन गांवों को आप कब तक नगर निगम में शामिल करायेंगे कृपया बता दें।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, नेता लोकदल की तो सभी बातें मानी जाती हैं और बातें ही इतनी वाजिब और अच्छी होती हैं। इस पर कार्रवाई चल रही है और अब आपके सदन में उठाने के बाद कार्रवाई और तेज हो जायेगी। जल्द से जल्द इसका निस्तारण करेंगे।

श्री दलवीर सिंह–

आश्वासन तो हो गया फिर।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

जी हो गया। बिल्कुल हो गया।..

श्री दलवीर सिंह–

आश्वासन तो हो गया फिर।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बिल्कुल हो गया।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने मा0 सदस्य श्री दलवीर सिंह जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना अग्राह्य की जाती है। दूसरी सूचना श्री जय प्रकाश निषाद जी, दीपक पटेल जी, अली युसुफ अली की है। जय प्रकाश जी अपनी बात रखें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा निवेदन है जो भी सूचना नियम–56 की ली जाती हैं जो परम्परा मा0 अध्यक्ष जी द्वारा स्थापित की गई है उसमें नेता प्रतिपक्ष की पहली सूचना होती है, तो वह स्वभाविक रूप से पहले ली जाती है उसके बाद मा0 नेताओं की सूचना ली जाती हैं उनकी सूचना लेने के बाद बाकी सब सूचनायें ली जाती हैं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सूचना पहले थी, मा0 दलवीर सिंह जी ने आपसे निवेदन किया कि उनको जाना है तो आपका अधिकार है आपने उन्हें सुन लिया उसके बाद फिर हमें सुनना चाहिए। फिर मा0 सदस्यों की सूचना लेनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

आज जो आठ सूचना चयनित की गई हैं उसमें पहली सूचना मा0 नेता प्रतिपक्ष की है दूसरी सूचना आपकी है, तीसरी सूचना श्री आशुतोष टंडन जी की है, चौथी सूचना डा0 अरबिन्द कुमार जी की है पांचवीं सूचना दीपक पटेल छठवीं सूचना श्री रोशनलाल वर्मा जी की है सातवीं सूचना ठा0 दलवीर सिंह जी की है आठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर जी की है बाकी सूचना पर ध्यानाकर्षण किया गया है।

श्री जय प्रकाश निषाद–

आपने मुझे नियम–56 बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(इस समय 02 बजकर 05 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

इनको जानकारी नहीं थी। आपको भी जल्दी है क्या, आप लोग अगर राजी हों तो हम सबका नाम पढ़ दें और सब पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर दें तो बोलने से बच जाएंगे।

श्री सतीश महाना–

हमारी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

यह कह दें।

श्री जय प्रकाश निषाद–[´]

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए इस सदन के कभी नेता रहे आज जिनके नेतृत्व में पार्टी चल रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है उन्होंने भी समय–समय पर सामाजिक आन्दोलन और न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने आन्दोलन करने के लिए, बहुत सारे आन्दोलन अपने समय में किए हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि की जनपद गोरखपुर में, एक आन्दोलन हुआ अध्यक्ष महोदय सरकार ने अपने घोषणा–पत्रों में बहुत वायदे किए हैं कई वायदों के मुताबिक सरकार यह चाहती थी, अपने घोषणा–पत्रों में उन्होंने यह कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 17 जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करेगी। लेकिन इस बात को मान्यवर, तीन साल हो गया लेकिन सरकार ने इसमें कोई गम्भीरता नहीं दिखाई। इस समाज की 17 जातियों को उकसाकर प्रेरित किया और कहा कि हम आपको अधिकार, हक दिलायेंगे लेकिन ऐसा नहीं किया और इन लोगों को आन्दोलन करने के लिए बाध्य किया, जिसके कारण 7 जून 2015 को कसरौल सहजनवा में इस समुदाय के लोगों ने भारी पैमाने पर आन्दोलन शुरू किया अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने आंदोलन किया लेकिन पता नहीं कारण है.....

[´] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार इस पर गम्भीरता से कोई विचार न करते हुए और आन्दोलन कारियों को समझाने बुझाने के बजाय उनको आश्वासन देने के बजाय उनके साथ अत्याचार शुरू कर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में रखें।

श्री जय प्रकाश निषाद–

और इन समुदाय के लोगों पर लाठियां बरसाई गईं। लाठीचार्ज करने के बावजूद सरकार की तरफ से गोरखपुर में तो वाटर कैनाल थी रबड़ की गोलियां थीं लेकिन क्या ऐसी आवश्यकता आ गई कि इन 17 जातियों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए मजबूर हो गए और उन गोलियों की बौछार से इस समुदाय का एक होनहार बेटा अखिलेश निषाद की वहां पर पुलिस की गोली से मौत हो गई उसको गोलियों से भून दिया गया। उसी जगह उसकी मौत हो गई । वह छटपटाता रहा लेकिन वहां के पुलिस कर्मियों ने उस अखिलेश निषाद को पन्नी में लपेट दिया उसको अस्पताल नहीं ले गए।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करो। सबको जाना भी है। यह भाषण नहीं है।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय अध्यक्ष महोदय इस समुदाय के लोगों के बारे में सरकार अपने घोषणा–पत्र में कहती है कि हम इन समाज के लोगों को अनुसूचित समाज में शामिल कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और आपको अवगत कराना चाहता हूं जैसा कि सरकार का शासनादेश है कि निषाद और मल्लाह समाज के लोगों को विमुक्त जाति का सर्टीफिकेट दिया गया है लेकिन इस सर्टीफिकेट का केवल शिक्षा में उपयोग होता है। आज प्रदेश के कई मल्लाह जाति के उस निषाद केवट जाति के बच्चों ने एम0बी0बी0एस0 में परीक्षा दिया था लेकिन कांउसिलिंग में उनको नहीं रखा गया। मैं सरकार से चाहूंगा कि इस पर विचार करे और जो बच्चे काउंसिलिंग में आ गए थे उनको दुबारा बुलाकर सरकार रखेगी। अध्यक्ष महोदय दूसरी बात जो दोषी पुलिसकर्मी हैं इनकी सी0बी0आई0 जांच कराकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने का सरकार क्या आश्वासन देगी। और जो निर्दोष लोग जेल में बन्द हैं आन्दोलनकारी निर्दोष लोग जेल में बन्द हैं क्या उनको रिहा करने का काम सरकार करेगी। यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इस पर बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई होगी और किसी तरह से माननीय सदस्य को शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

टंडन जी आप लोग लखनऊ में रहते हैं आप तो पैदल अपने घर जा सकते हैं बिमला जी को ट्रेन पकड़नी है।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे नियम–56 की सूचना पर बोलने का मौका दिया मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। यह की जनपद बुलन्दशहर की सिकन्दराबाद तहसील के अन्तर्गत खानपुर गांगरौल, फतेहपुर, जादौन तथा वैर, अरौण्डा आदि गांवों के किसानों की भूमि को वर्ष 2008–09 में डैडीकेटेट फ्रण्ट कारीडोर के लिए अधिग्रहीत किया गया था । जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मुआवजे का निर्धारण वर्ष 2012 में किया गया था लेकिन मुआवजे के निर्धारण में किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया है। आज प्रदेश की सरकार किसान वर्ष को मना रही है और जिस तरह से किसान की भूमि को लूटा जा रहा है बिलकुल किसान की भूमि पर डकैती डाली जा रही है। उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। सिकन्दराबाद एन0सी0आर0में आता है और ग्रेटर नोयडा के बिल्कुल समीप है। ग्रेटर नोएडा से सिकन्दराबाद के कुछ गांव ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण तथा यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण द्वारा 1400 से 1800 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिग्रहीत किया जा रहा है जबकि इन डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो अधिग्रहीत जमीन कर रही है वह 400 से 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कर रही है। इससे किसानों में भारी असंतोष है और इसी के खिलाफ जो किसान हैं, आन्दोलन कर रहे हैं। उन्होंने डेडिकेटेड फ्रंट कारिडोर का कार्य न होने की चेतावनी दे रखी है। कार्य आरम्भ होने की स्थिति में कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं तो मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहती हूं कि इस मसले में मैं रेलवे मिनिस्टर से भी मिली थी। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सरकार जो भी तय कर देगी, हम उसमें बिल्कुल तैयार हैं। जो भी प्रदेश सरकार तय कर दे उसको हम उचित मुआवजा देंगे। चूंकि किसान वर्ष है और किसानों की बात है, किसानों की पीड़ा है इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगी कि वह इसका संज्ञान लें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, जो मुआवजा भारत सरकार को देना है, उसे भारत सरकार ही तय करेगी, प्रदेश सरकार नहीं तय करेगी, एक बात। दूसरे, आपने जो कहा कि किसान बुरी तरह से लूटा जा रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने उस बिल का विरोध किया जिसमें किसानों की जमीनें पार्लियामेंट में लूटे जाने का एक षडयंत्र हुआ है। आपको इसके लिये मुबारकबाद भी देता हूं कि भाजपा में रहने के बावजूद भी आपने उसका विरोध किया है। जो किसानों को लूटे जाने की बात कही है मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूं। किसानों को लूटने का मतलब किसान की जमीन लूट ली, किसान को लूट लिया। तो अपनी पार्टी की और अपनी सरकार की नीतियों की मुखालफत की, उसके लिये धन्यवाद दे रहा हूं। मान्यवर, माननीय सदस्या का जो विषय है उसको दिखवा लेंगे।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। हमारी राय यह है कि जो इम्पार्टेन्ट है उस पर मा0 सदस्य दो–दो मिनट बोल लें। सब पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लेता हूं।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप अपनी पीठ से आदेश देंगे तो जो डेडिकेटेड फ्रंड कारिडोर वाले जो अधिकारी हैं वह आकर के किसानों से बात करें। अगर सरकार चाहेगी तो मुआवजा बढ़ सकता है। इतनी मुझे उम्मीद है। मैं चाहती हूं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसका संज्ञान लें।

श्री अध्यक्ष–

संज्ञान ले लिया है।

'श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)–

मा0 अध्यक्ष जी, पिछले कुछ दिनों से लखनऊ में ट्रैफिक की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। पूरे लखनऊ में सब जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। लाखों लोग प्रतिदिन यहां आते हैं। हजारों पर्यटक आते हैं। आसपास डेढ़ दो सौ किलोमीटर तक तमाम लोगों ने अपनी रिहाईश लखनऊ में बना रखी है जो दूसरे जिलों में रहते हैं, यहां पर वह फ्लैट और मकान लिये हुये हैं। लखनऊ में ऐसी हालत है कि आप विधान सभा से निकलें और यहां जाम लगा रहता है, पूरे लखनऊ में चाहे अमीनाबाद ले लीजिये, हजरतगंज, लालबाग, आलमबाग, इन्दिरा नगर, मुंशीपुलिया से पॉलीटेक्निक चौराहे तक, चिनहट तिराहे पर हर वक्त जाम लगा रहता है। अब हालत यह है कि बेतरतीब गाड़ियों की पार्किंग हो रही है। स्थानीय स्तर पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। भूमिगत पार्किंग की हर जगह जरूरत है, लेकिन वह नहीं हैं। कुछ जगह हैं तो उनका उपयोग नहीं होता है। यहां डी0एम0 कोठी के सामने भूमिगत पार्किंग बनी हुयी है, लेकिन उस पार्किंग का उपयोग नहीं हो रहा है। तमाम जगह पर यह है कि उस पार्किंग का उपयोग कार बाजार वाले कर रहे हैं। टैम्पो और आटो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वह बेतरतीब खड़ा करते हैं, उनके खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं है। सारे मार्गों पर बेतहाशा अतिक्रमण है। पुलिस कोई व्यवस्था नहीं करती है। आधी–आधी सड़कें लोगों ने घेर रखी हैं। यह हालत है कि लोगों की ट्रेनें छूट जा रही हैं, मरीजों के अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो जा रही है, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। इसके ऊपर सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, मान्यवर, उसके बाद भी यहां अधिकतर चौराहों पर ट्रैफिक सिगनल नहीं हैं और जहां हैं वह काम नहीं करते, ऐसी स्थिति है। कुछ दिन के बाद तो यह स्थिति हो जायेगी, हम लोगों को अगर कहीं जाना होगा तो 2–2 घण्टे पहले निकलेंगे। सदन के सारे सदस्य यह महसूस करते होंगे कि सदन में आने और जाने के लिए कितनी कठिनाई होती है तो आम जनता को कितनी कठिनाई होती होगी। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, यहां सामाजिक, राजनैतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, तमाम लोगों का

आना–जाना यहां होता रहता है, धरने–प्रदर्शन होते रहते हैं और शहर के नागरिक यहां परेशान होते हैं। मान्यवर, इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहता हूं कि वह प्रशासन को आदेश करें कि वह कोई व्यापक योजना बनाये। यहां पर तमाम फ्लाईओवर की जरूरत है, कितने फ्लाईओवर यहां अधूरे पड़े हुए हैं। कुकरैल पुल के ऊपर पता नहीं कितने साल से यह अधूरा पड़ा है, उसके लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से आग्रह किया था, उसके बाद सेना की बात आई और हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने वह विवाद हल करा दिया, अगर वह बन जाये तो काफी बड़े शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल जायेगी। तमाम जगहों पर अण्डर पास की जरूरत है, तमाम जगहों पर फ्लाईओवर की जरूरत है। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की बहुत जरूरत है, इसकी बहुत कमी है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के नाते सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने हमें अवसर दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या अतिक्रमण हुआ है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, परेशानी तो है, अब क्योंकि लखनऊ बड़ा शहर है, राजधानी है, बड़े–बड़े लोग यहां रहते हैं, एक–एक घर में 6–6 कारें हैं, तो बड़ा शहर तो है और कोठियों वालों का मिजाज यह है कि पांच हजार गज की कोठी है, लेकिन जब तक फुटपाथ पर अपना छिछोरापन नहीं दिखायेगा, उस पर कब्जा नहीं कर लेगा और बाहर दो खोखे लगवाकर उससे किराया नहीं लेगा और यह बड़े–बड़े लोग हैं तो मैं चाहूंगा कि मान्यवर किसी छोटे शहर में आकर रहें, इनकी तस्वीर बदलेगी और मान्यवर, अगर कब्जा किए हैं तो वह सरकार का काम है लेकिन उसमें ज्यादातर आपके लोग हैं, आपके मेयर साहब नहीं हटाने देते कोई कब्जा, क्या करें ? हमारा बुल्डोजर जाता है, उनके पार्षद आ जाते हैं रोकने के लिए।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'–

मान्यवर, पुलिस किसके पास है, ट्रैफिक पुलिस किसके पास है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री हर चीज को दूसरी ओर मोड़ देते हैं। इसलिए यह पढ़ा हुआ मान लिया जाए कि यह जिम्मेदारी दूसरों की है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

पुलिस मांगने का अधिकार मेयर साहब का है, पुलिस खुद से नहीं जायेगी। वह जहां चाहें अतिक्रमण हटवा सकते हैं। आप लिस्ट ला दीजिए, पुलिस मांगिए।

(श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी' के बार–बार कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

नहीं इस तरह से वार्तालाप नहीं की जाती है। आपने अपनी बात कह ली है। टण्डन जी, आप बैठिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपको सच बता रहा हूं, राजनैतिक रूप से नहीं कह रहा हूं, चाहे इसे यूं कह लीजिए कि राजनेता, वह हमारे भी हो सकते हैं, अतिक्रमण हटाने के लिए जब भी हम कोशिश करते हैं तो अपने ही आड़े आ जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा, देखिए, जो हमारा सिस्टम है, जैसे मेरा शहर है, आप जानते हैं कि जितना अतिक्रमण मैंने हटाया शायद कोई नहीं हटा सकता। लेकिन उसमें नगर पालिका की मुझे मदद लेनी होती है। पिछली सरकार में जब मैं मंत्री था तो चेयर पर्सन हमारी नहीं थीं, कांग्रेस की थीं, कुछ काम नहीं करने दिया उन्होंने, बर्खास्त हुईं, तब काम हुआ। उसी तरह अगर आज मेरा मेयर, मेरा अध्यक्ष मुझे सहयोग न करे तो मैं अतिक्रमण नहीं हटवा सकता हूं। अतिक्रमण में सबसे अहम रोल नगर निगम का है, सब नगर निगम में आता है। मान्यवर, मैं मेयर साहब से बात करूंगा।

डा0 अरूण कुमार–[1]

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं उनके सामने खास तौर से यह बात रखना चाहता हूं। प्रदेश के नगर निगमों में अनआवासीय संपत्ति पर करों की बेहिसाब बढ़ोत्तरी हुई है। लगभग 10 गुना तक बढ़ोत्तरी हुई है जो न्यायपूर्ण एवं व्यावहारिक नहीं है। यह नियमावली 27 दिसम्बर, 2013 से लागू की गयी है और यह नियमावली अव्यावहारिक एवं त्रुटिपूर्ण है। जिसके निम्न कारण हैं। आवासीय भवनों पर कर आरोपण में कारपेट एरिया पर टैक्स लगाया जाता है जबकि अनआवासीय संपत्ति पर कर्वड एरिया पर टैक्स लगता है। आवासीय भवनों में खाली भूमि पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, जबकि अनआवासीय संपत्तियों में खाली भूमि पर भी टैक्स लगाया जाता है। आवासीय संपत्ति में भवन की आयु के अनुसार 20 प्रतिशत, 32 प्रतिशत या 40 प्रतिशत तक छूट दी जाती है जबकि अनआवासीय संपत्तियों में छूट का कोई प्राविधान नहीं है। आवासीय डर्म से अनआवासीय संपत्ति पर वार्षिक मूल्य निकालने के उपरांत दो से छः गुणांक करने के कारण अनुचित अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस अप्रत्याशित वृद्धि से जनता में रोष है, विशेषकर उन छोटे दुकानदारों में जो गली–कूचों में बच्चों की गोली, टॉफी, पेन, पेंसिल, कॉपी आदि की दुकान जीविकोपार्जन के लिए शुरू करते हैं। इस अप्रत्याशित नगर निगम के कर वृद्धि से काफी प्रभावित है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी एवं नगर विकास मंत्री जी से मांग करता हूं कि बरेली में प्रति घन फुट किराया दर और जगहों से बहुत ज्यादा है। बरेली में अब जबकि आपने थोड़ा कम करा दिया है तो तीन रुपये बीस पैसे है। जबकि आज भी कानपुर में दो रुपये, लखनऊ में दो रुपये पच्चीस पैसे, गाजियाबाद में डेढ़ रूपये है इससे पहले तो बरेली में तीन रुपये साठ पैसे था। लेकिन आज भी तीन रुपये बीस पैसे है, जो काफी ज्यादा है।

[1] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूंगा अनआवासीय भवनों में भवन की आयु के अनुसार जो छूट दी जाती है आवासीय भवनों वह अनआवासीयों को भी दी जाये। इसके साथ ही छोटे दुकानदारों को जो गली–कूचों में बैठते हैं उनको आठ–दस स्क्वायर मीटर तक अनआवासीय को आवासीय के बराबर ही ले लिया जाये तो बहुत मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष–

चलिए, ठीक है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या कम करेंगे किराया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी आपसे बात हुई थी और उसी के बाद मैंने इसको खास तौर से देखा भी था और आपके यहां कम भी कराया था। मान्यवर, कुछ इस तरह का प्रोसीज़र है कि कुछ समझने–समझाने में भी, जितने भी नगर निकाय हैं उनकी तरफ से दो–एक जगह कोताही पायी गयी थी। उसे ठीक कर लिया गया है। अब जहां कमी रहेगी उसको भी दूर करेंगे। आपके यहां ज्यादा नहीं है, इतना रईस शहर है। अब जितनी भी पॉश कालोनियां थीं, सब लोगों ने अपनी कोठियों में शोरूम बना लिए हैं और कुछ देते–दिलाते भी नहीं हैं। गंदगी भी करते हैं तो निगम के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। अगर थोड़ा–सा टैक्स मिलेगा तो उसी शहर पर खर्च होगा, उसी का भला होगा। तो इस बिनाह पर लिया जाता है लेकिन जहां भी गैर–वाजिब लगेगा उसको खासतौर से देखा जायेगा।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अरे यह दूसरे का नम्बर है, क्यों भाग रहे हो। राजबली जैसल जी और दीपक पटेल जी, दोनों में से कोई एक बोल लो।

श्री राजबली जैसल–

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे जनपद इलाहाबाद में दिनांक 21 जुलाई, 2015 को सुबह श्रीमती पुष्पा सिंह 7 बजे अपने बच्चों को लेकर केन्द्रीय विद्यालय जाती हैं। बच्चों को छोड़ कर आने के बाद, औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत सड़वा कालोनी में वह अपने किराए के मकान में अंदर जाती हैं और एक घण्टे के बाद उनका भतीजा उनके यहां जब जाता है तो देखता है कि अंदर उनकी लाश पड़ी हुई है। मात्र एक घण्टे के अंदर ही पता नहीं किन लोगों के द्वारा इतनी बुरी तरह से दुस्साहसिक घटना को घटा करके घर के अंदर हत्या करके चला गया और किसी को पता नहीं चला। पुलिस को सूचना हुई तो करीब नौ बजे पुलिस भी वहां पहुंच गयी, सी0ओ0 भी पहुंच गए। पूरी गांव की कालोनी की जनता इकट्ठी हो गयी, हम भी सूचना मिलने पर वहां पहुंचे और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी, चूंकि 21 जुलाई को एफ0आई0आर दर्ज नहीं हो पायी। पुष्पा सिंह के पति श्री सुनील कुमार सिंह सी0आर0पी0एफ0 में इंस्पेक्टर थे और झारखण्ड में उनकी पोस्टिंग थी उनको आने में देर हो गयी। सुबह 22 तारीख को अपराध संख्या 141/15 धारा 302 आई0पी0सी0 के

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि एक महीने से ज्यादा घटना को हो गया। दिन में सुबह आठ बजे घटना घटी। ऐसी घटना जिससे क्षेत्र के अंदर लोगों में आक्रोश है। आज तक पुलिस कोई कार्रवाई करके किसी स्तर तक नहीं पहुंची। न तो किसी की गिरफ्तारी हुयी न तो कोई छानबीन हुयी। इसलिए आज हम यहां पर आपके माध्यम से चाहते हैं कि इस बड़ी घटना में जिसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद वहां एस0पी0आर0ए0 वहां पहुंचते हैं। लेकिन दो दिन बाद पुलिस ठंडा पड़ गयी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इस घटना को संज्ञान में लेकर इस पर त्वरित कार्रवाई करके जो भी अपराधी हों उनको कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। ताकि इसमें न्याय मिल सके। धन्यवाद।

श्री मो0 आजम खां–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे।

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा क्षेत्र में निगोहीं में ग्राम धूलिया में मतदाता सूची में 250 वोट गलत तरीके से बढ़ाये गये और उसमें मतदाता सूची में 285 घटा दिये गये। इसी प्रकार ग्राम चमरूआ बरौरा में जो प्रधान के सगे भाई थे उनको बी0एल0ओ0 बनाया गया। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी प्रधान के सगे भाई बी0एल0ओ0 नहीं हटे। मा0 अध्यक्ष जी, उस पर कई बार यहां तक कि चुनाव आयोग से भी शिकायत की गयी यहां लखनऊ में और जिलाधिकारी शाहजहांपुर से भी, इसमें मा0 अध्यक्ष जी कोई सुधार नहीं कराया गया। मा0 अध्यक्ष जी, जिस दिन भी मतदान होगा उस दिन कोई बड़ी घटना घट सकती है। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई उच्चस्तरीय कमेटी गठित कराकर इसकी जांच करा ली जाये जिससे कोई बड़ी दुघर्टना न होने पाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मुझे मात्र यह निवेदन करना है कि विगत दिनों इसी सदन में मतदाता सूची से नाम काटने की सूचना नियम 300 के अंतर्गत लायी गयी थी। उस पर आपने विस्तार से सुना भी था। दोनों पक्षों के मा0 सदस्यों ने इससे अपनी सहमति भी जतायी थी। मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसका संज्ञान भी लिया था। और उनके एक सहयोगी मा0 मंत्री जी ने मुझे अवगत भी कराया था कि मुख्य चुनाव अधिकारी को बुलाकर कुछ निर्देश भी दिये गये हैं। लेकिन अभी प्रत्येक जिलों में मतदाता सूची से नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है। मैं इसलिए आपके संज्ञान में ला रहा हूं जिससे आप इसमें समय रहते बात करके यथोचित कार्रवाई करायें। जिससे जो आलरेडी मतदाता हैं उनका मतदाता सूची से नाम काटा जा रहा है, हम समझते हैं कि यह निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं के विपरीत है और साथ ही साथ इस मनमानी प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। इसलिए इस पर व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 मंत्री जी इसमें आपने कुछ निर्देश दिये हैं।

' पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

मान्यवर, एक आदेश पहले हुआ था, उसमें निर्देश चला गया है कि जब तक जिस दिन पर्चा दाखिल होगा, उस दिन तक वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो उसको बढ़ाया जायेगा, यह आदेश चला गया है सभी की जनपदों में और यह काम हो रहा है, यह मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा पहल कर के और निर्वाचन आयुक्त के द्वारा यह आदेश प्रदेश के पूरे जनपदों में चला गया है। अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसको बतायेंगे, दिखवा लिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं, मेरा प्रश्न कुछ और है, मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम 35 प्रतिशत काटा जा रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अलग है। पहले से मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनका नाम काटा जा रहा है, जनगणना का बहाना लेकर के 35 प्रतिशत लोगों का नाम काटा जा रहा है कि 65 प्रतिशत से ज्यादा होने के नाते इसको काट रहा हूं, इस पर रोक लगनी चाहिए और इस बात का ही सवाल उठा था जिसका मा0 मंत्री जी ने संज्ञान लिया था, इस पर प्रभावी कार्यवाई होनी चाहिए।

श्री कैलाश–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें स्पष्ट आदेश है कि जो 18 साल तक हैं, जिनकी उमर 18 साल है, 18 साल से ऊपर है किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जायेगा तो काटने का क्या सवाल है।

श्री रोशन लाल वर्मा–

हमारे शाहजहांपुर में मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप मंत्री जी को सुन लें।

श्री कैलाश–

मान्यवर, बहुत से ऐसे सवाल सामने आते हैं कि एक व्यक्ति का नाम दो–दो जगह है और एक व्यक्ति का नाम तीन–तीन जगह भी है और कोई विदेश में है यहां मौजूद नहीं है, कोई नौकरी में है वहां मौजूद नहीं है, वहां भी नाम है, यहां भी नाम है तो उसका नाम तो काटा ही जायेगा, कहीं एक ही जगह तो उसका नाम रहेगा और 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें एक आदेश हुआ था कि 30–35 जिलों में यह समस्या आई थी जनगणना के हिसाब से कि जनगणना में उनकी गणना कम है और वोटर ज्यादा हैं। इसका भी हो गया कि जो 18 साल तक हैं और गांव में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, जहां वह मौजूद हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जायेगा, उनको बढ़ाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बात आ गई।

श्री रोशन लाल वर्मा–

मान्यवर, प्रधान के सगे भाई को बी0एल0ओ0 बनाया गया।

श्री अध्यक्ष–

तो क्या हुआ बी0एल0ओ0 बनाया गया, यह लोकल घटना है वहां के कलेक्टर से मिलो, यहां असेम्बली थोड़े तय करेगी।

श्री कैलाश–

माननीय अध्यक्ष जी, इनका सवाल है कि प्रधान का भाई बी0एल0ओ0 बना हुआ है, देखिये स्पष्ट निर्देश है सरकार का कि अगर कोई भी बी0एल0ओ0 गलती करेगा, कोई भी बी0एल0ओ0 बेईमानी करेगा, कोई भी बी0एल0ओ0 नाम काटेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने जा रही है। अगर इस तरह की कोई बात है कहीं कोई बी0एल0ओ0 गड़बड़ी कर रहा है और अगर आप लिखित देते हैं तो उसका स्पष्टीकरण मांगा जायेगा, अगर आरोप सही मिलता है तो कोई भी बी0एल0ओ0 हो, कोई भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ निश्चिततौर पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सरकार चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्पित है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी को समझा नहीं पा रहा हूं या आपके संज्ञान में डाल नहीं पा रहा हूं, मेरा कहना है कि जिनका कई जगह नाम है उनका नाम काटा जाय हमें कोई ऐतराज नहीं है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि जिनका मतदाता सूची में नाम है और मात्र एक जगह है 35 परसेण्ट काटने के हिसाब से कहीं ऊपर काट दे रहे हैं कहीं नीचे काट दे रहे हैं, बिना इस बात का परीक्षण किये कि उनका एक जगह नाम है, दो जगह नाम है या तीन जगह नाम है, काटा जाय कोई आपत्ति नहीं है, जिनका केवल एक जगह नाम है उनका भी नाम काटा जा रहा है, इस पर रोक लगाने की मैं मांग कर रहा हूं, यह नहीं होना चाहिए और इस प्रकार की कोई व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि मतदाता सूची में जिनका नाम है उनको न काटा जाय।

श्री राजेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं अपने आप को इन सब से सम्बद्ध कर रहा हूं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये तकनीकी दिक्कत है, जो आपके आदेश हैं, चुनाव आयोग के आदेश में फक्र कर रहा हूं, वह मैं बताना चाह रहा था, जनगणना के अनुसार अगर किसी गांव में एक हजार ही आबादी कायम हो गई 2011 में 1000 आबादी है इस गांव

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में। आयोग यह कहता है कि 1000 की आबादी में बच्चे भी हैं, 28 साल से कम के लोग रहते हैं, उनका कहना है कि आबादी का 65 प्रतिशत ही मतदाता होना चाहिए। इसके अनुसार यदि कहीं पर एक हजार मतदाता हैं तो 650 ही मतदाता होना चाहिए यह उनका कहना है। हमारा यह कहना है कि एक व्यक्ति अगर कई जगहों पर मतदाता है तो बिल्कुल उसको एक जगह होना चाहिए, सर्वे में आपके यह बात आनी चाहिए। जो हो नहीं रहा है। सभी जगहों में एक जगह ही बैठ करके बिना सर्वे किये चुनाव आयोग के निर्देश को चूंकि 65 प्रतिशत का निर्देश हैं, डर लग रहा है कि आपसे ज्यादा कड़ा डण्डा उनका चल जायेगा। इस नाते वह कहते हैं कि भैय्या एक किनारे से काटो। अगर हम चहेते हैं तो ये थोड़ा तय कर लो, बीच से काट लो, किनारे से काट लो इसको पूरा कर दो। मेरा सिर्फ यह कहना है, जैसा कि माननीय हमारे नेता जी ने कहा कि अगर मतदाता सूची में कई जगह नाम है तो कटना चाहिए, लेकिन वही कटें, जो गांव में नहीं रहते हैं। मैं उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि ग्राम प्रधान जो उसी मतदाता सूची से निर्वाचित हुआ, पूरा परिवार और उसका नाम कट गया, वह उसी का गांव में रहता है, कहीं जाता नहीं, खेती किसानी करता है, उसका पूरा प्रदेश में कहीं मकान भी नहीं है। यह केवल एक किनारे से किया जा रहा है, केवल इसलिए कि एक रात में बैठो, सारी लिस्ट बनाओ और काट दो, यह न कराया जाए, ऐसा मैं कह रहा हूं।

(सदस्य श्री संतराम कुशवाहा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग सुन लें, एक–एक का कहां तक मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगे।

श्री संतराम कुशवाहा–

मान्यवर, गांव के तमाम गरीब–मजदूर किसान अपना गांव छोड़कर या तो नगर में या जिले में या प्रदेश में रोजगार के लिए चले गए। उनके घर में एक परिवार का आदमी रह रहा है। ऐसी स्थिति में उनके वोट काट दिये गए हैं, यह कहकर कि तुम यहां मौजूद नहीं हो, जबकि उनका वोट किसी दूसरी जगह नहीं है और वह यहां तक की प्रधानी का चुनाव तक लड़ चुके हैं। इसके बावजूद भी ऐसे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी उसका एक ही कारण है कि अधिकारियों से जो प्रधान चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनकी सांठ–गांठ से काटे जा रहे हैं। कई जगह ऐसी शिकायत है कि एस0डी0एम0 तक 50–50 हजार रुपये लेकर के वोट कटाये गये हैं की जनपद जालौन में हमारी विधान सभा में अध्यक्ष जी हमारा अनुरोध है जिनका उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान में कहीं दूसरी जगह वोट नहीं है, उनके वोट न काटे जाएं।

श्री अध्यक्ष–

देखिए, मंत्री जी ने बता दिया यह समस्या से यह हुआ। आपने कह दिया कि वोटर लिस्ट बनाने के लिए उसमें जिसका नाम कट गया था, चार दिन का मौका था देने का। हम लोगों ने भी, सबका जिसका कटा था, जिनका देना था दिया गया, उस पर विचार हो रहा है, उसकी जांच हो रही है। बढ़ाया भी जा रहा है, ऐसा भी है। हम लोग खुद जो नहीं रहते हैं चार–चार साल, पांच–पांच साल से बम्बई है, गुजरात है, बाहर हैं

तो उनका नाम काटने के लिए भी गांव वालों ने दरख्वास्त दिया है कि भाई ये नहीं रहते हैं इनका काट दो। इस तरह की समस्यायें हर जगह चल रही हैं, उसको अपने स्तर से निपटें, यहां से तो आर्डर गया है कि गलत न हो।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मथुरा–वृन्दावन जो एक अन्तर्राष्ट्रीय शहर है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती यू0पी0ए0 सरकार द्वारा मथुरा और वृन्दावन में केबिल को भूमिगत करने के लिए आर0ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम के अन्तर्गत लगभग 307 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया जिसमें से तीन सौ करोड़ की लागत से मथुरा और वृन्दावन शहर की तारों को, इलेक्ट्रिकल्स वायर्स को भूमिगत करने का और 7 करोड़ की लागत से वृन्दावन क्षेत्र में जितने भी पोल्स–टू–पोल्स वायर जा रहे हैं उनको भूमिगत करना था। यह कार्य उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के द्वारा के0ई0आई0 कम्पनी लिमिटेड को लखनऊ से आवंटित किया गया और नगर पालिका परिषद् और इनके पॉवर कारपोरेशन के सहयोग से और के0ई0आर0 कम्पनी सारे शहर में यह लाइन डाल रही है और स्थिति यह है कि पूरा मथुरा शहर और वृन्दावन शहर खुदा पड़ा है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी आपको ज्ञात है कि इन दोनों शहरों में प्रदेश के, देश के और विदेशों के धार्मिक पर्यटक आते हैं। अभी पुरूषोत्तम मास व्यतीत हो चुका है, जिसमें करोड़ों लोग यहां पर आए और अब जन्माष्टमी आ रही है और चातुर्यमास चल रहा है, तमाम परिक्रमायें हो रही हैं। रोज उन गड्ढेदार सड़कों की वजह से लोग चोटिल होते हैं गिरते हैं, लोगों की हड्डियां टूटती हैं, और कुछ लोगों की इसके कारण मौत भी हो चुकी है।

कारों के पहिये उन गडढ़ों में चले जाते हैं मामला बहुत गम्भीर हो गया है, पूरे मथुरा शहर में वृन्दावन में बिल्कुल अराजकता सा माहौल बना हुआ है। आज स्थिति यह है मै आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वित्त विभाग के अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मथुरा, नगर पालिका परिषद् वृन्दावन, को आदेशित करें और मथुरा शहर की वृन्दावन शहर की गरिमा अस्मिता में रखने के लिए उसकी मरम्मत कराकर उसको ठीक करायें। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है मैं मुख्य सचिव से कह चुका हूं प्रमुख सचिव, ऊर्जा से कह चुका हूं कोई सुनवाई नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इनका दिखवा लीजियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर बहुत सही बात है, धार्मिक बस्ती है उसका विशेष ख्याल रखते हैं और विशेष ख्याल आगे भी रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

देखिये अब तक 11 लोग बोल चुके हैं और 17 लोग बाकी हैं अगर आप कहें तो मैं सबका पढ़ दूं और ध्यान आकृष्ट कर दूं।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे नियम–56 के इस लोक महत्व पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सरकार द्वारा लोकतंत्र के अन्तर्गत जनता के हित की बात मानना इनकी जिम्मेदारी होती है। सरकार ईमानदार हो यह जरूरी है सरकार की ईमानदारी दिखनी भी चाहिए यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। मान्यवर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण है, लूट–घसोट और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस बात को मैं ही नहीं कह रहा इस बात को सरकार के कई मंत्रियों के द्वारा भी कहा गया है। मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं जहां पर माननीय मंत्रियों के द्वारा यह स्टेटमेन्ट दिया गया है कि पुलिस इस समय लूट और अराजकता का माहौल बनाये हुए है। मान्यवर यह जिम्मेदार व्यक्तियों ने कहा और यह उनके मन की पीड़ा है। मैं नाम बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप बोलिये कहां नाम बता रहे हैं। आप भी उलझ गये।

श्री सतीश महाना–

आपने मुझे याद दिला दिया मुझे नहीं उलझना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार ईमानदार है यहां पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही मुझे उस पर कोई बिन्दु नहीं लगाना है लेकिन सरकार की ईमानदारी तब होगी जब सरकार के नीचे काम करने वाले लोग भी ईमानदार हों। मान्यवर समाज वादी पार्टी का कार्यकर्ता जो आगरा का रहने वाला जो जेल की सलाखों के पीछे है सिर्फ इसलिए जेल की सलाखों के पीछे है क्योंकि इसके ऊपर आरोप है कि उसने पुलिस के रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी से बात चीत करके घूस और भ्रष्टाचार, ट्रान्सफर और पोस्टिंग में लिया दिया। इसके खाते में भी आया इस विषय को लेकर वह जेल में है और उसकी जांच जब होने की बात आयी इसकी जांच मान्यवर कहां तक हुई कौन अधिकारी इसमें इन्वाल्व है, किन–किन के खाते में पैसा गया यह सामने आना चाहिए। मान्यवर, अगर एक व्यक्ति किसी आरोप के कारण सलाखों के पीछे है और उसकी बात भी कोर्ट के माध्यम से पैसे के माध्यम से प्रमाणित हो गयी कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई न कराये उनको संरक्षण देना, अगर आप ईमानदार हैं तो आपके नीचे रहने वाले अधिकारियों जो भ्रष्टाचार कर रहें हैं, उनको आप गलत तरीके से संरक्षण देते हैं तो आपकी ईमानदारी कैसे हुई। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिहन है। मान्यवर प्रदेश के अन्तर्गत घोटाले की एक बाढ़ सी आई हुई है। एक बहुत चर्चित प्रकरण है नोएडा के इन्जीनियर द्वारा हजारों करोड़ रुपये का घपला किया गया। एक आदमी हजारों करोड़ का घपला विगत कई वर्षो से करता चला आ रहा

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। माननीय अध्यक्ष जी यह घोटाला हुआ है और जो हो गया है उसी के ऊपर बोल रहे हैं। वह तो करी नहीं और उस व्यक्ति को जो एक एथारिटी का एक इंजीनियर एक अधिकारी था उसको जब घोटालों में उसकी जांच हुई तो जांच में उसकी मदद करी गयी, जांच में मदद करके यह संदेश दिया कि जो तुम कर रहे थे हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आज जिस समय यह हुआ कि जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे उस एक पद पर लूट खसोट करने के लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं फिक्स की गयी। किसी भी ईमानदार आदमी को अगर इस बात के लिए कहा जाता है अगर उसके ऊपर आरोप लगते हैं तो कहा जाता है कि इसकी जांच करा लीजिए इस समय माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार एक उच्च संस्था के द्वारा उसकी जांच कराई जा रही थी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गयी कि इसकी जांच क्यों कराई जा रही है यह अपने आपमें एक गम्भीर बात है। मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि कौन उसमें इन्वाल्व है कौन नहीं है लेकिन अगर उसके जांच के ऊपर भी अगर आंच आयेगी तो यह कहां उचित है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें। कार्य–स्थगन में ग्राह्यता पर बोला जाता है यह चर्चा नहीं है। अब आपका जवाब कौन देगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह आपके मित्र हैं आप इनका जवाब दीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह लाजवाब बात का क्या जवाब दूं। देखेंगे जो सेवा हो सकती हो।

'श्री अगयश राम सरन वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–56 पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में भू–माफियाओं का अधिपत्य और वर्चस्व स्थापित रहा है जिसमें कि की जनपद पीलीभीत विशेष रूप से उल्लेखनीय है जहां पर वह हरित पट्टी की भूमियां हैं, कल्लीशेख की भूमियां हैं इन पर भू–माफियाओं ने कालोनियां स्थापित करके अवैध कब्जा कर लिया है। मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में विशेष रूप से पीलीभीत में बीसलपुर में जो तालाब की भूमियां है, जलप्लावित भूमियां हैं उन पर भी भू–माफियाओं ने कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिया है। जबकि हम लोग जानते हैं कि हितलाल तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार सरकार और सुप्रीमकोर्ट ने भी.

श्री अध्यक्ष–

कहां से कहां ले जाते हैं आप बैठिये मैं समझ गया आपकी बात, आपका जो तालाब पर कब्जा हो गया वही न, आप बैठिये, सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट कर देता हूं।

श्री पंकज गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–56 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। किसानों के बारे में सदन में चर्चा भी विस्तार से हुई और चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों सभी ने इस पर चिन्ता व्यक्त करने का काम किया और उसके संबंध में हल निकाल कर उन समस्याओं को दूर करने का भी सदन में संकल्प भी लिया। मेरी एक बात यह अभी तक नहीं समझ में आई हमारी विधान सभा में भी ओला वृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई और पिछली दफा सूखा भी पड़ा । सूखा पड़ने की जगह सौभाग्य से जो पिछले वर्ष का पैसा केन्द्र सरकार से 730 करोड़ रूपया दिया गया था वह इस साल बांटने का काम किया गया लेकिन उनके सूखेग्रस्त गांवों को चयन करने की जो प्रक्रिया अपनाई गयी वह मेरी आज तक समझ में नहीं आई। पहले सर्वे भी नहीं हुआ सूखे का उन गांवों को चिन्हित भी नहीं किया गया उन गांवों में परसेन्टेज भी चिन्हित नहीं की गयी कि 33 से 49 तक किसका नुकसान हुआ और 50 से ऊपर किसका नुकसान हुआ, प्रकाशन भी नहीं किया गया उसके बाद यकायक गांवों को चयनित करके और उनमें सत्तादल के नेताओं के माध्यम से जो गांव दे दिये गये वहां पर चेक बांटने का काम कर दिया गया। इसी प्रकार से इस बार भी अतिवृष्टि हुई और ओलावृष्टि हुई इसमें भी अभी तक किसी गांव का चयन नहीं किया गया न सर्वे कराया गया सारे गांवों का। यह भी प्रकाशित नहीं किया गया कि किसमें 33 से 49 में नुकसान हुआ है और 50 से ऊपर किन गांवों में नुकसान हुआ है उनको प्रकाशित किया जाय। आज क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं चाहे सत्तादल के नेता जायें चाहे विपक्ष के नेता जायें तो क्षेत्र की जनता दौड़ाती है यह पूछने के लिए कि बताओं हमारे गांव में मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह भ्रम की स्थिति पूरे गांव में पूरे समाज में हर विधान सभा में पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है इस भ्रम की स्थिति को हम लोगों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें पहले सर्वे कराया जाय और सर्वे कराने के बाद यह देखा जाय कि किसका कितना नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट प्रकाशित की जाय 50 के ऊपर किसका नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट प्रकाशित की जाय और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फल में, सब्जी में, फूलों में किसानों का जो नुकसान हुआ है उसमें से किसी भी किसान को हमारे जनपद में एक भी रुपया नहीं दिया गया है और प्रदेश में कहीं दिया गया हो, तो मैं नहीं जानता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और हमारे माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं, यह बहुत योग्य हैं, विद्वान हैं, ताकतवर हैं, यह निश्चित रूप से उसका कोई हल निकालेंगे और हमारे जनपद में, पूरे प्रदेश में, मुआवजे के लिए कम से कम सूची तो प्रकाशित करने का काम करेंगे कि आने वाले दिनों में किन– किन लोगों को मुआवजा मिलेगा। अभी होता यह है कि धन पहुंच जाता है, एकाएक समाजवादी पार्टी और सरकार के लोग अपने–अपने क्षेत्रों में धन बंटवा लेते हैं। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी का कुछ उत्तर आ जाये।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अब आप बैठिये।

श्री पंकज गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर सरकार से कुछ उत्तर दिलवा दीजिये। हम नये सदस्य हैं, हम लोगों के लिए इतना तो करवा ही दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, इस पर पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है और सरकार का जवाब भी आ चुका है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप संज्ञान लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हम बिल्कुल संज्ञान लेंगे। देखेंगे क्या कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब सुरेश राणा जी, आप संक्षेप में अपनी बात रखिये।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय को नियम–56 के तहत उठाने का मौका दिया। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार से निजी स्कूलों के द्वारा फीस के माध्यम से खुलेआम लूट मचाई जा रही है उससे अभिभावकों के सामने बहुत भारी संकट खड़ा हो गया है। यदि ईमानदारी से बात की जाये तो किसी परिवार का एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, दो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो पूरे परिवार की आमदनी केवल फीस के माध्यम से चली जा रही है। पहले तो फीस का ही संकट था, अब नये–नये तरीके निकाल लिये गये हैं। कभी बिल्डिंग फीस के नाम पर, तो कभी फर्नीचर फीस के नाम पर, तो कभी किसी अन्य फीस के नाम पर, इतना सारा खर्च अभिभावकों के ऊपर लाद दिया गया है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर निजी स्कूलों के द्वारा अभिभावकों के सामने बहुत भारी संकट खड़ा कर दिया गया है। न तो स्थानीय प्रशासन का इसमें कोई हस्तक्षेप है और न ही और किसी अन्य चीज का हस्तक्षेप है। कई–कई अभिभावक हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि वह कहीं जाकर शिकायत कर सके। यदि कभी–कभी अभिभावक शिकायत करने की हिम्मत भी जुटाता है तो स्कूल प्रशासन द्वारा उसका भी किसी न किसी प्रकार से शोषण किया जाता है। चाहे बच्चे का मानसिक उत्पीड़न किया जाता रहा हो, चाहे अभिभावक के प्रति उनका नकारात्मक रवैया रहा हो, किसी न किसी तरह शोषण का शिकार अभिभावक फिर से होता है। बहुत ही विद्वान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां विद्यमान हैं और हमेशा बहुत संवेदनशील विषयों को आप महत्व देते हैं और यह भी बहुत ही संवेदनशील विषय है। यह पूरे प्रदेश का अभिभावक आज त्राहि–त्राहि कर रहा है, बच्चे को पढ़ाना तो चाहता है, लेकिन फीस के अभाव में पढ़ा नहीं पा रहा है और जो पढ़ाने की हिम्मत भी कर रहा है तो पूरे प्रदेश में आज हालत ऐसी है कि अभिभावक की पूरी अर्थव्यवस्था,

---

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिवार की आर्थिक हालत, परिवार का तंत्र एक, दो या तीन बच्चों के माध्यम से समाप्त हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि वह कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि कहीं न कहीं आपकी व्यवस्था के आधार पर लोगों को न्याय मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, फीस के संबंध में आप कुछ बोलेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अभी कल ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आपने भाषण सुना था और माननीय उच्च न्यायालय का भी एक आदेश हुआ है। जाहिर है कि हमारे शिक्षा के सिस्टम पर उंगली तो उठती है। यह जितने भी बड़े स्कूल हैं, उनमें सारे ही लोग बुरे हों, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो बहुत वाजिब फीस पर भी सेवा के भाव से पढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मिशनरीज के स्कूल हैं, उनमें फीस बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है और कोर्ट से भी इस तरह के फैसले हुये हैं कि इतनी फीस ले सकते हैं। कुछ तो हाईकोर्ट के ऐसे फैसले हैं जिसमें कि उन्होंने इतनी ज्यादा फीस एलाऊ कर दिया है कि अगर वो फीस ली जाये तो उसके हिसाब से स्कूल वाले अभी भी कम फीस ले रहे हैं। वहां पर बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो उन पर कोई बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। इस सदन में बैठे हुए शायद ही कोई माननीय सदस्य हों जो लॉ–मार्टीनियर वगैरह में दाखिला करा पाने की हैसियत रखते हों और जब हम कुछ ऐसे तरीके अख्तियार करना चाहते हैं कि जिससे वह सुन लिया करें तो बहुत बड़ी–बड़ी हस्तियां सामने आ जाती हैं, तो मान्यवर, परेशानी तो है। इस पर विचार किया जा रहा है और करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, आपकी और महाना जी की सूचना एक साथ थी, तो महाना जी आपकी तरफ से बोल गये। श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी नहीं हैं, अब रघुनन्दन सिंह भदौरिया आप बोलिये। भदौरिया जी, भूमिका मत बनाईयेगा, संक्षेप में बोलियेगा, केवल दो मिनट में अपनी बात रखिये।

(श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) जी का नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, मामला प्रदेश का है और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पहली बार इस सत्र में बोलने का अवसर दिया । माननीय अध्यक्ष जी, यह समस्या केवल मेरी नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह दो मोबाइल मुझे दे गये हैं मंत्री जी,

श्री अध्यक्ष–

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां कैसे मोबाइल आ गया, जब यहां लाना मना है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, इन्हीं के हाथ में है, अब कार्रवाई होगी ।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश का मामला है और उत्तर प्रदेश में हर जिले में हाउसिंग सोसाइटी हैं। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उनके बगल में सोसाइटियां कुछ लोगों ने बना रखी हैं। जो सरकार द्वारा पास हैं, यह हर जिले में हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन सोसाइटियों में कोई काम नहीं हो रहा है। पहले की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी, बसपा की सरकार, उससे ऐसा साबित होता था कि जिलों में मेरे वोटर नहीं हैं और खासकर सोसाइटियों में। क्योंकि गांव से किसान आये और अपनी खेती बेची और दूसरे किसान से थोड़ी सी जगह लेकर रहने लगे और बच्चों को पढ़ाने लगे। कर्मचारी का रिटायरमेंट हुआ 5–6 लाख उसे मिला तो वह भी कहीं सस्ती जमीन लेकर रहने लगा। बनिया की दुकान, फल की दुकान करने वाले छोटे लोग तो के0डी0ए0, एल0डी0ए0 की जमीन तो खरीद नहीं सकते थे तो उन्होंने कुछ पैसा देकर सोसाइटी वालों से जमीन ले ली और एक–एक कमरा बना लिया, हाउस टैक्स पड़ रहा है, लेकिन वहां कोई व्यवस्था नहीं है। उस सरकार ने जो किया था इस सरकार ने उससे भी ज्यादा किया और साढ़े तीन साल हो गये और कोई निर्णय नहीं लिया और लगातार मैं सोसाइटियों के लिये लड़ रहा हूं। यह पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, आज यहां सोसाइटी का रहने वाला उत्तर प्रदेश और केन्द्र की सरकार बनवाता है आज उसकी इतनी उपेक्षा हो रही है, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कम से कम इसमें कुछ ऐसा प्रावधान लावें कि जिन पर लगातार डाका पड़ रहा है, हाउस टैक्स वह दे रहे हैं, रजिस्ट्री का पैसा उनसे लिया जा रहा है, वह पैसा जहां जमा करते हैं, सबका पैसा सरकार को मिलता है। अब वह पैसा देने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यह तो घोर उन पर डाका पड़ रहा है। उनसे हाउस टैक्स न लिया जाय, कोई पैसा सरकार उनसे न ले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सब ले रहे हैं और नियम तो यह है कि जब आप हाउस टैक्स लेंगे तो कहीं न कहीं आप उनका उत्थान करायेंगे। वहां नाली है नहीं, नाला है नहीं, सड़क है नहीं, बिजली है नहीं, कोई पानी की व्यवस्था है नहीं। मान्यवर, हमारे ही जिले में पांच विधान सभायें ऐसी आती हैं, जैसे छावनी है, महाना जी की आती है, सतीश निगम जी की भी आती है, अजय कपूर जी की भी आती है, सत्यदेव पचौरी जी की आती है। तो ऐसे सब जिलों में आती है। मैं कृपा करके इस सदन से चाहता हूं कि इस पर चर्चा करें। हम विधायक लोग वहां जाते हैं तो बहुत गाली सुनते हैं। इतना तक सुनते हैं कि हम वोट तो तुमको देंगे लेकिन तुम मेरी सड़क तो बनवा नहीं पाओगे। जब हम प्रश्न लगायेंगे तो हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी का एक ही फार्मूला है कि यह काम विकास प्राधिकरण करायेगा और विकास प्राधिकरण से इससे मतलब नहीं है। वह

करायेगा नहीं, अब हम किधर जायें। एक तरफ खाई एक तरफ नाला और हम तो पड़े हैं सोसाइटी के क्षेत्र में। मंत्री जी तो जीतते चले आये, हम भी पहली बार जीतने की आशा करके यहां आये थे और उनके लिये भीख मांगते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, इनके पास पैसा भी है, सरकार के पास भी खजाना कम नहीं है। उन बस्तियों में नगर विकास मंत्री जी ने काम किया है जिन बस्तियों में लोग बहुत दिनों से रहने लगे और उस पर उनका अधिकार बन गया, वहां माननीय मंत्री जी ने काम किया है। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने पैसा लगाया है जो अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनके लिये आप मुझे भी थोड़ा आर्शीवाद दे दें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया –

मा0 मंत्री जी, उस जनता के लिए हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं, इस पर कुछ बोल दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

भीख तो वहां मांगना चाहिए, यहां कहां मांग रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां –

मान्यवर, यह तो मा0 सदस्य ने माना कि जो मलिन बस्तियां हैं गरीबों की हैं और जो अधिकृत बस्तियां हैं उनके यहां काम हुआ है लेकिन मान्यवर, यह कहना कि हाउस टैक्स लिया गया है, जब भू–माफिया सस्ती जमीनें खरीदकर मंहगी बेचकर मकान बनायेंगे तो हाउस टैक्स नहीं देंगे। नक्शा पास करायेंगे यह आश्वासन देकर, हलफनामा देकर कि हम यहां रोड डेवलप करेंगे, सीवर सिस्टम लगायेंगे, बिजली के खम्भे खड़े करेंगे लेकिन कुछ नहीं किया। तो कैसे हो सकता है आप बताइये, पूरा दिल्ली का चुनाव आप हार गये इसी पर। इसी पर हार गये आप, आपने कालोनियों को नियमित नहीं किया।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

जो हमें वोट देते हैं उस जनता के लिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, कुछ तो दे दें मैं बस्तियों का नाम ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह ली, अब मा0 मंत्री जी बोल रहे हैं तो पहले मा0 मंत्री जी को बोलने दीजिए, यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अब देखिये जो आपको वोट दे रहे हैं वह आपको वोट देते रहें, अगर आप उनकी बात को यहां नहीं रखेंगे तो वे वोट कैसे देंगे, वह इसीलिए तो आपको वोट देते हैं क्योंकि आप उनकी बात यहां पर रखते हैं तो हम चाहते हैं कि आपको वोट मिलता रहे।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, कुछ दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसको देखेंगे।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं यह एक महत्वपूर्ण विषय है, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की रिपोर्ट तैयार की है। 476 शहर उसमें लिये गये हैं, उसमें 68 शहर उत्तर प्रदेश के भी हैं। अगर इटावा को छोड़ दिया जाए जिसका पचासवां स्थान आया था तो अधिकांश शहर 116 से ले करके 471 के बीच में हैं। मा0 मंत्री जी आप जानते हैं, आपका रामपुर भी उसमें से एक है जिसे 309वां स्थान प्राप्त हुआ है। मैं शहरों की संख्या और उसका स्थान गिना सकता हूं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि 471 में 68 शहर हैं और 68 में एक इटावा को छोड़ दिया जाए जो पचासवें स्थान पर आ गया तो अन्य सभी शहरों की स्वच्छता की रिपोर्ट बड़ी ही दुःखदायी है और हम लोगों के लिए चिन्तन का विषय होना चाहिए। यह तब तो और भी विशेष रूप से होना चाहिए जब इन शहरों और सारे शहरों का जिम्मा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के पास है क्योंकि ये काम करने वाले मंत्री माने जाते हैं। मैं एक बार सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह विषय सदन में कई बार ला चुका हूं और पुनः एक बार ला रहा हूं और आग्रह करूंगा कि सरकार को इस विषय पर कम से कम एक बार सकारात्मक दृष्टि से विचार तो करना चाहिए मना करने से पहले। सारे नगरीय क्षेत्रों की सफाई हम लोगों ने ठेकेदारी व्यवस्था को हैण्डओवर कर दिया। अब जितने हमारे अपने कर्मचारी नहीं हैं उससे अधिक ठेकेदार के कर्मचारी हैं। यह जो ठेके होते हैं वह किस आधार पर होते हैं यह हम सभी जानते हैं। ठेके होने के बाद वहां मजदूर लगाये जाते हैं, इस ठेकेदारी की प्रथा के नाते मा0 अध्यक्ष जी, एक अजीब प्रकार का भ्रष्टाचार पनप रहा है। मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस भ्रष्टाचार को राजभवन तक नहीं ले जायेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह कर रहा हूं कि इस समय जो स्थानीय निकायों के चयनित जनप्रतिनिधि हैं वहां के अधिकारी हैं और जो वहां के ठेकेदार हैं, उनके बीच में सुव्यवस्थित भ्रष्टाचार स्थापित हो गया है और मासिक तनख्वाहें तक मिलती हैं लोगों को इस बात के लिए कि वह अपने–अपने वार्ड में सफाई के बारे में प्रश्न न खड़ा करें। मैं इस बात को कई बार सदन में लाया हूं और एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं, अमूमन रूप से यह कहा जाता है कि सरकारी सिस्टम काम नहीं करता है लेकिन हम लोगों के अनुभव में यह है कि कम से कम गोरखपुर के उदाहरण से मैं बता सकता हूं कि जिन क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां की सफाई और जहां ठेकेदार काम कर रहे हैं वहां की सफाई, दोनों में जमीन और आसमान का अन्तर है। इसलिए यह मैं विषय सिर्फ इसी उद्देश्य से ले करके आया था कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत रिजिड होती है कि हम सफाई कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ायेंगे। बढ़ाना था जहां ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने बढ़ा भी दिया,

नगरीय क्षेत्रों में नहीं बढ़ाया। उसके नाते गंदगी की समस्या और भी बढ़ती जा रही है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह जो जबरन संविदा कर्मियों को रख करके, हम अच्छा–खासा पैसा भी दे रहे हैं 259 रुपया या कितना प्रतिदिन के हिसाब से पेमेण्ट भी करते हैं उनको हार्डली 100 रुपया तक नहीं पहुंचता होगा। हमारा पैसा सारा खर्च हो रहा है लेकिन सफाई नहीं हो रही है। बस मेरा यही विषय है। माननीय मंत्री जी इससे विस्तृत रूप से वाकिफ हैं। मैं इनसे सिर्फ यही आग्रह कर रहा हूं कि एक बार इस पर पुनः विचार करें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी, क्योंकि यह बात स्वच्छता मिशन से चली है यानि झाड़ू से, और उन्हें मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि मैं अभी दो दिन पहले बनारस की रिपोर्टस सुन रहा था तो आप ही के नेता साहबान यह कह रहे थे कि पी0एम0ओ0 ऑफिस का यह निर्देश हमें आया है कि वो सारे लोग जो स्वच्छता मिशन से जुड़े हुए हैं उनके नाम निकाल दिये जायं। यह भी आया है कि बादशाह ने जो नौ रत्न चुने थे, वो नौ रत्न भी समाप्त कर दिये गये। तो यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह बनारस जो प्रधानमंत्री जी का पार्लियामेण्टरी क्षेत्र है, बनारस की यह हालत है कि आपके जो स्पोक्समैन थे उन्होंने यहां तक कहा कि सिर्फ यह मिशन इस हद तक रह गया है कि प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवा लें और फोटो अपने ड्राइंग रूम में लगा लें। तो ये भारत सरकार की स्वच्छता मिशन का हाल है। क्या प्रामाणिकता है कि जो सूची वहां से बनायी गयी है उसका क्या क्राइटेरिया है ? अगर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर कोई सूची बनायी हो तो वो मेरी जानकारी में नहीं है। जाहिर है कि आप जो सूची बनायेंगे वह आपके सहूलियत के इतबार से होगी। लेकिन इस बात की खुशी है कि आपने गोरखपुर में इस बात को माना कि सरकारी कर्मचारियों ने कुछ काम किया और सरकारी कर्मचारी सफाई कर्मचारी नहीं रखे गये। आपको याद होगा 65 हजार सफाई कर्मचारी इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में रखे गये थे। तो 65 हजार की संख्या कम नहीं होती है। यह बड़ी मजबूरी है कि ठेके पर काम दिया जाता है, बहुत मजबूरी के आलम में, नहीं देना चाहते हैं। जिस जमाने में सफाई कर्मचारी रखे गये थे, दो नगर निगम ऐसे थे जिन्होंने इसकी बड़ी सख्त मुखालिफ़त की थी जिसमें मेरठ और गाजियाबाद थे और अभी पिछले दिनों जब मेरठ में सफाई कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गयी तो उन्होंने पूरे शहर का वो हाल कर दिया, ये सरकारी कर्मचारी थे, तमाम इबादतगाहों पर मरे हुए जानवर टांग दिये, तमाम दुकानों पर, मकानों पर और सरकार की उन्होंने कुछ नहीं सुनी। जब होईकोर्ट का आदेश आया, वो लागू हुआ। फिर मैं वहां पहुंचा, मैंने सबकी मीटिंग बुलायी और मैंने कहा कि यह तो अजीब सी स्थिति हो गयी कि सरकार की बात न मानें और जब हाईकोर्ट का डण्डा आये तो बात मान लें। उसके बाद कुछ सख्त फैसले लिये गये। मालूम यह हुआ कि जो परमानेन्ट कर्मचारी हैं उनमें 40 हजार रूपये तक तनख्वाह है एक सफाई कर्मचारी की। सैलरी देने के लिए भी सरकार तैयार है लेकिन यह भी बात वहीं आयी कि ये लोग खुद काम नहीं करते वह एक अपना अप्रेन्टिस भेज देते हैं 5 हजार रूपये पर। उसमें सख्ती

करते हैं तो रामपुर की तरह टोपी लगाकर कहते हैं कि मुसलमान हो जायेंगे, क्या करें ? अगर टोपी लगाने से कोई मुसलमान हो जाता है तो फिर तो हमारे मौर्या जी सारे जाड़े टोपी लगाते हैं तो फिर ये जाड़ों वाले मुसलमान हैं। ये समस्या परेशानी की है, मन बनाया था मुख्य मंत्री जी ने और मेरा उनसे दरख्वास्त भी थी, 01 लाख कर्मचारी रखने की घोषणा हमने की थी और 65 हजार रख भी लिये गये थे, 35 हजार का हमारा वायदा बाकी है तो आपकी बात मानते हुए मैं आपकी तरफ से यह सिफारिश करूंगा कि वो 35 हजार सफाई कर्मचारी रखने पर विचार कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर मैंने डा0 अग्रवाल साहब और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

डा0 धर्मपाल सिंह, श्री सूरजपाल सिंह, श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, मोहम्मद जासमीर अंसारी हैं, ये चारों लोग नहीं हैं। श्री प्रदीप चौधरी अपनी सूचना पर ध्यानाकर्षण कराकर चले गये। श्री संजय प्रताप जायसवाल नहीं हैं। श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, उपस्थित हैं, राजपूत जी, अपनी बात रखिये।

श्री अध्यक्ष–

श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित थे। तीन चार लोग बचे हैं बस फिर खत्म। कृष्ण पाल जी, अब क्या उलट पुलट रहे हैं बोलिये ना। आपका नियम 56 था ना। तो ध्यान आकृष्ट कर लें कि बोलेंगे ?

श्री कष्ण पाल सिंह राजपूत–

ध्यान आकृष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अगला शमशेर बहादुर जी का है, ध्यान आकृष्ट कर दें कि बोलेंगे।

'श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या –

अध्यक्ष जी, बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

हम ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं, ठीक है। बोलना है तो बोलिये। हमने वायदा किया है, इसलिये एक मिनट बोल लीजिये।

श्री शमशेर बहादुर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट बोल लें फिर ध्यान आर्कषण कर दीजियेगा। अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं धन्यवाद आपको देता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पंचायत

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के चुनाव बिल्कुल शुरू होने वाले हैं सब प्रक्रिया उसकी चल रही है। लेकिन इसका चूंकि लोकतंत्र में पंचायत के चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे यहां विधान सभा क्षेत्र में भय दिखा करके कुछ लोगों को निर्वाचन से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों ने आकर कल मुझे बताया जिसमे ग्राम लौकाही, ईसानगर, कजरहा, मौढ़ी, महाराजनगर, लालपुर इत्यादि गांव के लोग हमारे पास आये और कहा कि आप वहां इस बात से अवगत करायें कि हम लोगों को धमकाया जा रहा है स्थानीय प्रशासन द्वारा। कहते हैं कि हम गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। संगीन धाराओं में उनको फंसाने का षडयंत्र किया जा रहा हैं चूंकि लोकतंत्र खतरे में आ जायेगा मान्यवर, इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनको जबरिया जो 151 में बन्द करने का काम किया जा रहा है अफरातफरी का माहौल है इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दें।

'पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और सदन को भी कि पंचायत के चुनाव सम्पूर्ण शांतिपूर्वक हों इसका सारा प्रबन्ध सरकार कर रही है और इस दृष्टिकोण से प्रशासनिक कारणों से अगर आपराधिक गतिविधियों में कोई लिप्त है किसी की कोई शिकायत है इस तरीके की तो उस पर नजर रखी जा रही है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं दी जायेगी कि पंचायत के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से होने से रोक सके। और निष्पक्षता से सम्पूर्ण चुनाव हो सकें इसका समुचित बन्दोबस्त किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है धन्यवाद। मैंने माननीय सदस्य को सुना मंत्री जी को सुना, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की है।

'श्री बब्बन सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–56 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, हमारे विधान सभा मुगलसरा का गम्भीर मामला है, इसको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, की जनपद चन्दौली के मुगलसरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वाराणसी रामनगर मुगलसरा महायोजना 2013 भाग(ग) के तालिका संख्या– 21 में मान्यवर, यह जो है विकास प्राधिकरण के द्वारा यह कार्यक्रम लाया गया और इसमें नगर और मोहल्ले के चौड़ीकरण के काम के लिये यह योजना चलाई जा रही है। मान्यवर, बनारस से मुगलसुरा होते हुए पहले जी0टी0 रोड जाया करती थी और अब जी0टी0 रोड के बगल से ही बाई पास बना दी गई। ट्रैफिक का कोई मामला नहीं मान्यवर, वहॉ 66 मीटर आज विकास प्राधिकरण रास्ता मांग रहा है जो कि मौके पर 30 से 35 मीटर ही रास्ता बना हुआ है उसमें हजारों हजार लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कराये हुए हैं मान्यवर, मैं भी आपके माध्यम से निवेदन के साथ यह कहना चाहता हूं कि

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां पर हमारा भी सुझाव गया हैं, अगर रास्ते की ज्यादा जरूरत है तो वहां साइड में ओवर ब्रिज बनाकर उसको सरकार ले जाय और चौड़ीकरण के नाम पर अगर मोहल्ले की रोड को वह 40 मीटर मांग रहे हैं तो अगर 40 मीटर मोहल्ले को तोड़ देंगें तो मोहल्ले का मोहल्ला ही गायब हो जायेगा। मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जहां हजारों हजार लोगों ने जो आपत्तियां दर्ज की है उसको सुनते हुए कार्य करेगी तो लाखों लोगों की समस्या दूर हो जायेगी। मान्यवर, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कुछ बोलना है ? चलिये ठीक है, खत्म।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने बैंक जो जिला सहकारी बैंक की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जिला सहकारी बैंक, जिसमें किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का और आम लोगों का काफी पैसा रहता है चाहे वह गन्ना किसान हो या तमाम तरह की योजना का पैसा हो जो पहले जिला सहकारी बैंकों में जाता था, आज स्थिति यह है कि किसान बेबस है, आज उत्तर प्रदेश के 50 जनपदों में से यह 34 जनपदों में बैंक चल रहे हैं और 16 जनपदों में जैसे देवरिया में 2004 से बन्द है। देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बहराइच, जौनपुर बनारस आदि तमाम की जनपदों में जिला सहकारी बैंक बन्द हैं। इसमें करोड़ों रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। इसमें गरीब मजलूम लोगों का पैसा जो जमा किए थे वह बकाया है। बैंक बन्द होने के कारण उनका पैसा नहीं मिल पाया। एक बैजनाथन समिति की रिपोर्ट आई थी जिसमें 922.28 करोड़ रुपया स्वीकृत करने के लिए तत्कालीन यू0पी0ए0 सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ पत्राचार किया था। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार से जो तत्कालीन यू0पी0ए0 सरकार थी उसमें कुछ फारमेलटीज पूरा करने की बात कही गई थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उस औपचारिकता पूरी न कर पाने के कारण 2013 में वह धनराशि व्यपगत हो गई। मान्यवर, उसमें दस हजार कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी बकाया है और यह इतने महत्वपूर्ण बैंक है। इसमें बीज वितरण करने और खाद आदि कई चीजों का वितरण भी होता है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कई बार चर्चा हो गई है। आप अपनी कोई बात हो कहें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष महोदय, बनारस की सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया..

श्री अध्यक्ष–

अब उससे क्या मतलब है। आप अपनी बात कहें।

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि मैंनें 2375 करोड़ की घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद वह घोषणा हवा–हवाई बन गई। इन सहकारी बैंक को जीवित करने के लिए एक पैसा केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जो जिला सहकारी बैंक 16 जनपदों में बन्द हैं उसे पुनः चालू कराने की व्यवस्था और जो लोग दस हजार से ज्यादा कर्मचारी जिनका वेतन भुगतान आदि बकाया है उसको दिलवाने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर माननीय सदस्य ने यह सवाल सत्र के पूर्व उठाया होता तो थोड़ी बहुत बात इस पर हो सकती थी। अभी इसी सत्र में अनुपूरक बजट आया और अनुपूरक बजट मा0 सदस्य पढ़ते लिखते हैं, मैं समझता हूं, पढ़े होंगे, इस हेतु रिजर्व बैंक की जो शर्तें थीं उनको पूरा करने के लिए अपने बजट से 16 में से जितने पांच बैंक बच गये थे जिनके लाइसेंस के रिन्यूवल के लिए राशि देनी थी वह मा0 मुख्य मंत्री जी ने कृपापूर्वक अनुपूरक बजट में इसी सदन से अनुमति लेकर स्वीकृति कर दी इसमें प्रश्न कहां उठता है। इसके बाद यह प्रश्न ही कहां उठता है। अब यह अलग बात है कि वह अगर बताना चाहते हैं कि यू0पी0ए0 सरकार ने घोषणा की थी, तो बैजनाथन कमेटी के सिफारिश के मुताबिक अगर राशि सहकारी बैंक को मिल गई होती तो करोड़ों अरबों का नुकसान किसानों का न हुआ होता। मान्यवर, केन्द्र सरकार की अनदेखी तब भी थी आज भी है हम अपनी ओर से यह पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की अनदेखी न हो और यह सभी बैंक चलाए जा सकें। इनके लाइसेंस के रिन्यूवल का बन्दोबस्त कर दिया है और वह प्रधानमंत्री जी की घोषाणायें पूरा करने की अपेक्षा अगर वह राज्य सरकार से करते हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। वह घोषणाओं के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अनेकों घोषणायें की हैं।अच्छे दिन की घोषणा की थी वह पच्चीस साल में आएंगे। तो उनकी घोषणाओं के लिए अगली तीसरी पीढ़ी को नसीहत देते जाइएगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 सदस्य को सुना मा0 मंत्री जी को सुना।

'श्री अनीसुर्रहमान–

माननीय अध्यक्ष जी बहुत–बहुत धन्यवाद् आपका, हमने जो नियम–56 में सूचना लगाई है यह तहसील मुरादाबाद के अन्दर एक नई तहसील के सृजन से संबंधित है। तहसील मुरादाबाद की जनसंख्या इस समय 19 लाख है। जिसके अन्दर दस थाने और चार सुयोग्य सक्रिल हैं तकरीबन चार सौ के करीब गांव हैं। मुरादाबाद की जो सीमा

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलती है वह जनपद रामपुर से बस पांच किलोमीटर दूर है। लोग परेशान हैं नई तहसील के सृजन की मांग हमारी बहुत पुरानी है क्षेत्रीय जनता की। हमारी मांग है। इस पर चर्चा हो और सरकार इसमें ध्यान दे कि वहां नई तहसील भोजपुर में एक स्थापित की जाए। जिससे जनता का काम सुचारु रूप से चल सके। सरकार ने कई तहसीलों की घोषणा की है वहां से बहुत पहले से आख्या वगैरह आ गई है सरकार ने मंगाई थी उस आख्या का संज्ञान लेते हुए सरकार मेहरबानी कर दे नई तहसील की भोजपुर में बनाने की घोषणा कर दे माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं अनुरोध करूंगा कि वह इसको आश्वस्त करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया है। दो महिला सदस्य हैं उन्होंने कल दिया था।

श्री अनीसुर्रहमान–

माननीय मंत्री जी यहां पर नई तहसील बनाने की घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। जब मंत्री जी नहीं कह रहे हैं तो हम कैसे कहला दें। आप बैठ जाएं।

'श्रीमती सीमा–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे नियम–56 की सूचना पर बोलने का अवसर दिया मैं आपके प्रति आभारी हूं। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की हम दो दिन से लेकर इसी सवाल को लेकर परेशान थे लेकिन मेरा नम्बर नहीं लगा आज आपने जिस तरह से हम महिलाओं के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दी है हम चाहते हैं कि आगे भी आप देते रहें। माननीय अध्यक्ष जी एक मामला हमारे जनपद के हमारे क्षेत्र का है। जनपद जौनपुर के विधान सभा मुगराबाद शाहपुर के थाना सुजानगंज में एक गांव है सर्वेमऊ एक परिवार में शुभम तिवारी सन आफ राकेश तिवारी और त्रिभुवन तिवारी सन आफ राजेश तिवारी माननीय अध्यक्ष जी यह दोनों सगे चाचा भतीजे थे जहां सरकार स्वास्थ्य को लेकर इतने सारे पैसे खर्च कर रही है अभी माननीय मंत्री जी का बयान आया था कि कोई डाक्टर अगर बाहर की दवा लिखेगा तो उसकी खैर नहीं तमाम अच्छी बातें हैं। माननीय अध्यक्ष जी हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि टी0बी0रोग के कारण शुभम् जिसकी उम्र 18 वर्ष और उनके चाचा जिनकी उम्र 30 वर्ष दोनों की मृत्यु एक सप्ताह के अन्दर हो गई। माननीय अध्यक्ष जी हमें ऐसा महसूस होता है कि दो–तीन दिन में उनके परिवार में एक मृत्यु और हो जाएगी वह भी पूरी तरह से मरणासन्न की स्थिति में हैं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि उनका इलाज भी किया जाय और माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हम तो पैसा देने की स्थिति में हैं नहीं मरे हुए व्यक्ति को वापस करने की क्षमता हमारे आपके अन्दर है नहीं लेकिन जो आप कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ आप उस परिवार के लिए करते हैं

मेरी आपसे बहुत छोटी सी मांग है कि उस परिवार को चलाने के लिए ज्यादा नहीं अगर दो–दो लाख रुपया भी सरकार उस परिवार को दे देती है जीविकोपार्जन करने के लिए तो मैं समझती हूं माननीय अध्यक्ष जी यह बहुत अहसान होगा। माननीय अध्यक्ष जी मंत्री जी से कहलवा दीजिए आर्थिक सहायता की घोषणा करवा दीजिए और जो उस परिवार में एक व्यक्ति मरणासन्न की स्थिति में पड़े हुए हैं उनके मुकम्मल इलाज की व्यवस्था करवा दीजिए और चूंकि 30 वर्ष का नौजवान मरा है उसके दो बहुत छोटे–छोटे बच्चे हैं खेत भी नहीं है कुछ भी उनके पास नहीं है वह भुखमरी के कगार पर हैं आप दो दो लाख रुपए दिलवाने की कृपा करेंगे तो हम आपके प्रति आभारी रहेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सीमा जी ने जो बात कही है जिनका इलाज होना है जिस किसी अस्पताल में आप उनको दिखा दें जो इस्टीमेट हो उसको दरखास्त के साथ दे दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में हजारों हजार पीड़ित लोगों की मदद की है और आप दे दीजिए यथाशीघ्र उनके इलाज का सम्पूर्ण बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जिनको सहायता देने की बात आपने कही है आप प्रार्थना पत्र दे दें माननीय मुख्य मंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

विधायक को जो विधायक निधि मिली है उसमें 25 लाख रुपया है जिसमें आप किसी रोगी को मरीज को दवा के लिए दे सकते हैं।

श्रीमती सीमा–

माननीय अध्यक्ष जी हमने दिया है। जितना हो सकता था वह हमने किया है। माननीय अध्यक्ष जी आपने कहा कि आप इस्टीमेट बनवा लीजिए तो जब तक हम पत्र लिखेंगे इस्टीमेट बनेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी आप जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

बिना इस्टीमेट के मुख्य मंत्री के यहां नहीं मिलता। अब हमने विमला बाथम को बुला लिया है।

'श्रीमती विमला बाथम–

माननीय अध्यक्ष जी मैं बहुत–बहुत आभार प्रकट करती हूं कि आपने मेरी बात को मानकर मुझे बोलने का मौका दिया। हमाने नोयडा की एक बहुत ज्वलंत समस्या है डी0एन0डी0 टोल जो वसूला जाता है वह नोएडावासियों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है इसका एग्रीमेंट हुआ था 1997 में और 2001 में यह चालू हो गया था डी0एन0डी0 टोल उस समय नोएडा जंगल की स्थिति में था इसलिए उस एग्रीमेंट में ऐसे प्राविधान

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर दिए गए थे जो बिल्कुल गलत और ऐसा लगता था कि एकतरफा एग्रीमेंट हो गया है। उस एकतरफा एग्रीमेंट में एक प्राविधान यह भी था कि जितनी लागत बढ़ती जायेगी उसके ऊपर 20 परसेंट का मुनाफा और उनका होता चला जायेगा, जो बिल्कुल नाइंसाफी वाली बात थी। उस एग्रीमेंट के तहत जो प्रबंधन है वह नोएडा वासियों से बराबर वसूली करता है। इसके अलावा आज की तारीख में 56 रुपये यानी 28 रुपये जाने के और 28 रुपये आने के, अगर टोल से होते हुये अगर जायें तो एक व्यक्ति को 56 रुपये देना पड़ता है जो बहुत भारी रकम है। जितने का पेट्रोल–डीजल नहीं लगेगा उससे ज्यादा वह टोल दे देगा। दूसरी बात यह है कि 99 एकड़ जमीन नोएडा अथॉरिटी की जो रेहन रखी थी उस समय कि अगर आपका मुनाफा पूरा न हो तो आप इस जमीन से हासिल कर लें। सिंचाई विभाग की कई एकड़ जमीन उन्होंने हथिया रखी है, लेकिन इस पर न कभी सरकार ने संज्ञान लिया, न उस टोल को खत्म किया। 408 करोड़ की लागत से बना डीएनडी आज कई–कई करोड़, तीन गुना–चार गुना वसूल कर चुका है, लेकिन अभी भी वह प्रबंधन बराबर वसूल कर रहा है। इसमें कुछ पुराने आई0ए0एस0 वगैरह थे जिन्होंने मिलकर वह टोल कम्पनी बनायी थी। आईएफएसएलएस कम्पनी है जिसने इसको फाईनेंस किया था, लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि इतने वर्ष हो गये इस कम्पनी को क्यों नहीं बन्द किया गया ? अभी हमनें 8 अप्रैल को डीएनडी पर प्रदर्शन किया था जिसके फलस्वरूप हमारे मा0 मुख्यमंत्री जी का भी बयान आना शुरू हुआ। हमारे यहां से कई मंत्रियों के बयान आये और बहुत हलचल मच गयी थी। हमारा यह कहना है कि इस टोल ने बहुत कमा लिया है। अगर प्रदेश सरकार इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है तो टोल की विदायी हो सकती है और इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि उसकी जितनी शीघ्र विदायी हो सके उतनी शीघ्र विदायी करें। जनता में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है कि नोएडा में टोल अब बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। मा0 मंत्री जी इस पर हमें कुछ आश्वासन दें तो मैं आपका आभार मानूंगी। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जिस प्रकरण का संज्ञान सदन को देने का काम किया है, उसको दिखवा लेंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी अगर स्वयं इस संबंध में हस्तक्षेप कर चुके हैं तो मैं समझता हूं कि उसके आगे की कोई कार्रवाई मा0 मुख्य मंत्री जी के ही स्तर से होगी और हम उनके संज्ञान में यह बात ले आयेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब नियम–56 की सारी सूचनायें समाप्त।

श्री राजीव गुम्बर–

मा0 अध्यक्ष जी, दो–तीन लोगों की अचानक कल ही मृत्यु हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

कल ही मृत्यु हुयी है इसलिये आप सूचना दे दें, इस पर कोई कार्य–स्थगन नहीं आया, नोटिस नहीं आयी, इसलिये इस पर नहीं बोलेंगे।

ख03.31, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत कुल 136 सूचनायें प्राप्त हुईं।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सोरांव स्थित ग्राम शेखपुर सरांयभारत में रास्ते पर अवैध कब्जा करके रास्ता रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष/महिला को 12 माह का प्रशिक्षण दिलाये जाने व शिक्षण कराकर स्वास्थ्य कार्यकर्मी पुरुष के पद पर समायोजित किये जाने के सम्बन्ध है,

श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा की जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत रामनगर में श्री राम सरन पाठक सरकारी धन का गबन करने से उनके खिलाफ जांच कराकर उन्हें अध्यक्ष के पद से हटाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सुनील कुमार सिंह यादव की जनपद लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण की लाल कालोनी के आवास संख्या–5/8 सी 6/1 एवं सी 3/1 की ओर से गली पर अवैध कब्जे किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री रोशन लाल वर्मा की राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उ0प्र0 के कार्यालय के पत्रांक संख्या–8149/211–सी0उ0–2011/रा0पी0व0 आ0/2014 दिनांक 25–11–2014 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है,

डा0 धर्मपाल सिंह की जनपद आगरा के अन्तर्गत यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध करने पर एत्मादपुर के किसानों पर लगाये गये मुकदमें के सम्बन्ध में है,

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर महानगर में निर्माणाधीन जन्तु उद्यान का निर्माण शीघ्र पूरा कराये जाने हेतु एकमुश्त धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है,

श्री उपेन्द्र तिवारी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि की आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माण शाला में कुछ चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अपने को स्वयं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी घोषित किये जाने एवं पद दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर में सिंचाई विभाग द्वारा खन्नौत नदी स्थित विसरात घाट पार्क के दक्षिण की ओर मिट्टी के कटान को रोकने हेतु 40–50 मीटर सीढ़ियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड कौड़ीराम में एस0डी0ओ0 पंचायत द्वारा पद दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद ललितपुर के जल संस्थान में तैनात अभियन्ता द्वारा जिला अधिकारी व आयुक्त झांसी मण्डल द्वारा दिये जांच में सहयोग न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में स्थित 33/11 विद्युत सब स्टेशन बैदौलागढ़ में 5 सं 5एम0बी0ए0 के परिवर्तक के स्थान पर 2 से 10 एम0बी0ए0 के दो परिवर्तक लगाकर क्षमता विस्तारीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद तहसील अतिवृष्टि तथा ओलावृष्टि की मुआवजा के धनराशि से दो चेकों की चोरी होने तथा रु0 56.87 लाख का भुगतान न होने के सम्बन्ध में है,

श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण के अन्तर्गत बुद्ध विहार पार्ट–सी से गाय घाट होते हुए मलौली बन्धे तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे है,

श्रीमती ममतेश शाक्य की जनपद कासगंज के विकास खण्ड सहावर स्थित गोरहा नहर स्थित नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के कतिपय ग्रामों की जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र में रुड़की रोड से शाहबुद्दीनपुर होते हुए मिमलाना तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्रीमती सीमा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर के मडियाहूं खण्ड 39 से निकलने वाली सभी माइनरों पर पानी न आने के सम्बन्ध में है,

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में असमय बारिस एवं ओलावृष्टि की मुआवजा किसानों को अभी तक वितरित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री फेरन लाल की जनपद इलाहाबाद के चकमुण्डेरा में रामचन्द्र मिशन रोड शिव मन्दिर वाली गली में कच्चे मार्ग की इण्टरलॉकिंग एवं दोनों तरफ नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर में परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज बस संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा के महानगर दयालबाग क्षेत्र में मानसरोवर कालोनी, होटल पूनम प्लाजा के बगल की सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

श्री रविदास मेहरोत्रा की समाजवादी पेंशन योजना 2014–2015 का 40 लाख पेंशन का लक्ष्य पूरा करने के सम्बन्ध में है,

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी की जनपद बरेली के नगर निगम की करोड़ों की रुपये की भूमि से भाजपा नेताओं द्वारा अवैध रूप से किये गये स्कूल को हटाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद अम्बेडकर नगर स्थित गांधी स्मारक इण्टरमीडिएट कालेज राजेसुल्तानपुर में आरक्षण कोटा पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड को पुरानी पीलीभीत रोड निकट कुर्मांचल नगर को जोड़ने वाली मुंशीनगर की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री बंशी सिंह पहाड़िया की जनपद एटा के तहसील जलेसर में श्री शंकर लाल दिनेश चन्द्र पुत्र श्री वासदेव की जमीन का फर्जी ढंग से कराये गये बैनामा व दाखिल खारिज को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सुल्तान बेग की जनपद बरेली के नगर पंचायत शाही के अध्यक्ष व अधिशासी द्वारा किये गये करोड़ों रुपये के गबन की टी0ए0सी0 से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर पवई में त्वरित योजना के अन्तर्गत हो रहे सड़क निर्माण में देरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री जाकिर अली की जनपद सुल्तानपुर के पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा वित्तीय अनियमितता, घोटाले तथा गबन की गई धनराशि की वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री कालीचरन सुमन की जनपद आगरा के सदर तहसील अन्तर्गत फाटक रेलवे लाइन के सहारे से लेकर देवरौठा तक सम्पर्क मार्ग व नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में विकास खण्ड ईशानगर के अन्तर्गत ग्राम नकहिया में पक्के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री गुटियारी लाल दुबेश की जनपद आगरा में ताजमहल के पास मधुनगर से लेकर ताल फिरोज खां तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सन्तराम कुशवाहा की जनपद जालौन के माधौगढ़ क्षेत्रान्तर्गत सदपुरा गांव से पजौनिया भगवन्तपुरा गांव होते हुए रेढक तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री नूर सलीम राणा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम व ब्लाक बघरा को टाऊन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री दीपक पटेल की जनपद इलाहाबाद के नलकूप खण्ड–ष्ष में चालक के पद पर कार्यरत श्री अशोक कुमार को पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री मनोज कुमार सिंह की प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शिक्षकों के भारी अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र वृन्दावन में यमुना नदी में गिरने वाले नाले गन्दे पानी को रोके जाने के सम्बन्ध में है,

श्रीमती उमाकान्ती की समाज कल्याण विभाग द्वारा पी0सी0एस0 कोचिंग अलीगंज लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है,

श्री आलमबदी की अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान की बाउण्ड्री निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध धनराशि से कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री मदन चौहान की जनपद हापुड़ में सिंचाई विभाग द्वारा अनूपशहर नहर शाखा पटरी पर निर्माण सड़क की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद श्रावस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात श्री रवि शेखर त्रिपाठी वरिष्ठ सहायक का मण्डल से बाहर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री शारदा प्रताप शुक्ला की जनपद महराजगंज के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री प्रभात कुमार द्वारा श्री बनवारी सिंह यादव को फर्जी मुकदमें में निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सुधाकर सिंह की जनपद की लखनऊ स्थित दारुलशफा के सी ब्लाक आवासों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

श्री आशीष कुमार यादव की उत्तर प्रदेश सचिवालय के श्रम अनुभाग–2 की सुस्त कार्य प्रणाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा व स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम लतीफगढ़ में निर्माणाधीन राजकीय आई0टी0आई0 एवं ग्राम उमरपुर में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री विक्रम सिंह की जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर के ग्राम पंचायत चन्दौकी विकास खण्ड शाहगढ़ में नियम विरुद्ध की गई खोदाई तथा वित्तीय अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत घाघरा नदी के किनारे निर्मित रौनाही तटबन्ध के कतिपय गांवों में जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली के अन्तर्गत ग्राम सभा बलवा, सिम्भालका एवं सेहटा का बाजार दर पर सर्किट रेट पुनरीक्षित कराकर मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री बाला अवस्थी प्रसाद की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज विकास खण्ड गोसाईगंज के कतिपय ग्रामों के कच्चे मार्गों पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जे को मुक्त कराकर पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है,

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय की जनपद इलाहाबाद के तहसील मेजा के कतिपय ग्रामों के सर्किल कानूनगो कोहड़ार से हटाकर सिरसा कानून को सर्किल में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री दलवीर सिंह की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के उपरान्त पदोन्नति सूची से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जजेज कालोनी, ट्राफिक लाइन कालोनी, पुलिस लाइन कालोनी आदि के जर्जर भवनों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री जय प्रकाश निषाद की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कई वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कर्मचारियों को लैब टेक्नीशियन के पदों पर 25 प्रतिशत पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री वेदराम भाटी की स्वास्थ्य महानिदेशक लखनऊ के क्षय अनुभाग में कार्यरत संयुक्त निदेशक क्षय/राज्य क्षय अधिकारी द्वारा किये जा रहे वित्तीय अनियतितताओं के सम्बन्ध में है,

डा0 रमेश चन्द्र विन्द की जनपद मिर्जापुर के थाना चुनार के अन्तर्गत ग्राम कजिया निवासी बाबूलाल बिन्द की जमीन को भूमाफिया बंगा यादव द्वारा अपने नाम रजिस्ट्री करा लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री रामहेत भारती की उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत वार्ड व्वायों को फार्मासिस्ट के पद पर समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री राधेलाल रावत की जनपद उन्नाव के तहसील उन्नाव में तैनात लेखपालों द्वारा क्षेत्रीय जनता को उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद की विधान सभा क्षेत्र कांठ में राशन वितरण में की जा रही अनियिमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम सभा गोडहरा निवासी श्री अशोक कुमार को विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के पांचों तहसीलों में हुई ओलावृष्टि एवं बारिश से हुई नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री योगेन्द्र उपाध्याय की स्वास्थ्य महानिदेशालय, लखनऊ में संयुक्त निदेशक, क्षय विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री लोकेश दीक्षित की जनपद बागपत के विधान सभा बड़ौत के अन्तर्गत ग्राम ग्यासरी के प्रधान द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

श्री राजीव गुम्बर की नगर निगम सहारनपुर में अवैध रूप से रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर की जा रही वसूली एवं अनियमित टैक्स की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मीरजापुर के निर्वाचन क्षेत्र मडिहान में पंचायती राज से जुड़े तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में है,

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी' की की जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर के कतिपय मोहल्लों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के विकास खण्ड मेजा में लोहरा पम्प कैनाल खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्रीमती बिमला बाथम की जनपद गौतमबुद्ध नगर के विधान सभा क्षेत्र 61 नोएडा में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद हरदोई के जिलाध्यक्ष भाजपा श्री राजीव मिश्र के ऊपर किये गये जानलेवा हमले के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री सुल्तान बेग की स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शासन के आदेशों के बावजूद मनमानी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री मो0 इरफान की पूर्व दशमेत्तर एवं उसके उच्च पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को फीस प्रतिपूर्ति न दिलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा श्रद्धापुरी कालोनी में सीवर लाईन डालने में की गई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु में खाद्यान्न विभाग द्वारा की जा रही चोरी एवं अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री रमेश चन्द्र दुबे की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र घोरावल में कतिपय पुलिया/रपटा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में केन्द्र पोषित योजना आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत विद्युत अवस्थापना के कार्य में की जा रही अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र मेंहदावल के विकास खण्ड बेलहरकलां में पशु चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री राम सिंह की जनपद चन्दौली के थाना अलीनगर के ग्राम मोहम्मदपुर निवासी अनीता गौड़ की दिनांक 19–8–2015 की हत्या किये जाने के उपरान्त गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्रीमती लालमुन्नी सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के अन्तर्गत कठेला को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के उपरान्त भी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय ग्राम पंचायतों को पक्की सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है,

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री उमेश पाण्डेय की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुवन के ब्लाक दोहरीघाट पर मधुवन मार्ग से हरिपरा एवं सरगुवां मेंहदू पार्क होते हुए अहिरानी तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री मो0 जासमीर अंसारी की जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र लहरपुर से बिसवां होते हुए महमूदाबाद तक की क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री भगवती प्रसाद की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र खैर में करवन नदी के दोनों तरफ गांव को जोड़े जाने हेतु कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सतीश महाना भारत सरकार आई0पी0डी0एस0 योजना अन्तर्गत कानपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु बिजली के खम्भों के स्थान पर बांस बल्लियों पर तारों को बिछाकर दिये गये कनेक्शन के सम्बन्ध में है,

श्री बावन सिंह की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के कतिपय ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015–16 में चयनित गांवों को बराबर हिस्सेदारी से समग्र लोहिया ग्राम योजना का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री मनबोध प्रसाद की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर में बगहा नाला पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सलिल विश्नोई की कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत जल निगम द्वारा डाली गई सीवर व पानी की लाईनों में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है,

श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा में की जनपद बनाये जाने, नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने, नई तहसील एवं ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री बृजेश कुमार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0के0एस0के0 प्रोग्राम के तहत हरदोई में काउन्सलरों की गई नियुक्तियों को कार्यालयी सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के जरौरी पम्प कैनाल एवं सुजानपुरा रजवहा पर दोनों नहरों की पटरियों को मजबूत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री रविन्द्र भडाना की विधान सभा क्षेत्र मेरठ दक्षिण में हापुड़ रोड के किनारे कतिपये ग्रामों में अवैध पशुवध शालाओं द्वारा पशुओं के कटान के सम्बन्ध में है,

श्री जियाउद्दीन रिजवी की बलिया की सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में है,

श्री दीपनारायण सिंह 'दीपक यादव' की जनपद कानपुर देहात की तहसील दैरापुर निवासी श्रीमती रानी देवी के मकान पर अराजकतत्वों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सुदेश शर्मा की नगरपालिका परिषद् मोदीनगर, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 17–8–2015 को सत्र के दौरान बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सिबगतुल्ला अंसारी की गाजीपुर के विकास खण्ड मोहम्मदाबाद के ग्राम शिवराय का पूरा व ग्राम सिमरा में गंगा नदी के कटान से विलीन हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में 03 माह पूर्व भारी दैवीय आपदा से हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री कृष्ण कुमार ओझा की जनपद लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली अन्तर्गत बाबू बनारसी दास वार्ड में मेरा मन होटल के पीछे जौहरी गड़हिया में असन अल्वी आदि द्वारा अवैध रूप से जिम का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सुधीर कुमार की जनपद लखनऊ के चारबाग सब्जी मण्डी (मोहन होटल के सामने) स्थित बन्द पड़े गैराज में कूड़ा–कचरा हटवाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री मो0 अलीम की उ0प्र0 परिवहन विभाग में 1100 मृतक आश्रित के पदों पर भर्ती न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्रीमती नजीबा खान जीनत की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा की ग्राम सभा खरगीपुर की रामतज्जी व प्रभावती को इन्दिरा आवास न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य की जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ओला वृष्टि एवं अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के खण्ड खेरागढ़ के कतिपय ग्रामों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सिनोद कुमार शाक्य की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई स्थित राधाकृष्ण जूनियर हाईस्कूल एवं बाल विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है,

श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर' की प्रदेश के भेषजिक (फार्मासिस्ट) के स्वीकृत रिक्त पदों पर चयन/नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री अमर पाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा साहिबाबाद में बनाये गये बारातघर की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री सुरेश बंसल की जनपद एवं क्षेत्र गाजियाबाद के वार्ड नं0–15 स्थित नाले की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री राधेश्याम की जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड से कतिपय स्थानों पर हुये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री रामसरन की प्रदेश में सिंचाई विभाग में संगणक कर्मियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री विनय तिवारी की जनपद हमीरपुर के पतारा श्रमदान से ग्राम श्रमदान तक सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में है,

श्री सुनील कुमार लाला की जनपद लखीमपुर के मितौली तहसील के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रामों की विद्युत लाइन बदले जाने के सम्बन्ध में है,

श्री शमीमुल हक की जनपद मुरादाबाद देहात के ढेला नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव के कतिपय ग्रामों को शुक्लागंज विकास प्राधिकरण से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है,

श्री जगराम पासवान की जनपद लखनऊ की पारा में कतिपय मोहल्लों में पक्की सड़क व नालियों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री मो0 इकबाल की जनपद लखनऊ की पारा में कतिपय मोहल्लों में पक्की सड़क व नालियों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री गेंदालाल चौधरी की जनपद हरदोई समेत पूरे प्रदेश में बढ़ रहे अवैध कच्ची शराब के व्यापार को रोके जाने के सम्बन्ध में है,

श्री अमित गौरव यादव की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा के ग्राम कुड़िहार में श्री राम को इन्दिरा आवास दिये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सुशील सिंह की जनपद लखनऊ के आवास एवं विकास परिषद् द्वारा बनाई गई वृन्दावन कालोनी, लखनऊ की अधूरी सड़कों के निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री कुंवर कौशल सिंह की जनपद लखनऊ के शारदा नगर योजना के पूर्ण निर्मित फ्लेटों के कब्जे एवं निबन्धन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद सिद्धार्थनगर के लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच होने के उपरान्त भी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के गंगोह क्षेत्रान्तर्गत नवनिर्मित माडल स्कूल में प्रवेश सत्र चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा के किसानों को मार्च, 2014 से हुये बरसात/ओलावृष्टि से नुकसान फसलों का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद के मास्टर जहूरूल हसन मार्ग से पश्चिम कारपेन्ट्री चौराहे तक नाले का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री दिलनवाज खान की जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत एन0एच0–91 पर रेलवे फाटक पर बन रहे फ्लाई ओवर के नीचे 33 के0वी0 विद्युत लाइन को अण्डर ग्राउन्ड किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में मुन्सिफ कोर्ट न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में डग्गामार वाहन मालिकों से पुलिस व प्रशासन द्वारा वसूली किये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री महावीर सिंह राणा की जनपद बाराबंकी में महिला चिकित्सालय बाराबंकी में तैनात लैब टेक्नीशियन को हटाये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री सन्त प्रसाद की जनपद गोरखपुर के खजनी में बने कतिपय ग्रामों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री मो0 गाजी की जनपद हरदोई के टी0बी0 क्लीनिक में तैनात ट्रीटमेन्ट सुपरवाइजर (संविदा) द्वारा की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

श्री उदयलाल मौर्य की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री अब्दुल मशहूद खां की जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् स्थित अशोक नगर मोहल्ले की टूटी–फूटी सड़कों एवं नालियों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट में मृतकआश्रित अनुकम्पा नियुक्ति करने एवं दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

सभी सूचनायें स्वीकार की गयीं।

प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज के अतिरिक्त प्रति किलोवाट मिनिमम यूनिट वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्द्वारा घरेलू व वाणिज्य उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज लिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज के अतिरिक्त प्रति किलोवाट मिनमम यूनिट चार्ज (न्यूनतम उपभोग चार्ज) वसूल किया जा रहा है। उपभोक्ता पर एक निश्चित बिजली उपयोग की वसूली किया जाना न्याय संगत नहीं है।

नोट :– ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभाग को उपभोक्ता से फिक्स चार्ज के अतिरिक्त जितनी बिजली वह उपयोग करता है उसी के पैसे वसूले जाने चाहिए।

इसी संदर्भ में अवगत कराना है कि उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दिनांक 28–06–2015 से लागू टैरिफ आदेश के अनुरूप घरेलू बत्ती पंखा एवं पावर (एल0एम0वी0–1) एवं वाणिज्य (गैर घरेलू), बत्ती पंखा एवं पावर (एल0एम0वी0–2) के उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज प्रति किलोवाट के आधर पर लिये जाने का प्राविधान किया गया है। घरेलू बत्ती पंखा एवं पावर श्रेणी के उपभोक्ताओं से फिक्स चार्जेज के अतिरिक्त प्रति किलोवाट मिनिमम यूनिट चार्ज लिये जाने का प्राविधान मा0 नियामक आयोग द्वारा नहीं किया गया है। फिक्स चार्जेज के अतिरिक्त ऊर्जा खपत के आधार पर इनर्जी चार्ज लिया जाता है।

वाणिज्यिक (गैर घरेलू) बत्ती पंखा एवं पावर (एल0एम0वी0–2) श्रेणी के उपभोक्ताओं से फिक्स चार्जेज के अतिरिक्त प्रति किलोवाट मिनिमम यूनिट चार्ज लिये जाने का प्राविधान मा0 आयोग द्वारा नहीं किया गया है बल्कि न्यूनतम विद्युत बिल प्रति किलोवाट प्रति माह लिये जाने का प्राविधान किया गया है।

घरेलू बत्ती पंखा एवं पावर तथा वाणिज्यिक (गैर घरेलू) बत्ती पंखा एवं पावर के उपभोक्ताओं हेतु मा0 नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरें निम्नवत् हैं :–

घरेलू बत्ती पंखा एवं पावर–

1. ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार विद्युत प्राप्त कर रहें उपभोक्ताओं हेतुः–

विवरण	विवरण	फिक्सड चार्ज	इनर्जी चार्ज
(प) अनमीटर्ड	2 कि0वा0 भार तक	रु0 180 / कि0वा0 / माह	शून्य
	2 कि0वा0 से अधिक	रु0 200 / कि0वा0 / माह	शून्य
(पप) मीटर्ड	समस्त भार	रु0 50 / कि0वा0 / माह	रु0 2.20 / यूनिट

2. अन्य मीटर्ड घरेलू उपभोक्ता :

लाइफ लाइन उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित भार 1 कि0वा0 तथा विद्युत खपत प्रति माह 150 यूनिट तक

विवरण	फिक्सड चार्ज	इनर्जी चार्ज
1 कि0वा0 भार और 0–50 यूनिट तक प्रति माह उपभोग पर	रु0 50 / कि0वा0 / माह	रु0 2.00 / यूनिट
1 कि0वा0 भार और 51–150 यूनिट प्रति माह उपभोग पर		रु0 3.90 / यूनिट

3. लाइफ लाइन उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं हेतु–

विवरण	उपभोग रेंज	फिक्सड चार्ज	इनर्जी चार्ज
समस्त भार हेतु	150 यूनिट / माह तक	रु0 90 / कि0वा0 / माह	रु0 4.40 / यूनिट

	151–300 यूनिट / माह		रु0 4.95 / यूनिट
	301–500 यूनिट / माह		रु0 5.60 / यूनिट
	500 से अधिक		रु0 6.20 / यूनिट

वाणिज्य (गैर घरेलू)

1. ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार विद्युत प्राप्त कर रहें उपभोक्ताओं हेतुः–

विवरण	विवरण	फिक्सड चार्ज	इनर्जी चार्ज
(प) अनमीटर्ड	समस्त भार	रु0 450 / कि0वा0 / माह	शून्य
(पप) मीटर्ड	समस्त भार	रु0 65 / कि0वा0 / माह	रु0 3. 00 / यूनिट

2. प्राईवेट एडवरटाईजिंग / साइन पोस्ट / साइन बोर्ड / ग्लो साइन / फ्लैक्स

विवरण	फिक्सड चार्ज	इनर्जी चार्ज
मीटर्ड	–	रु0 18.00 / यूनिट

उपरोक्त उपभोक्ताओं को रु0 1500 / कि0वा0 / माह न्यूनतम बिल देय होगा।

3. अन्य उपभोक्ता–शहरी शिड्यूल के अनुसार विद्युत प्राप्त कर उपभोक्ताओं हेतुः–

उपभोग रेंज	फिक्सड चार्ज	इनर्जी चार्ज
300 यूनिट / माह	रु0 225 / कि0वा0 / माह	रु0 6.70 / यूनिट
301–1000 यूनिट / माह		रु0 7.10 / यूनिट
1000 यूनिट / माह एवं उससे अधिक		रु0 7.25 / यूनिट

उपरोक्त उपभोक्ताओं द्वारा माह अप्रैल से सितम्बर तक न्यूनतम बिल रु0 600 / कि0वा0 / माह एवं माह अक्टूबर से मार्च तक रु0 475 / कि0वा0 / माह देय है।,

जनपद आजमगढ़ के संविदा कर्मी द्वारा तार जोड़ते समय करन्ट लगने से दिनांक 18 अगस्त, 2015 को हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

जनपद आजमगढ़ में संविदाकर्मी द्वारा तार.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्जोड़ते समय करन्ट लगने से दिनांक 18 अगस्त, 2015 को हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 26 अगस्त, 2015 को दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निर्देश प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ को दे दिये गये हैं।,

प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों (गोरखपुर सहित) में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण की सुविधा से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

खनियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 26–08–2015 को सूचना दी गयी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अवकाश लेखे में जमा 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण का भुगतान होता रहा है। अवकाश नकदीकरण शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 के आदेश संख्या–सा–4–438/दस 200–203–86 दिनांक 3 जुलाई, 2000 के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यकारणी परिषद द्वारा लिये गये थे। शासन ने पत्रांक 1224/सत्तर–4–2012–46(30)/2001 दिनांक 22 अगस्त 2012 के द्वारा न सिर्फ अवकाश नकदीकरण के भुगतान पर रोक लगा दी गयी बल्कि उसकी वसूली के साथ–साथ दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया। फलस्वरूप अक्टूबर, 2013 से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्रत्येक कर्मचारी का करीब 4–5 लाख रुपये की वसूली की जा रही है, जो सेवानिवृत कर्मियों के लिये बहुत बड़ी राशि है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ से शासन स्तर पर हुयी

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बैठकों के क्रम में सचिव शासन के आदेश संख्या–491/सत्तर–4–2014 दिनांक 21 अगस्त 2014 द्वारा उक्त 2012 के शासनादेश का क्रियान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है। लेकिन स्थगन के बावजूद अगस्त 2013 के बाद से अवकाश नगदीकरण का भुगतान नहीं किया गया। अतः मा0सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय को उत्तर प्रदेश कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम–51 के तहत सदन में उठाने एवं शासन को वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।

सूचना में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की प्रश्नगत मांग के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना है कि सेवानिवृत्त लाभों की परिभाषा के अन्तर्गत 300 दिवसों का अवकाश नकदीकरण की सुविधा आच्छादित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति के उपरांत 300 दिवसों का अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान किया जाना सम्भव नहीं पाया गया है।,

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत गण्डक से हो रहे कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

जनहित में महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर विधन सभा तमकुहीराज के अन्तर्गत लोहिया गांव पिपराघाट के तवकल टोला के सामने कटान कर रही है, यह लोहिया गांव है जिसके अन्तर्गत लगभग 15000 (पन्द्रह हजार) की आबादी आज संकट की स्थिति में है। बड़ी गण्डक नदी ने अपना रूप बदल दिया है और लगातार सड़क काटकर कटान शुरू कर दिया है जिससे गांवों में पानी आ जाने से लोगों में अफरा–तफरी का माहौल है। पूर्व में तमामबार जन–आन्दोलन हुए परन्तु सिंचाई विभाग व लोक निर्माण विभाग के लड़ाई में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। उस क्षेत्र की जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनका बचाव कैसे होगा। इस संदर्भ में कई पत्र सिंचाई मंत्री व मुख्यमंत्री को सन्दर्भित दिया जा चुका है। अब तक किसी तरह का काम न होने के कारण लोगों को रोष की स्थिति में लाकर खड़ा कर

नोट :– रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिया है। नदी लगातार सड़क के लगभग पूरे अस्तित्व को समाप्त कर चुका है। उक्त प्रकरण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है। साथ ही साथ लोहिया गांव पिपराघाट के तवकल टोला के सामने सिंचाई विभाग को निर्देशित कर सड़कों व गांवों को बचाने के लिए धन आवंटित कर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।

2–श्री अजय कुमार लल्लू, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना पर वक्तव्य निम्नवत् है :–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में उल्लिखित उक्त गांव फ्ल्ड प्लेन जोन में पड़ता है। तकनीकी मानक के अनुसार नदी के फ्लड प्लेन जोन में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कार्य कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। वर्तमान बाढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित लेपित मार्ग लगभग 20 मी0 में कट गया है, किन्तु गांव तक पहुंचने के लिए एक खड़न्जा मार्ग आज भी उपलब्ध है, जिस पर आवागमन चालू है। गांव डूव क्षेत्र में बंधे के अन्दर बसे हाने के कारण कोई स्थाई समाधान लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सम्भव नहीं है।,

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अभियन्ताओं की उदासीनता के कारण सड़कों के किनारे बढ़ रहे अवैध कब्जों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य, विधान द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

खकिया गया है कि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अभियन्ताओं की उदासीनता व लापरवाही के कारण सड़को के किनारे अवैध कब्जे बड़ी तेजी से बढ़े हैं और सड़कों की देखरेख न होने से सड़कों की पटरियां मेड़ समान बनी हुई हैं। जिसके कारण सड़कों पर पानी एकत्र होकर सड़कों को क्षतिग्रस्त कर रहा है और जनता की परेशानी से सरकार की बदनामी हो रही है। बार–बार चेताने के बावजूद भी अभियंतागण कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभियन्तागण का कार्य टेण्डर व भुगतान करना ही नहीं है बल्कि सड़कों की दशा पर ध्यान देना भी उनकी जिम्मेदारी है।

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारे अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जे की स्थिति संज्ञान में आते ही उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन के सहयोग से की जाती है। आबादी भाग में अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटाने के लिए समय–समय पर अभियान भी चलाया जाता है। सामान्यताः आबादी में पटरियों पर मलबा आदि आ जाने/स्थानीय निवासियों द्वारा मिट्टी भराई के कारण पटरी ऊंची हो जाती है एवं मार्ग पर पानी एकत्र होता है। मार्गों पर से अतिक्रमण हटाये जाने के पश्चात पुनः अतिक्रमण न हो इसके लिए स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी निश्चित की गयी है। वर्तमान में आबादी भाग के क्षतिग्रस्त भाग में सीमेन्ट, कांक्रीट रोड बनाने एवं नाली बनाने के कार्य की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है जिससे मार्ग पर पानी के एकत्रीकरण के कारण मार्ग को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके तथा समय–समय पर विभाग द्वारा भी मार्गों पर हुए अतिक्रमण को अभियान चलाकर हटाने हेतु निर्देशित किया गया है।,

प्रदेश के ऊर्जा विभाग में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य द्वारा प्रश्नगत सूचना.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्के माध्यम से निम्न बिनदु उठाये गये हैंः–

प्रदेश के ऊर्जा विभाग में कार्यरत कर्मियों को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23–08–2007 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27–07–2009 के स्पष्ट आदेशों के बाद भी मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा रहा है।

अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता संवर्ग के लिपिकीय वर्ग के जो कर्मचारी दिनांक 14–01–2001 के पूर्व परिषदीय सेवा में आ गये थे, उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के पद का समयबद्ध लाभ नहीं दिया गया, तृतीय समयबद्ध वेतनमान तीन बार बढ़ाया गया जबकि प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध वेतनमान एक बार भी नहीं बढ़ाया गया।

नोट :– रू, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 14–01–2001 के पूर्व जो कर्मचारी मुख्य अभियन्ता संवर्ग में लिपिक के पद पर निगमीय सेवा में आर गये थे, उन्हें समान वेतन का लाभ नहीं दिया गया, जबकि दिनांक 19–09–2009 को छठा वेतनमान लागू हो जाने के उपरान्त दिनांक 05–09–2011 को तृतीय समयबद्ध वेतनमान में पुनः बढ़ोत्तरी की गयी थी।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराना है:–

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियंता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय विनियमावली 1970) (प्रथम संशोधन सहित) के स्थान पर उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियंता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय विनियमावली, 1998) (द्वितीय संशोधन) दिनांक 01–04–1984 से प्रभावी करते हुए इससे सम्बन्धित आदेश दिनांक 22–12–1998 को निर्गत किये गये थे।

इस संशोधित विनियमावली के विभिन्न प्राविधानों में अनेक विसंगतियां होने एवं इसका क्रियान्वयन सम्भव न हो पाने के कारण इसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में चुनौती दी गयी, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23–08–2007 को पारित किये गये आदेशों के अनुसार इसे निरस्त किये जाने का निर्णय दिया गया था। अग्रतर मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेशों को सही मानते हुए दिनांक 27–07–2009 को पारित निर्णय द्वारा उपरोक्त संशोधित विनियमावली, 1998 (द्वितीय संशोधन) को निरस्त योग्य माना।

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1150–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–7(2)– काविनी/03, दिनांक 04–11–2009 द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर दिया गया। जिसमें संशोधित विनियमावली, 1998 एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी किये गये समस्त आदेशों को निरस्त कर दिया गया एवं पूर्व विनियमावली, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियंता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय विनियमावली, 1970) (प्रथम संशोधन सहित) पुनः दिनांक 01–04–1984 से प्रभावी कर दी गयी। जिसके फलस्वरूप मुख्या अभियंता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय कर्मचारियों के समयबद्ध वेतनमान/सेवानैवृत्तिक लाभ तद्नुसार विनियमित किये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये थे। उपरोक्त निर्गत कारपोरेशनादेशों एवे मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित कर्मचारियों को उनहें यथादेय लाभ अनुमन्य कराये जा रहे हैं।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता संवर्ग के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों के सम्बनध में उपरोक्त 14–01–2001 की तिथि वास्तव में 14–01–2000 है, इस तिथि को पूर्ववर्ती परिषद का विघटन कर तीन निगमों का सृजन

किया गया हैं इस तिथि से पूर्व परिषदीय सेवा में नियुक्त मुख्य अभियंता संवर्ग के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी उपरोकत उल्लिखित ''उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियंता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय विनियमावली, 1970) (प्रथम संशोधन सहित)'' के प्राविधानों कसे आवरित होते हैं। इन कर्मचारियों की संवर्गीय प्रोन्नति श्रृंखला में प्रशासनिक अधिकारी का पद उपलब्ध है। इस पद का वेतनमान दिनांक 01–01–1996 से लागू वेतनमानों में रु0 8550–13500 निर्धारित है दिनांक 01–01–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में इसे वेतन बैण्ड–3 (15600–39100) एवं ग्रेड पे रु0 5400 में पुनरीक्षित किया गया है।

कारपोरेशन के कार्मिकों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के साथ–साथ उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्ग्रत समयबद्ध वेतनमान के स्थान पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगली उच्च ग्रेड–पे अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। कारपोरेशन में पूर्व समयबद्ध वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य लाभों को दिनांक 18–02–2009 तक पूर्व की भांति लागू रखा गया है, दिनांक 19–02–2009 (जिस तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं), से एवं इसके उपरान्त समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था लागू नहीं है, बल्कि ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू की गयी है।

उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती परिषद्/कारपोरेशन में समयबद्ध वेतनमानों की देयता के अवसर पर सम्बन्धित संवर्ग में सम्बन्धित कार्मिक को अगले प्रोन्नति के पद का वेतनमान अनुमन्य किया जाता था, जिसके अन्तर्गत मुख्य अभ्यिन्ता संवर्ग के लिपिकीय कर्मचारी को तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में प्रशासनिक अधिकारी के पद का वेतनमान रु0 8550–13500 अनुमन्य होता है, किन्तु यह उन्हीं कार्मिकों को अनुमन्य है, जिनके 19 वर्ष की सेवायें दिनांक 18–02–2009 से पूर्ण हो चुकी हैं, ऐसे कार्मिक जिनको तृतीय समयबद्ध वेतनमान की देयता हेतु 19 वर्ष की सेवा दिनांक 19–02–2009 अथवा उसके उपरांत पूर्ण होती हैं, उनहें ए0सी0पी0 के प्राविधानों से आवरित किया जा रहा है। इन प्राविधानों में उन्हें ग्रेड वेतन रु0 4800 की अनुमन्यता होती है, जबकि रु0 8550–13500 के सापेक्ष पुनरीक्षित संरचना में ग्रेड वेतन रु0 5400 निर्धारित किया गया है। उपरोक्त लिपिकीय कर्मचारियों, जिन्हें रु0 4800 का ग्रेड वेतन अनुमन्य है एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद का वेतनमान समयबद्ध वेतनमान के रूप में अनुमन्य नहीं हो पा रहा है।

इसी सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि कारपोरेशन के कार्मिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा लिए गये निर्णय के अन्तर्गत तृतीय समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता में विसंगतियां उत्पन्न होने के दृष्टिगत उसका निवारण किये जाने के उद्देश्य से केवल तृतीय समयबद्ध वेतनमान में संशोधन किये गये हैं, प्रथम एवं द्वितीय समयबद्ध वेतनमान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है।

इसी सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि मुख्य अभियन्ता संवर्ग के पुराने लिपिकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी छठे वेतन आयोग के सिद्धान्त एक समान रूप से लागू है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। दिनांक 19–09–2009 (वास्तिवक तिथि 19–02–2009 है), को छठा वेतनमान लागू किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। दिनांक 05–09–2011 को कारपोरेशन का कार्यालय ज्ञाप संख्या–985–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/11–17–काविनी एवं वे0प्र0/08 निर्गत किया गया है। इस आदेश के अन्तर्गत कारपोरेशन के ऐसे पदधारक, जिन्हें समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 18–02–2009 अथवा उससे पूर्व 19 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान रु0 8500–13500 अनुमन्य हुआ है एवं ऐसे पदधारकों के लिए इससे उच्च वेतनमान के पदों पद पदोन्नति की आगे कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, उन्हें रु0 5400 ग्रेड पे के स्थान रु0 6600 की ग्रेड पे अनुमन्य करायी गयी है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार रु0 6600 की अनुमन्य करायी गयी ग्रेड पे पारस्परिक विसंगति समाप्त किये जाने के उददे्श्य से कारपोरेशन द्वारा लिए गये निर्णय के अन्तर्गत है।,

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत यू0पी0 नेडा चन्दौली/वाराणसी में अवशेष सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री बब्बन सिंह चौहान, मा0 सदस्य, विधान सभा.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 21–08–2015 को दी गयी सूचना में निम्न तथ्य शासन के संज्ञान में लाते हुये सदन के माध्यम से जनहित में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई/वक्तव्य की मांग की गयी हैः–

''जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मेरे द्वारा यू0पी0 नेडा चन्दौली/वाराणसी को 150 नग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव विधायक निधि वर्ष 2014–15 से दिया गया था। प्रत्येक सोलर लाईट की दर तत्कालीन समय 14,250 रु0 प्रति नग निर्धारित की गयी थी। लेकिन आज तक केवल 34 नग ही सोलर

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाईट लगाये गये। बाकी लाईटें नहीं लगायी गयी। जबकि उक्त संस्था को विधायक निधि से 21,375.000 रु0 यू0पी0 नेडा को दिया गया था। अब उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मैं इस रेट में सोलर लाइट नहीं लगाऊंगा। अब यू0पी0 नेडा द्वारा 22,600 रु0 प्रति नग लगाये जाने की बात कही जा रही है। जबकी यू0पी0 नेडा द्वारा निधि का पैसा लगभग एक वर्ष तक अपने पास रखे रहे। यदि निर्धारित राशि के अनुसार सोलर लाइट नहीं लगाना था, तो बिना कारण निधि का पैसा क्यों अपने पास रखे रहे। जबकि प्राइवेट एजेन्सी द्वारा 14,250 रु0 प्रति नग लगाये जाने को तैयार है। जिससे कारण समय से क्षेत्रीय जनता को सोलर लाईट का लाभ नहीं मिल सका।''

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य, विधान सभा क्षेत्र–मुगलसराय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में विधान सभा क्षेत्र–मुगलसराय के अन्तर्गत 150 स्थलों पर अनुदानित दर पर स्ट्रीट सोलर लाइट अधिष्ठापन हेतु प्रस्ताव किया गया था। मा0 विधायक के प्रस्ताव के क्रम में यू0पी0 नेडा वाराणसी से अनुदानित दर पर स्ट्रीट सोलर लाइट अधिष्ठापना हेतु प्राक्कलन/दर मांगा गया। यू0पी0 नेडा वाराणसी द्वारा अनुदानित दर रु0 14,250.00 (रुपये चौदह हजार दो सौ पचास मात्र) प्रति सोलर लाइट अधिष्ठापन का प्रस्ताव दिया गया। जिसके क्रम में कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चन्दौली द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा संस्तुत 150 स्थलों पर स्ट्रीट सोलर लाइट अधिष्ठापना हेतु कुल रु0 21.375 लाख कार्यालय के पत्र दिनांक 19–11–2014 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। यू0पी0 नेडा द्वारा अनुदानित दर पर प्राप्त 34 सोलर लाइट की स्थापना करायी गयी तथा शेष 116 सोलर लाइटों को अपने पत्र दिनांक 23–06–2015 द्वारा यह बताते हुये कि वर्तमान में निदेशक, यू0पी0 नेडा, लखनऊ के पत्र दिनांक 18–04–2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में शासन स्तर से स्ट्रीट सोलर लाइटों पर अनुदान अनुमन्य नहीं है, जिसके कारण मा0 विधायक क्षेत्र–मुगलसराय द्वारा प्रस्तावित 150 में से 34 अदद सोलर लाइट की आपूर्ति जो पूर्व में अनुदानित दर पर प्राप्त हुई थी। उसे अधिष्ठापित करा दिया गया है। यू0पी0 नेडा द्वारा मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 13–07–2015 के परिपालन में यू0पी0 नेडा वाराणसी द्वारा अवशेष धनराशि रु0 16.53 लाख तथा उक्त अवशेष धनराशि पर अर्जित ब्याज रु0 37008.00 वापस कर दिया गया है, जो मा0 विधायक के निधि में व्यय हेतु पी0एल0ए0 में जमा करा दिया गया।

जहां तक मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्राईवेट एजेन्सी से रु0 14,250 में सोलर लाइट लगवाये जाने का प्रश्न है, उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विधायक निधि की धनराशि से कोई भी कार्य स्वयं सेवी संगठनों/निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराया जायेगा। अतः उक्त प्राविधान के दृष्टिगत किसी प्राइवेट फर्म से सोलर लाइट की आपूर्ति/अधिष्ठान का कार्य नहीं कराया जा सकता है।,

जनपद आगरा के विकास खण्ड खेरागढ़ के कतिपय ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह कुशवाहा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री भगवान सिंह कुशवाह, मा0 सदस्य, विधान सभा.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्द्वारा दिनांक 21–08–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि ''जनपद आगरा के विकास खण्ड खेरागढ़ के ग्राम धमोकर, ग्राम पंचायत–घुसियाना एवं ग्राम टीका का पुरा, ग्राम पंचायत दनकशा समेत दर्जनों गांव ऐसे हैं जो किसी भी सम्पर्क मार्ग से जुड़े नहीं हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को प्रतिदिन अत्यन्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर जनपद आगरा के विकास खण्ड खेरागढ़ के उक्त ग्रामों को तुरन्त सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने हेतु वक्तव्य की मांग की गयी है।''

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा के पत्र दिनांक 25–08–2015 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 21–8–2015 को को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लिखित उक्त मार्ग जिला पंचायत, आगरा की किसी कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। अतः कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।,

जनपद कानपुर नगर की छावनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वार्ड 54 में स्थित बाबू पुरवा श्रमिक कालोनी में व्यापक सफाई कराने हेतु दिनांक 26 फरवरी, 2014 को नियम–301 में दी गयी सूचना पर कार्रवाई करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, मा0 सदस्य, विधान सभा.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

नोट :– ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 21–08–2015 को यह सूचना दी गयी है कि कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी के अन्तर्गत वार्ड–54 में स्थित बाबूपुरवा श्रमिक कालोनी में व्यापक सफाई कराने के सन्दर्भ में पिछले विधान सभा सत्र में दिनांक 26–02–2014 को नियम–301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के क्रम में आपके द्वारा न्यू श्रमिक कालोनी की 44 सर्विस लेनों में से 8 के सही स्थिति में होने एवं 36 गलियों के जीर्ण–शीर्ण होने की स्थिति के कारण प्रस्ताव तैयार कराकर स्वीकृतोपरान्त सफाई कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर कार्य कराने हेतु आश्वस्त किया गया था परन्तु न्यू श्रमिक कालोनियों में समुचित सफाई न होने के कारण सर्विस लेनों में भीषण गन्दगी एवं जल भराव व्याप्त होने के कारण निवासियों को संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ रहा है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि बाबूपुरवा श्रमिक कालोनी श्रम विभाग की है। कालोनी में नियमित सफाई कार्य कराया जाता है। उक्त कालोनी में कुल 44 सर्विस लेनों में से 8 सही स्थिति में हैं तथा 36 सर्विस लेनें जीर्ण–शीर्ण स्थिति तथा मिट्टी तथा मलबा से जाम थीं, जहां सफाई का कार्य कराया गया । अब तक 26 सर्विस लेनों की सफाई का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 10 सर्विस लेनों की सफाई की कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। वर्तमान में ब्लाक–242–248 के पीछे सर्विस लेन सफाई का कार्य कराया जा रहा है। वार्ड–54 के सभी क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के दृष्टिगत सड़कों, नालियों की नियमित सफाई के उपरान्त चूने एवं मैलाथियान डस्ट का छिड़काव एवं रोस्टर के अनुसार फागिंग करायी जा रही है।,

जनपद इलाहाबाद के आई0ई0आर0टी0 स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग डिवीजन में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अगस्त, 2013 के पूर्व प्राप्त वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्के अन्तर्गत दिनांक 21–08–2015 को निम्न सूचना दी गयी है :–

''इलाहाबाद के आई0ई0आर0टी0 में 17 मई, 2001 को इंजीनियरिंग डिवीजन की स्थापना हेतु राज्य सरकार ने अनापत्ति देने के उपरान्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानकों को पूर्ण मानते हुये महामहिम राज्यपाल द्वारा 24 जुलाई, 2001 को उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी। यह इंजीनियरिंग डिवीजन स्ववित्तिपोषित पाठ्यक्रम के रूप में 2001 से संचालित है और यहां पर नियुक्त शैक्षणिक शिक्षकों को उ0प्र0 शासन द्वारा संस्थान की दी गयी मान्यता की शर्तो के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान नई दिल्ली के अनुसार तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा देय सभी देयों/सुविधाओं का भुगतान अभी तक किया जाता रहा है।

वित्तीय अनियमितताओं को लेकर यहां पर महालेखाकार से शासन ने जांच करवायी। तत्कालीन कार्यवाहक निदेशक, श्री एन0आर0 भाटिया ने इसी को आधार बनाकर संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच करायी और सितम्बर, 2013 से सितम्बर, 2014 तक आंशिक भुगतान बिना किसी आयुक्त/प्राधिकृत नियंत्रक की अनुमति से शुरू करा दिया जो कि नियमित भुगतान का 1/3 के बराबर है। महालेखाकार की रिपोर्ट इंजीनियरिंग डिवीजन के वेतन के सम्बन्ध में नहीं थी।

पीड़ित शिक्षक कर्मचारीगण आयुक्त/प्राधिकृत नियंत्रक तथा मा0 प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी के यहां दौड़ लगाते रहे किन्तु अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है जबकि मा0 मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 23–04–2015 की बैठक में एक माह में इसके निस्तारण का आदेश दिया गया था। सितम्बर, 2013 से कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों को 1/3 वेतन मिलने से वह सब परिवार भुखमरी की कगार पर आ गये हैं। शिक्षण पर भी असर पड़ रहा है जिससे छात्र भी आक्रोशित हैं। भारी असंतोष एवं आक्रोश है। अतः लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना को सदन में लाकर अतिशीघ्र आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद के स्ववित्तपोषित इंजीनियरिंग डिवीजन में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अगस्त, 2013 के पूर्व प्राप्त वेतन दिलाने की मांग करने के साथ ही साथ शासन से सदन में वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूं।''

2–उक्त सूचना के सम्बन्ध में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर से आख्या प्राप्त आख्यानुसार आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद में जो डिग्री पाठ्यक्रम संचालित है, वह पूर्णतया निजी संस्था के रूप में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत है, एवं डिग्री

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पाठ्यक्रम हेतु अलग प्रबंध समिति (बी0ओ0जी0) गठित है। संस्था की प्रबन्ध समिति भंग होने के कारण प्राधिकृत के रूप में आयुक्त इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद द्वारा ही डिप्लोमा के साथ डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन का कार्य देखा जा रहा है। उक्त योजना में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित होने के कारण संस्था को शासन द्वारा कोई भी अनुदान नहीं दिया जाता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद में डिग्री डिवीजन में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्ति किये गये शिक्षकों एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति पाठ्यक्रम आधारित है, तथा इसके लिए शासन द्वारा कोई भी अनुदान नहीं दिया जाता है और न ही कोई पद शासन/बी0ओ0जी0 द्वारा सृजित किये गये हैं। नियुक्त किये गये कर्मचारियों का वेतन भुगतान संस्था में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की आय के सापेक्ष ही किया जाता है। आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित डिग्री कोर्स में कार्यरत शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को अगस्त, 2013 में प्राप्त वेतन के आधार पर वेतन भुगतान के सन्दर्भ में स्पष्ट करना है कि प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा पूर्व में मामले की जांच की गयी थी। उक्त संस्था के डिग्री कोर्स में कार्यरत उक्त कर्मचारियों के पद तथा वेतनमान शासन/संस्था की बी0ओ0जी0 द्वारा सृजित नहीं किये गये हैं, और न ही शासन द्वारा कोई अनुदान डिग्री कोर्स के लिए दिया जाता है। उसमें नियुक्त गैर शिक्षण कर्मचारी पूर्व में आई0ई0आर0टी0 इलाहाबाद के अन्तर्गत अन्य स्ववित्त पोषित योजनाओं (शासन द्वारा पद सृजित नहीं) में कार्यरत थे, तथा उनको यदि राज्य सरकार द्वारा अनुदानित पालिटेक्निकों के कर्मचारियों की भांति पुनरीक्षित वेतनमान 1996 एवं 2006 तथा देय प्रोन्नति वेतनमान प्रथम/द्वितीय दिया गया था तो वह अनियमित था तथा वहां से त्याग पत्र देकर डिग्री कोर्स में नियुक्त होने पर पूर्व में ग्रुप–बी में प्राप्त वेतन के आधार पर उनको यदि वेतन निर्धारण कर वेतन का भुगतान किया गया है, तो वह भी अनियमित है तथा शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान एवं ए0सी0पी0 का लाभ देते हुए वेतन दिया जा रहा है तो वह भी अनियमित है। प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा कराई गई जांच में वेतन विसंगति प्रकाश में आने पर पुनः वेतन निर्धारण कर कर्मचारियों को अन्तरिम वेतन का भुगतान सितम्बर, 2013 से निदेशक, आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है।,

जनपद बांदा में तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम सभा सिंधनकला में केन नदी से सटे तुर्री नाले में डूबकर मृत्यु होने से मृतक छात्र की विधवा मां को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

जनहित के महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक विषय की ओर.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुय अवगत कराना है कि जनपद–बांदा के विधान सभा क्षेत्र–तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम सभा–सिंधनकला, थाना–एवं तहसील–पैलानी में कल दिनांक 19 अगस्त, 2015 को प्रातः 10:00 बजे विक्रम सिंह (उम्र 15–16 वर्ष) पुत्र स्व0 हरेन्द्र सिंह की केन नदी से सटे हुये तुर्री नाला के रपटे में पानी आ जाने के कारण डूबकर मृत्यु हो गयी। विक्रम सिंह जी0आई0सी0 पैलानी में कक्षा–9 का छात्र था। इनके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। इनके परिवार में बुजुर्ग इनके बाबा एवं विधवा मां है। यह निहायत ही गरीब परिवार है। इस नाले में इससे पूर्व भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हर साल बरसात के समय में लगभग पूरे समय तुर्री नाले के रपटे में पानी बना रहता है, जिससे कई गांव सिंधन कला, अदरी, बसधरी, पचकौरी, हरबंशपुरवा, लसड़ा, गुरगवां, पण्डवन डेरा इत्यादि गांवों का आवागमन ठप हो जाता है। इससे वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने इस समस्या को कई बार जिले के अधिकारियों को पत्र लिखकर व मीटिंग में अवगत कराया तथा सरकार को भी कई बार पत्र लिखे। एक दो बार नियम 51 एवं 301 के अन्तर्गत भी मा0 सदन के माध्यम से सरकार को अवगत करा चुका हूं। इस समस्या को लेकर दो बार प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से मिल चुका हूं तथा पत्र द्वारा अवगत कर चुका हूं। मेरे बार–बार लिखने के बाद भी सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। कल की घटना से क्षेत्र के लोगों में बहुत नाराजगी व्याप्त है। दिनांक 20 अगस्त को सुबह जब विक्रम सिंह की लाश मिली तब लोग आक्रोशित होकर तहसील मुख्यालय पैलानी में धरने पर बैठ गये। बड़ी मुश्किल से पोस्टमार्टम के लिये लोग राजी हुए। क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कोई भी अप्रिया घटना घट सकती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशाासन व सरकार की होगी।

मैं इस अति–अविलम्बिनीय व मानवीय विषय को सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त घटना में मृतक छात्र की विधवा मां को समुचित मुआवजा दिये जाने तथा तुर्री नाले पर रपटे की जगह ऊंचा पुल बनाये जाने की मांग करते हुये उक्त प्रकरण पर वक्तव्य की मांग करता हूं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम सभा सिंधनकला, तहसील पैलानी में दिनांक 19–08–15 को श्री विक्रम सिंह पुत्र स्व0 हरेन्द्र सिंह की केन नदी से सटे हुये नाले के रपटे में पानी आ जाने के

नोट :– ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में मृतक की विधवा मां को समुचित मुआवजा दिये जाने की कार्रवाई लोक निर्माण से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्नगत तुर्री नाले पर स्थित रपटा लोक निर्माण विभाग के अधीन पैलानी गलौली मार्ग के कि0मी0 1 से लसड़ा सम्पर्क मार्ग पर स्थित है, जिस पर पुल का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

जनपद हरदोई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0के0एस0के0 प्रोग्राम में तैनात काउन्सलरों को कार्य करने हेतु सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री बृजेश कुमार वर्मा, मा0 सदस्य.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्विधान सभा द्वारा दिनांक 26–08–2015 को उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आर0के0एस0के0 प्रोग्राम के तहत जनपद हरदोई में जून, 2015 में प्रत्येक ब्लाक स्तर के चिकित्सालय में 20 अर्श काउन्सलर (पुरुष) एवं 20 अर्श काउन्सलर (महिला) को नियुक्ति प्रदान की गयी है किन्तु दो माह व्यतीत होने वाले हैं फिर भी उपरोक्त कर्मचारियों को मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा उनको बैठकर काउन्सलिंग कार्य हेतु कमरा, कुर्सी, मेज व आलमारी आदि उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी अधीक्षक को नहीं दिये गये हैं जिससे जनपद के अधिकतर प्रभावी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक द्वारा न तो उन्हें कक्ष का आवंटन किया गया है और न ही उन्हें कुर्सी, मेज, आलमारी आदि की व्यवस्था की गयी है, जिससे वे चिकित्सालय में इधर–उधर बैठने के लिये विवश हैं। यहां तक कि अधिकतर कर्मचारियों को वेतन/मानदेय नहीं दिया गया है। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक का स्पष्ट आदेश है कि समस्त संविदा कर्मियों को मानदेय प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अवश्य भुगतान कर दिया जाये किन्तु उपरोक्त निर्देशों का प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं अधीक्षक द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिये व्यापक जनहित में उपरोक्त संविदा कर्मचारियों को उल्लिखित सुविधाएं तत्काल प्रदान किया जाना तथा शिथिलता बरतने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना न्यायोचित होगा। तद्नुसार सूचना देते

नोट :–ख्, यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुए मा0 सदस्य द्वारा जनहित में लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार से प्रभावी कार्रवाई करने एवं सदन में वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में उपरोक्त संविदा कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधाएं तत्काल प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई किये जाने एवं प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त गुण–दोष के आधार पर कार्यवाही हेतु मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण पत्र दिनांक 26–08–2015 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।,

जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी में तैनात लैब टेक्निशियन द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह राणा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री महावीर सिंह राणा, मा0 सदस्य, विधान सभा.....

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्द्वारा दिनांक 26–08–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी में पूर्व में तैनात पेशेवर शिकायतकर्ता/लैब टेक्नीशियन द्वारा विगत दस वर्षों से विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आये दिन फर्जी एवं अनावश्यक शिकायतें कर, जनसूचना मांग कर तथा उन्हीं शिकायतों पर विधान सभा/परिषद् में सांठ–गांठ कर प्रश्न पूछवाकर उन्हें मानसिक रूप से पीड़ित कर ब्लैक मेल करने की सूचना मा0 सदस्यों द्वारा विगत सत्रों में की गयी थी। इन आरोपों की जांच हेतु उसके विरुद्ध वर्तमान में अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित है किन्तु फिर भी उपरोक्त लैब टेक्नीशियन के द्वारा पीड़ित कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें कर, जनसूचना मांग कर उनका उत्पीड़न किया जाना निरन्तर जारी है। जैसा कि मा0 सदन को विगत सत्रों में मा0 सदस्यों द्वारा अवगत कराते हुए मांग की गयी थी कि यदि उपरोक्त लैब टेक्नीशियन को जनपद लखनऊ/हरदोई मुख्यालय से दूरस्थ जनपद में स्थानान्तरित करते हुए उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं की गयी तो उसके द्वारा कर्मचारियों का मानसिक उत्पीड़न किया जाना बन्द नहीं किया जायेगा। फिर भी प्रकरण गम्भीर, महत्वपूर्ण व मा0 सदन से

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्धित होने के बावजूद उसका स्थानान्तरण भारी सांठ–गांठ के चलते शासन द्वारा जनपद बाराबंकी से लखनऊ/हरदोई के सबसे निकट जनपद उन्नाव किया गया है। जबकि उपरोक्त लैब टेक्नीशियन की फर्जी शिकायतों पर पीड़ित कर्मचारियों का लखनऊ मण्डल से दूरस्थ जनपदों में स्थानान्तरण कर उनके साथ विभाग द्वारा घोर अन्याय किया गया है और तो और विगत 2 वर्षों में मा0 सदन में नियम–51, नियम–110, नियम–111 आदि के अन्तर्गत सूचनायें मा0 सदस्यों द्वारा उपरोक्त लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध की गयी, जिन पर विलम्बतम एक माह में कार्रवाई पूर्ण कर मा0 सदन को अवगत कराना आवश्यक होता है, किन्तु शासन द्वारा मा0 सदन की अवमानना करते हुए अभी तक न तो जांच पूर्ण करायी गयी है और न ही उपरोक्त कर्मचारी को लखनऊ मण्डल से दूरस्थ जनपद में स्थानान्तरित किया गया है, जिससे उसका मनोबल अत्यन्त बढ़ा हुआ है और उसके कृत्यों में कोई सुधार नहीं हुआ है।

अतः व्यापक जनहित में ऐसे उदण्ड कर्मचारी/लैब टेक्नीशियन को लखनऊ मण्डल से दूरस्थ जनपद में स्थानान्तरित करते हुए प्रकरण की जांच शासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना ही न्यायसंगत बताया गया है। तद्नुसार सूचना देते हुये मा0 सदस्य द्वारा जनहित एवं लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार से प्रभावी कार्रवाई करने तथा सदन में वक्तव्य देने की मांग की गयी है।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला महिला चिकित्सालय, बाराबंकी में पूर्व में तैनात श्री राजेन्द्र सिंह, लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैनात निदेशक स्तर के अधिकारी के समयबद्ध जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेते हुए सम्बन्धित लैब टेक्नीशियन के दूरस्थ स्थानान्तरण एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। पूर्व प्रचलित जांच में हुए विलम्ब के लिये दोष का निर्धारण कर सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण के विरुद्ध कार्रवाई भी की जायेगी। यह भी अवगत कराना है कि श्री राजेन्द्र सिंह, लैब टेक्नीशियन का स्थानान्तरण जनपद बाराबंकी से जनपद उन्नाव कर दिया गया है तथा उक्त लैब टेक्नीशियन वर्तमान समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, असोहा, जनपद उन्नाव में तैनात हैं। जहां तक मा0 सदस्यगण को विभिन्न नियमों के अन्तर्गत मा0 सदन में दी गयी सूचनाओं के क्रम में अवगत कराये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मा0 सदस्यगण द्वारा मा0 सदन में उठाये गये नियमों के परिप्रेक्ष्य में समय–समय पर तथ्यों से अवगत कराया गया है।,

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–26 स्थगित है।

ऋषि वशिष्ठ सहकारी आवास समिति लि0 के अध्यक्ष एवं उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ की मिलीभगत से समिति के बैंक खाते में गबन किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा नियम–51 के

अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–27 स्थगित है।

जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर के नये स्वीकृत ब्लाक अगोत की ग्राम पसौरा में भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

ख03.33, प्रश्नों के सम्बन्ध में सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक सूचना दे दूं।

दिनांक 27 अगस्त, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल प्राप्त अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 157, इसमें स्वीकृत हुए 05, तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत हुए 29, अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत 28, अस्वीकृत हुए 95।

कुल प्राप्त तारांकित प्रश्न 1550, तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत हुए 235, अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत 696, अस्वीकृत प्रश्न 618, विचाराधीन 01।

कुल प्राप्त अतारांकित प्रश्न 1742, स्वीकृत अतारांकित प्रश्न 1069, अस्वीकृत प्रश्न 673।

उत्तरित प्रश्नों की स्थिति इस प्रकार है–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 02, तारांकित प्रश्न 93 और अतारांकित 829।

सूचनाएं जो प्राप्त हुईं– नियम–51 में 27 अगस्त तक 554 सूचनाएं प्राप्त हुईं, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई 15, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई 40, ध्यानाकर्षण हुआ 158 पर और अस्वीकृति हुई 341 । नियम–56 में 213 सूचनाएं प्राप्त हुई, 69 चयनित हुईं, चर्चा हुई 03 पर, ध्यान आकृष्ट किया गया 12 पर और अस्वीकृत हुई 197। नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त हुई कुल सूचनाएं 398, स्वीकृत सूचनाएं 232, अस्वीकृत हुई 166। इतना काम आप लोगों के मध्य सदन में हुआ।

अब मंत्री जी बोलें।

ख03.35, सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सत्र अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ हुआ और इस सत्र में मान्यवर, शुरूआत में ही पहले ही दिन हमको डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न, मिसाइल मैन, अनेक नामों से सुविख्यात कलाम साहब के निधन के कारण शोक से यह सदन शुरू हुआ। हमारे साथ दूसरी दुखद घटना इस सत्र में और हो गई कि हमारे साथी चितरंजन स्वरूप जी, सदन की कार्यवाही चल रही थी और इसी मध्य मान्यवर, आपने सूचना दी कि उनका निधन हो गया है। दुखद

घटनाओं पर शोक व्यक्त करने के अलावा सदन ने अपने इन कार्य–दिवसों में जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उसके दौरान जो परिवेश रहा है, उससे कोई ईर्ष्या कर सकता है। दो दिनों को छोड़ करके, दो दिनों में विभिन्न कारणों से राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां, अपनी कठिनाइयां होती होंगी, जिन कारणों से भी सदन के कार्य में व्यवधान आया, उसको छोड़ करके जिस प्रकार सौहार्द पूर्ण वातावरण में जो भी कार्य हमने किए, अनेक विधायी कार्य भी हमने किए और बाकी का आंकड़ा अभी आपने रखा है। मान्यवर, आपकी उदारता के कारण इस सदन के सभी सदस्यों को जितना अवसर मिल पाता है और माननीय अध्यक्ष जी, आपने सिर्फ नियमों का शाब्दिक पाठ नहीं किया है, बल्कि जिन भावनाओं के तहत् इस भवन में आने का काम माननीय सदस्य करते हैं, उसको आपने चरितार्थ करने का काम किया है और सभी सदस्यों की पीड़ाएं और जो सवाल वह उठाना चाहते हों, उनको जितना समुचित अवसर देने का काम आपने किया, मान्यवर, और इसमें आपकी कृपा, आपके स्नेह की छांव में इस सदन ने जिस तरीके से काम किया, उसमें जो सहयोग माननीय नेता प्रतिपक्ष का, माननीय नेता, भारतीय जनता पार्टी का, माननीय नेता, कांग्रेस का, माननीय नेता, लोकदल, प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का और श्रीमन्, मंत्रि–परिषद् के सभी लोगों का, माननीय नेता सदन के नेतृत्व में उनकी भी उदारता कि कई बार आपकी पीठ को कठिनाई हुई, आपको टोंकना भी पड़ा है कि सदस्यगण तब क्यों चले आते हैं, यहां कार्य में बाधा होती है। अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय ऐसा चल रहा हो जिसका उत्तर मा0 मुख्य मंत्री जी को देना हो और तभी मा0 सदस्यगण आ करके मा0 मुख्य मंत्री जी को अपना पत्र देते रहते हैं, अपनी कठिनाई बताते रहते हैं। यद्यपि उनकी ओर से मैं मा0 नेता सदन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कभी भी इन सारी उलझनों के बावजूद कभी किसी सदस्य को अपने यहां से लौटाने का काम नहीं किया, और जब मैं सदस्य कहता हूं तो उसमें प्रतिपक्ष के सदस्य ज्यादा हैं यद्यपि सत्तापक्ष के सदस्यों को भी कोई रोक नहीं है। लेकिन सभी सदस्यों को, जितने लोगों को चाहा और तमाम लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं को जब भी रखा, उनका निराकरण हुआ। श्रीमन्, मा0 नेता सदन, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अन्य वरिष्ठ मा0 मंत्रीगण ने जिम्मेदारी से सरकार की भूमिका को रखते हुए, आपने जितना निर्देश दिया उन निर्देशों का पालन किया। लोकतांत्रिक परम्पराओं को सुदृढ़ रखते हुए विपक्ष ने जिन सवालों को उठाया उनका मर्यादापूर्ण ढंग से निर्वाह करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मा0 नेता प्रतिपक्ष का, सभी अन्य नेतागण का, और सर्वाधिक आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लगातार इस पीठ पर बैठे रह करके बाकी लोगों को आने–जाने की छूट, अन्य कामों को करने की छूट दी, लेकिन आपने जितना एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है इस पीठ पर बैठकर वह किसी के लिए भी अनुसरण के योग्य है। श्रीमन्, मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने हम लोगों की छोटी–मोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए और इस सदन की उच्च परम्पराओं के अनुसार इस सदन का संचालन करने का काम किया है। मैं आशा करता

हूं कि आगे आने वाले दिनों में हम और भी बेहतर ढंग से इस प्रदेश की सेवा मिल–जुल कर कर पाएंगे। इस सत्र में जो भी कार्य हुए हैं और बाकी जिन लोगों ने इसके संचालन में, आपके सम्पूर्ण सचिवालय ने, प्रमुख सचिव ने, सुरक्षा में लगे हुए कर्मियों ने, पुस्तकालय के लोगों ने, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, अन्य सुरक्षा कर्मियों ने जिस प्रकार अपनी सेवाएं दी हैं मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। श्रीमन् बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, आज सत्रावसान होने के पूर्व अभी मा0 मंत्री श्री चौधरी साहब जी ने जो भी कहा उससे सम्बद्ध रखते हुए मा0 नेता भाजपा, मा0 नेता कांग्रेस, मा0 नेता लोकदल एवं सभी सदस्यों ने अपनी–अपनी भूमिका मजबूती से उठाते हुए, सदन को सुचारु रूप से चलाने में आपको सहयोग देने का काम किया। मा0 अध्यक्ष जी, जैसाकि आपने दलीय नेताओं की बैठक में अपेक्षा की थी कि सत्र ज्यादा से ज्यादा चले उसको अक्षरशः हम लोगों ने करने का प्रयास किया। मान्यवर, पारदर्शिता बनी रहे इसीलिए लोकतंत्र में सत्तापक्ष के साथ–साथ विपक्ष की भी अहम् भूमिका होती है। गाहे–बगाहे कभी–कभी तीखे माहौल भी बनते हैं, हास–परिहास भी होता है, समस्याओं पर चर्चाएं भी होती हैं। सरकार कभी गंभीरता से उसको लेती भी है, निस्तारण भी कराती है और मान्यवर, ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं कि विपक्ष अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए कभी वेल में आ जाता है, कभी सदन से बर्हिगमन करता है और सारी की सारी जो मर्यादा परम्परा रही है उसके अनुरूप विपक्ष ने भी अपनी पूरी भूमिका निभाई है। सकारात्मक सहयोग दिया है और जहां कुछ सरकार के द्वारा थोड़ा भी अच्छा काम करने का प्रयास किया गया वहां सकारात्मक सहयोग सरकार को भी मिला। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, आज हमारे नेता सदन इस समय नहीं हैं। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय देने का प्रयास किया और समस्याओं को गंभीरता से लेते भी नजर आये। संसदीय कार्य मंत्री जी भी मौके पर नहीं हैं लेकिन उनकी भूमिका सत्तापक्ष को बचाने के लिए जिस तरीके से रहती है सत्तापक्ष के लोगों को उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए और वरिष्ठ मंत्री मा0 शिवपाल यादव जी इस समय नहीं हैं। वह ऐसे एक मंत्री हैं जो ज्यादा से ज्यादा अपने आसन पर बैठे दिखायी पड़ते हैं और मा0 मंत्रियों की ज्यादा उपस्थिति कहीं न कहीं इस बात को दर्शाती है कि सदन के प्रति, समस्याओं पर सरकार की रूचि है। मंत्रियों का सदन से गायब होना प्रदेश की समस्याओं के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाता है। मैं सभी मा0 मंत्रीगणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अपने–अपने विभागों के प्रश्नों को तैयारी के साथ देने का प्रयास किया और मुख्य रूप से हमारे विपक्ष के साथियों ने भी पूरी मजबूती के साथ प्रदेश की समस्याओं को विभिन्न नियमों में लगाकर सूचनाओं के माध्यम से आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाने का भी प्रयास किया और बहुत कुछ का उत्तर मान्यवर, आपने दिलाने का

प्रयास भी किया। बहुत ही सुचारु रूप से सदन चला। हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता कांग्रेस ने भी इस सदन में सदैव बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। और जैसाकि हर मौके पर लोकदल नदारद रहता है आज भी नदारद है। लेकिन जब देखते हैं कि इस दौर में कहीं हम गायब न हो जायें तो वह भी गाहे बगाहे अनचाहे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। अपनी–अपनी राजनीति की एक अलग शैली होती है। उनकी शैली उनके अंदाज में इस सदन में आती है। और मान्यवर, कुल मिलाकर आपके निर्देशन में जिस तरीके से विधान सभा का संचालन हुआ उसकी जितनी भी तारीफ की जाये कम है। लोकतंत्र में कभी–कभी सदन का उपहास बनाने का भी प्रयास किया जाता है। यदि किसी मौके पर तीखी झोंके हो गयी तो वह बड़ी सुर्खियां बन जाती हैं लेकिन हमारी हर गतिविधियों और कार्यवाहियों को जिस तरीके से मीडियाकर्मियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ दिखाया है अगर हम उनको न बधायी दें तो हम समझते हैं कि यह भी उनके साथ अन्याय होगा। क्योंकि स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों की अपनी–अपनी भूमिकायें हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए यह भी उतनी ही आवश्यक है जितना आवश्यक सदन के यह दोनों पक्ष हैं। क्योंकि कभी–कभी जिस प्रकार से सरकार से उसकी कमियों को निकालने के लिए विपक्ष होता उसी प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल के अन्दर यदि कहीं किसी प्रकार की कमी है तो उसको हमारे मीडिया के बंधु अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने टी0वी0 कैमरे के माध्यम से लाते हैं और उससे बहुत कुछ हमारे आचरण पर यदि कहीं दिशा विहीन हो रहा है तो उसमें अंकुश भी लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी भूमिका भी सराहनीय रही है और सदन के तमाम कार्यवाहियों को उन्होंने बढ़ा–चढ़ा कर के दिखाया भी है। हम समझते हैं कि जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चला, यहां तक कि हमारे मा0 भाजपा सदस्यों ने दो दिन का सत्र बढ़ाने की आपसे मांग की, आपने सहर्ष उस पर बैठक बुलाई और सरकार ने भी अपनी सहमति दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, हमारे वरिष्ठ साथी भाई अनुग्रह नारायण सिंह जी इस समय सदन में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने नेता के साथ जिस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर उनको सदैव ताकत देने का काम किया और विशेष रूप से मूलभूत समस्याओं को जिस तरीके से अनुग्रह सिंह कभी–कभी अपनी सूचनाओं के माध्यम से उठाते हैं, सराहनीय रहा है। मैं अपने विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों को चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या लोकदल के हों सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि समूचा विपक्ष जब कभी ऐसा मौका आया एक रहा और सत्ता पक्ष से जब लड़ने की कहीं टकराहट की स्थिति आई तो भी पूरा विपक्ष लोहालाट की तरह अपनी जगह खड़ा रहा। मा0 अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशन में आपका पूरा सचिवालय प्रमुख सचिव सहित सभी आपके सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी इस सदन के शुरू होने के दो घण्टा पहले और सदन के खत्म होने के तीन–चार घण्टा बाद तक भी वह अपना काम करते रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। मैं आपके ही कार्यालय से

सम्बन्धित मार्शल, रक्षक तथा सुरक्षा सहायक जो विधान सभा के परिसर के अन्दर और बाहर अपनी–अपनी जिम्मेदारियां मुश्तैदी से निभाते हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, चलते–चलते मैं मा0 लोक निर्माण मंत्री जी तो यहां नहीं हैं, लेकिन श्री चौधरी साहब हैं, लिफ्ट जो हम लोगों को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का माध्यम है, लिफ्ट का संचालक विधान सभा सचिवालय कर्मी नहीं है, वह लोक निर्माण विभाग का है, सेवा यहां करता है, लेकिन सही मायने में उसके वेतन विसंगति को दूर करने का हमने बहुत पहले सदन के माध्यम से संज्ञान में लाने का प्रयास किया था हम चाहेंगे कि चौधरी साहब इस पर लोक निर्माण मंत्री के साथ बैठक कर के कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे कि जब उनकी पूरी सेवायें विधान सभा के लिए है, मा0 सदस्यों के लिए है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से है और मा0 अध्यक्ष जी के सचिवालय के लिए है तो समय–समय पर जो भी लाभ हमारे विधान सभा सचिवालय कर्मियों को मिलता है, उनको भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, यह व्यवहारिक होगा। अभी मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई पशुधन मंत्री बैठे हैं, भाई कृषि मंत्री जी बैठे हैं, भाई उद्यान मंत्री जी बैठे हैं, दुर्गा भाई बैठे हैं, भाई ब्रह्माशंकर जी बैठे हैं, हमारे मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। सभी श्रेष्ठ हमारे खाद्य रसद मंत्री बैठे हैं, इसके साथ ही साथ तमाम हमारे मंत्री जी हैं, जिनका मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा मैं सबको सामूहिक रूप से बहुत–बहुत, बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जिस तरीके से आप के निर्देशन में विधान सभा का संचालन सदैव आप की अपेक्षानुसार चलता रहा है आगे भी चलता रहेगा, और जिस पर से आपने विपक्ष से हमेशा अपेक्षा किया है आपकी उन सभी अपेक्षाओं पर विपक्ष ने पूरा का पूरा चलने का प्रयास किया है। मान्यवर, इन्हीं बातों के साथ मैं सबको सामूहिक रूप से धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अम्बिका चौधरी जी, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस तथा सभी सम्मानित मंत्रीगण एवं सभी सम्मानित सदस्यगण। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने सदन का समय दो दिन के लिए बढ़ा दिया और सरकार को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि सरकार की सहमति से दो दिन हमें काम करने का मौका और मिल गया। अपनी बात कहने का मौका मिल गया। इसमें कई सरकारी विधेयक भी मान्यवर, पास हो गए। मान्यवर, अगर आज का दिन जोड़ लिया जाए तो बजट सत्र में हम लोग 19 दिन बैठे थे और 8 दिन के ये कार्य दिवस कुल मिलाकर अभी तक 27 दिन यह सदन चला। नियमानुसार मान्यवर, सदन की बैठकें 90 दिन होनी चाहिए और यथासमय हर दो महीने के बाद 10 कार्य दिवसों को सत्र बुलाया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अब से और बजट सत्र के बीच में हमारी और आपकी एक बार और मुलाकात होगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो। मान्यवर, हम लोग यहां पर इसलिए आते हैं, ऐसे तमाम जरूरतमंदों की या दूसरों की जिन्दगी को आसान बनाने के लिए, यहां पर हम अपनी–अपनी भूमिका

निभाते हैं। सत्तापक्ष अपनी भूमिका निभाता है, हम अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। कई ऐसी स्थितियां आती हैं, मान्यवर, चाहे–अनचाहे जब हमको वह सब कुछ करना पड़ता है, जो जनहित के लिए हम आवश्यक समझते हैं और लोकतंत्र में मान्यवर, यह हमारा अधिकार है कि हम जनता की बात अपने तरीके से उठाये और अगर न सुनी जाये तो उसके लिए हम आंदोलन भी करें, प्रदर्शन भी करें और जो भी हम आवश्यक समझें करें लेकिन हम सब कुछ एक मर्यादा के तहत करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि मान्यवर, सदन ज्यादा से ज्यादा चले और हम लोग अपनी अपनी बात रख सकें, क्योंकि जनता भी इस बात को देखती है, सुनती है, समझती भी है कि हम लोग क्या भूमिका अदा करते हैं। लोकतंत्र में जनता न तो भूलती है और न माफ करती है, उसकी बहुत पैनी नजर हम लोगों पर रहती है। हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं लेकिन यह दोनों तरह से हो सकता है मान्यवर, जब सत्तापक्ष भी चाहे और विपक्ष भी चाहे। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहां पर आए हैं, जनता ने आशा और विश्वास के साथ हमको यहां पर भेजा है। हम अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन पूरी मर्यादा के साथ मान्यवर, हम अपनी बात कहते हैं। मान्यवर, आज अगर नेता सदन होते हो अच्छा होता। तीन बातें पिछले सत्र में आई थीं मान्यवर, विशेष रूप से सभी विधायकों की अपेक्षा होती है, खासतौर से विपक्ष के विधायकों की कि उनके यहां पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, चाहे हैण्डपम्प हो, चाहे पानी की टंकी हो या चाहे समरसेबिल पम्प हो और मान्यवर, दूसरी बात लोहिया गांव के चयन की भी हुई थी और तीसरी बात भूतपूर्व विधायकों की हुई थी। हम आपके और चौधरी साहब के माध्मय से अपनी बात उन तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम जो इस सदन में पिछली बार, सत्र समाप्ति के समय 26 मार्च को जो कुछ कहा गया था, अभी तक या तो स्मरण नहीं रहा, काम की अधिकता की वजह से उधर ध्यान नहीं जा पाया। मान्यवर, आज हम पुनः उस बात को स्मरण करा रहे हैं और माननीय चौधरी साहब के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इन बातों का संज्ञान लिया जाए, जो सदन में कहा गया। मान्यवर, इस हाउस की अपनी परम्परा रही है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी से लेकर और माननीय अखिलेश यादव तक जितने मुख्य मंत्री यहां पर हुए, सभी लोगों ने उस कुर्सी पर बैठकर जो भी कहा उसको करा भी। उस कुर्सी की गरिमा बढ़ती है, अगर मान्यवर, अपने वचन का पालन करें, उन आश्वासनों को पूरा करें। अंतिम बात मान्यवर, जो वोटर लिस्ट की बात आई थी, अगर उसका समय बढ़ जाता तो अच्छा था। बहुत से लोग अभी भी हैं, दावे और आपत्ति का समय समाप्त हो रहा है। हम चाहते हैं कि अगर इसी वोटर लिस्ट पर चुनाव होंगे सभी लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने का मौका मिलेगा इस बात अगर सरकार संज्ञान लेगी तो अच्छा रहेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपकी बात से हम सहमत हैं और अपनी सहमति व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्या जी ने या किसी ने मुझे नहीं याद है, किसी ने सवाल उठाया था हमने यहां से स्वीकार किया था और मान्यवर आपने भी

कृपापूर्वक उसको गम्भीरता से लेते हुए सदन की भावनाओं से माननीय नेता सदन मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आगे बढ़कर उसके लिए प्रयास किया। कठिनाई यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बात की लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के सामने जा विधिक कठिनाई है कि अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशन के पहले तिथियों में परिवर्तन कर सकते हैं किन्तु अनन्तिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद तिथियों में परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसी विधिक कठिनाई का कारण उन्होंने अवगत कराया था लेकिन जो समस्या थी उस समस्या के हल के लिए तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र गया। माननीय अध्यक्ष जी आपके पास उसकी कापी आई है कि एक भी वैलिड वोटर जो वैध मतदाता है, वह मतदाता सूची में शामिल करने से छूट न जाये, इसके लिए विशेष प्रयास किये जायें। यह निर्देश दे दिये गये हैं। मैं आपको सिर्फ अवगत कराने के लिए कह रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

समय दो–तीन दिन का बढ़ा सके तो बढ़ा दें। मान्यवर बजट पिछले सत्र में पास हुआ और इस वर्ष अभी अनुपूरक लिया गया। बजट का पैसा समय से खर्च हो उससे जनता को लाभ भी मिल जाता है और कास्ट भी नहीं बढ़ती है और अगर बजट का पैसा देर से खर्च होता है तो जनता तत्काल लाभ से भी वंचित रहती है और उसका पैसा भी बढ़ जाता है। बार–बार इस्टीमेट्स रिवाइज कराने पड़ते हैं। इसलिए हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि बजट का पैसा समय से खर्च हो ताकि उसका लाभ मिल सके। अन्त में मान्यवर सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, बधाई भी देते हैं कि इन्होंने इस सदन के संचालन में अपना भरपूर सहयोग दिया और प्रमुख सचिव से लेकर रिपोर्टर तक चीफ मार्शल से लेकर सुरक्षा कर्मियों तक सभी का धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने सदन में अपनी–अपनी भूमिका के हिसाब से सहयोग किया और मान्यवर आपका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस सदन के संचालन में और हम लोगों का संरक्षण करने में जो उदारता दिखाई और जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया इसके लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं। हम विशेष रूप से प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया का भी धन्यवाद देते हैं और सभी अधिकारियों का और हाउस चलाने में जिन–जिन लोगों की भूमिका रही उन सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। आपने अवसर दिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आज मानसून सत्र के सत्रावसान के अवसर पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी उदारता और आपका संरक्षण हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात साबित होती है कि आप पक्ष और विपक्ष को बराबर की तरजीह देते हैं और हर सदस्य को आपने ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं दिल की गहराईयों से धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं और उस वक्त लगता है

कि कड़वे क्षण हैं पर वे कड़वे क्षण भी जनहित के लिए होते हैं उसमें व्यक्तिगत भावना नहीं होती कि कोई बुरा माने। हम माननीय नेता प्रतिपक्ष नेता भारतीय जनता पार्टी और नेता लोक दल जो हमारे साथ आज नहीं हैं उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत ज्यादा चपल हैं, बहुत ज्यादा तेज हैं इनको भी इस बात का साधुवाद देते हैं। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं अक्सर वह खुदी कह लेते हैं, जैसा कि आज हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा। हमारे अम्बिका चौधरी जी, सारे मंत्रि–मण्डल के सदस्य, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय शिवपाल जी और सभी लोगों का सहयोग विपक्ष को बराबर मिलता है। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं और हम लोगों के काम न होते हों आप लोगों की कृपा से सारे काम होते हैं और हम लोग क्षेत्रों में जाने लायक रहते हैं क्योंकि विपक्ष का मतलब यह नहीं है, आप लोग भी विपक्ष में हमारे साथ बैठे हैं, हम तो बहुत दिनों से विपक्ष में बैठते चले आ रहे हैं। कभी आप विपक्ष में रहते हैं, कभी बी0एस0पी0 विपक्ष में रहती है। आप लोग थोड़े काम करने में लिबरल हैं उसके लिए हम साधुवाद देते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की सौम्यता सबके सामने हैं वह विकास पुरुष के रूप में घोषित करते हैं काम करने को, परन्तु जैसे जैसे उनका समय बढ़ रहा है वैसे–वैसे परिपक्वता भी आ रही है और वह काम भी करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको भी साधुवाद। माननीय अध्यक्ष जी, तमाम बाते कही गयीं इस छोटे सत्र में और आप सत्र बार–बार बुलाते हैं उसके लिए, इस बात के लिए सरकार को भी धन्यवाद देना होगा क्योंकि इस समय हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगे क्योंकि कडुवाहट नहीं होनी चाहिए परन्तु बार बार सत्र बुलाने के लिए भी साधुवाद दिया जायेगा, धन्यवाद दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने कुछ मुद्दे रखे आज अच्छा होता हमारे नेता सदन यहां पर होते। जैसे जो पूर्व विधायक जो पूर्व में रह गये हैं या जो 2012 में चुनकर आये हैं उनको नोयडा या लखनऊ में प्लाट आवंटित करने की बात कही गयी थी वह प्लाट यदि उनको आवंटित हो जाय तो अच्छा होगा। बहुत से पुराने सदस्यों ने प्लाट नहीं लिया है तो उनको भी एक मौका मिले तो अच्छा रहेगा। मैं चाहूंगा कि अम्बिका चौधरी जी इस बात को नेता सदन और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी तक पहुंचाये। लोहिया ग्राम और जनेश्वर मिश्र ग्राम की बात भी हुई थी वह भी कर दें चुनाव आ रहे हैं सभी को चुनाव लड़ना है जनता हिसाब मांगती है। क्षेत्रीय विकास निधि को भी बढ़ाकर डेढ़ करोड़ से तीन करोड़ करने की बात हो जाय तो अच्छा हो। पूर्व विधायको की बात है सभी को पूर्व होना है वह बराबर कहते हैं कि 80 हजार के जो आपने कूपन दिलवाये थे उसमें से या तो फिफ्टी परसेन्ट रेलवे कूपन और फिफ्टी परसेन्ट डीजल पेट्रोल का दिया जाय या हण्ड्रेड परसेन्ट उनकी च्वाइस पर छोड़ दिया जाय कि वह कूपन भी ले सकते हैं डीजल पेट्रोल भी ले सकते हैं तो मैं समझता हूं इससे काफी उनकी मदद होगी। एक तरह से उनको सुविधा होगी एक तरह से इस कूपन को पेट्रोल डीजल में तब्दील कर दें तो पूर्व विधायक लाभान्वित हो पायेंगे। तमाम मुद्दों पर बहस हुई और स्वस्थ्य परम्परा के अनुरूप बहसे हुई। माननीय

अध्यक्ष जी, मैं प्रमुख सचिव साहब को धन्यवाद देता हूं सभी आपके जो सचिवालय के कर्मचारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जो इतने घण्टे तक बैठकर हम सबकी इस हाउस के संचालन में मदद करते हैं और रक्षक, सुरक्षा सहायक अन्दर व बाहर जो रहते हैं उनको भी साधुवाद देता हूं कि वह बराबर हम लोगों के लिए 2 घण्टे पहले आ जाते हैं और 2 घण्टे बाद तक रहते है। मीडियाकर्मी हम लोगों की बात को पूरे देश में प्रदेश में प्रचारित प्रसारित करते हैं इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया उनके एहसान को भी हम लोग नहीं भुला सकते। अन्त में मैं सबको धन्यवाद देता हूं और बहुत जल्दी जैसी सरकार की मंशा और आपकी मंशा रहती है शीतकालीन अधिवेशन भी आप शीघ्र बुलायेंगे धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस दल, माननीय लोकदल के नेता नहीं हैं सभी माननीय सदस्यगण, विधान सभा का सत्र 8 बैठकों के बाद आज हम उठने जा रहे हैं इन बैठकों के माध्यम से आप सभी लोगों ने जनता की बातों को सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाने का काम किया और सरकार भी अपने स्तर पर उसके निदान का प्रयास करती है। विधान सभा है जो हमारा समाज है हमारे समाज में जो समस्याएं हैं उनकी प्रतिध्वनि यहां इस विधान सभा में सुनाई पड़ती है और उन समस्याओं को लेकर के कभी कभी सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराहट भी होती है लेकिन यह टकराहट मुख्य रूप से सत्तापक्ष की तरफ न जाकर के मेरी तरफ चली आती है। जब कभी कोई बात होती है, तो मुझे उन सारी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, लेकिन फिर भी यह सदन है। यह सदन इसलिये है और हम प्रतिनिधि इसलिये हैं कि हम जन समस्याओं का निदान किसी भी स्तर पर जाकर करें। कभी–कभी जो व्यवधान होता है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब समस्या है, तो व्यवधान तो अपने आप कहीं न कहीं होगा ही। इसलिये कभी–कभी थोड़ी–बहुत बातें हो जाती हैं, उसको हम बहुत गंभीरता से लेने का प्रयास भी नहीं करते हैं। मैं विपक्ष में बहुत दिनों तक बैठा हूं और हम विपक्ष की भावनाओं को समझते हैं, बहुत से काम ऐसे हैं, जो विपक्ष नहीं करा सकता है। उन कामों को कराने के लिए मैंने नियमों में संशोधन करके नियमों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिससे चाहे विपक्ष के सदस्य हो अथवा सत्तापक्ष के सदस्य हो, चाहे वह नियम–51 हो, चाहे वह नियम–301 हो, उसके माध्यम से वह अपने क्षेत्र का काम सुचारु रूप से करा सके और उसका बहुत सारे सदस्यों ने लाभ उठाया है। मैं हिन्दुस्तान की कई विधान सभाओं में गया हूं और वहां के माननीय अध्यक्षों से भी मिला हूं। बहुत सी ऐसी विधान सभा हैं जहां शून्य प्रहर है ही नहीं, जहां नियम–56 की सूचना ली ही नहीं जाती है, ऐसे भी विधान सभायें हैं जहां पर जो प्रश्नकर्ता है, वहीं अनुपूरक पूछ सकता है। लेकिन हमारी विधान सभा ने बड़ी उदारता से एक परम्परा कायम की है और यह परम्परा पहले से कायम है कि एक प्रश्न पर कई अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन माननीय सदस्य का प्रश्न रहता है, वह तो पीछे छूट जाते हैं और दूसरे लोग उसको आगे ले जाते हैं। यह एक अच्छी

परम्परा अपनी विधान सभा में है और हमारे सभी सम्मानित सदस्यों ने इसका पालन बहुत ही सदाशयता से किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जो जागरूकतापूर्वक अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर हमसे मिलते हैं और माननीय मंत्रियों से भी मिलते हैं, क्योंकि अगर आप अपने क्षेत्र की समस्या के लिए यहां नहीं कह सकेंगे तो जनता जब आपसे पूछेगी, तो आपके पास जवाब नहीं रहेगा। इसलिये मैंने उदारता से उन सारे प्रश्नों को जो हमारे माननीय सदस्यों ने यहां उठाये चाहे उसको स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट भी हुई हो, तो भी मैंने उन्हें वह अवसर देने की कोशिश की है, जिससे वह अपनी बातों को यहां पर ला सके। इसमें सभी माननीय सदस्यों का हमें सहयोग मिला है। कभी–कभी वेल में लोग आ जाते हैं। हमको भी कष्ट होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह उनकी विवशता है। अगर वह यहां यह नहीं करेंगे, तो जनता जब उनसे पूछेगी कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो यही आपके पास एक सहारा कि हम तो लड़े, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। यह एक सहारा के रूप में आप जो लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर जन समस्याओं से जनता को निजात देने का प्रयास करेंगे और ऐसा अवसर नहीं आयेगा कि सदन में इस तरह की बाधा उत्पन्न हो। अपनी बात कहने की आपको पूर्ण सुगमतापूर्वक आजादी मिले यह मेरी आपके प्रति शुभकामना है। मैं सभी नेताओं के प्रति, मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रति माननीय मंत्रियों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सदन संचालन में बड़ा सहयोग किया है। चाहे प्रश्नों का उत्तर देना हो, चाहे नियम–51 का उत्तर देना हो, चाहे 301 का उत्तर देना हो, इसमें चाहे विलम्ब हो लेकिन उसका सही ढंग से आपको उत्तर जाता है। मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह एक विद्वान सदस्य हैं, उन्होंने जिस तरह से सहयोग किया वह काबिले तारीफ है। पिछली बार जब वह अपने दल के नेता नहीं थे, तो वह हमारा सहयोग अधिष्ठाता के रूप में बहुत अच्छे ढंग से करते थे और भली–भांति उस दायित्व का निवर्हन करते थे। अब उस काम से इन्होंने अपने को अलग कर लिया है। हम भी इनके इस सहयोग से वंचित रह गये हैं, फिर भी मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सदन को चलाने में हमारा सहयोग किया। नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माननीय माथुर जी हमारे बड़े पुराने साथी हैं, यह वहीं बैठे हैं जहां तिवारी जी बैठते थे और हम लोग यहां बैठते थे। यह अपने समय में भी अपनी सरकार से लड़ते रहते थे और उसमें भी यह अजीब तरह का कार्य करते थे, जिसमें इनके मंत्री लोग इन्हीं से परेशान हो जाते थे जितना हमसे नहीं परेशान होते थे, तो इनकी पुरानी आदत आज तक बनी हुई है। मैं समझता था कि उम्र के साथ इसमें कोई परिवर्तन हो जायेगा, लेकिन वह परिवर्तन अभी तक आया नहीं है। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। मैं सभी माननीय मंत्रियों के प्रति, माननीय सदस्य के प्रति, सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सदन के संचालन में सहयोग किया, धन्यवाद देता हूं। मैं अपने प्रमुख सचिव, विधान सभा का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने रात दिन एक करके प्रश्नों की लिस्ट तैयार कराने में, नियमों में जो प्रश्न उठे, उनका उत्तर दिलाने में अनन्य सहयोग किया, मैं उनके प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट करता

हूं। जितने हमारे सचिवालय के कर्मी हैं, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं। हमारे जो पत्रकार बन्धु हैं, उन लोगों ने भी छोटी–छोटी बातें जो यहां कहीं आधे लोग सुन भी नहीं पाते, उन बॉतों को भी अखबार के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम यह करते हैं, इसलिये उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सतर्कतापूर्वक, क्योंकि आज अखबार में पढ़ा कि लिख दिया कि स्पीकर को जब गुस्सा आया। अरे गुस्सा नहीं आया, कभी–कभी अपने लोगों को समझाने बुझाने का भी रास्ता होता है, कभी आदमी बनावटी गुस्सा दिखाता है जिससे कि वह आदमी थोड़ा सुधर जाये। तो इन लोगों ने जो हमारे सदन की बातों को जनता के बीच तक पहुंचाया, इसलिये मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं अपने मार्शल, सुरक्षाकर्मियों और जो भी सदन से संबंधित लोग हैं, सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जब आप लोग यहां से जायें तो स्वस्थ मन से जनता की सेवा करें। पंचायत चुनाव आया है, हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, हम लोग अगर सही ढंग से लग जायेंगे तो चुनाव बहुत अच्छे ढंग से हो जायेगा। हर आदमी प्रयास करता है कि उसका आदमी या उसके पक्ष का आदमी जीते, लेकिन उसमें हम लोगों को निष्पक्षता से प्रयास करना चाहिये जिससे कि एक निष्पक्ष चुनाव हो जाये और आदर्श प्रस्तुत हो जाये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जायें, सुखी रहें और क्षेत्र की सेवा करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव रख दें।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख04.10, राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष–

अब राष्ट्रगान 'जन–गण–मन' ।

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे ।
भारत–भाग्य–विधाता ।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग ।
विन्ध्य–हिमाचंल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग ।।
तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे ।।
गाहे तव जय गाथा ।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य विधाता ।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 15 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 27 अगस्त, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 170 विधान सभा (304)–27–08–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।